



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए



उत्तराखण्ड सरकार

प्रतिवेदन संख्या 1-वर्ष 2016

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

उत्तराखण्ड सरकार

प्रतिवेदन संख्या 1 - वर्ष 2016

विषय सूची

| विवरण | संदर्भ | |
|--|---------|-----------|
| | प्रस्तर | पृष्ठ सं. |
| प्राक्कथन | | vii |
| विहंगावलोकन | | ix |
| अध्याय-I सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र (गैर सा क्षे उ) | | |
| बजट परिचय | 1.1.1 | 1 |
| राज्य सरकार के संसाधनों का उपयोग | 1.1.2 | 1 |
| राज्य सरकार के क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे अन्तरित निधियाँ | 1.1.3 | 2 |
| भारत सरकार से सहायता अनुदान | 1.1.4 | 2 |
| लेखापरीक्षा की आयोजना एवं संचालन | 1.1.5 | 2 |
| महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ और लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया | 1.1.6 | 3 |
| लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप की गयी वसूलियाँ | 1.1.7 | 4 |
| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर सरकार की जवाबदेही | 1.1.8 | 4 |
| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्यवाही | 1.1.9 | 5 |
| स्वायत्त निकायों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्य विधान सभा में रखने की स्थिति | 1.1.10 | 5 |
| लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में मुद्रित प्रस्तरों एवं समीक्षाओं का वर्ष-वार विवरण | 1.1.11 | 5 |
| निष्पादन लेखापरीक्षा | | |
| शिक्षा विभाग | | |
| राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान | 1.2 | 7 |
| प्रारम्भिक शिक्षा विभाग | | |
| प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन योजना) | 1.3 | 27 |
| कृषि विभाग | | |
| राष्ट्रीय कृषि विकास योजना | 1.4 | 45 |
| अनुपालन लेखापरीक्षा | | |
| नागरिक उड्डयन विभाग | | |
| नागरिक उड्डयन विभाग के क्रियाकलाप | 1.5 | 62 |
| संस्कृति विभाग | | |
| निरर्थक व्यय | 1.6 | 67 |
| वन विभाग | | |
| राजस्व की हानि | 1.7 | 68 |

| विवरण | संदर्भ | |
|---|---------|-----------|
| | प्रस्तर | पृष्ठ सं. |
| चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | | |
| निष्फल व्यय | 1.8 | 69 |
| गृह विभाग | | |
| निष्क्रिय उपकरण | 1.9 | 70 |
| औद्योगिक विकास विभाग | | |
| उत्पादक को अदेय लाभ | 1.10 | 71 |
| ग्रामीण विकास विभाग | | |
| परिहार्य व्यय | 1.11 | 72 |
| लोक निर्माण विभाग | | |
| ब्याज का परित्याग | 1.12 | 74 |
| ठेकेदार को अदेय लाभ | 1.13 | 75 |
| लोक निर्माण विभाग में निक्षेप कार्य | 1.14 | 76 |
| राजस्व विभाग | | |
| भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण (भू अभि क) योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा की अनुवर्ती लेखापरीक्षा | 1.15 | 84 |
| समाज कल्याण विभाग | | |
| निष्क्रिय व्यय | 1.16 | 96 |
| अध्याय-II | | |
| राजस्व क्षेत्र | | |
| राजस्व प्राप्ति की प्रवृत्ति | 2.1.1 | 99 |
| राजस्व बकायों का विश्लेषण | 2.1.4 | 102 |
| निर्धारणों का बकाया | 2.1.5 | 102 |
| वाणिज्य कर विभाग द्वारा पकड़े गये करापवंचन | 2.1.6 | 103 |
| कर वापसी के प्रकरण | 2.1.7 | 103 |
| लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/सरकार की प्रतिक्रिया | 2.1.8 | 104 |
| लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मुद्दों का निपटारा करने वाले तन्त्र का विश्लेषण | 2.1.9 | 106 |
| विभागों/शासन द्वारा स्वीकार की गयी अनुशंसाओं पर कृत कार्यवाही | 2.1.10 | 107 |
| लेखापरीक्षा आयोजना | 2.1.11 | 108 |
| लेखापरीक्षा के परिणाम | 2.1.12 | 108 |
| राजस्व अध्याय की व्याप्ति | 2.1.13 | 108 |
| अनुपालन लेखापरीक्षा | | |
| वाणिज्य कर विभाग | | |
| मूल्यवर्धित कर की गलत दर लागू करने के कारण कर का न्यूनारोपण | 2.2 | 109 |

| विवरण | संदर्भ | |
|--|---------|-----------|
| | प्रस्तर | पृष्ठ सं. |
| प्रपत्र - 11 का अनाधिकृत उपयोग | 2.3 | 110 |
| अर्थदण्ड का अनारोपण | 2.4 | 111 |
| कर के विलम्बित भुगतान पर ₹ 5.81 लाख अर्थदण्ड का अनारोपण | 2.5 | 112 |
| कर का न्यूनारोपण | 2.6 | 113 |
| घोषणा प्रपत्र - 11 एवं प्रपत्र - सी के विरुद्ध कर का न्यूनारोपण | 2.7 | 114 |
| राजस्व विभाग | | |
| राजस्व विभाग के लम्बित प्रकरण | 2.8 | 115 |
| अध्याय-III | | |
| सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र (सा क्षे उ) | | |
| राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यविधि | 3.1 | 121 |
| परिचय | 3.1.1 | 121 |
| जवाबदेही संरचना | 3.1.2 | 121 |
| सांविधिक लेखापरीक्षा | 3.1.3 | 122 |
| सरकार और विधायिका का कार्य | 3.1.4 | 122 |
| उत्तराखण्ड सरकार की हिस्सेदारी | 3.1.5 | 123 |
| राज्य सा क्षे उ में निवेश | 3.1.6 | 123 |
| वर्ष के दौरान विशेष सहायता और प्रतिफल | 3.1.7 | 124 |
| वित्त लेखे के साथ मिलान | 3.1.8 | 126 |
| लेखों के अन्तिमीकरण में बकाया | 3.1.9 | 126 |
| सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण | 3.1.10 | 128 |
| लेखों के अन्तिमीकरण न होने का प्रभाव | 3.1.11 | 128 |
| सा क्षे उ के नवीनतम अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार उनका निष्पादन | 3.1.12 | 128 |
| अकार्यरत सा क्षे उ का परिसमापन | 3.1.13 | 130 |
| लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ | 3.1.14 | 131 |
| सरकार की लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया | 3.1.15 | 132 |
| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्यवाही | 3.1.16 | 133 |
| सा क्षे उ समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर चर्चा | 3.1.17 | 133 |
| सा क्षे उ समिति के प्रतिवेदन का अनुपालन | 3.1.18 | 133 |
| लेखापरीक्षा आपत्तियों पर विभाग की प्रतिक्रिया | 3.1.19 | 134 |
| इस अध्याय का आच्छादन | 3.1.20 | 134 |
| सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्गठन और ऊर्जा क्षेत्र में सुधार | 3.1.21 | 134 |

| विवरण | संदर्भ | |
|--|---------|-----------|
| | प्रस्तर | पृष्ठ सं. |
| अनुपालन लेखापरीक्षा | | |
| उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड | | |
| परिहार्य व्यय | 3.2 | 135 |
| पुनर्संरचित ऊर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम का क्रियान्वयन | 3.3 | 137 |
| अतिरिक्त स्कन्ध का निपटान न होना | 3.4 | 146 |
| उत्तराखण्ड राज्य अवसंरचना एवं विकास निगम लिमिटेड | | |
| निरर्थक व्यय | 3.5 | 147 |
| निष्फल व्यय | 3.6 | 148 |
| राजस्व का परित्याग | 3.7 | 150 |

परिशिष्ट

| परिशिष्ट | विवरण | पृष्ठ संख्या |
|----------|---|--------------|
| 1.1.1 | लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रस्तरों पर कृत कार्यवाही टिप्पणियाँ (कृ का टि) की प्राप्ति से संबंधित स्थिति | 153 |
| 1.2.1 | माध्यमिक विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं | 155 |
| 1.12.1 | परित्यक्त ब्याज का विवरण | 156 |
| 1.13.1 | ठेकेदार से वसूल की जाने वाली परिनिर्धारित हानि की गणना | 158 |
| 1.14.1 | कार्यों का विवरण जिसमें खण्ड द्वारा जमा धनराशि से अधिक व्यय किया गया | 159 |
| 1.14.2 | कार्यों का विवरण जिसमें शेष निक्षेप राशि ग्राहक विभाग को समर्पित नहीं की गयी | 159 |
| 1.14.3 | समय एवं मूल्यवृद्धि से संबन्धित प्रकरणों का विवरण | 160 |
| 1.14.4 | भूमि की अनुपलब्धता के कारण निक्षेप राशि अवरुद्ध रहने का विवरण | 161 |
| 2.8.1 | राजस्व विभाग के लम्बित प्रकरण | 162 |
| 3.1.1 | सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के अद्यतन संक्षिप्त वित्तीय परिणाम, जिनके लेखे बकाया थे | 163 |
| 3.1.2 | सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के अद्यतन संक्षिप्त वित्तीय परिणाम, जिनके लेखे पूर्ण कर लिए गए थे | 164 |

प्राक्कथन

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अंतर्गत इस प्रतिवेदन के अध्याय I एवं II राज्य विधानमण्डल के पटल पर रखे जाने हैं। इस प्रतिवेदन के अध्याय III के प्रकरण में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (अ) के अंतर्गत सरकार द्वारा यह भाग विधानमण्डल में प्रस्तुत करना हैं।

इस प्रतिवेदन का **अध्याय - I** नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत संपादित सरकारी विभागों के सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र (गैर - सा क्षेत्र 3) के व्यय की लेखापरीक्षा से संबंधित है। इस अध्याय में 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार के विभागों/स्वायत्त निकायों की निष्पादन लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को सम्मिलित किया गया है।

इस प्रतिवेदन के **अध्याय - II** में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत संपादित राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त करने वाले विभागों की प्राप्तियों एवं व्यय की लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन का **अध्याय - III** सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों के अंतर्गत राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की लेखापरीक्षा से संबंधित हैं। सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा (इन कम्पनियों में वह कम्पनियाँ भी सम्मिलित हैं, जिन्हें कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सरकारी कम्पनी माना गया है) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 एवं कम्पनी अधिनियम 2013 की धाराओं 139 एवं 143 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सम्पादित की जाती है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा संबंधित विधायिका के अंतर्गत की जाती है। सरकार को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के इस भाग को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(अ) के अंतर्गत राज्य विधान मंडल में प्रस्तुत करना होता है।

इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण सम्मिलित हैं जो वर्ष 2014-15 के दौरान नमूना लेखापरीक्षा की प्रक्रिया में संज्ञान में आये, साथ साथ वे प्रकरण भी सम्मिलित हैं, जो पूर्व वर्षों में संज्ञान में आये थे, पर पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किये जा सके, वे प्रकरण जो 2014-15 के अनुगामी अवधि से संबंधित हैं परन्तु वर्ष 2014-15 से संबंधित हैं, जहाँ जहाँ आवश्यक थे, सम्मिलित किये गये हैं।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों (मार्च 2002) के अनुरूप लेखापरीक्षा का सम्पादन किया गया है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय हैं, जिसमें सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्र (गैर - सा क्षे उ); राजस्व क्षेत्र और सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र (सा क्षे उ) से सम्बन्धित लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित हैं। इसमें ₹ 598.74 करोड़ के राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन योजना) तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पर तीन निष्पादन लेखापरीक्षा तथा 25 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर सम्मिलित हैं। कुछ मुख्य निष्कर्षों का उल्लेख नीचे किया गया है:

सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्र (गैर- सा क्षे उ)

वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान राज्य का कुल व्यय ₹ 13,536 करोड़ से ₹ 26,254 करोड़ तक बढ़ गया, राज्य सरकार का राजस्व व्यय, वर्ष 2010-11 में ₹ 11,621 करोड़ से वर्ष 2014-15 में 82 प्रतिशत बढ़कर ₹ 21,164 करोड़ हो गया। वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान कुल व्यय में 81 से 86 प्रतिशत राजस्व व्यय सम्मिलित था और 13 से 19 प्रतिशत पूंजीगत व्यय था। इस अवधि के दौरान, राजस्व व्यय 14.99 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ा, जबकि 2010-11 से 2014-15 के दौरान राजस्व प्राप्त 16 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ी।

निष्पादन लेखापरीक्षा

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

- परिपेक्ष्य योजना (प यो) और वार्षिक कार्य योजना तथा बजट (ए डब्ल्यू पी एम बी) बनाने के लिए नीचे से ऊपर का दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया था जैसे कि विद्यालय स्तरीय योजना, जो कि राज्य स्तरीय योजना के लिए इमारत की नींव के समान थी, विद्यालय प्रबंधन समितियों (एस एम डी सी) द्वारा नहीं बनायी गयी थी।

[प्रस्तर 1.2.6.1]

- राज्य में, 83 प्रतिशत विद्यालय बिना गतिविधि कक्ष के हैं, 76 प्रतिशत बिना लाइब्रेरी के हैं, 55 प्रतिशत बिना खेल के मैदान के हैं, 50 प्रतिशत बिना कम्प्यूटर कक्ष के हैं, 48 प्रतिशत बिना एकीकृत विज्ञान प्रयोगशाला के हैं तथा 14 प्रतिशत बिना कक्षा-कक्षा व विद्युत के हैं, इस प्रकार ये रमसा के मुख्य उद्देश्यों यथा विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक भौतिक बुनियादी सुविधाओं को प्राप्त करने में प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे थे।

[प्रस्तर 1.2.8.4]

- कुल अवमुक्त निधि ₹ 167.14 करोड़ के सापेक्ष ₹ 88.33 करोड़ (53 प्रतिशत) योजना प्रारंभ होने से अप्रयुक्त पड़े थे, परिणामस्वरूप मात्र 25 प्रतिशत ही निर्माण कार्य पूर्ण हुए जिससे बच्चे आवश्यक बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहे।

[प्रस्तर 1.2.8.1]

- 271 उच्चकृत विद्यालयों के सापेक्ष 126 में कक्षा नौ में छात्रों का नामांकन निर्धारित मानक 25 से नीचे था। भारत सरकार से धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद भी विभाग ने व्यवसायिक शिक्षा देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

[प्रस्तर 1.2.8.2]

- सूचना संचार प्रौद्योगिकी (सू सं प्रौ), योजना के अन्तर्गत ₹ 6.67 करोड़ उपलब्ध होने के बावजूद भी छात्रों को इसका लाभ नहीं मिल सका।

[प्रस्तर 1.2.12]

प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन योजना)

- विद्यालयों में मध्याह्न भोजन दिये जाने में व्यवधान थे जैसा कि चयनित 120 में से 50 विद्यालयों में पाया गया।

[प्रस्तर 1.3.8.3]

- सूक्ष्म पोषक तत्वों एवं सम्पूरकों को आवश्यकतानुसार बच्चों को प्रदान नहीं किया जा रहा था एवं 2010-13 की अवधि में स्वास्थ्य परीक्षण 79 प्रतिशत तक कम थे।

[प्रस्तर 1.3.8.6]

- विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने में योजना असफल रही क्योंकि 2010-15 की अवधि में वास्तविक नामांकन 22 प्रतिशत घटा।

[प्रस्तर 1.3.9.1]

- शिक्षा कर्मियों के कार्यक्रम क्रियाकलापों में वांछित चार घण्टे प्रति सप्ताह के विपरीत नौ से 12 घण्टे प्रति सप्ताह संलग्न रहने के परिणामस्वरूप पढ़ाई सम्बन्धी क्रिया कलापों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

[प्रस्तर 1.3.9.3]

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

- राज्य और जिला कृषि योजनाएं निर्धारित तिथि से 21 से लेकर 31 माह के विलम्ब से तैयार कि गईं।

[प्रस्तर 1.4.6.1]

- राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (रा स्त स्वी स) द्वारा वर्ष 2010-15 की अवधि के दौरान 56 परियोजनाओं को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार किये बिना ही अनुमोदित किया गया।

[प्रस्तर 1.4.6.2]

- वर्ष 2011-13 से संबंधित छः परियोजनाओं के संबंध में ₹ 3.09 करोड़ का अधिक व्यय, रा स्त स्वी स के अनुमोदन के बिना किया गया था।

[प्रस्तर 1.4.7.2]

- ₹ 4.86 करोड़ की लागत से स्थापित किए गए तीन जैविक अपशिष्ट परिवर्तक संयंत्र स्थापना के 12 से 17 महीने व्यतीत हो जाने के बाद भी क्रियाशील नहीं थे।

[प्रस्तर 1.4.8.2 (अ)]

अनुपालन लेखापरीक्षा

नागरिक उड्डयन विभाग के क्रियाकलाप

विभिन्न हैलीपैडों एवं हवाई पट्टियों पर निजी कम्पनियों के हैलीकॉप्टरों / विमानों के लैंडिंग, पार्किंग एवं हैंगर प्रयोग के सापेक्ष शुल्क नहीं वसूला जा रहा था। प्राधिकरण द्वारा सरकारी हैलीपैडों एवं वायुयान के कलपुर्जों की अधिप्राप्ति के सम्बन्ध में प्रचलित नियमों/ अधिनियमों का पालन नहीं किया जा रहा था।

[प्रस्तर 1.5]

निरर्थक व्यय

संस्कृति विभाग द्वारा, उस भूमि पर जिस पर उसका स्वामित्व नहीं था, प्रेक्षागृह के अनाधिकृत निर्माण के परिणामस्वरूप ₹ 1.03 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

[प्रस्तर 1.6]

राजस्व की हानि

वन विभाग द्वारा वन उपज के विदोहन में रुकावट के फलस्वरूप ₹ 93.31 लाख की राजस्व हानि हुई।

[प्रस्तर 1.7]

निष्फल व्यय

बेस अस्पताल के निर्माण के लिए स्थल का त्रुटिपूर्ण ढंग से चयन करने के कारण स्थल विकास पर ₹ 2.12 करोड़ का निरर्थक व्यय किया गया।

[प्रस्तर 1.8]

निष्क्रिय उपकरण

भारत सरकार द्वारा हिल रिकवरी क्रेन जिस उद्देश्य के लिए आवंटित किये गये थे, उसकी पूर्ति नहीं हो पायी, जैसे कि पु अ, टिहरी और व पु अ, देहरादून को ₹ 40.89 लाख मूल्य के दो क्रेन आवंटित थे, क्रमशः छः और तीन साल की अवधि तक निष्क्रिय पड़े रहे।

[प्रस्तर 1.9]

उत्पादक को अदेय लाभ

औद्योगिक विकास विभाग द्वारा मिथ्या दावों के आधार पर एक उत्पादक को ₹ 22.89 लाख के उपदान का भुगतान किया गया जो कि अब ₹ 9.91 लाख के ब्याज के साथ वसूली योग्य था।

[प्रस्तर 1.10]

परिहार्य व्यय

ग्रामीण विभाग द्वारा दोषपूर्ण डी.आर.पी. तैयार करने के कारण राज्य सरकार को केन्द्र पोषित योजना पी एम जी एस वाई के सड़क कार्य पर अपने संसाधनों से ₹ 152.20 लाख भुगतान करना पड़ा।

[प्रस्तर 1.11]

ब्याज का परित्याग

लोकनिर्माण विभाग द्वारा ठेकेदारों को भुगतान किये गये मोबलाईजेशन अग्रिम पर ब्याज भारित नहीं करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.73 करोड़ के ब्याज का परित्याग हुआ।

[प्रस्तर 1.12]

ठेकेदार को अदेय लाभ

लोकनिर्माण विभाग द्वारा स्वयं के मानदंडों के विपरीत ठेकेदार को समयवृद्धि का अनुचित लाभ दिया जाना जो कि ₹ 3.30 करोड़ के ऋणमुक्त नुकसान (लिक्विडिटेड डैमेज) की माफी प्रदर्शित करता है।

[प्रस्तर 1.13]

लोक निर्माण विभाग में निक्षेप कार्य

निक्षेप कार्यों पर किया गया व्यय, इन कार्यों के लिए प्राप्त निक्षेप राशि तक सीमित नहीं रखा गया था और इन कार्यों पर किए गए अधिक व्यय का वहन अन्य निक्षेप कार्यों के लिए प्राप्त निक्षेप राशि से किया गया था। प्राप्त निक्षेप राशि से इस प्रकार किए गए अधिक व्यय को "प्रकीर्ण लोक निर्माण अग्रिम" के अधीन प्रभारित भी नहीं किया गया था। निक्षेप कार्य के निष्पादन के उपरांत संबन्धित खण्ड द्वारा शेष/व्यय न हुये धनराशि को ग्राहक विभाग को समर्पण नहीं किया गया। अधिकतर खण्डों द्वारा वास्तविक निक्षेप प्राप्ति, किए गए व्यय, कार्यों के प्रगति की अद्यतन स्थिति एवं धन की उपलब्धता से संबन्धित विवरणों का रखरखाव निर्धारित प्रपत्र - 65 में नहीं रखा गया और न ही प्रतिवेदित किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त कुछ खण्डों, द्वारा निक्षेप पंजिका के भाग - III, जो कि निक्षेप कार्यों के प्राथमिक अभिलेखों में से एक है, का रखरखाव नहीं किया जा रहा था।

[प्रस्तर 1.14]

निष्क्रिय व्यय

समाज कल्याण विभाग द्वारा बालिका छात्रावास पर किया गया व्यय ₹ 1.02 करोड़ निष्क्रिय रहा, क्योंकि इसके संचालन हेतु व्यवस्थाओं के अभाव के कारण भवन का उपयोग नहीं किया जा सका।

[प्रस्तर 1.16]

राजस्व क्षेत्र

अनुपालन लेखापरीक्षा

मूल्यवर्धित कर की गलत दर लागू करने के कारण कर का न्यूनारोपण

कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कर की गलत दर लागू करने के परिणामस्वरूप ₹ 4.08 लाख के कर के न्यूनारोपण के अतिरिक्त ₹ 3.98 लाख का ब्याज भी देय हुआ।

[प्रस्तर 2.2]

प्रपत्र - 11 का अनाधिकृत उपयोग

अनाधिकृत घोषणा प्रपत्र - 11 के विरुद्ध रियायती दर से शीरे की खरीद एवं करमुक्त देशी शराब का उत्पादन एवं बिक्री के परिणाम स्वरूप ₹ 16.85 लाख की राजस्व क्षति के अतिरिक्त ₹ 59.47 लाख का अर्थदण्ड भी देय था।

[प्रस्तर 2.3]

अर्थदण्ड का अनारोपण

इनपुट टैक्स के लाभ का गलत दावा करने पर ₹ 3.25 लाख के अर्थदण्ड का अनारोपण।

[प्रस्तर 2.4]

कर के विलम्बित भुगतान पर ₹ 5.81 लाख अर्थदण्ड का अनारोपण

अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत व्यापारी द्वारा देय कर विहित समय के भीतर भुगतान करने में विफल होने के बावजूद कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा ₹ 5.81 लाख अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया।

[प्रस्तर 2.5]

कर का न्यूनारोपण

कर निर्धारण के समय, पूर्व अवधि की बिक्री के लिए जिस समय उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उपधारा (3) का खण्ड (ग) लागू नहीं थी, को त्रुटिपूर्ण ढंग से लागू किये जाने के परिणामस्वरूप देय ₹ 2.15 लाख के ब्याज के अतिरिक्त 8.5 प्रतिशत की अन्तरीय दर से ₹ 2.57 लाख के कम कर का आरोपण किया गया।

[प्रस्तर 2.6]

घोषणा प्रपत्र - 11 एवं प्रपत्र-सी के विरुद्ध कर का न्यूनारोपण

अवैध घोषणा प्रपत्र-सी (₹ 65.81 लाख) एवं स्थानीय घोषणा प्रपत्र-11 के विरुद्ध संव्यवहार (₹ 82.73 लाख) पर कर का न्यूनारोपण।

[प्रस्तर 2.7]

राजस्व विभाग के लम्बित प्रकरण

पीठासीन अधिकारियों की कमी एवं अधिवक्ताओं द्वारा बार-बार की जाने वाली हड़ताल के कारण राजस्व न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों में बढ़ोत्तरी हुई। राजस्व प्रकरणों के निपटान हेतु निर्धारित लक्ष्य के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान लगभग 50 प्रतिशत कम उपलब्धि हुई। परिणामस्वरूप, विभिन्न स्तरों के राजस्व मामलों 16,108 (1 अप्रैल 2003) से बढ़कर 34,209 (अगस्त 2015) तक पहुंच गये।

[प्रस्तर 2.8]

सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र (सा क्षे उ)

अनुपालन लेखापरीक्षा

परिहार्य व्यय

यू पी सी एल द्वारा ऊर्जा के क्रय-विक्रय हेतु ऊर्जा बाजार में पंजीयन न किए जाने के परिणामस्वरूप ऊर्जा व्यापारियों को देय व्यापार लाभ/लेन-देन शुल्क के रूप में ₹ 4.68 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया।

[प्रस्तर 3.2]

पुनर्संचित त्वरित ऊर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम का क्रियान्वयन

भाग अ के अनुखण्डों के अपूर्ण क्रियान्वयन और भाग ब के अन्तर्गत कार्यों की बहुत धीमी प्रगति के कारण योजना अपेक्षित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकी। भाग ब के कार्यान्वयन के बावजूद ए टी एण्ड सी हानियां बढ़ी। यू पी सी एल विद्युत आपूर्ति के सूचकांक की विश्वसनीयता को निर्धारित करने में और उच्चतम स्तर पर योजना का उचित अनुश्रवण करने में असफल रहा। भाग ब के कार्यों की प्रगति अत्यधिक धीमी होने के कारण यह प्रबल सम्भावना है कि भारत सरकार का ऋण अनुदान में परिवर्तित नहीं हो सकेगा।

[प्रस्तर 3.3]

अतिरिक्त स्कन्ध का निपटान न होना

उत्तराखण्ड पाँवर कॉरपोरेशन में निपटान न होने के कारण ₹ 1.20 करोड़ के स्कन्ध का अप्रयुक्त रहना।

[प्रस्तर 3.4]

निरर्थक व्यय

केन्द्र प्रायोजित परियोजनाओं को सफलता पूर्वक लागू करने में सिडकुल की शिथिलता के परिणामस्वरूप राज्य सरकार के कोष से ₹ 25.81 लाख व्यय हुए।

[प्रस्तर 3.5]

निष्फल व्यय

सिडकुल के द्वारा अनुचित अनुबंध प्रबन्धन अपनाए जाने के कारण परियोजना विकास तथा संवर्धन भागेदारी (पीडी और पीपी) पर ₹ 95 लाख का निष्फल व्यय।

[प्रस्तर 3.6]

राजस्व का परित्याग

आवंटन के नियम और शर्तों के अनुरूप, भूखण्डों का आवंटन रद्द करने में निगम की विफलता के कारण निगम ने ₹ 4.30 करोड़ की हानि वहन की।

[प्रस्तर 3.7]

अध्याय ।

सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र (गैर- सा क्षे उ)

अध्याय-I

सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र (गैर सा क्षेत्र)

1.1 परिचय

1.1.1 बजट परिचय

राज्य में 62 सरकारी विभाग एवं 52 स्वायत्त निकाय हैं। वर्ष 2010-15 के दौरान राज्य सरकार के बजट आकलन और वास्तविक की स्थिति तालिका 1.1.1 में दी गयी है।

तालिका 1.1.1
वर्ष 2010-15 के दौरान राज्य सरकार का बजट और व्यय

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 2010-11 | | 2011-12 | | 2012-13 | | 2013-14 | | 2014-15 | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | बजट आकलन | वास्तविक | बजट आकलन | वास्तविक | बजट आकलन | वास्तविक | बजट आकलन | वास्तविक | बजट आकलन | वास्तविक |
| राजस्व व्यय | | | | | | | | | | |
| सामान्य सेवाएं | 4,109.96 | 4,180.15 | 4,993.94 | 4,475.11 | 5,443.94 | 5,372.23 | 6,804.28 | 6,182.04 | 8,157.61 | 7,402.28 |
| सामाजिक सेवाएं | 5,358.43 | 5,169.49 | 6,447.89 | 6,019.65 | 6,856.51 | 6,095.84 | 7,766.53 | 7,298.01 | 10,555.22 | 9,223.69 |
| आर्थिक सेवाएं | 1,973.30 | 1,863.75 | 2,351.14 | 2,101.63 | 2,568.74 | 1,995.29 | 2,755.73 | 2,067.95 | 4,271.41 | 3,856.47 |
| सहायता अनुदान एवं अशंदांन | 555.00 | 407.68 | 532.72 | 378.80 | 847.92 | 496.86 | 727.66 | 668.41 | 807.79 | 681.27 |
| योग (1) | 11,996.69 | 11,621.07 | 14,325.69 | 12,975.19 | 15,717.11 | 13,960.22 | 18,054.20 | 16,216.41 | 23,792.03 | 21,163.71 |
| पूँजीगत व्यय | | | | | | | | | | |
| पूँजीगत परिव्यय | 2,005.09 | 1,854.84 | 3,094.58 | 2,316.94 | 3,653.48 | 3,542.09 | 4,874.19 | 3,712.03 | 4,591.37 | 4,939.01 |
| वितरित ऋण एवं अग्रिम | 150.54 | 59.68 | 307.91 | 246.83 | 264.05 | 272.57 | 248.66 | 277.99 | 212.59 | 150.97 |
| लोक ऋण का पुनर्भुगतान | 1,299.63 | 519.36 | 1,638.73 | 1,015.78 | 2,297.13 | 1,472.21 | 2,152.79 | 1,316.81 | 1,757.79 | 893.89 |
| आकस्मिक निधि | 10.00 | 536.71 | 35.00 | 69.07 | 40.00 | 32.07 | 40.00 | 194.48 | 180.00 | 194.15 |
| लोक लेखा वितरण | 11,665.36 | 17,608.20 | 12,662.52 | 19,832.00 | 12,872.30 | 20,961.24 | 14,212.33 | 25,190.33 | 15,683.06 | 33,534.94 |
| अन्तिम रोकड़ शेष | - | 1,229.41 | - | 1,085.18 | - | 1,945.54 | - | 2,433.41 | - | 1,772.02 |
| योग (2) | 15,130.62 | 21,808.20 | 17,738.74 | 24,565.80 | 19,126.96 | 28,225.72 | 21,527.97 | 33,125.05 | 22,424.81 | 41,484.98 |
| महायोग (1+2) | 27,127.31 | 33,429.27 | 32,064.43 | 37,540.99 | 34,844.07 | 42,185.94 | 39,582.17 | 49,341.46 | 46,216.84 | 62,648.69 |

स्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरण एवं वित्त लेखा

1.1.2 राज्य सरकार के संसाधनों का उपयोग

वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान राज्य का कुल व्यय¹ ₹ 13,536 करोड़ से ₹ 26,254 करोड़ तक बढ़ गया, राज्य सरकार का राजस्व व्यय, वर्ष 2010-11 में ₹ 11,621 करोड़ से वर्ष 2014-15 में 82 प्रतिशत बढ़कर ₹ 21,164 करोड़ हो गया।

¹ कुल व्यय में राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय और ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं।

वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान कुल व्यय में 81 से 86 प्रतिशत राजस्व व्यय सम्मिलित था और 13 से 19 प्रतिशत पूंजीगत व्यय था। इस अवधि के दौरान, राजस्व व्यय 14.99 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ा, जबकि 2010-11 से 2014-15 के दौरान राजस्व प्राप्ति 16 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ी।

1.1.3 राज्य सरकार के क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे अन्तरित निधियाँ

विगत वर्षों में विभिन्न योजनाओं/ कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार ने राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को महत्वपूर्ण निधियाँ सीधे अन्तरित की। वर्ष 2014-15 से भारत सरकार द्वारा क्रियान्वयन अभिकरणों को धनराशि सीधे अन्तरित करने की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। तथापि, उत्तराखण्ड में वर्ष 2014-15 के दौरान भारत सरकार ने विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों को ₹ 75.19 करोड़ की धनराशि सीधे अन्तरित की। निधियों को क्रियान्वयन अभिकरणों के स्थान पर राज्य सरकार को सीधे अन्तरित करने की केन्द्रीय सहायतित आयोजनागत योजनाओं/ केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं से संबंधित प्रत्येक सहायता से अवमुक्त करने के निर्णय के कारण, 2013-14 की तुलना में 2014-15 से आगे के वर्षों में क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे अन्तरित की गई धनराशि 89.20 प्रतिशत से कम हो गई है।

1.1.4 भारत सरकार से सहायता अनुदान

भारत सरकार से वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान तालिका 1.1.2 में दिया गया है।

तालिका 1.1.2: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

| विवरण | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| आयोजनेत्तर अनुदान | 1,435 | 762 | 869 | 981 | 944 |
| राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान | 2,253 | 2,840 | 3,040 | 3,558 | 4,083 |
| केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान | 21 | 10 | 8 | 13 | 99 |
| केन्द्रीय सहायतित आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान | 356 | 462 | 540 | 523 | 1,879 |
| योग | 4,065 | 4,074 | 4,457 | 5,075 | 7,005 |
| विगत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि की प्रतिशतता | 9 | 00 | 9 | 14 | 38 |
| राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता | 35 | 30 | 28 | 29 | 35 |

(₹ करोड़ में)

सहायता अनुदान वर्ष 2010-11 में ₹ 4,065 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 7,005 करोड़ हो गया। केन्द्रीय सहायतित आयोजनागत योजनाओं (₹ 1,356 करोड़), राज्य आयोजनागत योजनाओं (₹ 525 करोड़) और केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं (₹ 86 करोड़) के अनुदानों से वृद्धि के कारण पिछले वर्ष की तुलना में इसमें ₹ 1,930 करोड़ (38.03 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। तथापि, चालू वर्ष के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में आयोजनेत्तर अनुदान में ₹ 37 करोड़ की कमी हुई।

1.1.5 लेखापरीक्षा की आयोजना एवं संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, योजनाओं/परियोजनाओं आदि की क्रियाकलापों के निर्णायक मोड/ जटिलता, प्रदत्त वित्तीय शक्तियों का स्तर, आन्तरिक नियन्त्रण और हितसाधकों और पिछली लेखापरीक्षा निष्कर्ष तथा मीडिया रिपोर्टों के जोखिम निर्धारण से आरम्भ होती है। इस

जोखिम निर्धारण के आधार पर लेखापरीक्षा की बारम्बारता व सीमा निर्णीत होती है और वार्षिक लेखापरीक्षा की योजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा पूर्ण होने के उपरान्त, लेखापरीक्षित इकाइयों के अध्यक्षों को एक माह के भीतर उत्तर प्राप्त होते ही लेखापरीक्षा आपत्तियों का या तो समायोजन कर लिया जाता है या फिर अनुपालन हेतु आगामी कार्यवाही के लिए सुझाव दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में उठाई गयी महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाहित करने हेतु प्रक्रियान्वित किया जाता है जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है।

वर्ष 2014-15 के दौरान, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड के द्वारा राज्य के 177 आहरण और संवितरण अधिकारियों और 23 स्वायत्त निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा संचालित की गई। इसके अतिरिक्त तीन निष्पादन लेखापरीक्षाएँ भी संचालित हुईं।

1.1.6 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ और लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया

पिछले कुछ वर्षों में, लेखापरीक्षा ने विभिन्न कार्यक्रमों/ क्रियाकलापों के क्रियान्वयन के साथ ही चयनित विभागों के आन्तरिक नियंत्रण की गुणवत्ता से सम्बन्धित कई महत्वपूर्ण कमियों की जानकारी दी है जिससे कि कार्यक्रमों की सफलता और विभागों के कार्यकलाप पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ा है। इसका केन्द्र, विशिष्ट कार्यक्रमों/ योजनाओं की लेखापरीक्षा और सुधारात्मक कार्रवाई करने और नागरिकों को सेवा वितरण में सुधार लाने के लिए कार्यकारी को उपयुक्त सिफारिशों की पेशकश करना था।

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा और लेखा अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अनुसार, विभागों से अपेक्षित है कि 6 सप्ताह के अन्दर प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/ प्रारूप प्रस्तारों को जिन्हें भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल करने के लिए प्रस्तावित किया गया है, के सम्बन्ध में अपनी प्रतिक्रियाएँ दें। यह उनके व्यक्तिगत ध्यान को रखते हुए किया गया है कि ऐसे प्रस्तारों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने की दृष्टि से, जिसे उत्तराखण्ड विधान सभा में रखा जाना है, यह वांछनीय होगा कि उनकी टिप्पणियों को इसमें शामिल किया जाये। उन्हें निष्पादन लेखापरीक्षाओं के प्रारूप प्रतिवेदनों और प्रारूप लेखापरीक्षा प्रस्तारों पर चर्चा करने के लिए महालेखाकार के साथ गोष्ठी करने के लिए भी सूचित किया गया था। प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए प्रस्तावित इन प्रारूप प्रतिवेदनों और प्रस्तारों को सम्बन्धित अपर मुख्य सचिवों/ प्रमुख सचिवों/ सचिवों को उनके उत्तर देने के लिए भी भेजा गया। वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए, तीन निष्पादन लेखापरीक्षाएँ² और 13 लेखापरीक्षा प्रस्तारों जिनमें दो विषयक आधारित अनुपालन लेखापरीक्षा³ सम्मिलित है, को सम्बन्धित प्रशासनिक सचिवों को भेजा गया। लेकिन सिर्फ सात मामलों में ही सरकार का उत्तर प्राप्त हुआ है (दिसम्बर 2015)।

² राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना।

³ नागरिक उड्डयन विभाग के क्रियाकलाप एवं लो.नि.वि. में निक्षेप कार्य।

1.1.7 लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप की गयी वसूलियाँ

राज्य सरकार के विभागों की लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आई वसूलियों से संबन्धित लेखापरीक्षा निष्कर्षों को विभिन्न विभागीय आहरण एवं वितरण अधिकारियों (आ वि अधि) की पुष्टि के लिए एवं लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करने की आवश्यकता थी।

वर्ष 2014-15 के दौरान, वसूली से संबंधित कोई लेखापरीक्षा निष्कर्ष सामने नहीं आया।

1.1.8 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर सरकार की जवाबदेही

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, विहित नियमों व क्रियाविधियों के अनुसार लेन-देनों की नमूना जाँच एवं महत्वपूर्ण लेखाभिलेखों एवं अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण की जाँच द्वारा सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण संचालित करते हैं। इन निरीक्षणों के पश्चात् लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाते हैं। लेखापरीक्षा निरीक्षण के दौरान प्रकाश में आई महत्वपूर्ण अनियमितताएँ आदि का निदान तुरन्त नहीं हो पाता है तो इन्हें निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से निरीक्षित कार्यालयाध्यक्षों को निर्गत किया जाता है, जिनकी एक प्रति उनके उच्च प्राधिकारियों को प्रेषित की जाती है।

कार्यालयाध्यक्षों एवं उनके उच्च प्राधिकारियों से अपेक्षित है कि वे निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्राप्ति से एक माह के भीतर अपनी अनुपालन आख्या से महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड को अवगत करवाएँ। कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड द्वारा लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों पर अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन को राज्य के अपर मुख्य सचिव (वित्त) को भेजकर गंभीर अनियमितताओं को कार्यालयाध्यक्षों के संज्ञान में लाया जाता है।

31 मार्च 2015 को नमूना लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित 2,398 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 6,741 लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ बकाया थी, जिसका विवरण तालिका 1.1.3 में है।

तालिका 1.1.3: बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन/प्रस्तर

| क्रम सं. | क्षेत्र का नाम | निरीक्षण प्रतिवेदन ⁴ | प्रस्तर | सम्बन्धित राशि (₹ लाख में) |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------------|
| 1. | सामाजिक क्षेत्र | 1,289 | 4,184 | 8,01,632.40 |
| 2. | सामान्य क्षेत्र | 394 | 734 | 73,659.17 |
| 3. | आर्थिक क्षेत्र (गैर- सा क्षे उ) | 715 | 1,823 | 4,70,342.79 |
| योग | | 2,398 | 6,741 | 13,45,634.36 |

वर्ष 2014-15 के दौरान, अनौपचारिक समिति की 13 बैठकें आयोजित हुई जिसमें 101 प्रस्तर समायोजित हुए। विभागीय अधिकारी विहित समय सीमा के अंदर निरीक्षण प्रतिवेदनों पर कार्यवाही करने में विफल रहें जिसके परिणामस्वरूप जबाबदेही की कमी रही।

यह अनुशंसा की जाती है की सरकार लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर शीघ्र और उचित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए मामले पर गौर करे।

⁴ बकाया निरीक्षण/प्रस्तर 2006-07 से लिए गये।

1.1.9 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्यवाही

1.1.9.1 स्वप्रेरित कृत कार्यवाही टिप्पणियों (कृ का टि) का प्रस्तुतिकरण

लोक लेखासमिति की आंतरिक कार्यचालन प्रक्रिया के नियमों के अनुसार, प्रशासनिक विभागों द्वारा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों प्रदर्शित समस्त प्रस्तरों, जिनमें निष्पादन लेखापरीक्षा भी सम्मिलित है, पर स्वप्रेरित कृत कार्यवाही की सूचना दी जानी थी चाहे इनकी जांच लोक लेखा समिति द्वारा की गयी हो या नहीं। उन्हे राज्य विधायिका में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति के तीन माह के अन्दर लेखापरीक्षा द्वारा यथोचित जाँच के उपरान्त विस्तृत टिप्पणियाँ प्रदान करनी थी जो कि उनके द्वारा की गई सुधारात्मक या प्रस्तावित कृत कार्यवाही को दर्शाती हों।

तथापि, यह देखा गया कि वर्ष 2000-01 से 2012-13 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सिविल अध्यायों में सम्मिलित 306 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में से 31 मार्च 2015 तक 32 विभागों के 89 लेखापरीक्षा प्रस्तरों के संबंध में स्वप्रेरित कृत कार्यवाही टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई थी (जैसा कि परिशिष्ट 1.1.1 में वर्णित है)। 03 नवम्बर 2015 को वर्ष 2013-14 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को विधान सभा के पटल पर रखा गया था और इससे संबंधित कृत कार्यवाही व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ अभी देय नहीं है। (दिसम्बर 2015)।

1.1.9.2 लोक लेखा समिति की अनुशंसा पर कृत कार्यवाही

लोक लेखा समिति की लेखापरीक्षा प्रस्तरों, जिनमें उनके द्वारा चर्चा की गई, पर टिप्पणियों/ अनुशंसाओं पर महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के द्वारा यथोचित जाँच की हुई कृत कार्यवाही टिप्पणियाँ इन समितियों को टिप्पणियों/ अनुशंसाओं की तिथि से छः माह के अंदर प्रस्तुत करनी होती हैं। वर्ष 2000-01 से 2012-13 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सिविल अध्यायों में सम्मिलित 306 लेखापरीक्षा प्रस्तरों में से 31 मार्च 2015 तक केवल 209 लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर चर्चा हुई है। लोक लेखा समिति के द्वारा 118 लेखापरीक्षा प्रस्तरों के संबंध में अनुशंसाएं दी गई हैं। तथापि, पाँच प्रस्तरों से संबंधित समिति की अनुशंसाओं पर राज्य सरकार की ओर से कृत कार्यवाही टिप्पणियाँ लंबित हैं।

1.1.10 स्वायत्त निकायों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्य विधान सभा में रखने की स्थिति

राज्य सरकार द्वारा कई स्वायत्त निकाय स्थापित किये गये हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा लेन-देनों, परिचालन गतिविधियाँ और लेखे, विनियामक अनुपालन लेखापरीक्षा, आंतरिक प्रबंधन की समीक्षा, वित्तीय नियंत्रण और तंत्रों एवं कार्यप्रणालियों की समीक्षा आदि के लिए इन निकायों में से अनेकों की लेखापरीक्षा की जाती है। राज्य में एक स्वायत्त निकाय (उत्तराखण्ड जल संस्थान) के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपी गयी है। लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2011-12 में जारी किए गए उत्तराखण्ड जल संस्थान के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ ले प्र) को अभी तक राज्य विधान सभा में रखा जाना शेष है।

1.1.11 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में मुद्रित प्रस्तरों एवं समीक्षाओं का वर्ष-वार विवरण

पिछले दो वर्षों में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में हुयी समीक्षाओं तथा प्रस्तरों का उनकी धनराशि सहित वर्ष-वार विवरण तालिका 1.1.4 में दिया गया है।

तालिका 1.1.4: वर्ष 2012-14 के दौरान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में मुद्रित समीक्षाओं और प्रस्तरों के सम्बन्ध में विवरण

| वर्ष | निष्पादन लेखापरीक्षा | | प्रस्तर | | प्राप्त उत्तर | |
|---------|----------------------|-------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|---------|
| | संख्या | धनराशि (₹ करोड़ में) | संख्या | धनराशि (₹ करोड़ में) | निष्पादन लेखापरीक्षा | प्रस्तर |
| 2012-13 | 03 | 283.16 | 09 | 166.42 | 03 | 01 |
| 2013-14 | 01 | 28.58 | 14 | 65.79 | 03 | 02 |

वर्ष 2014-15 के दौरान, तीन निष्पादन लेखापरीक्षाएँ और 13 लेखापरीक्षा प्रस्तरों, जिनमें दो विषयक संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा शामिल है, को राज्य सरकार को जारी किया गया था। तथापि, सरकार/विभाग से तीन निष्पादन लेखापरीक्षाएँ और चार लेखापरीक्षा प्रस्तरों के संबंध में उत्तर प्राप्त हुए थे।

इस अध्याय में ₹ 506.70 करोड़ की धनराशि के तीन निष्पादन लेखापरीक्षाएँ⁵ और 12 लेखापरीक्षा प्रस्तरों को सम्मिलित किया गया है। प्रत्युत्तरों को, जहाँ कहीं भी प्राप्त हुए, उचित स्थानों पर सम्मिलित किया गया है।

⁵ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना।

निष्पादन लेखापरीक्षा

शिक्षा विभाग

1.2 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा की पहुंच को बढ़ाने तथा इसकी गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से पूरे देश में मार्च 2009 में *राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रमसा)* को प्रारम्भ किया गया। राज्य में इस योजना का कार्यान्वयन वर्ष 2009-10 से प्रारंभ किया गया। यह किसी भी स्थान से एक उचित दूरी के भीतर माध्यमिक विद्यालयों को उपलब्ध कराकर, इस योजना के द्वितीय चरण के कार्यान्वयन में वर्ष 2005-06 में नामांकन दर 52.26 प्रतिशत से 75 प्रतिशत प्राप्त करने की परिकल्पना की गयी थी। निर्धारित मानदंडों के अनुरूप सभी माध्यमिक विद्यालयों को समर्थ बनाकर माध्यमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, लिंग, सामाजिक, आर्थिक एवम विकलांगता बाधाओं को हटाना, वर्ष 2017 यानि बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक माध्यमिक शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना एवम वर्ष 2020 तक सार्वभौमिक प्रतिधारण प्राप्त करना अन्य उद्देश्यों के रूप में सम्मिलित है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नवत् हैं:

मुख्यांश

- *परिपेक्ष्य योजना (प यो) और वार्षिक कार्य योजना तथा बजट (ए डब्ल्यू पी एवम बी) बनाने के लिए नीचे से ऊपर का दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया था जैसे कि विद्यालय स्तरीय योजना, जो कि राज्य स्तरीय योजना के लिए इमारत की नींव के समान थी, विद्यालय प्रबंधन समितियों (एस एम डी सी) द्वारा नहीं बनायी गयी थी।*

[प्रस्तर 1.2.6.1]

- *राज्य में, 83 प्रतिशत विद्यालय बिना गतिविधि कक्ष के हैं, 76 प्रतिशत बिना लाइब्रेरी के हैं, 55 प्रतिशत बिना खेल के मैदान के हैं, 50 प्रतिशत बिना कम्प्यूटर कक्ष के हैं, 48 प्रतिशत बिना एकीकृत विज्ञान प्रयोगशाला के हैं तथा 14 प्रतिशत बिना कक्षा-कक्ष व विद्युत के हैं, इस प्रकार ये रमसा के मुख्य उद्देश्यों यथा विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक भौतिक बुनियादी सुविधाओं को प्राप्त करने में प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे थे।*

[प्रस्तर 1.2.8.4]

- *कुल अवमुक्त निधि ₹ 167.14 करोड़ के सापेक्ष ₹ 88.33 करोड़ (53 प्रतिशत) योजना प्रारंभ होने से अप्रयुक्त पड़े थे, परिणामस्वरूप मात्र 25 प्रतिशत ही निर्माण कार्य पूर्ण हुए जिससे बच्चे आवश्यक बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहे।*

[प्रस्तर 1.2.8.1]

- *271 उच्चकृत विद्यालयों के सापेक्ष 126 में कक्षा नौ में छात्रों का नामांकन निर्धारित मानक 25 से नीचे था। भारत सरकार से धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद भी विभाग ने व्यवसायिक शिक्षा देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।*

[प्रस्तर 1.2.8.2]

- सूचना संचार प्रौद्योगिकी (सू सं प्रौ), योजना के अन्तर्गत ₹ 6.67 करोड़ उपलब्ध होने के बावजूद भी छात्रों को इसका लाभ नहीं मिल सका।

[प्रस्तर 1.2.12]

1.2.1 परिचय

राज्य सरकार ने रमसा के समग्र कार्यान्वयन के लिए फरवरी 2009 में "उत्तराखण्ड सभी के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद (परिषद)" की स्थापना की। परिषद की भूमिका योजना के कार्यान्वयन के लिए निर्देश एवम मार्गदर्शन प्रदान करना, कार्यक्रम की वित्तीय एवम भौतिक निगरानी, राज्य सरकार की सिफारिशों के अनुसार योजना के लिए नियम एवम विनियमों को तैयार करना और योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए योजना के कार्यान्वयन के लिए नीति निर्धारण करना था।

1.2.2 संगठनात्मक ढांचा

परिषद की आम सभा अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री एवम उपाध्यक्ष के रूप में शिक्षामंत्री के नेतृत्व में होती है। उपाध्यक्ष रमसा के समग्र नीति मार्गदर्शन और कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए जिम्मेदार थे। परिषद की कार्यकारी समिति (इ सी), जिसके मुखिया राज्य के मुख्य सचिव तथा शिक्षा सचिव है, रमसा के प्रशासनिक निष्पादन के लिए जिम्मेदार थी। राज्य परियोजना निदेशक (एस पी डी) इसी के सदस्य हैं। एस पी डी राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवम प्रशिक्षण परिषद, राज्य प्रबंधन प्रशासन एवम प्रशिक्षण संस्थान, मुख्य शिक्षा अधिकारी (सी ई ओ) और उत्तराखण्ड शिक्षा एवम परीक्षा परिषद द्वारा सहायतित होता है। जिला स्तर पर रमसा के कार्यान्वयन की निगरानी सी ई ओ द्वारा, जिला परियोजना अधिकारी (डी पी ओ) की सहायता से, की जाती है। डी पी ओ ब्लॉक स्तर पर रमसा खण्ड शिक्षा अधिकारी (बी ई ओ) के माध्यम से लागू करता है। ये बी ई ओ अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत विद्यालयों में योजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार थे। विद्यालय स्तर पर, विद्यालय प्रबंधन समिति (एस एम डी सी) योजना को कार्यान्वित एवम उसकी निगरानी करती है।

1.2.3 लेखा परीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आंकलन करना था कि:

- रमसा योजना के विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की योजना सक्षम थी;
- योजना का वित्तीय प्रबंधन कुशल था और निधियों का उपयोग प्रत्येक कार्यक्रम के लिए प्रभावी था;
- योजना का कार्यान्वयन कुशल, प्रभावी और किफायती था; और
- अनुश्रवण तंत्र और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली उपस्थित व प्रभावी थी।

1.2.4 लेखा परीक्षा कार्यक्षेत्र एवं क्रियाविधि

वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक रमसा योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा अप्रैल 2015 से जून 2015 तक सम्पादित की गयी। लेखा परीक्षा अध्ययन के लिए राज्य में 13 जिलों में से छः जिलों⁶

⁶ पिथौरागढ़, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर तथा देहरादून।

का चयन पी पी एस डब्ल्यू आर विधि द्वारा किया गया। राज्य परियोजना निदेशक (एस पी डी) के अभिलेखों, जिला परियोजना अधिकारियों (डी पी ओ) रमसा, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवम प्रशिक्षण परिषद (रा शै अ प्र प), राज्य प्रबंधन प्रशासन और प्रशिक्षण संस्थान (रा प्र प्र प्र सं) तथा चयनित जिलों के 26 विकास खण्डों के 50 प्रतिशत विद्यालयों सहित हर चयनित जिले के पांच विद्यालयों की भौतिक सत्यापन नमूना जांच की गयी। लेखापरीक्षा उद्देश्यों, मानदण्ड और निष्पादन लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र अपर मुख्य सचिव, शिक्षा के साथ 30 मार्च 2015 को एक प्रवेश-गोष्ठी में विचार विमर्श किया गया। लेखापरीक्षा विधि में रमसा के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन से संबंधित अभिलेखों की जांच एवम विश्लेषण, प्रश्नावलियों का निर्गमन, लेखापरीक्षा ज्ञाप और विभिन्न पदाधिकारियों की प्रतिक्रियाएं एवम 30 विद्यालयों की संयुक्त भौतिक निरीक्षण सम्मिलित हैं। लेखापरीक्षा के परिणामों पर महालेखाकार द्वारा अपर मुख्यसचिव, शिक्षा के साथ निकास गोष्ठी में विचार विमर्श दिनांक 20.11.2015 को किया गया और विभाग/ एस पी डी के विचारों को, जहां उचित पाया गया, संबंधित प्रस्तरों में सम्मिलित किया गया।

1.2.5 लेखा परीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा उद्देश्यों का मूल्यांकन के लिए लेखापरीक्षा मानदण्ड प्रयोग किया गया था जो निम्न से लिए गए थे:

- रमसा के लिए वित्तीय प्रबंधन एवम खरीद पर मैनुअल;
- वित्तीय हस्तपुस्तिका;
- रमसा के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के निर्धारित दिशानिर्देश;
- समय समय पर जारी सरकारी आदेश एवम निर्देश; और
- भारत सरकार व परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पी ए बी) द्वारा अनुमोदित एवम परिषद द्वारा निर्धारित लक्ष्य।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

1.2.6 आयोजना

1.2.6.1 परिप्रेक्ष्य योजना (प यो) और वार्षिक कार्ययोजना एवम बजट (ए डब्ल्यू पी एवम बी)

रमसा दिशानिर्देश के अनुसार, प यो और ए डब्ल्यू पी एवम बी को बनाने में निम्न से उच्च दृष्टिकोण का पालन किया जाना था। नियोजन अवधारणा में विभिन्न स्तरों पर पायी गयी कमियों की नीचे चर्चा की गयी है:

| क्रम सं. | विभिन्न स्तरों पर नियोजन समिति | लेखापरीक्षा आपत्तियाँ | टिप्पणिया |
|----------|---|--|--|
| 1. | विद्यालय प्रबंधन विकास समितियों (एस एम डी सी) | रमसा दिशानिर्देश के अनुसार नीचे से ऊपर दृष्टिकोण, नियोजन का अनिवार्य पहलू था। एस एम डी सी विद्यालय स्तर पर प यो और ए डब्ल्यू पी एवम बी को बनाने और योजना का अनुश्रवण करने के लिये उत्तरदायी थे। चयनित जिलों के अभिलेखों में देखा गया कि 1.07 लाख एस एम डी सी सदस्यों को सौंपे गये कार्यों का निर्वहन | डी पी ओ द्वारा उत्तर दिया गया कि दुर्गम भूभाग एवम विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवम तकनीकी कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण जमीनी स्तर पर प यो और वार्षिक कार्ययोजना एवम बजट तैयार नहीं किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि योजना के निर्धारित यथार्थवादी लक्ष्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये नीचे से ऊपर दृष्टिकोण का |

| | | | |
|----|--------------------------------------|---|---|
| | | करने के लिये प्रशिक्षण पर ₹ 4.99 करोड़ व्यय करने के बावजूद भी विद्यालयों की एस एम डी सी द्वारा उक्त योजनाओं को तैयार नहीं किया गया। इस प्रकार नीचे से उच्च दृष्टिकोण का उद्देश्य सफल नहीं हुआ। | सख्ती से पालन किया जाना चाहिये था। आगे, कठिन और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में प्रशिक्षित एस एम डी सी सदस्यों को नियोजन हेतु उपयोग किया जा सकता था। |
| 2. | खण्ड स्तरीय नियोजन दल (बी एल पी टी) | खण्ड शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में बी एल पी टी का गठन किया जाना था। जबकि, यह देखा गया कि खण्ड स्तर पर ऐसे किसी दल का गठन नहीं किया गया था। दल के गठन न होने के कारण, इस स्तर पर विद्यालय स्तर के आंकड़ों की निगरानी एवम अनुश्रवण नहीं किया जा सका। | |
| 3. | जिला स्तरीय नियोजन दल (डी एल पी टी) | मुख्य शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में डी एल पी टी का गठन किया जाना था। जिला स्तरीय प यो और ए डब्ल्यू पी एवम बी को विद्यालय की स्तरीय प यो और ए डब्ल्यू पी एवम बी के आधार पर तैयार किया जाना था। चयनित जिलों के अभिलेखों में देखा गया कि प यो और ए डब्ल्यू पी एवम बी को जिले स्तर पर तैयार किया जा रहा था। जबकि, प यो का प्रतिदर्पण ए डब्ल्यू पी एवम बी में नहीं देखा गया। ए डब्ल्यू पी एवम बी यू-डायस आंकड़ों (डाटा कैप्चर प्रारूप में तैयार) के आधार पर तैयार किया जा रहा था न कि विद्यालय की योजनाओं के आधार पर। चयनित जिलों के किसी भी विद्यालयों द्वारा ए डब्ल्यू पी एवम बी तैयार नहीं किये गए थे। इस प्रकार, नीचे से ऊपर दृष्टिकोण को अपनाये न जाने के कारण डी एल पी टी यथार्थवादी योजना तैयार नहीं कर सके थे। | |
| 4. | राज्य स्तरीय नियोजन दल (एस एल पी टी) | सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय नियोजन दल का गठन किया जाना था। दल को जिलों की प यो और ए डब्ल्यू पी एवम बी को समेकित तथा समेकित राज्य स्तरीय योजना को भारत सरकार की परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पी ए बी) को अनुमोदन हेतु अग्रसारित किया जाना था। राज्य स्तर पर प यो और ए डब्ल्यू पी एवम बी में काफी भिन्नता थी। यह भी देखा गया कि राज्य स्तर पर प यो और ए डब्ल्यू पी एवम बी में भिन्नता को ठीक करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। इस प्रकार, राज्य स्तरीय योजना में एकजुटता और यथार्थता के आधार की कमी थी। | यह इंगित किये जाने पर, राज्य परियोजना निदेशक ने तथ्यों को स्वीकार किया और उत्तर दिया कि प यो 2001 के जनगणना पर आधारित था और ए डब्ल्यू पी एवम बी 2011 जनगणना के आधार पर तैयार की गयी थी, अतः यहा अन्तर था। |

निकास गोष्ठी (नवम्बर 2015) में, सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा कहा कि प यो तथा ए डब्ल्यू पी की तैयारी प्रत्येक स्तर पर एक परियोजना कार्य के रूप में लिया जायेगा तथा इस उद्देश्य हेतु सरकार स्तर पर एक टीम गठित की जायेगी।

1.2.6.2 प यो एवम ए डब्ल्यू पी की तैयारी एवम प्रस्तुति में विलम्ब

रमसा के नियमावली के अनुसार, ए डब्ल्यू पी एवम बी की अन्तिमीकरण के लिये एक कैलेण्डर जिसमें समयरेखा निहित होती, तैयार किया जाना था। अभिलेखों की जाँच में देखा गया कि राज्य साथ ही जिलों द्वारा भी समयबद्ध समयरेखा का पालन नहीं किया गया और ए डब्ल्यू पी एवम बी को दो से चार माह विलम्ब से प्रस्तुत किया गया जिसने निधि को अवमुक्त करने में विपरीत प्रभाव डाला, जिसके प्रभावों की वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्धित भाग में चर्चा की गयी है।

निकास गोष्ठी (नवम्बर 2015) में सरकार ने तथ्यों को स्वीकार कर लिया तथा आश्वासन दिया कि निर्धारित समयावधि का पालन किया जायेगा।

1.2.6.3 अनाच्छादित बसावटों के लिये नियोजन

दिशानिर्देशों के अनुसार, डी पी ओ को प्रत्येक निवास के पाँच किमी के दायरे में माध्यमिक विद्यालय प्रदान करने के लिये माध्यमिक एवम उच्च माध्यमिक स्तर पर एक व्यापक विद्यालय मानचित्रण कार्य आरम्भ किया जाना था।

एस पी डी, देहरादून के अभिलेखों की जाँच (अप्रैल 2015) में देखा गया कि राज्य में विद्यालयी मानचित्रण का कार्य 2012 में पूर्ण कर लिया गया था। सरकार ने वर्ष 2009 से 2015 के दौरान अनाच्छादित बसावटों में 2,834 विद्यालयों के सापेक्ष 271 विद्यालयों का उच्चिकरण किया। फिर भी, 2014-15 तक 25,050 शिक्षार्थी निवासों में से 2,168 निवास अभी तक अनाच्छादित थे। इस प्रकार, योजना का मुख्य उद्देश्य वंचित बच्चों को माध्यमिक शिक्षा की पहुँच में लाने में अधूरा रहा।

निकास गोष्ठी (नवम्बर 2015) में, सरकार ने कहा कि शैक्षणिक रूप से वंचित बच्चों को माध्यमिक शिक्षा तक पहुंचने में मदद करने के लिए कार्यवाही की जाएगी तथा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (रा मु वि शि सं) के साथ मिलकर निवासों को जोड़ने का प्रयास भी किया जायेगा।

1.2.7 वित्तीय प्रबन्धन

1.2.7.1 निधि की उपलब्धता एवम व्यय

योजना केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में वित्तपोषित की गयी थी। वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान दोनों सरकारों द्वारा निधि की अवमुक्ति एवम व्यय की स्थिति तालिका 1.2.1 में अगले पृष्ठ पर दर्शायी गयी है:

तालिका 1.2.1

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | | निधि अवमुक्त | | ब्याज एवम अन्य प्राप्तियां | | कुल उपलब्ध निधियां | व्यय | | कुल व्यय | अंतिम अवशेष / बचत | | बचत प्रतिशत में |
|---------|-----------------|-------------|--------------|-------------|----------------------------|-------------|--------------------|------------|-------------|----------|-------------------|-------------|-----------------|
| | भारत सरकार | राज्य सरकार | भारत सरकार | राज्य सरकार | भारत सरकार | राज्य सरकार | | भारत सरकार | राज्य सरकार | | भारत सरकार | राज्य सरकार | |
| 2010-11 | 2.22 | 0.74 | 76.02 | 29.04 | 0.51 | 0.17 | 108.70 | 2.70 | 0.90 | 3.60 | 76.05 | 29.05 | 97 |
| 2011-12 | 76.05 | 29.05 | 34.07 | 21.60 | 1.96 | 0.65 | 163.38 | 44.77 | 18.27 | 63.04 | 67.31 | 33.03 | 61 |
| 2012-13 | 67.31 | 33.03 | 96.64 | 60.18 | 2.75 | 0.92 | 260.83 | 54.78 | 27.39 | 82.17 | 111.92 | 66.74 | 68 |
| 2013-14 | 111.92 | 66.74 | 75.72 | 35.45 | 4.53 | 1.51 | 295.87 | 72.77 | 34.40 | 107.17 | 119.40 | 69.30 | 64 |
| 2014-15 | 119.40 | 69.30 | 39.30 | 42.23 | 2.55 | 0.85 | 273.63 | 117.32 | 70.61 | 187.93 | 43.93 | 41.77 | 31 |
| योग | | | 321.75 | 188.50 | 12.30 | 4.10 | | 292.34 | 151.57 | 443.91 | | | |

स्रोत: एसपीडी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

जैसा कि उक्त तालिका में देखा जा सकता है, रमसा के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों के लिये वर्ष 2010-15 में उपलब्ध निधि के सापेक्ष मात्र 36 प्रतिशत ही व्यय किया गया। आगे, चयनित जिलों में यह भी देखा गया कि पांच से 35 प्रतिशत तक बचत थी।

इस प्रकार, राज्य समयबद्ध सीमा के अन्तर्गत आवंटित निधि के पूर्णरूप से व्यय न किये जाने के कारण योजना के अभिप्रेत लाभ से वंचित रह गया तथा उद्देश्य विफल रहा।

1.2.7.2 खाते लेखापरीक्षित विवरण में केन्द्र/राज्य के आँकड़ों को न दर्शाया जाना

राज्य को खाते के लेखापरीक्षित विवरण (ले प वि) को चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा वित्तीय वर्ष से आठ माह (नवम्बर) के अन्दर ही मदवार व्यय के आँकड़ों को मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाना था।

अभिलेखों की जाँच में देखा गया कि उपयोग किये गये केन्द्र और राज्य के अंश को मदवार प्रतिबिंबित नहीं किया गया। राज्य कार्यान्वयन समिति (रा का स) द्वारा केन्द्र/ राज्य अंश के अलग किये बिना जिलों को एकमुश्त राशि अवमुक्त की जा रही थी। परिणामतः, जिलों द्वारा केन्द्र और राज्य के वास्तविक अंश के किसी भी अभिलेख को नहीं बनाया गया। यह भी देखा गया कि राज्य द्वारा भारत सरकार को एएसए समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित नहीं किया गया। ले प वि माह दिसम्बर से जनवरी के मध्य प्रस्तुत किया गये। विलम्ब से ले प वि प्रस्तुती के परिणामस्वरूप केन्द्र का अंश विलम्ब से अवमुक्त किया गया जिसने विलम्ब से अवमुक्त के दुष्चक्र को बढ़ावा दिया और फलस्वरूप कम व्यय के कारण भारत सरकार के अंश को अगले वर्ष की अवमुक्ति में कटौती की।

निकास गोष्ठी (नवम्बर 2015) में, सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा आश्वासन दिया कि आगे, केन्द्रांश एवम राज्यांश ले प वि में पृथक दर्शाये जायेंगे।

1.2.7.3 आवर्ती अनुदान का व्यपगत होना

विद्यालय के दिशा निर्देशों (अभ्युदय) के अनुसार आवर्ती अनुदान वित्तीय वर्ष के समाप्ति से पहले उपयोग कर लिया जाना चाहिए। अगर आवर्ती अनुदान का उपयोग नहीं किया जाता है तो अप्रयुक्त अनुदान अगले वित्तीय वर्ष में समायोजित किया जायेगा।

एस पी डी, देहरादून के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2010-15 के दौरान आवर्ती अनुदान के अन्तर्गत निर्गत धनराशि के सापेक्ष ₹ 102.73 करोड़ की धनराशि की बचत उपयोग नहीं किये जाने के कारण व्यपगत हो गया जो कि बाद के वर्ष के आवर्ती अनुदान में समायोजित किया

गया। आगे, चयनित जिलों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि जारी की गई धनराशि के सापेक्ष 10 से 30 प्रतिशत की बचत थी। इस प्रकार, आगे के वर्षों में अनुदान के समायोजन के कारण, ₹ 102.73 करोड़ की धनराशि स्वीकृत आवर्ती अनुदान के सापेक्ष कम प्राप्त हुई।

निकास गोष्ठी (नवम्बर 2015) में, सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा कहा कि आवर्ती अनुदानों को वित्तीय वर्ष के समापन से पूर्व व्यय करने हेतु निर्देश जारी किये जायेंगे और इसका एम आई एस के माध्यम से अनुश्रवण किया जायेगा।

1.2.7.4 उपयोगिता प्रमाणपत्र का प्रस्तुतीकरण

दिशानिर्देशों के अनुसार गत वर्ष प्राप्त किये गये अनुदान (आवर्ती एवम अनावर्ती) साथ ही अव्ययित अवशेष और अन्य प्राप्ति/ बैंक ब्याज की आय को उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ प्र) के लिये निर्धारित प्रारूप में दर्शाया जाना चाहिये। यह देखा गया कि एसपीडी द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मा सं वि मं) को प्रस्तुत किये गये उ प्र में 31 से 97 प्रतिशत तक की बड़ी कमी देखी गयी। आगे, राज्य मा सं वि मं को उ प्र प्रस्तुत करने के दिनांक 31 अगस्त को अनुसरण करने में असमर्थ रहा। इसके अतिरिक्त, निर्धारित प्रारूप को संलग्न किये बिना संयुक्त उ प्र को मा सं वि मं को भेजा जा रहा था। यह भी देखा गया कि एस पी डी को जिलेवार उ प्र नहीं भेजे जा रहा थे और राज्य द्वारा इसे निर्धारित जिलों से इकट्ठा करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया था। वे जिले⁷ जो एस पी डी को उ प्र प्रेषित कर रहे थे, उन जिलों के वास्तविक व्यय के विवरण उ प्र से मेल नहीं खाये। इसी प्रकार, विद्यालय स्तर से उ प्र निर्धारित प्रारूप में प्रेषित नहीं किये जा रहे थे और वर्ष 2010 से 2013 की अवधि के दौरान वास्तविक व्यय पर आधारित नहीं थे।

निकास गोष्ठी (नवम्बर 2015) में, सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा कहा कि आगे से, संबंधित जिलों से उ प्र प्राप्त किया जायेगा और भारत सरकार को निर्धारित प्रारूप में भेजा जायेगा।

1.2.7.5 निधियों का व्ययावर्तन और आधिक्य व्यय

रमसा दिशानिर्देशों के अनुसार, कोई भी मद जिसके लिये व्यय या स्वीकृति बजट आगणन उपलब्ध नहीं था निधियों को व्ययावर्तित या पुनर्विनियोजित नहीं किया जायेगा।

- (अ) डी पी ओ, टिहरी में योजना की कुल निधि ₹ 27.22 लाख को वर्ष 2013-14 में बालिका छात्रावास के लिए आवर्ती व्यय पर बिना अनुदान स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी जो एस आई एस हैं के अनुमोदन से व्ययावर्तित कर दी गयी।
- (ब) बालिका माध्यमिक विद्यालय, मुहम्मदपुर खटीमा, यू एस नगर के मुख्य भवन के निर्माण हेतु आवंटित ₹ 42.29 लाख को चार अन्य कार्यों⁸ को व्ययावर्तित कर दिया गया (मार्च 2013)।
- (स) डीपीओ, पौड़ी के अभिलेखों के निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि 45 विद्यालयों को प्रयोगशाला उपकरणों के क्रय के लिये ₹ 45 लाख अवमुक्त (2011-12) किये गये थे। एसपीडी द्वारा यह भी निर्देशित किया गया था कि यदि आवश्यक हो तो अवमुक्त राशि का मात्र 10

⁷ पिथौरागढ़ और यू एस नगर।

⁸ बालिका माध्यमिक विद्यालय पन्तपुरा (₹ 10.57 लाख), बालिका माध्यमिक विद्यालय मिस्सरवाला (₹ 10.57 लाख), माध्यमिक विद्यालय देवरिया (₹ 10.57 लाख), माध्यमिक विद्यालय मानपुर (₹ 10.58 लाख)।

प्रतिशत अलमारी और रैक हेतु क्रय किया जा सकेगा। यह देखा गया कि 37 विद्यालयों ने एस पी डी के निर्देशों और निर्धारित सीमा के विपरीत ₹ 14.90 लाख इन मदों पर व्यय किया। विकास गोष्ठी (नवम्बर 2015), में सरकार ने कहा कि इस मामले की समीक्षा की जायेगी और तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

1.2.7.6 विद्यालय स्तर पर आंकड़ों का मिलान

रमसा की वित्तीय नियमावली के अनुसार, माहवार बैंक समाधान नियमित आधार पर बनाया जाना चाहिये और विसंगति, यदि कोई हो, तो संशोधन किया जाना चाहिये और अन्तर को निर्धारित तरीके से वर्णित किया जाना चाहिये।

विद्यालयों की लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा कि चयनित विद्यालयों में रोकड़ बही और पास बुक के मध्य आंकड़ों में मिलान न करने के कारण ₹ 1.89 करोड़ का अन्तर था।

विकास गोष्ठी (नवम्बर 2015) में, सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा कहा कि आंकड़ों के मिलान के लिए स्कूल स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

1.2.7.7 वित्तीय वर्ष के अंत में व्ययाधिक्य

एसपीडी, देहरादून के अभिलेखों की जाँच में देखा गया (अप्रैल 2015) कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान वित्तीय वर्ष के एकदम अन्त में नौ से 54 प्रतिशत व्यय किया गया। यह भी देखा गया कि जिला परियोजना अधिकारियों द्वारा निधि खण्डों में (एक से तेरह किस्तों में) प्राप्त की गयी थी न कि दो किस्तों⁹ में। परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2010-15 के दौरान चयनित जिलों में वित्तीय वर्ष के अन्त में 38 से 50 प्रतिशत व्ययाधिक्य के प्रकरण थे।

विकास गोष्ठी (नवम्बर 2015) में, सरकार ने कहा कि आगे से धनराशि दो किस्तों में जारी करने हेतु प्रयास किये जायेंगे।

1.2.8 कार्यक्रम कार्यान्वयन

विद्यालय भवनों का निर्माण व अन्य विविध ढांचागत सुविधाओं का सृजन जैसे विद्यालयों का उच्चीकरण, अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, शौचालय ब्लॉक, कम्प्यूटर प्रयोगशाला, कला एवम शिल्प कक्ष, एकीकृत विज्ञान प्रयोगशाला आदि रमसा कार्यक्रम के महत्वपूर्ण घटक हैं। तदनुसार, इनके निर्माण एवम इन्हें सज्जित करने के लिए आयोजनागत परिव्यय का 33 प्रतिशत आवंटन प्राथमिकता के आधार पर किया गया था। एस पी डी द्वारा प्रत्येक निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए एक समय सारणी विद्यालय के अधिकारियों द्वारा पालन करने हेतु तैयार की गई थी। रमसा के विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निम्नलिखित प्रस्तारों में चर्चा की गयी है:

1.2.8.1 विद्यालय भवनों को पूर्ण करना

एस पी डी, देहरादून के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि विभाग द्वारा वर्ष 2010-15 (31 अगस्त 2015 की स्थिति के अनुसार) के दौरान अवमुक्त धनराशि ₹ 192 करोड़ के सापेक्ष मात्र ₹ 180 करोड़ (94 प्रतिशत) ही व्यय किया गया था जो कि विद्यालय भवनों के निर्माण के लिए कुल बजट प्रावधान (₹ 298 करोड़) का 60 प्रतिशत ही था। वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान यह भी

⁹ अप्रैल और सितम्बर।

देखा गया कि निर्माण एजेंसियों¹⁰ को अवमुक्त धनराशियों के सापेक्ष मात्र ₹ 81 करोड़ (42 प्रतिशत) का उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था। निर्माण कार्यों की भौतिक स्थिति नीचे सारणी 1.2.2 में दिया गया है:

तालिका: 1.2.2

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | निर्माण कार्यों का लक्ष्य (सं में) | कुल लागत | पूर्ण कार्य (सं में) | कुल लागत | कार्य प्रगति पर (सं में) | कुल लागत | अनारंभ कार्य (सं में) | कुल लागत |
|------------|------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| 2010-11 | 190 | 77.50 | 119 | 42.25 | 53 | 26.09 | 18 | 9.15 |
| 2011-12 | 147 | 97.76 | 60 | 40.30 | 70 | 51.17 | 17 | 8.81 |
| 2012-13 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 2013-14 | 76 | 45.60 | 13 | 7.82 | 52 | 29.78 | 11 | 8.00 |
| 2014-15 | 179 | 75.50 | शून्य | 20.10 | 22 | 5.06 | 157 | 50.35 |
| योग | 592 | 296.36 | 192 | 110.47 | 197 | 112.10 | 203 | 76.31 |

स्रोत: एसपीडी, देहरादून से 31 अगस्त 2015 को प्राप्त सूचनाएं।

उपरोक्त सारणी से देखा जा सकता है कि 34 प्रतिशत कार्य अनारंभ थे तथा 33 प्रतिशत कार्य प्रगति पर थे।

चयनित जिलों में यह पाया गया कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान 325 कार्यों के सापेक्ष केवल 82 कार्य (25 प्रतिशत) पूर्ण किये गये थे। आगे यह भी पाया गया कि योजना की स्थापना के बाद से कुल अवमुक्त धनराशि ₹ 167.14 करोड़ के सापेक्ष ₹ 88.33 करोड़ (53 प्रतिशत) अप्रयुक्त पड़े थे। इस प्रकार, विभाग न केवल निर्माण कार्यों के लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा बल्कि 2010-15 के दौरान उपलब्ध निधियाँ (53 प्रतिशत) का उपयोग भी नहीं कर सका।

निकास गोष्ठी (नवम्बर 2015) में, सरकार ने कहा कि भारत सरकार ने पुनः धनराशि अवमुक्त करने से इनकार कर दिया है जब तक कि अव्ययित धनराशि समाप्त न हो जाय। जवाब स्वयं व्याख्यात्मक है और लेखापरीक्षा परिणाम की पुष्टि करता है।

1.2.8.2 विद्यालयों का उच्चीकरण

रमसा दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकारी उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों का उच्चीकरण किया जाना था। मानक के अनुसार, उन उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों का उच्चीकरण किया जायेगा जहाँ पांच किमी की परिधि में कोई माध्यमिक विद्यालय नहीं हो और कक्षा नौ में अनुमानित विद्यार्थियों की संख्या कम से कम 25 हो।

एसपीडी, देहरादून के अभिलेखों की जाँच में देखा गया (अप्रैल 2015) कि राज्य में 271 विद्यालयों¹¹ का उच्चीकरण किया गया था। विभाग ने 2009-15 के दौरान निर्माण इकाई को उच्च प्राथमिक विद्यालयों से माध्यमिक विद्यालयों में उच्चीकरण¹² के लिए ₹ 120.25 करोड़ अवमुक्त किए।

¹⁰ सिंचाई विभाग एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवाएं।

¹¹ 2009-10: 23 विद्यालयों, 2010-11: 58 विद्यालयों, 2011-12: 147 विद्यालयों और 2013-14: 43 विद्यालयों।

¹² कक्षाओं का निर्माण (एक सेक्शन विद्यालय-02 तथा दो सेक्शन विद्यालय-04), विज्ञान प्रयोगशाला कक्ष-01, प्रधानाचार्य कक्ष-01, कार्यालय कक्ष-01, पुस्तकालय कक्ष-01, कम्प्यूटर कक्ष-01, कला एवं शिल्प कक्ष-01 तथा शौचालय ब्लॉक-01।

निर्माण इकाई द्वारा मार्च 2015 तक ₹ 108.45 करोड़ व्यय किया गया। यू-डायस आंकड़ों के विश्लेषण में देखा गया कि 271 उच्चीकरण विद्यालयों के सापेक्ष 126 में उनके उच्चीकरण की तिथि से लेखापरीक्षा तिथि तक 25 से कम विद्यार्थियों की संख्या नामांकित थी जो निर्धारित मानकों से नीचे था। आगे, इन उच्चीकृत विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि करने के लिये कोई प्रयास नहीं किया गया था। यह भी देखा गया कि जहां भवन निर्माणाधीन था, माध्यमिक कक्षाएँ जूनियर विद्यालय भवन में चल रही थीं जो अच्छी दशाओं में नहीं थीं। उनके पास माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिये न तो पर्याप्त शिक्षण कर्मचारी¹³ थे और न ही अपेक्षित बुनियादी सुविधायें थीं।

निकास गोष्ठी (नवम्बर 2015) में, सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा कहा कि रिक्तियों को पूरा करने के लिए अब शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति की गयी है तथा ढांचागत सुविधाओं में वृद्धि के प्रयास किये जा रहे हैं।

1.2.8.3 फर्नीचर एवम प्रयोगशाला उपकरण

उपरोक्त के अलावा, विद्यालयों के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के तहत फर्नीचर और प्रयोगशाला उपकरण के लिए भी निधियाँ उपलब्ध करायी गयी थीं। सरकार ने चयनित जिलों के माध्यमिक विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान फर्नीचर एवम प्रयोगशाला उपकरण के लिए ₹ 15.93 करोड़¹⁴ निर्गत किये। यह पाया गया कि एस एम डी सी द्वारा निर्माण कार्य के पूर्ण एवम विद्यालय के लिए मुख्य भवन को हस्तगत किये बिना फर्नीचर एवम प्रयोगशाला उपकरणों पर ₹ 9.35 करोड़¹⁵ व्यय किये गये थे जिससे क्रय किये गये फर्नीचर एवम प्रयोगशाला उपकरण के भंडारण और सुरक्षा के प्रति संदेह उठता है। इसके अतिरिक्त, ₹ 6.58 करोड़ (₹ 15.93 करोड़ - ₹ 9.35 करोड़) फर्नीचर एवम प्रयोगशाला उपकरण की राशि को दो से पांच साल की अवधि तक विद्यालय स्तर पर अवरोधित किया गया।

निकास गोष्ठी (नवम्बर 2015) में, सरकार ने कहा कि इस संबंध में विद्यालयों से नवीनतम स्थिति प्राप्त की जायेगी जबकि जिला स्तर पर यह पूछे जाने पर डी पी ओ ने तथ्यों को स्वीकार किया था और कहा था कि विद्यालय भवनों के पूर्ण न होने के कारण निधियों का उपभोग नहीं किया जा सका था।

1.2.8.4 विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं

एस पी डी, देहरादून के अभिलेखों की जांच (अप्रैल 2015) में पाया गया कि राज्य सरकार के द्वारा संचालित किये जा रहे कुल विद्यालयों में से 14 प्रतिशत कक्षा बिना, दो प्रतिशत शौचालय बिना, आठ प्रतिशत जल बिना, 14 प्रतिशत बिजली बिना, 55 प्रतिशत खेल के मैदान बिना, 76 प्रतिशत पुस्तकालय बिना, 50 प्रतिशत कम्प्यूटर कक्ष बिना, 48 प्रतिशत एकीकृत विज्ञान प्रयोगशाला बिना तथा 83 प्रतिशत क्रियाकलाप कक्ष के बिना हैं (परिशिष्ट 1.2.1 में विस्तृत)। इस प्रकार एक ओर

¹³ 271 की स्वीकृत संख्या के सापेक्ष केवल 161 प्रधानाध्यापक एवं उसी प्रकार से 1517 के सापेक्ष केवल 688 अध्यापक रमसा के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालयों में तैनात थे।

¹⁴ पिथौरागढ़: ₹ 2.10 करोड़, पौड़ी: ₹ 2.54 करोड़, टिहरी: ₹ 1.96 करोड़, अल्मोड़ा: ₹ 3.68 करोड़, उधम सिंह नगर: ₹ 3.06 करोड़, देहरादून: ₹ 2.59 करोड़।

¹⁵ पिथौरागढ़: ₹ 0.35 करोड़, पौड़ी: ₹ 1.76 करोड़, टिहरी: ₹ 1.05 करोड़, अल्मोड़ा: ₹ 1.47 करोड़, उधम सिंह नगर: ₹ 2.52 करोड़, देहरादून: ₹ 2.20 करोड़।

2010-15 के दौरान वर्ष दर वर्ष लगातार बचत हो रही थी, दूसरी ओर विद्यालयों के छात्र एक माध्यमिक विद्यालय में आवश्यक समझी जाने वाली बुनियादी सुविधाओं से वंचित थे। यह निजी विद्यालयों की तुलना में सरकारी विद्यालयों में नामांकन में कमी की दर का एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है (अनुच्छेद 1.2.15.1 में विस्तृत) जो रमसा के मुख्य उद्देश्यों जैसे 2017 तक माध्यमिक शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच (100 प्रतिशत जी ई आर) तथा 2020 तक सार्वभौमिक अवधारण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

निकास गोष्ठी (नवम्बर 2015) में, सरकार ने कहा कि रमसा के अन्तर्गत अनावर्ती मद में केवल 33 प्रतिशत धनराशि आवंटन होने के कारण ढांचागत सुविधाओं में कम प्रावधान किया गया था। फिर भी, विद्यालयों में सुविधाओं को बढ़ाने के प्रयास किये गये हैं।

1.2.8.5 विद्यालयों के लिए निर्गत विभिन्न अनुदान

(अ) लघु मरम्मत के साथ-साथ वृहत मरम्मत के लिए धनराशि का निर्गमन

संयुक्त राज्य परियोजना निदेशक/ रमसा द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार, लघु मरम्मत की धनराशि उन विद्यालयों को उसी वर्ष नहीं दी जाएगी जिस वर्ष उन्नयन के लिए निधियाँ विद्यालयों की सुदृढीकरण एवम वृहत मरम्मत के लिए निर्गत की गई हों।

चयनित जिलों की अभिलेखों की जांच में पाया गया कि डी पी ओ ने 2011-12 एवम 2012-13 के दौरान ऐसे 104 विद्यालयों को लघु मरम्मत के लिए ₹ 26 लाख दिये गये जिन्हें उसी वर्ष में वृहत मरम्मत के लिए भी ₹ 1.81 करोड़ दिये गये थे।

निकास गोष्ठी (नवम्बर 2015) में, सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया।

(ब) खेल अनुदान

राज्य के अनुमोदित ए डब्ल्यू पी एवम बी के अनुसार, उन विद्यालयों के लिए खेल उपकरणों की खरीद का प्रावधान किया गया था जिन विद्यालयों के पास खेल का मैदान हो। चयनित जिलों की जांच के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2013-14 एवम 2014-15 के दौरान प्रति विद्यालय ₹ 0.20 लाख की दर से ₹ 19.20 लाख खेल अनुदान के लिए दिये गये थे। इस धनराशि में से ₹ 3.60 लाख उन विद्यालयों को दिया गया था जहां खेल का मैदान नहीं था (सितम्बर 2014 के यू-डायस आँकड़ों के अनुसार)।

निकास गोष्ठी (नवम्बर 2015) में सरकार ने कहा कि प्राथमिकता उन विद्यालयों को दी जायेगी जहां खेल का मैदान है।

(स) गणित किट

अनुमोदित एडब्ल्यूपी एवम बी 2011-12 में प्रति विद्यालय ₹ 0.09 लाख की दर से गणित किट की खरीद के लिए प्रावधान था। चयनित जिलों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि निर्गत धनराशि ₹ 83.07 लाख के विरुद्ध ₹ 69.13 लाख का उपयोग किया गया तथा शेष व्यपगत हो गयी थी।

निकास गोष्ठी (नवम्बर 2015) में सरकार ने कहा कि इस प्रकार की वस्तुओं पर वित्तीय वर्ष के भीतर पैसे का उपयोग करने के लिए मानदंडों का सख्ती से अनुपालन किया जायेगा।

इस प्रकार ₹ 13.94 लाख की अनुपयोगिता के कारण 155 विद्यालयों के छात्र गणित किट के लाभ से वंचित थे।

(द) कला एवम शिल्प कक्ष

रमसा योजना के अन्तर्गत कला एवम शिल्प महत्वपूर्ण घटकों में से एक था। इस घटक के अन्तर्गत, गतिविधि कक्षों का निर्माण किया जाना था। इस उद्देश्य के लिए, 642 गतिविधि कक्षों के निर्माण के लिए वर्ष 2010-15 के दौरान ए डब्ल्यू पी एवम बी में ₹ 32.10 करोड़¹⁶ अनुमोदित एवम स्वीकृत किये गये थे। आगे विभाग ने कला एवम शिल्प गतिविधियों के लिए वर्ष 2011-12 तथा 2013-14 में क्रमशः ₹ 45.40 लाख एवम ₹ 43.40 लाख भारत सरकार से प्राप्त किये।

एसपीडी, देहरादून के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में देखा गया कि केवल 229 कला एवम शिल्प कक्ष (36 प्रतिशत) पूर्ण किये गये थे, 192 कक्षों का कार्य प्रगति पर था तथा शेष क्रियाकलाप कक्षों के निर्माण कार्य लेखापरीक्षा की तिथि तक, मुख्यतः भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण अब तक शुरू नहीं हो पाये थे। आगे चयनित जिलों के नमूना जांच में यह पाया गया कि विद्यालयों में कला एवम शिल्प गतिविधि सिर्फ उन्हीं दो वर्षों में की गयी थी जिन वर्षों में कला एवम शिल्प गतिविधियां घटक के अन्तर्गत भारत सरकार से इस उद्देश्य हेतु निधि प्राप्त हुई थी। शेष वर्षों में गतिविधियां नहीं की गयी थीं क्योंकि ए डब्ल्यू पी एवम बी में इस उद्देश्य के लिए कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया था। इन वर्षों के दौरान, पूर्णकला एवम शिल्प कक्ष निष्क्रिय पड़े रहे एवम जिस उद्देश्य के लिए निर्माण किया गया था, उसके लिए उपयोग नहीं किया जा सका था। इस प्रकार, गतिविधि कक्ष बनाने पर नियमित निवेश बेकार पड़ा था जैसा कि अन्य वर्षों¹⁷ में भारत सरकार द्वारा संबंधित गतिविधियों के लिए प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था।

निकास गोष्ठी (नवम्बर 2015) में सरकार ने कहा कि आगे से, कला एवम शिल्प गतिविधियों के अनुदान का अनुमोदन लेने के लिए पी ए बी की बैठक में प्रयास किये जायेंगे।

(इ) दोषपूर्ण समझौता ज्ञाप

विभाग ने निर्माण एजेंसियों¹⁸ के साथ एक समझौता ज्ञाप (एम ओ यू) हस्ताक्षरित किया (नवम्बर 2010 एवम फरवरी 2013)। एम ओ यू के अनुच्छेद 13 के अनुसार, निर्माण एजेंसी द्वारा अवमुक्त धनराशि को एक अलग बैंक खाते में रखना था और कार्यों के पूरा होने के बाद, निर्माण एजेंसी ग्राहक विभाग को अर्जित ब्याज सहित शेष धनराशि वापस करनी थी। एस पी डी, देहरादून के अभिलेखों की जांच (अप्रैल 2015) में पाया गया कि निर्माण कार्यों को सरकारी निर्माण एजेंसियों को दिया गया था। इन कार्यों को निर्माण एजेंसियों द्वारा डिपोजिट कार्य के रूप में लिया गया जिसे इंजीनियरिंग विभाग द्वारा अपनाये जाने वाली जमा क्रेडिट लिमिट (ज के लि) की लेखा प्रक्रिया रूप में रखा गया। ज के लि पर ब्याज अर्जित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 13 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि अवरूद्ध धनराशियों पर ब्याज अर्जित किया जा सके जिसका योजना के कार्यान्वयन में लाभप्रद इस्तेमाल किया जा सके। जबकि निर्माण एजेंसियों द्वारा अपनायी गयी लेखा प्रक्रिया ने जमा राशियों

¹⁶ 642 @ ₹ 5 लाख = ₹ 32.10 करोड़।

¹⁷ 2010-11, 2012-13 एवं 2014-15।

¹⁸ ग्रा या से एवं सिंचाई विभाग।

पर किसी भी प्रकार की ब्याज की कमाई का नुकसान करते हुए ब्याज की आय को रोका। विभाग, जब समझौता जाप पर हस्ताक्षर कर रहा था, उस समय इस प्रकार की हानि से रक्षा करनी चाहिए थी। यह इस प्रकार समझौता जाप में अनुच्छेद 13 का गलत तरीके से डाला गया एवम निर्माण एजेंसियों की लेखा प्रक्रिया को ध्यान में रखे बिना ही हस्ताक्षरित किया गया। यह विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन की दिशा में विभाग का अपर्याप्त ध्यान को परिलक्षित करता है।

निकास गोष्ठी (नवम्बर 2015) में, सरकार ने तथ्यों को स्वीकार कर लिया तथा अधिकारियों को समझौता जाप से दोषपूर्ण खण्ड को हटाने के लिए निर्देश दिये।

1.2.9 माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए सम्मिलित शिक्षा (आई ई डी एस एस)

आई ई डी एस एस, भारत सरकार द्वारा शतप्रतिशत प्रायोजित योजना, जिसमें सहायता के दो घटक थे (I) शिक्षार्थी से संबंधित घटक जैसे- मेडिकल तथा शैक्षिक मूल्यांकन, किताबें तथा स्टेशनरी, यूनिफार्म, यात्रा भत्ता, पाठक भत्ता, लड़कियों के लिए वजीफा, समर्थन सेवाएं, सहायिक उपकरण, रहने खाने की सुविधा, चिकित्सकीय सेवाओं, पठन-पाठन सामग्रीयाँ आदि और (II) अन्य घटकों जैसे- बुनियादी ढांचे से संबंधित, शिक्षक प्रशिक्षण, जागरूकता पैदा करने आदि से संबंधित हो, 2009-10 में आरम्भ की गयी थी। योजना का उद्देश्य विकलांग बच्चों को माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराना था।

अभिलेखों की जाँच में देखा गया कि भारत सरकार ने 2011-12 से 2013-14 में घटक के प्रथम समूह के लिये राशि¹⁹ अवमुक्त नहीं की, जबकि राज्य सरकार ने वर्ष 2012-13 से 2014-15 में ₹ 600 प्रति वर्ष²⁰ छात्रवृत्ति विकलांग बच्चों²¹ को उपलब्ध करायी थी। परिणामतः, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे²² (सी डब्ल्यू एस एन), दर्शाये गये प्रथम समूह घटक की सुविधाओं से वंचित थे।

अन्य घटकों के प्रकरण में यह देखा गया (अप्रैल 2015) कि 95 संसाधन केन्द्रों के निर्माण के लिये भारत सरकार ने अनुमोदित राशि ₹ 1.90 करोड़²³ के सापेक्ष ₹ 1.57 करोड़²⁴ अवमुक्त की। अवशेष राशि अभी अवमुक्त होनी थी। पंचानवें संसाधन केन्द्रों में से 88 संसाधन केन्द्र पूर्ण हो गये थे तथा शेष सात संसाधन केन्द्र को निधि की कमी के कारण आरंभ नहीं किया जा सका था। मात्र 116 सी डब्ल्यू एस एन बच्चे इन संसाधन केन्द्रों में पढाई कर रहे थे, जबकि 2014-15 में राज्य में कुल 1579 सी डब्ल्यू एस एन बच्चे चिन्हित किये गये थे। इस प्रकार, 6,227 सी डब्ल्यू एस एन बच्चे²⁵ विशेष रूप से वे जिनको 40 प्रतिशत या अधिक विकलांगता थी, आई ई डी एस एस के अभिप्रेत लाभ को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे।

निकास गोष्ठी (नवम्बर 2015) के दौरान सरकार ने कहा कि मामले को अगले पी ए बी की बैठक में प्रकाश डाला जाएगा और एक प्रस्ताव को पहले ही इस संबंध में भारत सरकार को भेज दिया गया है।

¹⁹ योजना में निर्धारित विशेष मदों के लिये ₹ 3,000 प्रति विकलांग बच्चे प्रति वर्ष।

²⁰ राज्य सरकार को ₹ 600 प्रति बच्चे प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति उपलब्ध कराना था।

²¹ 2012-13: 823 बच्चे, 2013-14: 814 बच्चे, 2014-15: 824 बच्चे।

²² 2010-11: 1,041 बच्चे, 2011-12: 1,774 बच्चे, 2012-13: 1,843 बच्चे, 2013-14: 1,569 बच्चे और 2014-15: 1,579 बच्चे।

²³ 95 ब्लाक ₹ 2.00 लाख की दर से।

²⁴ 2010-11: ₹ 62.70 लाख और 2013-14: ₹ 94.60 लाख।

²⁵ 2010-11: 1,041 बच्चे, 2011-12: 1,774 बच्चे, 2012-13: 1,843 बच्चे, 2013-14: 1,569 बच्चे।

1.2.10 बालिका छात्रावास सुविधा

भारत सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े विकास खण्डों (इ बी बी) में कक्षा VIII उत्तीर्ण से कक्षा XII तक के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (क गाँ बा वि) के सभी छात्राओं को छात्रावास और खाने की मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराने के लिये एससी, एसटी एवम अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए एक बालिका छात्रावास योजना आरम्भ की (2008-09), जिसे 2009-10 से क्रियान्वित किया गया। भारत सरकार और राज्य सरकार के मध्य अंशों का अनुपात 90:10 था। भारत सरकार ने वर्ष 2012-13 में 19 बालिका छात्रावास के निर्माण हेतु ₹ 36.84 करोड़ स्वीकृति किये थे। इस राशि में से राज्य सरकार ने ₹ 26.59 करोड़²⁶ निर्माण इकाईयों को अवमुक्त किया। एस पी डी, देहरादून और चयनित जिलों के अभिलेखों की जाँच में देखा गया कि दो कार्य पूर्ण, 12 कार्य प्रगति पर एवम पांच कार्य आरम्भ नहीं किये जा सके थे। लेखापरीक्षा के दौरान, आगे यह भी देखा गया कि:

- चार छात्रावासों²⁷ के निर्माण के लिये ₹ 7.61 करोड़ स्वीकृत किया गया था (मार्च 2013) और मार्च 2013 में ₹ 3.80 करोड़ निर्माण इकाई को अवमुक्त किया गया था। फिर भी, निविदा प्राप्त न होने के कारण कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका एवम अवमुक्त राशि अप्रयुक्त पड़ी रही। विलम्ब से इन कार्यों को आरम्भ किये जाने के कारण, निर्माण इकाई ने इन कार्यों का पुनरीक्षण आगणन ₹ 9.04 करोड़ विभाग के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया (फरवरी 2015)। इस प्रकार, इन कार्यों पर समयवृद्धि के साथ-साथ लागत में वृद्धि से इंकार नहीं किया जा सकता। इस ओर इंगित किये जाने पर, एस पी डी, देहरादून ने उत्तर दिया कि निर्माण इकाई ने कई बार निविदा आमंत्रित की लेकिन निविदा लेने में किसी ने इच्छा नहीं दिखायी। एस पी डी का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि आगणन 2012 में पहले की अनुसूची दरों को लेकर तैयार किया गया था एवम 2013 में स्वीकृत किया गया था। अनुसूची दर 2013 में पुनरीक्षित हो गयी थी। पुनरीक्षित दर के कारण ठेकेदारों ने निविदा प्रक्रिया में रुचि नहीं दिखायी।
- डीपीओ, टिहरी में एक कार्य जमीन उपलब्ध न होने के कारण आरम्भ नहीं किया जा सका। यह सम्बन्धित डी पी ओ की जिम्मेदारी थी कि निर्माण इकाई को धनराशि अवमुक्त कराने से पूर्व जमीन उपलब्ध कराये। विभाग ने मार्च 2013 में न केवल ₹ 0.90 करोड़ प्रथम किस्त के रूप में निर्माण इकाई को क गाँ बा वि, प्रतापनगर बालिका छात्रावास के लिये अवमुक्त की बल्कि पुनरीक्षित आगणन भी प्रस्तुत किया जो कि अनियमित था।

निकास गोष्ठी (नवम्बर 2015) के दौरान सरकार ने कहा कि चार में से एक कार्य प्रगति पर हैं तथा शेष तीन निविदा प्रक्रिया में हैं।

- टिहरी जिले में अन्य बालिका छात्रावास के प्रकरण में (भिलंगना ब्लाक में रौपाल), जमीन उपलब्ध न होने के कारण, डीपीओ ने बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्थान रौपाल से अखोड़ी परिवर्तन कर दिया। कार्य नये स्थान पर किया जा रहा था। परिणामतः, संबन्धित जिले

²⁶ मार्च 2013 में ₹ 17.76 करोड़ और मार्च 2015 में ₹ 8.83 करोड़।

²⁷ मोरी (₹ 1.99 करोड़), चिन्यालीसौड़ (₹ 1.76 करोड़), पुरोला (₹ 1.95 करोड़) उत्तरकाशी में, और अल्मोडा में धौलादेवी में (₹ 1.91 करोड़)।

के एससी, एसटी, और अल्पसंख्यक बालिकायें छात्रावास सुविधाओं के अपेक्षित लाभ से वंचित रह गये थे।

निकास गोष्ठी (नवम्बर 2015) में, सरकार ने कहा कि एक जांच स्थापित की जा चुकी है और तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

1.2.11 व्यवसायिक शिक्षा

भारत सरकार ने वर्ष 2013-14 में विभिन्न ट्रेड्स/ विषयों²⁸ में अलग-अलग काम करने की व्यक्तिगत रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए माध्यमिक शिक्षा योजना के व्यवसायिक शिक्षा की शुरुआत की। भारत सरकार एवम राज्य सरकार के मध्य निधियों का बंटवारा 75:25 था।

एसपीडी, देहरादून के अभिलेखों की जांच (अप्रैल 2015) में पाया गया कि मार्च 2015 तक (भारत सरकार से आवंटित) योजना के कार्यान्वयन के लिए ₹ 5.28 करोड़ विभाग के पास उपलब्ध थे। हालांकि, राज्य सरकार ने लेखा परीक्षा तिथि तक अपना अंश जारी नहीं किया था। पुनः विभाग ने मार्च 2015 तक 44 स्कूलों के 2,200 विद्यार्थियों को योजना के तहत चयनित किया था। जबकि, योजना को लागू करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इस प्रकार, धन की उपलब्धता के बावजूद लाभ नहीं दिया जा सका।

निकास गोष्ठी (नवम्बर 2015) में, सरकार ने कहा कि योजना को लागू करने के लिए निविदा शुरू की गयी है।

1.2.12 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (सू सं प्रौ)

भारत सरकार ने कम्प्यूटर साक्षरता की दृष्टि से प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में कम्प्यूटर सुलभ बनाने के लिए कम्प्यूटर साक्षरता और डिजिटल भविष्य के लिए छात्रों को तैयार करने के लिए 2004 में विद्यालयों में सू सं प्रौ की प्रमुख योजना (बाद में 2010 में संशोधित) की शुरुआत की। सहायता 75:25 के अनुपात में प्रदान की जानी थी।

एस पी डी, देहरादून के अभिलेखों की जांच (अप्रैल 2015) में पाया गया कि भारत सरकार ने मार्च 2011 में योजना को लागू करने के लिए राज्य सरकार को ₹ पांच करोड़ की प्रथम किस्त जारी की तथा राज्य सरकार ने भी अपने शेयर की राशि ₹ 1.67 करोड़ निर्गत की लेकिन लेखापरीक्षा की तिथि तक पूर्ण धनराशि (₹ 6.67 करोड़) बैंक के बचत खाते में अप्रयुक्त²⁹ पड़ी थी। आगे यह भी देखा गया कि 2010-11 में एक शिक्षकों प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था एवम सू सं प्रौ के लिए 500 शिक्षक पर ₹ 20.33 लाख व्यय किया गया जो कि लेखापरीक्षा तिथि तक योजना लागू नहीं होने के कारण अलाभकारी बना रहा था।

निकास गोष्ठी (नवम्बर 2015) में, सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा कहा कि मामले की सूचना प्रौद्योगिकी (सू प्रौ) विभाग से चर्चा की जायेगी तथा निधियों को सू प्रौ विभाग को हस्तांतरित

²⁸ पर्यटन, अतिथि सत्कार, विनिर्माण, निर्माण, मोटर, आईटी सेवाएं, खाद्य प्रसंस्करण और भंडारण आदि।

²⁹ तकनीकी समस्याओं के कारण जैसे-निविदा, कम्प्यूटर स्थापना, विनिर्देश, कम्प्यूटर शेयरिंग, नेटवर्किंग, इंटरनेट, कक्षा आदि।

कर दिया जायेगा। आगे यह भी कहा गया कि योजना को लागू करने के लिए विशिष्टताओं के बारे में छूट दिये जाने के संबंध में मामले की भारत सरकार से चर्चा की जायेगी।

1.2.13 क्षमता निर्माण

क्षमता निर्माण के विभिन्न स्तरों पर चुनौतियों का सामना करने के लिए एक विस्तृत दृष्टिकोण और रणनीति की आवश्यकता होती है जैसे- केन्द्र, राज्य, जिले एवम विद्यालय जहां आवश्यकताओं का लगातार आंकलन किया जाता है, उसका निदान किया जाता है, जवाबदेही तय की जाती है और परिणामों को मापा जाता है। निरंतर क्षमता निर्माण, आवधिक बैठकों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संयोजन से हासिल किया जा सकता था।

1.2.13.1 प्रशिक्षण संसाधन केन्द्र (एलआरसी)

माध्यमिक एवम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, राज्य में 2,211 विद्यालयों में से सभी विद्यालयों को पुस्तकालय के साथ एल आर सी से सुसज्जित करने, एडुसैट³⁰ के साथ लिंक एवम सू सं प्रौ समर्थन के लिए प्रावधान की आवश्यकता थी। लेखापरीक्षा जांच (अप्रैल 2015) में यह देखा गया कि केवल 531 विद्यालयों में पुस्तकालय थे, 125 विद्यालयों में सू सं प्रौ समर्थन का प्रावधान था एवम कोई भी विद्यालय एडुसैट से नहीं जोड़ा गया था। आगे यह भी पाया गया कि भारत सरकार ने 2011-12 में एलआरसी उपलब्ध कराने के लिए ₹ 1.79 करोड़ की योजना को मंजूरी दी एवम आवर्ती अनुदान के रूप में निधि (एकमुश्त अनुदान के रूप में) निर्गत की लेकिन राज्य वित्त समिति द्वारा निधि को निर्गत नहीं किये जाने के कारण उसका उपयोग नहीं किया जा सका। धनराशि किसी अन्य गतिविधियों में समायोजित कर दिया गया था।

निकास गोष्ठी (नवम्बर 2015) में सरकार ने कहा कि पुस्तकालय कमरे अब निर्माण किये जा रहे हैं। आगे सू सं प्रौ समर्थित स्कूलों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास किये जायेंगे।

1.2.13.2 लेखों के रखरखाव के लिए प्रशिक्षण

रमसा के दिशानिर्देशों के अनुसार, आयोजना, बजट, लेखांकन, खरीद, आंतरिक लेखापरीक्षा आदि पर सभी लेखा एवम लेखापरीक्षा स्टाफ को आवधिक अंतराल में योजना से संबंधित उन्मुखीकरण प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिससे कि उनको दिन प्रतिदिन सौंपे गये कार्यों को निर्बाध रूप से करने के लिए पर्याप्त ज्ञान से सुसज्जित किया जा सके। एसपीडी देहरादून, चयनित जिलों एवम स्कूलों की अभिलेखों की जांच में पाया गया कि स्कूल/ब्लॉक/जिले/ एस पी डी स्तर पर गैर-अध्यापक कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था जिसके परिणाम स्वरूप, निर्माण कार्यों के मूल अभिलेखों³¹ का रखरखाव नहीं किया गया था एवम लेखांकन पद्धति बहुत खराब थी।

1.2.14 अनुश्रवण, मूल्यांकन और आंतरिक लेखा परीक्षा

1.2.14.1 अनुश्रवण और मूल्यांकन

राज्य कार्यान्वयन सोसाइटी (एस आई एस) ने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्कूलों, जिलों और राज्य स्तर पर क्रमशः प्रधानाचार्य, जिलाधिकारी और सचिव विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड सरकार की

³⁰ एडुसैट शिक्षा क्षेत्र की सेवा करने के लिए विशेष रूप से बनाया गया पहला भारतीय उपग्रह है।

³¹ जनरल, सम्पत्ति पंजिका, गैर उपभोज्य समान, वृहत एवं लघु निर्माण कार्य का रजिस्टर, अग्रिम पंजिका, तिमाही व्यय आदि।

अध्यक्षता में अनुश्रवण समितियां गठित की जानी थीं। समितियों को एक तिमाही में बैठक करनी थी। *रमसा* के दिशा निर्देशानुसार, स्कूल स्तर विद्यालय प्रबन्धक विकास समिति (एस एम डी सी) की दो उप-समितियां- शिक्षा समिति और निर्माण समिति थीं। निर्माण समिति को निर्माण कार्य के 25 प्रतिशत, 50 प्रतिशत एवम 75 प्रतिशत पूर्ण होने तथा कार्य पूर्ण होने पर निर्माण कार्य के संबंध में डी पी ओ को अपनी आख्या भेजनी थी। चयनित विद्यालयों, डी पी ओ एवम एस पी डी के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2010-15 के दौरान राज्य, जिलों एवम स्कूलों में क्रमशः 20,120 एवम 5,960 बैठकों के लक्ष्य के सापेक्ष क्रमशः आठ (40 प्रतिशत), 27 (23 प्रतिशत) और 4,965 (83 प्रतिशत) अनुश्रवण बैठकों का आयोजन किया गया। विद्यालय अभिलेखों के भौतिक सत्यापन के दौरान यह संज्ञान में आया कि गतिविधियों को देखने के लिए एस एम डी सी एवम पी पी ए³² द्वारा बैठक का कार्यवृत्त एवम निवारण से संबंधित कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

आगे, एस पी डी, के अभिलेखों की जांच में पाया गया (अप्रैल 2015) कि समिति द्वारा नींव स्तर तक 13 प्रतिशत कार्यों का निरीक्षण किया गया, 16 प्रतिशत कार्यों का निरीक्षण दरवाजे स्तर तक किया गया, 17 प्रतिशत कार्यों का निरीक्षण लिंटर स्तर तक किया गया एवम मात्र 16 प्रतिशत कार्यों का निरीक्षण फिनिशिंग स्तर तक किया गया था। चयनित जिलों में यह भी देखा गया कि एस एम डी सी द्वारा न तो निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया गया न ही संबंधित डी पी ओ को अपनी रिपोर्ट भेजी गयी। निरीक्षण के अभाव में निर्माण गतिविधियां या तो बाधित हुईं या प्रगति असंतोषजनक रही थीं।

निकास गोष्ठी (नवम्बर 2015) में, सरकार ने कहा कि आगे से, ब्लॉक स्तर पर स्कूल स्तर की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए परामर्शदाता को नामित किया गया है और जिला तथा राज्य स्तर की निगरानी में सुधार किया जा रहा है।

1.2.14.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

दिशानिर्देशों के प्रस्तर 6.9.4 के अनुसार, एस पी डी एवम डी पी ओ का प्रत्येक वर्ष आंतरिक लेखापरीक्षा किया जाना था। स्कूलों की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिशत के आधार पर की जानी थी ताकि प्रत्येक जिले के पांच प्रतिशत विद्यालयों को कवर किया जा सके। आन्तरिक लेखापरीक्षा में यह भी सुनिश्चित किया जाना था कि बैंक समाधान सहित निर्धारित लेखांकन सख्ती से सभी के द्वारा पालन किया जाए।

एस पी डी, देहरादून के लेखाभिलेखों की जांच (अप्रैल 2015) में पाया गया कि विभाग में स्कूलों एवम अधीन कार्यालयों में आन्तरिक लेखापरीक्षा के लिए आन्तरिक लेखापरीक्षा ढांचे का गठन नहीं किया गया था।

निकास गोष्ठी (नवम्बर 2015) में, सरकार ने कहा कि आंतरिक लेखापरीक्षा स्थापित करने के लिए मामले को लेखापरीक्षा निदेशक के साथ विचार विमर्श किया जायेगा।

³² अभिभावक शिक्षक एसोसिएशन।

1.2.15 अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे

1.2.15.1 सरकारी विद्यालयों एवम निजी संस्थाओं के छात्रों की तुलना

सरकारी विद्यालयों एवम निजी विद्यालयों के बीच एक तुलना नीचे तालिका-1.2.3 में दर्शायी गयी है:

तालिका: 1.2.3

| वर्ष | 2008-09 | | 2014-15 | |
|-----------------------------------|----------|--------|----------|----------|
| | सरकारी | निजी | सरकारी | निजी |
| विद्यालयों की कुल संख्या | 1,790 | 536 | 2,211 | 748 |
| छात्रों की कुल संख्या | 1,90,329 | 63,682 | 2,05,153 | 1,24,638 |
| शिक्षकों की कुल संख्या | 14,225 | 4,162 | 15,635 | 2,426 |
| प्रति विद्यालय छात्रों की संख्या | 106 | 119 | 93 | 167 |
| प्रति विद्यालय शिक्षकों की संख्या | 08 | 08 | 07 | 03 |

स्रोत: एस पी डी, देहरादून द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े

उपरोक्त तालिका में यह देखा जा सकता है कि निजी विद्यालयों में छात्रों की संख्या वर्ष 2008-09 की तुलना में 2014-15 तक 60,956 (96 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि सरकारी विद्यालयों के मामलों में छात्रों की संख्या केवल 14,824 (आठ प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2008-09 की तुलना में निजी विद्यालयों की संख्या में 2014-15 तक 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि सरकारी विद्यालयों की संख्या में केवल 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह इंगित करता है कि विभाग को अपने विद्यालयों में नामांकन और अवधारण को बढ़ाने के लिए धरातलीय स्थल पर बहुत कार्य करना है।

निकास गोष्ठी (नवम्बर 2015) में, सरकार ने तथ्यों को स्वीकार कर लिया तथा कहा कि ढांचागत सुविधाओं को सुधार करने के प्रयास किये जा रहे हैं। वर्ष 2015-16 में विद्यालयी शिक्षा को बेहतर करने के लिए शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति की गयी है।

1.2.15.2 विद्यालय से बाहर बच्चे

राज्य सरकार ने 2012-13 में उन बच्चों को जिन्होंने कक्षा आठ से नौ में प्रवेश नहीं लिया था को जानने हेतु बच्चों के ट्रेकिंग कार्यक्रम को आरम्भ किया। चयनित जिलों के अभिलेखों की जाँच में देखा गया कि जिन बच्चों ने कक्षा आठ से नौ में प्रवेश नहीं लिया था, को जानने हेतु उक्त कार्यक्रम वर्ष 2013-14 से संचालित किया गया था। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 में एनआईओएस के माध्यम से खुला विद्यालय के लिये प्रस्ताव प्रेषित किया गया लेकिन भारत सरकार ने उक्त प्रस्ताव अनुमोदन नहीं किया। राज्य ने प्रकरण को आगे नहीं बढ़ाया। परिणामतः चयनित जिले में 862 ड्रापआउट³³ थे (मार्च 2015)।

निकास गोष्ठी (नवम्बर 2015) में, सरकार ने तथ्यों को स्वीकार कर लिया तथा कहा कि बच्चों द्वारा विद्यालय छोड़ने की संख्या कम करने के लिए नई शिक्षा नीति (आर टी ई) अपनायी गयी है।

1.2.15.3 कर्मचारियों की असंतुलित तैनाती

रमसा योजना के तहत, विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति के लिए प्रावधान था। प्रयोगशाला सहायकों का मानदेय रमसा के आवर्ती अनुदान से भुगतान किया जाना था।

³³ अल्मोडा-106, देहरादून-208, पिथौरागढ़-95, पौड़ी-77, टिहरी-132 और उधमसिंह नगर-244।

चयनित जिलों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 2010-15 के दौरान प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति ऐसे 268 विद्यालयों में की गई थी जहां विज्ञान प्रयोगशाला नहीं थी एवम ₹ 7.10 करोड़ की धनराशि प्रयोगशाला सहायकों के मानदेय के भुगतान के लिए वितरित की गयी थी। आगे यह भी पाया गया कि प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति ऐसे 225 विद्यालयों में नहीं की गयी थी जहां विज्ञान प्रयोगशाला अस्तित्व में थी।

निकास गोष्ठी (नवम्बर 2015) में, सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा कहा कि स्कूलों में प्रयोगशाला सहायकों की तैनाती प्रगति पर है।

1.2.15.4 संकेतक

एस पी डी, देहरादून के अभिलेखों की जांच (अप्रैल 2015) के अनुसार, माध्यमिक शिक्षा के संकेतकों की गुणवत्ता नीचे तालिका 1.2.4 में दर्शायी गयी है:

तालिका: 1.2.4

| वर्ष | सकल नामांकन दर (जी ई आर) | शुद्ध नामांकन दर (एन ई आर) | ग्रुप आउट दर (डी आर) | अवधारण दर (आर आर) | परिगमन दर (टी आर) |
|---------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 2010-11 | 73.88 | 42.91 | 10.45 | 81.35 | 98.44 |
| 2011-12 | 75.79 | 43.99 | 10.15 | 88.63 | 98.69 |
| 2012-13 | 75.80 | 45.68 | 11.48 | 88.52 | 100.73 |
| 2013-14 | 86.62 | 46.95 | 12.83 | 87.17 | 96.63 |
| 2014-15 | 88.25 | 49.42 | 13.54 | 86.46 | 94.91 |

स्रोत: एस पी डी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

तालिका दर्शाती है कि 2011-12 से स्कूल छोड़ने की दर में लगातार वृद्धि हो रही थी जबकि अवधारण दर घट रही थी। यह तालिका सिर्फ सरकारी विद्यालयों की ही नहीं बल्कि निजी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के संकेतकों को भी दर्शाती है। एसपीडी के स्तर पर अलग-अलग आँकड़ों का रख-रखाव नहीं किया गया था। इस प्रकार, लेखापरीक्षा इन संकेतकों की वास्तविक स्थिति, जैसे-सरकारी विद्यालयों में छात्रों की संख्या, को सत्यापित नहीं कर सका।

निकास गोष्ठी (नवम्बर 2015) में, सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा विद्यालय छोड़ने की दर में कमी और प्रतिधारण दर में वृद्धि करने के लिए विद्यालयों में सुविधाओं में सुधार के लिए अधिकारियों को निर्देश दिये।

निष्कर्ष एवम संस्तुतियां

1. प यो और ए डब्ल्यू पी एवम बी बनाने के लिए नीचे से ऊपर दृष्टिकोण को नहीं अपनाया गया था जो राज्य स्तरीय योजना के लिए नींव की ईंट के रूप में कार्य करता। विद्यालय स्तरीय योजना, जिसके उद्देश्य हेतु 1.07 लाख एस एम डी सी को प्रशिक्षण दिया गया था, विकसित नहीं की गई।

सरकार विभाग को योजना के उद्देश्यों के यथार्थवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय स्तर पर जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले कारकों को सम्मिलित कर ए डब्ल्यू पी एवम बी तैयार करने के लिए निर्देश जारी कर सकती है।

2. योजना क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की प्रगति में कमी, जैसे कि विद्यालयों में बुनियादी ढांचों का विकास व मूलभूत सुविधाओं का प्रावधान जैसे- विद्यालय भवनों, फर्नीचर व फिक्सचर,

प्रयोगशाला उपकरण, विज्ञान प्रयोगशाला आदि जिसने बच्चों को योजना के लाभों से वंचित किया, के कारण प्रभावित हुई। रमसा के अन्तर्गत अन्य योजनाएं जैसे- आई ई डी एस एस, बालिका छात्रावास सुविधाएं, व्यवसायिक शिक्षा और आईसीटी आदि को भी ठीक से लागू नहीं किया जा सका।

सरकार सुविधाओं, गुणवत्ता एवम इक्विटी हस्तक्षेप उपलब्ध कराने हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के उद्देश्यों को प्राप्त करने पर जोर दे सकती है।

निकास गोष्ठी के दौरान सरकार ने सभी निष्कर्षों एवम संस्तुतियों को स्वीकार किया (नवम्बर 2015)।

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

1.3 प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन योजना)

राज्य में प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (प्रा शि पो स रा का) अर्थात् मध्याह्न भोजन (म भो) योजना के क्रियान्वयन के संबंध में वर्ष 2010-15 तक की अवधि की निष्पादन लेखापरीक्षा नामांकन, प्रतिधारण व विद्यालयी छात्रों की उपस्थिति, पोषण स्तर तथा विद्यालयी छात्रों हेतु आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों को प्रावधानित किये जाने सम्बन्धी योजना के उद्देश्यों आदि की प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु निष्पादित की गई। लेखापरीक्षा अवलोकन के मुख्य अंश निम्नानुसार है :

मुख्यांश

➤ *विद्यालयों में मध्याह्न भोजन दिये जाने में व्यवधान थे जैसा कि चयनित 120 में से 50 विद्यालयों में पाया गया।*

[प्रस्तर 1.3.8.3]

➤ *सूक्ष्म पोषक तत्वों एवं सम्पूरकों को आवश्यकतानुसार बच्चों को प्रदान नहीं किया जा रहा था एवं 2010-13 की अवधि में स्वास्थ्य परीक्षण 79 प्रतिशत तक कम थे।*

[प्रस्तर 1.3.8.6]

➤ *विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने में योजना असफल रही क्योंकि 2010-15 की अवधि में वास्तविक नामांकन 22 प्रतिशत घटा।*

[प्रस्तर 1.3.9.1]

➤ *शिक्षा कर्मियों के कार्यक्रम क्रियाकलापों में वांछित चार घण्टे प्रति सप्ताह के विपरीत नौ से 12 घण्टे प्रति सप्ताह संलग्न रहने के परिणामस्वरूप पढ़ाई सम्बन्धी क्रिया कलापों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।*

[प्रस्तर 1.3.9.3]

1.3.1 परिचय

प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (प्रा शि पो स रा का), जो सामान्य मध्याह्न भोजन (म भो) योजना के नाम से प्रचलित है, को भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में अगस्त 1995 में सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्राथमिक स्तर (कक्षा एक से पांच) पर नामांकन, प्रतिधारण व नियमित उपस्थिति की बढ़ोत्तरी से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई थी। कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक विद्यालय दिवस पर विद्यालय की अवधि के दौरान प्रत्येक बच्चे को भोजन में न्यूनतम 300 कैलोरी तथा 8-12 ग्राम प्रोटीन युक्त भोजन दिया जाना प्रावधानित था। भारत सरकार द्वारा सितम्बर 2006 में कार्यक्रम पुनः संशोधित किया गया जिसमें कैलोरी तत्व 300 से बढ़ाकर 450 कैलोरी व प्रोटीन तत्व 12 ग्राम निर्धारित किए गए तथा साथ ही प्रत्येक छात्र को आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व व कृमिनाशक दवाइयाँ प्रदान की जानी थीं।

म भो योजना का वर्ष 2008-09 में, मान्यता प्राप्त मदरसों/ मकतबों को जो सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सहायता प्राप्त थे तथा देश भर में उच्च प्राथमिक विद्यालयों को आच्छादित किये जाने हेतु, विस्तार किया गया।

1.3.2 संगठनात्मक ढांचा

कार्यक्रम के सम्पूर्ण प्रबन्धन हेतु 'उत्तराखण्ड-सभी के लिए शिक्षा'³⁴ परिषद के राज्य परियोजना निदेशक उत्तरदायी है। जनपद स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी-प्राथमिक शिक्षा (जि शि अ- प्रा शि), योजना के कार्यान्वयन हेतु नोडल अधिकारी हैं। साथ में जिला पूर्ति अधिकारी (जि पू अ) भारतीय खाद्य निगम (भा खा नि) व सम्भागीय खाद्य निगम (स खा नि) से खाद्यान्न उठान तथा विद्यालयों में उक्त खाद्यान्न को, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से, वितरित करने हेतु नोडल अधिकारी हैं। विकास-खण्ड स्तर पर खण्ड शिक्षा अधिकारी नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं विद्यालय प्रबन्धन समितियां सम्बन्धित विद्यालयों में कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी हैं।

1.3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के मुख्य उद्देश्यों से यह निर्धारण किया जाना था कि क्या :

- प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के सभी पात्र स्कूली बच्चे आच्छादित किए जाने हेतु योजना का क्रियान्वयन सुनियोजित तरीके से किया जा रहा था;
- आवंटित निधियों का मितव्ययतापूर्ण व कुशल उपयोग किया जा रहा था;
- नामांकन, प्रतिधारण व उपस्थिति में बढ़ोत्तरी करने तथा बच्चों में पौष्टिक स्थिति सुधारने के उद्देश्यों में योजना सफल रही; तथा
- एक कुशल आंतरिक नियन्त्रण तंत्र व अनुश्रवण व्यवस्था विद्यमान थी तथा प्रभावी रूप से क्रियाशील थी।

1.3.4 लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं क्रियाविधि

म भो योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा अप्रैल 2015 से जुलाई 2015 के दौरान सम्पादित की गई और वर्ष 2010-15 तक की अवधि को आच्छादित किया गया। जनपदों में विद्यालयों की संख्या के आधार पर प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू साइज विद रिप्लेसमेंट' (पी पी एस डब्ल्यू आर) विधि से राज्य के 13 जनपदों में से चार³⁵ जनपदों को लेखापरीक्षा हेतु चयनित किया गया। 'सिम्पल रेन्डम सेम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट' (सि रे से वि रि) के द्वारा प्रत्येक चयनित जनपद में चार विकास खण्ड व 30 विद्यालय (प्राथमिक स्तर के 20 व उच्च प्राथमिक स्तर के 10 विद्यालय) चयनित किए गए।

लेखापरीक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड के साथ लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, मापदण्ड व विषय-क्षेत्र पर एक 'प्रवेश गोष्ठी' में विचार-विमर्श किया गया

³⁴ "उत्तराखण्ड सभी के लिये शिक्षा" एक समिति है जो राज्य में "सर्व शिक्षा अभियान" को संचालित करती है।

³⁵ अल्मोड़ा, देहरादून, टिहरी एवं उधमसिंह नगर।

(फरवरी 2015)। राज्य परियोजना कार्यालय (रा प का), चयनित जिलों के जि शि अ-प्रा शि, जिला पूर्ति अधिकारी (जि पू अ), मुख्य चिकित्सा अधिकारी (मु चि अ) के कार्यालयों तथा चयनित विद्यालयों के अभिलेखों की जांच की गई। सम्बन्धित अभिलेखों की जांच, उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण तथा लेखापरीक्षा जाप व प्रश्नावलियों के उत्तर के आधार पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष निकाले गए। अपर मुख्य सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा तथा विभाग के अन्य सम्बन्धित अधिकारियों के साथ निकास गोष्ठी (नवम्बर 2015) आयोजित की गयी तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गये उत्तरों को यथोचित स्थान पर समाहित किया गया है।

1.3.5 लेखापरीक्षा मानदण्ड

योजना के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों के निर्धारण हेतु प्रयुक्त लेखापरीक्षा मानदण्ड थे:

- रा का-पो स प्रा शि, 2006 की योजना मार्ग-निर्देशिका;
- योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी विभिन्न आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, अनुदेश; तथा
- राज्य द्वारा तैयार की गई वार्षिक कार्य योजना व बजट।

1.3.6 आयोजना

1.3.6.1 वार्षिक कार्य योजना व बजट का निर्माण

विद्यालय स्तर पर अनुरक्षित तथा विकास-खण्डों, जनपदों व राज्य स्तर पर संकलित सूचनाओं के आधार पर राज्यों द्वारा वार्षिक कार्य योजना व बजट (वा का यो एवं ब) के निर्माण का महत्व म भो योजना समनुदेशित करती है। इसमें निचले स्तर से ऊपर की ओर उपागम के दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है। रा प का के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि तैयार की गई व 'प्रोग्राम अपरूवल बोर्ड' (पी ए बी) द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजनाएं व बजट आधार उक्त स्तरीय आंकड़ों पर आधारित नहीं थे। इसके बजाय रा प का द्वारा कार्य योजनओं के निर्माण की पहल तथा इनके अंतिम रूप के लिये ऊपरी स्तर से नीचे की ओर उपागम अपनाया गया। जनपदों, विकास खण्डों व विद्यालयों से कोई आदान प्राप्त नहीं किया गया था। यह योजना के दिशानिर्देशों के विपरित था जिसके परिणामस्वरूप जनपदों के पास विशाल निधियों के अव्ययित रहने के साथ-साथ खाद्यान्न रद्द होने के मामले मिले जिसकी चर्चा **प्रस्तर 1.3.7.1 व 1.3.8.1** में की गई है।

राज्य सरकार द्वारा निकास गोष्ठी (नवम्बर-2015) में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुये अवगत कराया गया कि विगत वर्षों में विभाग के पास वास्तविक समय के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे, हांलाकि, वर्ष 2014-15 से सूचना प्रबंध प्रणाली (सू प्र प्र) के अंतर्गत आंकड़े संकलित किये जा रहे थे जिससे भविष्य में निचले स्तर से ऊपर की ओर उपागम को सुनिश्चित किया जाएगा। आगे, आंकड़ों की शुद्धता पारस्परिक ध्वनि प्रतिउत्तर प्रणाली (पा ध्व प्र प्र), जो शीघ्र ही प्रारम्भ की जाएगी, के द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सू प्र प्र के अंतर्गत अपलोड किये गये आंकड़े त्रुटिपूर्ण थे जिसकी चर्चा **प्रस्तर 1.3.10.3** में की गई है।

1.3.6.2 विद्यालयों का आच्छादन

राज्य में वर्ष 2010-15 की अवधि के दौरान परिचालित विद्यालयों/केन्द्रों की कुल संख्या की तुलना में म भो के अन्तर्गत आच्छादित विद्यालय/केन्द्र निम्नवत् रहे :

तालिका-1.3.1

| वर्ष | परिचालित विद्यालयों/ केन्द्रों की कुल संख्या | | योग | मध्याह्न भोजन के अन्तर्गत आच्छादित विद्यालयों/ केन्द्रों की कुल संख्या | | योग | अनाच्छादित विद्यालय/ केन्द्र |
|---------|--|---------------|--------|--|---------------|--------|------------------------------|
| | प्राथमिक | उच्च प्राथमिक | | प्राथमिक | उच्च प्राथमिक | | |
| 2010-11 | 12,983 | 5,122 | 18,105 | 12,457 | 5,061 | 17,518 | 587 |
| 2011-12 | 13,020 | 5,271 | 18,291 | 12,781 | 5,146 | 17,927 | 364 |
| 2012-13 | 13,083 | 5,336 | 18,419 | 12,756 | 5,222 | 17,978 | 441 |
| 2013-14 | 12,810 | 5,295 | 18,105 | 12,534 | 5,227 | 17,761 | 344 |
| 2014-15 | 12,803 | 5,362 | 18,165 | 12,477 | 5,266 | 17,743 | 422 |

स्रोत: रा प का, म भो प्रकोष्ठ

चयनित जिलों में अनाच्छादित विद्यालयों/ केन्द्रों का अनुपात कुल एक से चार प्रतिशत था। अनाच्छादित विद्यालयों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा बताया गया (नवम्बर 2015) कि अधिकतर अनाच्छादित विद्यालयों में नामांकन शून्य था। यह विद्यालय इस कारण से असंचालित घोषित नहीं किये गये क्योंकि ये किसी भी समय संचालित हो सकते थे। हांलाकि, भविष्य में योजना बनाते समय शून्य नामांकन वाले विद्यालयों को संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।

1.3.6.3 अन्य विकास कार्यक्रमों के साथ अभिसरण

दिशा-निर्देशों के अनुसार म भो योजना का अन्य केन्द्र प्रायोजित योजनाओं जैसे सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (रा ग्रा पे का), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (रा ग्रा स्वा मि) आदि के साथ अभिसरण किया जाना था। चयनित जि शि अ कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि किसी भी केन्द्र प्रायोजित योजना के साथ अभिसरण नहीं हुआ सिवाय रा ग्रा स्वा मि के, जिसके अन्तर्गत प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सभी बच्चों को स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान सूक्ष्म पोषक तत्व व कृमिनाशक दवाइयां उपलब्ध कराई जानी थी। तथापि वर्ष 2010-13 के दौरान चयनित जिलों के मात्र 21 प्रतिशत से 46 प्रतिशत विद्यालयों में ही स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना पाया गया जिसकी चर्चा प्रस्तर 1.3.8.6. (ii) में की गई है। इस प्रकार अभिसरण के उद्देश्यों के साथ समझौता किया गया।

राज्य सरकार ने निकास गोष्ठी (नवम्बर 2015) के दौरान उत्तर में बताया कि योजना का अन्य केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के साथ अभिसरण को सुनिश्चित किए जाने के प्रयास किए जा रहे थे। आगे यह बताया गया कि सभी विद्यालयों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु वर्ष 2015-16 से रा ग्रा पे का के साथ अभिसरण की पहल गयी है।

1.3.7 वित्तीय प्रबन्धन

1.3.7.1 निधियों की उपलब्धता

केन्द्र सरकार म भो के अन्तर्गत राज्य सरकार को निम्न प्रयोजनों हेतु सहायता उपलब्ध करा रही है:

- (i) भा खा नि के निकटतम गोदाम से निशुल्क 100/150 ग्राम खाद्यान्न (गेहूँ/चावल) प्रति बच्चा प्रति विद्यालय प्रति दिवस की दर से आपूर्ति करना;
- (ii) भा खा नि के निकटतम गोदाम से विद्यालय तक खाद्यान्न के ढुलान पर वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति;
- (iii) भोजन पकाने की लागत केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में;
- (iv) भोजन कक्ष के उपकरणों के लिए सामान्य लागत ₹ 5,000 प्रति विद्यालय का प्रावधान; तथा
- (v) प्रबन्धन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु सहायता (प्र अ एवं मू)।

राज्य स्तर पर व चार चयनित जनपदों में निधियों के आवंटन, अवमुक्ति तथा उसमें से व्यय की गई धनराशि का विवरण निम्न तालिका में क्रमशः 1.3.2 (अ) और (ब) में दिया गया है :

तालिका-1.3.2 (अ)

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | केन्द्रीय आवंटन | प्रारम्भिक शेष | | | वर्ष में अवमुक्त धनराशि | | | वर्ष के दौरान व्यय | | | अव्ययित धनराशि (कुल उपलब्ध धनराशि की प्रतिशतता) | | |
|------------|-----------------|----------------|-----------|----------|-------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---|-----------|------------|
| | | केन्द्रांश | राज्यांश | योग | केन्द्रांश | राज्यांश | योग | केन्द्रांश | राज्यांश | योग | केन्द्रांश | राज्यांश | योग |
| 2010-11 | 130.33 | 20.70 | (-) 20.41 | 0.29 | 109.63 | 48.12 | 157.75 | 124.98 | 33.18 | 158.16 | 5.35 | (-) 5.47 | (-)0.12 |
| 2011-12 | 147.90 | 5.35 | (-) 5.47 | (-) 0.12 | 142.55 | 10.95 | 153.50 | 115.58 | 38.51 | 154.09 | 32.32 | (-) 33.03 | (-)0.71 |
| 2012-13 | 191.59 | 34.00 | (-) 33.03 | 0.97 | 157.59 | 102.04 | 259.63 | 150.67 | 65.83 | 216.50 | 40.92 | 3.18 | 44.10 (17) |
| 2013-14 | 117.21 | 21.96* | 3.18 | 25.14 | 95.25 | 51.85 | 147.10 | 103.73 | 49.31 | 153.04 | 13.48 | 5.72 | 19.20 (11) |
| 2014-15 | 102.80 | 13.48 | 5.72 | 19.20 | 89.32 | 41.65 | 130.97 | 86.79 | 40.13 | 126.92 | 16.01 | 7.24 | 23.25 (15) |
| योग | 689.83 | | | | 594.34 | 254.61 | 848.95 | 581.75 | 226.96 | 808.71 | | | |

स्रोत: रा प नि, म ओ प्रकोष्ठ

*भोजनालय सह भण्डार से सम्बन्धित ₹ 18.96 करोड़ का अव्ययित शेष भारत सरकार को वापस किया गया जिसके परिणामस्वरूप प्रारम्भिक शेष में कमी हुई।

तालिका-1.3.2 (ब)

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | प्रारम्भिक शेष | वर्ष के दौरान प्राप्त निधि | कुल उपलब्ध निधि | व्यय | अव्ययित शेष(कुल उपलब्ध धनराशि की प्रतिशतता) |
|------------|----------------|----------------------------|-----------------|---------------|---|
| 2010-11 | 5.61 | 43.77 | 49.38 | 40.72 | 8.67 (17) |
| 2011-12 | 8.67 | 66.28 | 74.95 | 59.25 | 15.70 (21) |
| 2012-13 | 15.70 | 102.90 | 118.60 | 82.97 | 35.63 (30) |
| 2013-14 | 35.63 | 62.28 | 97.91 | 68.98 | 28.93 (30) |
| 2014-15 | 28.93 | 51.05 | 79.98 | 53.96 | 26.02 (33) |
| योग | | 326.28 | | 305.88 | |

स्रोत: रा प नि, म ओ प्रकोष्ठ

वित्तीय प्रबन्धन की महत्वपूर्ण विशिष्टियां निम्नानुसार थी :

- राज्य स्तर पर (केन्द्रांश) वर्ष 2011-12 के अन्तिम शेष (अ शे) व वर्ष 2012-13 के प्रारम्भिक शेष (प्रा शे) में ₹ 1.68 करोड़ का अन्तर था। अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि भा स ने राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों को अस्वीकार करते हुये निर्देश दिये कि वर्ष 2011-12 के अ शे वास्तव में ₹ 3.51 करोड़ होने चाहिए जिसे रा प का द्वारा स्वीकार किया गया और तदानुसार वर्ष 2012-13 के प्रा शे में सुधार किया गया तथापि, रा प अ कोई तर्कसंगत उत्तर देने में विफल रहे कि ₹ 1.68 करोड़ का व्यय कैसे समायोजित किया गया।

- राज्य में केन्द्रांश की अव्ययित शेष राशि 12 से 22 प्रतिशत रहने के कारण भा स द्वारा वर्ष 2011-15 के दौरान ₹ 559.50 करोड़ के अनुमोदित आवंटन के सापेक्ष मात्र ₹ 484.71 करोड़ (87 प्रतिशत) अवमुक्त किए गए।
- जनपद स्तर पर अव्ययित शेषों की समस्या अधिक गम्भीर थी। चयनित जनपदों में अव्ययित शेष वर्ष 2010-11 में 17 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2014-15 में 33 प्रतिशत हो गए।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2010-12 के दौरान वांछित राज्यांश (₹ 38.50 करोड़³⁶) रा प का को अवमुक्त नहीं किया गया। इसलिए योजना का खर्च काफी हद तक केन्द्रीय सहायता से वहन किया गया। इसका प्रभाव मुख्य रूप से विद्यालयों में धनराशि के निरंतर प्रवाह पर पड़ा जिसके कारण अध्यापकों को भोजन बनाने का प्रबंध अपने स्तर से करना पड़ता था।

राज्य सरकार द्वारा अव्ययित अवशेष, गलत रिपोर्टिंग तथा प्रारम्भिक एवं अंतिम अवशेषों से सम्बन्धित अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुये (नवम्बर 2015) बताया गया कि उक्त कमियों को दूर किए जाने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं जिससे भविष्य में इस तरह की अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न हो।

उपरोक्त के अतिरिक्त लेखापरीक्षा द्वारा अन्य दृष्टान्त भी पाये गये जैसा कि आगामी प्रस्तारों में वर्णित है।

1.3.7.2 विद्यालयों को निधियां अवमुक्त करने में विलम्ब

योजना की दिशा निर्देशिका के प्रस्तर संख्या 3.3 (iv) के अनुसार राज्य को यह सुनिश्चित करना था कि अग्रिम भण्डारण के रूप में न्यूनतम एक माह का खाद्यान्न व भोजन पकाने की लागत प्रत्येक विद्यालय में उपलब्ध रहे। तथापि, टिहरी को छोड़ कर चयनित जनपदों में योजना सम्बन्धी निधियाँ विद्यालयों को अवमुक्त करने में विलम्ब हुआ था। अवमुक्त किए जाने की निर्धारित अवधि से यह विलम्ब चार माह तक का रहा। विद्यालय के अध्यापकों को छात्रों के भोजन की व्यवस्था स्वयं से करनी पड़ती थी तथा शिक्षकों द्वारा व्यय की गयी धनराशि ₹ 247 से ₹ 52,004 तक रही।

राज्य सरकार द्वारा निकास गोष्ठी (नवम्बर 2015) के दौरान बताया गया कि भविष्य में विद्यालयों को समय से धनराशि आवंटित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1.3.7.3 अतिरिक्त ढुलान सहायता

दिशा-निर्देशिका के अनुसार, राज्य द्वारा तिमाही दावों के आधार पर भा स को ढुलान सब्सिडी की प्रतिपूर्ति करनी थी। ऐसे दावों को अगले त्रैमास की 15वीं तिथि तक प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी। रा प का के अभिलेखों की जांच के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि ढुलान सहायता के अपेक्षित दावे राज्य द्वारा कभी भी भा स को प्रस्तुत नहीं किए गए। हालांकि, भा स ने 2010-15 के दौरान ₹ 12.73 करोड़ तक की ढुलान सहायता राज्य सरकार को अवमुक्त कर दी। चयनित जनपदों में रा प अ द्वारा अवमुक्त की गयी ढुलान सहायता 47 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक अव्ययित पड़ी थी। ऊधमसिंह नगर में मार्च 2012 के अन्त में ₹ 25.84 लाख की धनराशि अव्ययित रहने तथा जनपद

³⁶ ₹ 5.47 करोड़ वर्ष 2010-11 में एवं ₹ 33.03 करोड़ 2011-12 में।

द्वारा भविष्य में ढुलान सहायता की आवश्यकता से मना किए जाने के बावजूद 2012-15 के दौरान ₹ 34.88 लाख अवमुक्त किया जाना पाया गया।

राज्य सरकार द्वारा निकास गोष्ठी (नवम्बर 2015) के दौरान अवगत कराया गया कि ढुलानकर्त्ताओं द्वारा बिल प्रस्तुत न किये जाने के कारण ढुलान सहायता राशि अव्ययित पड़ी थी। आगे, यह भी आश्वस्त किया गया कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को इस संबंध में निर्देश जारी किये जायेंगे।

1.3.7.4 वैट का परिहार्य भुगतान

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (मू व क) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार सा वि प्र के अन्तर्गत खाद्यान्न की बिक्री अधिसूची 1 अ में रखी जाती है, अतः इसमें वैट आरोपित किए जाने में छूट है। हालांकि यह देखा गया कि भा खा नि ने खाद्यान्न पर वैट लगाया था, तदनुसार सम्बन्धित जि शि अ द्वारा इसका भुगतान किया गया। 2010-15 के दौरान राज्य के जिला नोडल कार्यालयों द्वारा ₹ 2.70 करोड़ का भुगतान वैट के रूप में किया गया जिसमें से ₹ 1.15 करोड़ चयनित जिलों³⁷ से सम्बन्धित थे। विभाग द्वारा वैट का उक्त भुगतान अनियमित था।

राज्य सरकार द्वारा बताया गया (नवम्बर 2015) कि प्रकरण की जांच की जायेगी तथा सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए जायेंगे।

1.3.7.5 ब्याज का लेखांकन न किया जाना

म भो की दिशा-निर्देशिका के अनुच्छेद 5.1 (9) में यह उपबन्धित है कि राज्य सरकार के पास उपलब्ध विगत वर्ष के अव्ययित शेष के आधार पर ही प्रथम किश्त अवमुक्त की जाएगी तथा सभी स्तरों पर जैसे राज्य, जनपद, विकासखण्ड व विद्यालय में, शेष धनराशियों को संज्ञान में लेने के बाद ही अव्ययित शेष निकाले जाएंगे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2010-15 की अवधि में राज्य स्तर पर ₹ 3.27 करोड़ व चयनित जनपदों में ₹ 4.82 करोड़³⁸ की धनराशि जो अनुदानों पर ब्याज के रूप में अर्जित हुई थी, की सूचना उपयोगिता प्रमाण पत्रों के द्वारा मंत्रालय को नहीं दी गई ताकि इसे भविष्य में अवमुक्त की जाने वाली धनराशियों में समायोजित किया जा सके।

राज्य सरकार द्वारा निकास गोष्ठी (नवम्बर 2015) में आश्वस्त किया गया कि अर्जित ब्याज को व्यवहार में लाने हेतु भा स से स्पष्ट निर्देश प्राप्त किए जायेंगे।

उत्तर दिशा-निर्देशिका के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था क्योंकि सभी स्तरों से संकलित किए जाने के बाद ही राज्य सरकार के पास उपलब्ध अव्ययित शेषों की सूचना मंत्रालय को दी जानी थी। उपार्जित ब्याज भी अव्ययित शेषों का भाग होने के कारण भा स को इसके बारे में भी अवगत कराया जाना था। परिणामस्वरूप, रा प का एवं चयनित जनपदों के स्तर पर ₹ 8.09 करोड़³⁹ के ब्याज का अवरोधन हुआ।

³⁷ अल्मोड़ा ₹ 0.25 करोड़, देहरादून ₹ 0.26 करोड़, टिहरी ₹ 0.26 करोड़ एवं उधमसिंह नगर, ₹ 0.38 करोड़।

³⁸ अल्मोड़ा ₹ 1.05 करोड़, देहरादून ₹ 0.86 करोड़, टिहरी ₹ 0.78 करोड़ एवं उधमसिंह नगर, ₹ 2.13 करोड़।

³⁹ राज्य स्तर पर : ₹ 3.27 करोड़ एवं चयनित जनपद स्तर पर : ₹ 4.82 करोड़।

1.3.7.6 एल.पी.जी. सब्सिडी की अनियमित अवमुक्ति

भा स द्वारा सितम्बर 2012 में एल.पी.जी. सब्सिडी समाप्त किए जाने के बाद राज्य सरकार द्वारा बिना सब्सिडी के एल.पी.जी. सिलेण्डरों की अधिप्राप्ति पर व्यय की गई अतिरिक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति की मांग पर 2012-14 के दौरान भा स ने केन्द्रीय सहायता के रूप में ₹ 7.11 करोड़ अवमुक्त किए। निधियों को अवमुक्त किए जाने के समय भा स ने स्पष्ट निर्देश जारी किए थे कि जिला स्तर पर म भो योजना के प्रभारी अधिकारी द्वारा बिलों के प्रमाणीकरण के वास्तविक आधार पर ही अतिरिक्त लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि बिना सब्सिडी के एल.पी.जी. की प्रतिपूर्ति की किसी भी जनपद द्वारा मांग नहीं की गई थी परन्तु रा प का द्वारा वर्ष 2013-14 के दौरान उक्त व्यय की पूर्ति हेतु, जनपद के विद्यालयों में छात्रों की संख्या तथा विद्यालय दिवसों की संख्या पर आधारित आवश्यक गैस सिलेंडरों की गणना⁴⁰ के अनुसार, 25 प्रतिशत राज्यांश मिलाते हुए ₹ 9.44 करोड़ जनपदों को अवमुक्त किए गए। बिना सब्सिडी के गैस सिलेंडर खरीदे जाने की वास्तविकता को जाने बिना यह निधियां तदानुसार विद्यालयों को उपलब्ध कराई गई। चयनित जनपदों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 16.07 लाख उन विद्यालयों को भी अवमुक्त हुए जहां गैस संयोजन उपलब्ध ही नहीं था।

राज्य सरकार द्वारा निकास गोष्ठी (नवम्बर 2015) में बताया गया कि भविष्य में सम्बन्धित जनपदों/ विद्यालयों से मांग प्राप्त करने के उपरान्त एल.पी.जी. सब्सिडी से सम्बन्धित निधियां निर्गत की जाएगी।

1.3.8 क्रियान्वयन

1.3.8.1 खाद्यान्न का आवंटन, अधिप्राप्ति, वितरण व आपूर्ति

जनपदवार पात्रता प्राप्त विद्यालयों में नामांकन आंकड़ों के आधार पर भा स खाद्यान्न आवंटित करती है। खाद्यान्न के आवंटन, भा खा नि से उठान तथा उपभोग किए गए खाद्यान्न का विवरण निम्नवत् है :

तालिका-1.3.3

प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में खाद्यान्न का विवरण

(मात्रा मी.टन में)

| वर्ष | आवंटन | प्रारम्भिक शेष | भारतीय खाद्य निगम से उठान | कुल उपलब्ध | विद्यालयों को अवमुक्त | अन्तिम शेष |
|---------|-----------|----------------|---------------------------|------------|-----------------------|------------|
| 2010-11 | 23,214.41 | 1,038.92 | 21,134.36 | 22,173.28 | 21,345.21 | 828.07 |
| 2011-12 | 23,531.40 | 828.07 | 21,655.80 | 22,483.87 | 22,095.81 | 388.06 |
| 2012-13 | 24,235.45 | 388.06 | 22,777.52 | 23,165.58 | 22,112.36 | 1,053.22 |
| 2013-14 | 23,776.04 | 1,053.22 | 21,460.22 | 22,513.44 | 21,391.38 | 1,122.06 |
| 2014-15 | 20,679.32 | 1,122.06 | 18,816.22 | 19,938.28 | 19,769.85 | 168.43 |

स्रोत: रा प का, म भो प्रकोष्ठ

यह अवलोकित हुआ कि राज्य द्वारा 2010-15 के दौरान आवंटित खाद्यान्न का उठान 90 से 94 प्रतिशत तक किया गया तथा शेष रद्द हुआ। साथ में, इसी अवधि में कुल उपलब्ध खाद्यान्न में से जो विद्यालयों को वास्तव में अवमुक्त किया गया, वह 95 से 99 प्रतिशत तक रहा। हांलाकि, यह

⁴⁰ एक एल पी जी सिलेण्डर की खपत 30 विद्यालय दिवसों में 26 बच्चों हेतु।

देखा गया कि विद्यालय स्तर पर खाद्यान्न की वास्तविक खपत किसी भी स्तर पर संकलित नहीं की जा रही थी तथा जि शि अ प्रारंभिक शिक्षा द्वारा जि पू अ से प्राप्त की गई खाद्यान्न की मात्रा का ही उपभोग दर्शाया गया जिसके परिणामस्वरूप भा स को गलत विवरण भेजा जा रहा था। चयनित जनपदों में खाद्यान्न की वास्तविक खपत यथा जि शि अ द्वारा उठान एवं विद्यालयों की आपूर्ति विश्लेषित की गई। जिसमें पाया गया कि 2010-15 की अवधि में देहरादून के विद्यालयों को 68.22 मी.टन खाद्यान्न की अधिक आपूर्ति की गई। दूसरी ओर, इसी अवधि में उच्च प्राथमिक विद्यालयों को 228.17 मी.टन खाद्यान्न की कम आपूर्ति की गयी। टिहरी व उधमसिंह नगर जनपदों के प्राथमिक विद्यालयों में क्रमशः 366.50 मी.टन. व 551.63 मी.टन तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 447.71 मी.टन तथा 618.67 मी.टन चावल की कम आपूर्ति पाई गई। इसी तरह 2010-15 की अवधि में जनपद अल्मोड़ा के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमशः 603.24 मी.टन व 157.77 मी.टन की अतिरिक्त आपूर्ति हुई।

विद्यालय स्तर पर वास्तविक खपत को संकलित न किए जाने के प्रचलन को, जनपदों में विद्यालयों को कम व अधिक आपूर्ति के मामलों हेतु जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जिससे विद्यालय स्तर पर नियोजन एवं वास्तविक आवश्यकता का पूर्वानुमान प्रभावित होता है।

राज्य सरकार द्वारा निकास गोष्ठी (नवम्बर 2015) में अवगत कराया गया कि विद्यालय स्तर पर खाद्यान्न की वास्तविक खपत को आगणित करने हेतु राज्य में स प्र प्र के अन्तर्गत आंकड़ों का संकलन प्रारम्भ कर दिया गया है।

1.3.8.2 अग्रिम भण्डार की उपलब्धता

मार्ग निर्देशिका के अनुसार राज्य को यह सुनिश्चित करना था कि प्रत्येक विद्यालय में खाद्यान्न का न्यूनतम एक माह का अग्रिम भण्डारण उपलब्ध रहे। चयनित जनपदों में चयनित विद्यालयों के भौतिक परीक्षण के दौरान पाया गया कि आच्छादित अवधि में अग्रिम भण्डारण की उपलब्धता, जो अप्रत्याशित अनिवार्यताओं के कारण व्यवधानों से बचने हेतु आवश्यक थी, सुनिश्चित नहीं की गई। परिणामस्वरूप मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराए जाने में व्यवधान पड़ा जिसकी चर्चा आगामी प्रस्तारों में की गई है।

1.3.8.3 मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने में व्यवधान

राज्य में सभी पात्र विद्यालयों में खाद्यान्न की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना राज्य तथा जिला नोडल कार्यालयों का उत्तरदायित्व था। चार चयनित जनपदों में विद्यालयों के भौतिक निरीक्षण में बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराए जाने में काफी व्यवधान पाया गया। देहरादून में नमूना जांच के अन्तर्गत 30 में से 14 विद्यालयों में व्यवधान पाया गया और यह व्यवधान 2014-15 में 69 दिनों तक रहा। इसी प्रकार अल्मोड़ा, टिहरी व उधमसिंह नगर में प्रति जनपद 30 विद्यालयों के नमूना जांच में क्रमशः नौ, 15 व 12 विद्यालयों में व्यवधान पाया गया और इस व्यवधान की अवधि 2010-11 में 49 दिनों तक रही।

राज्य सरकार द्वारा निकास गोष्ठी (नवम्बर 2015) में आवश्यकतया किया गया कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को अग्रिम भण्डार की समस्या पर विचार करने तथा खाद्यान्न उपलब्ध कराने में व्यवधान को रोकने हेतु निर्देशित किया जाएगा।

1.3.8.4 खाद्यान्न की गुणवत्ता

योजना की मार्ग-निर्देशिका के अनुसार भा खा नि को सर्वोत्तम गुणवत्ता का उपलब्ध खाद्यान्न, जो किसी भी सूरत में कम से कम अच्छी औसत गुणवत्ता (अ औ गु) का हो, निर्गत करना था। इसकी सुनिश्चितता भा खा नि के प्रतिनिधि तथा जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत सदस्य के गठित दल के संयुक्त निरीक्षण के द्वारा की जानी थी। इसके अतिरिक्त, आपूर्ति खाद्यान्न के नमूने प्रत्येक स्तर पर रखे जाने थे तथा तीन महीने तक बरकरार रखने थे ताकि यदि आवश्यकता पड़े तो इनका परीक्षण किया जा सके।

चयनित जनपदों में अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि वर्णित उद्देश्य हेतु जिलाधिकारी द्वारा कोई प्रतिनिधि मनोनीत नहीं किया गया था, अतः अ औ गु के संबंध में कभी भी कोई निरीक्षण नहीं किया जा सका तथा खाद्यान्न के नमूनों के अभाव में खाद्यान्न की गुणवत्ता कभी भी परखी नहीं गई। गुणवत्ता निरीक्षण का अभाव, योजना के अंतर्गत विद्यालयों में वितरित भोजन की गुणवत्ता पर संदेह उत्पन्न करता है।

राज्य सरकार द्वारा निकास गोष्ठी (नवम्बर 2015) में बताया गया कि लेखापरीक्षा दृष्टान्त के आधार पर जनपदों में दल गठित किए गए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कम से कम अच्छी औसत गुणवत्ता के चावल बच्चों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

1.3.8.5 चावल के बोरो में कम चावल आपूर्ति करना

अल्मोड़ा, देहरादून व ऊधमसिंह नगर में विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान 16 विद्यालयों में चावल के 50 किलो बोरो का यादृच्छिकता से वजन कराया गया। उक्त बोरो में पांच से 10 किलो तक की सामग्री कम पाई गई। सम्बन्धित प्रधानाचार्यों ने बताया कि कभी भी मध्याह्न भोजन के चावल का वजन सस्ते गल्ले के दुकानदारों द्वारा आपूर्ति करते समय नहीं किया गया परन्तु भविष्य में चावल प्राप्त करने से पूर्व इसका वजन किया जाएगा। अतः नामोदिष्ट अधिकारियों की जाँच के अभाव में विभिन्न स्तरों पर खाद्यान्न की चोरी की संभावना काफी हद तक है।

यह मुद्दा निकास गोष्ठी (नवम्बर 2015) में उठाया गया और राज्य सरकार ने में कम चावल आपूर्ति किए जाने के संबंध में जांच करने हेतु जि पू अ को निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया।

1.3.8.6 सूक्ष्म पोषक तत्वों तथा स्वास्थ्य परीक्षणों का प्रावधान

(i) योजना की मार्ग-निर्देशिका में यह वर्णित है कि कार्यक्रम कृमिनाशक दवाइयों के छमाही खुराकों व विटामिन-ए के अनुपूरकों तथा साप्ताहिक दिए जाने वाले आयरन, जिंक व फॉलिक एसिड तथा स्थानीय व सामान्य कमियों के आधार पर अन्य उपयुक्त अनुपूरकों से पूरित किया जाना चाहिए। हालांकि यह पाया गया कि 2010-15 के दौरान बच्चों को आवश्यकतानुसार सूक्ष्म पोषक तत्व तथा अन्य अनुपूरक नहीं दिए गए। चयनित जनपदों में बच्चों में कृमिनाशक दवाइयों का वितरण मात्र छः से 35 प्रतिशत के बीच रहा। सिर्फ टिहरी व ऊधमसिंह नगर में क्रमशः 2010-11 व 2011-12 में विटामिन-ए अनुपूरक का वितरण किया गया जो नाम-मात्र का था। भा स से चयनित जनपदों में दवाइयां/सूक्ष्म पोषक तत्व क्रय किए जाने हेतु 2010-15 के दौरान प्राप्त ₹ 1.46 करोड़ में से मात्र ₹ 46.88 लाख ही वर्णित उद्देश्य हेतु उपयोग में आए गए।

(ii) वर्ष 2012-13 तक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष में दो बार बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाना है तथा इसके उपरान्त राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (रा बा स्वा का) के अन्तर्गत वर्ष में एक बार बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किए जाने का लक्ष्य था। हालांकि, यह पाया गया कि चयनित जनपदों के विद्यालयों में 2010-13 की अवधि में कराए गए चिकित्सा परीक्षणों का प्रतिशत 21 से 46 के बीच रहा। आगे, 2012-13 तक स्वास्थ्य परीक्षण करने हेतु दलों का गठन आवश्यकतानुसार नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप विद्यालयों में स्वास्थ्य परीक्षण का संचालन करने में कमी रही।

राज्य सरकार द्वारा निकास गोष्ठी (नवम्बर 2015) में लेखा परीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार करते हुये आश्वस्त किया गया कि स्वास्थ्य विभाग को इस संबंध में उचित समन्वय स्थापित करने हेतु निर्देशित किया जाएगा।

1.3.8.7 भोजन की पोषक शक्ति

बच्चों की पौष्टिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु योजना में कई भोजन सामग्रियों की विभिन्न मात्राओं में 450 कैलोरी व 12 ग्राम प्रोटीन के पोषक तत्वों से युक्त पका भोजन उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई थी। तदनुसार, वर्ष 2014-15 के लिए भोजन पकाने की लागत⁴¹ प्राथमिक स्तर पर ₹ 3.59 तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर ₹ 5.38 प्रति बच्चा प्रतिदिन की दर से तय की गयी थी।

विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान अभिलेखों की जांच में पाया गया कि अनुमन्य भोजन पकाने की लागत पूरी व्यय करने के उपरान्त भी बच्चों को आवश्यक मात्रा में आहार उपलब्ध नहीं कराया जा रहा था। विद्यालयों द्वारा स्वीकार किया गया कि अपेक्षित मात्रा में भोजन उपलब्ध कराने हेतु भोजन पकाने की लागत पर्याप्त नहीं थी।

यह मुद्दा सम्बन्धित जि शि अ के समक्ष उठाया गया जिन्होंने मध्याह्न भोजन की अनुमन्य भोजन सामग्रियों की वर्तमान बाजार दरों का वर्ष 2014-15 की निर्धारित दरों के साथ तुलना की। इस तुलना में देखा गया कि अनुमन्य सामग्रियों की बाजार दरें निर्धारित दरों से प्राथमिक स्तर पर 49 से 71 प्रतिशत और उच्च प्राथमिक स्तर पर 55 से 73 प्रतिशत अधिक थीं। चूंकि, छात्रों को भोजन पकाने की लागत की अनुमोदित दरों के आधार पर मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा था, जो इस हद तक अपर्याप्त था कि इसमें दिए गए पोषणाहार के साथ समझौता किए जाने की बहुत अधिक सम्भावना प्रतीत होती है।

राज्य सरकार द्वारा निकास गोष्ठी (नवम्बर 2015) में बताया गया कि यह मुद्दा पी ए बी बोर्ड के समक्ष उठाया जाएगा।

1.3.8.8 आंकड़ों में भिन्नता

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार भारतीय खाद्य निगम (भा खा नि)/सम्भागीय खाद्य निगम (स खा नि) के गोदामों से खाद्यान्न के उठान तथा विद्यालय स्तर तक उसको पहुंचाये जाने का दायित्व सम्बन्धित जनपदों के जि पू अ पर था। भा खा नि को खाद्यान्न के उठान का भुगतान

⁴¹ भोजन पकाने की लागत में दालें, सब्जियां, तेल एवं घी, नमक, मसाले एवं ईंधन शामिल है।

समय से करने का दायित्व सम्बन्धित जि शि अ को सौंपा गया था। चयनित जिलों के शि अ का के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि जि पू अ द्वारा खाद्यान्न का उठान भा खा नि के देयकों में दावा की गई मात्रा के अनुरूप नहीं था क्योंकि वर्ष 2010-15 के दौरान भा खा नि द्वारा दावा की गई मात्रा से अल्मोड़ा व देहरादून के जि पू अ ने क्रमशः 337.82 मी.टन व 377.75 मी. टन चावल का अधिक उठान किया था। वहीं, वर्ष 2010-15 के दौरान टिहरी व ऊधमसिंह नगर के जि पू अ ने भा खा नि द्वारा दावा की गई मात्रा से क्रमशः 61.40 मी. टन व 21.37 मी.टन चावल का कम उठान किया था। इससे विभाग द्वारा आंकड़ों के रखरखाव का भा खा नि के आंकड़ों के रखरखाव से भिन्न होना प्रदर्शित होता है। भा खा नि व जि पू अ के आंकड़ों में भिन्नता के कारण खाद्यान्न की चोरी का खतरा बढ़ सकता है।

राज्य सरकार द्वारा निकास गोष्ठी (नवम्बर 2015) में बताया गया कि जि शि अ/जि पू अ को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे कि वे भा खा नि को भुगतान करने से पूर्व आंकड़ों का मिलान करें।

1.3.8.9 भोजनालय सह भण्डार

आवश्यक बुनियादी ढांचे का प्रावधान म भो कार्यक्रम के घटकों में से एक है। इसमें भोजनालय सह भण्डार, रसोई उपकरण तथा भोजन को गुणात्मक व स्वच्छ तरीके से तैयार करने हेतु खाना पकाने/पानी पीने आदि के लिए पर्याप्त पानी की आपूर्ति शामिल है। 2010-15 के दौरान भा स ने भोजनालय सह भण्डार के निर्माण हेतु ₹ 143.60 करोड़ तथा रसोई उपकरणों के क्रय करने हेतु ₹ 8.06 करोड़ की सहायता प्रदान की। रा प का ने राज्यांश को शामिल किए जाने के उपरान्त आच्छादित अवधि में 10,948 भोजनालय सह भण्डार के निर्माण हेतु जनपदों को ₹ 159.96 करोड़ अवमुक्त किए।

जांच के दौरान पाया गया कि मात्र 9.40 प्रतिशत भोजनालय ही समय से पूर्ण हो पाए। अधिकांश भोजनालय (69.42 प्रतिशत) विलम्ब से पूर्ण हुए तथा 21.18 प्रतिशत स्वीकृत भोजनालय मार्च 2015 तक पूर्ण होने शेष थे। विवरण निम्नवत् है :

तालिका-1.3.4

| वर्ष | स्वीकृत इकाईयों की संख्या | पूर्ण हुई इकाईयों की संख्या | | पूर्ण होने को शेष |
|------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|
| | | समय से पूर्ण | विलम्ब से पूर्ण | |
| 2010-11 | 3,807 | 919 | 2,828 | 60 |
| 2011-12 | 4,868 | 68 | 3,711 | 1,089 |
| 2012-13 | 2,267 | 42 | 1,075 | 1,150 |
| 2013-14 | 26 | 02 | 0 | 24 |
| 2014-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| योग | 10,968 | 1,031 | 7,614 | 2,323 |

स्रोत: रा प का, म भो प्रकोष्ठ

प्रत्येक चयनित जनपद में 30 चयनित विद्यालयों का भौतिक निरीक्षण भी किया गया और उक्त विद्यालयों में भोजनालय से सम्बन्धित पाई गई विसंगतियों का विवरण निम्नवत् है:

➤ अल्मोड़ा में सात विद्यालय, देहरादून व टिहरी में एक-एक विद्यालय तथा ऊधमसिंह नगर में दो विद्यालय भोजनालय सह भण्डार की सुविधा से वंचित थे। इन विद्यालयों में म भो पकाने व खाद्यान्न के भण्डारण हेतु कक्षा-कक्षों का प्रयोग किया जा रहा था जैसा कि साथ के चित्र में दृष्टिगत है। अल्मोड़ा में 20, देहरादून में 25, टिहरी में आठ तथा ऊधमसिंह नगर के सभी 30 विद्यालयों में रसोई उपकरण अपर्याप्त थे। बच्चों को भोजन ग्रहण करने हेतु अपने घरों से थालियां लानी पड़ती थीं। अल्मोड़ा व देहरादून में दो-दो विद्यालयों में तथा टिहरी के छः विद्यालयों में पेयजल की सुविधा नहीं थी।



उच्च प्राथमिक विद्यालय,गोपालधारा,अल्मोड़ा

➤ चयनित विद्यालयों के भौतिक निरीक्षण में यह भी पाया गया कि अल्मोड़ा व ऊधमसिंह नगर के 50 प्रतिशत, देहरादून के 36 प्रतिशत और टिहरी के 42 प्रतिशत विद्यालयों में रसोई गैस का संयोजन नहीं था। परिणामतः, इन विद्यालयों में भोजन लकड़ी के चूल्हों पर पकाया जा रहा था जैसा कि साथ के चित्र में स्पष्ट है।



राजकीय प्राथमिक विद्यालय, भुजान,अल्मोड़ा


बुनियादी ढांचे का अभाव विद्यालय स्तर पर योजना को क्रियान्वित करने में बाधाओं को बढ़ाने के साथ-साथ विद्यार्थियों की रुचि व नामांकन स्तर बनाए रखने तथा दिये जा रहे भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में हतोत्साहित करता है। राज्य सरकार द्वारा निकास गोष्ठी (नवम्बर 2015) में तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया गया कि कमियों को दूर करने हेतु आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

1.3.9 उद्देश्यों की प्राप्ति: नामांकन एवं ठहराव में सुधार

1.3.9.1 विद्यालयों में नामांकन पर प्रभाव

बच्चों को विद्यालयों की तरफ आकर्षित करने के उद्देश्य से म भो योजना प्रारम्भ की गई थी एवं इस प्रकार विद्यालयों में नामांकन में सुधार लाया जाना था। रा प का के अभिलेखों की संवीक्षा में वर्ष 2010-15 की अवधि में म भो योजना से आच्छादित विद्यालयों में घटते हुये नामांकन की प्रवृत्ति परिलक्षित हुई एवं विगत पांच वर्षों की अवधि में वास्तविक नामांकन 22 प्रतिशत कम हुआ। इसी दौरान म भो योजना से अनाच्छादित गैर सरकारी विद्यालयों के नामांकन में 37 प्रतिशत बढोत्तरी हुई जिसको निम्न चार्ट में देखा जा सकता है :

चार्ट-1.3.1



स्रोत: रा.प.का, म.भो.प्रकोष्ठ एवं जिला सूचना प्रणाली शिक्षा हेतु (जि.सू.प्र.शि.)

इससे परिलक्षित होता है कि म.भो.स्वयं में इतना सफल नहीं रहा था जितनी परिकल्पना की गई थी। यह भी देखा गया कि राज्य स्तर पर विद्यालय से बाहर बच्चे वर्ष 2010-11 में 5.44 प्रतिशत से वर्ष 2014-15 तक 1.25 प्रतिशत तक घटे। एक बार पुनः गैर सरकारी विद्यालयों में जिनमें म.भो.की सुविधा नहीं थी, नामांकन में तीव्र वृद्धि इसी का परिणाम थी जिसको उपरोक्त चार्ट में देखा जा सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकारी विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने हेतु शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर दिये बिना सिर्फ म.भो.पर्याप्त साधन नहीं हैं।

निकास गोष्ठी (नवम्बर 2015) में राज्य सरकार ने, तथ्यों को स्वीकार करते हुए, बताया कि वित्तीय स्थिति में सुधार होने पर लोग सरकारी विद्यालयों के स्थान पर गैर सरकारी विद्यालयों में नामांकन को प्राथमिकता देते हैं।

1.3.9.2 प्रतिधारण पर प्रभाव

मध्याह्न भोजन के क्रियान्वयन के बावजूद विगत वर्षों में कक्षा-I से कक्षा-V तक के छात्र जो निष्क्रामित हुए निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :

तालिका-1.3.5

नामांकन (संख्या में)

| वर्ष | कक्षा-I | कक्षा-II | कक्षा-III | कक्षा-IV | कक्षा-V |
|---------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| 2010-11 | 1,37,719 | 1,23,257 | 1,19,571 | 1,19,229 | 1,26,489 |
| 2011-12 | 1,21,681 | 1,19,516 | 1,15,623 | 1,11,913 | 1,18,226 |
| 2012-13 | 1,09,471 | 1,09,945 | 1,13,610 | 1,09,824 | 1,15,878 |
| 2013-14 | 1,04,410 | 1,01,779 | 1,04,595 | 1,07,895 | 1,05,469 |
| 2014-15 | 99,777 | 99,528 | 98,943 | 1,00,839 | 1,04,513 |

स्रोत : रा.प.का, म.भो.प्रकोष्ठ

वर्ष 2010-11 में कक्षा-1 में नामांकित 1,37,719 छात्रों में से मात्र 1,04,513 छात्र (जैसा कि तालिका में छायांकित स्थान में दर्शाया गया है) ही वर्ष 2014-15 तक कक्षा- V में प्रतिधारित किए जा सके। इस प्रकार विभाग 2010-15 की अवधि में 33,206 (24 प्रतिशत) छात्रों को प्रतिधारित करने में असफल रहा।

आगे, निरीक्षणों में आच्छादित 120 विद्यालयों में 2010-15 की अवधि में 2,746 विद्यार्थियों का विद्यालयों से निष्क्रामण हुआ। जनपदों में निष्क्रामण का अनुपात 11 से 36 प्रतिशत रहा जो निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका-1.3.6

| जनपद | विद्यालयों की संख्या | नामांकन | डापआउट- की संख्या | प्रतिशतता |
|-------------|----------------------|---------------|-------------------|-----------|
| अल्मोड़ा | 30 | 2,364 | 853 | 36 |
| देहरादून | 30 | 4,435 | 690 | 16 |
| टिहरी | 30 | 2,536 | 457 | 18 |
| ऊधमसिंह नगर | 30 | 7,029 | 746 | 11 |
| योग | 120 | 16,364 | 2,746 | 17 |

स्रोत : चयनित विद्यालय

चयनित जनपदों में निष्क्रामण की अधिक दर से एक बार फिर यह पुष्टि होती है कि योजना अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में ज्यादा सफल नहीं रही, जैसा कि पूर्व के प्रस्तरों में इंगित किया गया है।

निकास गोष्ठी (नवम्बर 2015) के दौरान राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा अवगत कराया कि छात्रों के प्रतिधारण व निष्क्रामण को जांचने हेतु बाल लक्ष्यानुसरण पद्धति प्रारम्भ की गयी है।

1.3.9.3 अध्यापन पर प्रतिकूल प्रभाव

कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में उल्लिखित है कि किसी भी दशा में अध्यापकों को भोजन पकाने के क्रिया-कलापों के पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी 30-40 मिनट प्रतिदिन (प्रति सप्ताह चार घण्टे) से अधिक नहीं दी जानी चाहिए। चयनित विद्यालयों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि अधिकांश विद्यालयों में मात्र एक से दो अध्यापक थे एवं अध्यापन कार्मिक कार्यक्रम क्रियाविधियों में औसत नौ से 12 घण्टे संलग्न थे। इससे अध्यापन कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है जैसा कि विशेषकर प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापन कार्मिकों द्वारा स्वीकार किया गया।

निकास गोष्ठी (नवम्बर 2015) के दौरान राज्य सरकार ने अवगत कराया कि सामाजिक सहयोग प्राप्त कर प्रभावी ढंग से भोजन बनाना, परोसना तथा सफाई प्रचालन सुनिश्चित किए जाने हेतु विद्यालय प्रबंधन को निर्देशित किया जाएगा ताकि अध्यापक केवल छात्रों की शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित कर सकें।

1.3.10 आन्तरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण

1.3.10.1 आन्तरिक नियंत्रण

आन्तरिक नियंत्रण एक ऐसा प्रबंधन उपकरण है जो उचित आश्वासन प्रदान करता है कि उद्देश्यों की प्राप्ति एक किफायती, कुशल एवं प्रभावी ढंग से हासिल की जा रही है। यह मुख्य रूप से उचित नियंत्रण पर्यावरण एवं वांछित नियंत्रण क्रिया-कलापों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा द्वारा नमूना-परीक्षित जिलों में आन्तरिक नियंत्रण से सम्बन्धित पाई गई कमियां निम्नानुसार है :

- नमूना-परीक्षित विद्यालयों में खाद्यान्न से सम्बन्धित भंडार पंजिकाओं का रखरखाव नहीं किया जा रहा था।
 - खाद्यान्न के साथ-साथ निधियों के लेखा अभिलेखों का रखरखाव भी विद्यालय, खण्ड एवं जनपद स्तर पर नहीं किया गया था।
 - विभाग के अन्तर्गत मध्याह्न भोजन योजना हेतु आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग नहीं था जिस कारण महत्वपूर्ण अभिलेखों का रखरखाव न किया जाना तथा लेखाकंन में कमियां प्राधिकारियों के संज्ञान में नहीं आ पायीं।
 - ऊधमसिंह नगर में विद्यालयों/मदरसों के भौतिक निरीक्षण के दौरान दो मदरसों का लेखापरीक्षा दल द्वारा निरीक्षण किया जाना निर्धारित था, परन्तु एक मदरसे द्वारा निरीक्षण कराने से मना कर दिया गया एवं दूसरे मदरसे में निरीक्षण की तिथि पर कोई अध्यापक उपस्थित नहीं था। अतः दोनों मदरसों के अभिलेखों की संवीक्षा नहीं की जा सकी।
- निकास गोष्ठी (नवम्बर 2015) के दौरान राज्य सरकार ने अवगत कराया कि अभिलेखों के उचित रखरखाव हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे। दो मदरसों द्वारा लेखापरीक्षा हेतु मना किए जाने के संबंध में बताया गया कि सम्बन्धित संस्थाओं का निरीक्षण करने व उन से स्पष्टीकरण मांगने हेतु जिला स्तर के अधिकारियों को निर्देश जारी किए जायेंगे।

1.3.10.2 शिकायत निवारण तंत्र की निष्क्रियता

योजना के दिशा-निर्देशों में परिकल्पित है कि राज्य लोक शिकायत निवारण हेतु समर्पित तंत्र भी विकसित करेगा। रा प का की नमूना परीक्षा के दौरान पाया गया कि शिकायत निवारण से सम्बन्धित दिशा-निर्देश बनाये (जुलाई 2012) गये थे परन्तु प्राप्त शिकायतों एवं की गई जांच एवं उनके निपटान से सम्बन्धित 2010-15 की अवधि में कोई आंकड़ों का रा प का स्तर पर रखरखाव नहीं किया गया था। हालांकि, म भो प्रकोष्ठ में वर्ष 2014-15 में 20 शिकायतें टोल-फ्री नम्बर पर प्राप्त हुई थीं जिनका विधिवत् निपटान किया गया था। चयनित जनपदों की नमूना जांच के दौरान भी यह पाया गया कि शिकायतों की प्राप्ति एवं निपटान से सम्बन्धित अभिलेखों का रखरखाव नहीं किया गया था। निकास गोष्ठी (नवम्बर 2015) के दौरान राज्य सरकार ने आश्वासन दिया कि शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ किया जायेगा।

1.3.10.3 सूचना प्रबंधन प्रणाली

योजना के अनुसार विभाग द्वारा योजना के लागू करने में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (रा सू वि के) की परामर्श से निष्पादन की समुचित निगरानी हेतु एक कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सू प्र प्र) विकसित की जानी थी।

यह संज्ञान में आया कि राज्य में इस सूचना प्रणाली की शुरुआत 2012-13 से की गई थी परन्तु इस प्रणाली के अन्तर्गत आंकड़ों को नियमित रूप से दर्ज किया जाना वर्ष 2014-15 से ही प्रारम्भ किया जा सका। उसी अनुसार वर्ष 2015-16 की वार्षिक योजना पहली बार वर्ष 2014-15 के सू प्र प्र आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई, जो वर्ष 2014-15 तक जि स प्र शि के आंकड़ों के आधार पर तैयार किया जाता था।

यह भी संज्ञान में आया कि खण्ड एवं जनपद स्तरों पर सम्बन्धित विद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के प्रति परीक्षण की कोई क्रियाविधि नहीं थी। जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न विद्यालयों के पास उक्त वर्ष में उपलब्ध निधियों एवं खाद्यान्न से अधिक उपयोगित दर्शाया गया था। इस प्रकार वेब पोर्टल पर अपलोड हुए आंकड़े अवास्तविक थे एवं हर स्तर पर विभागीय प्राधिकारियों द्वारा अनुश्रवण की कमी को इंगित करते हैं।

निकास गोष्ठी (नवम्बर 2015) के दौरान राज्य सरकार ने बताया कि उक्त डाटा की यथार्थता को सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयों के डाटा का, सूचना प्रबंधन प्रणाली के पोर्टल पर अपलोड करने से पूर्व, प्रतिपरीक्षण कराया जायेगा।

1.3.10.4 बैठकों की संख्या में कमी

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के सर्वभौमिकरण के लक्ष्य हेतु सामुदायिक समर्थन उत्पन्न करने हेतु खण्ड, जनपद एवं राज्य स्तर पर, पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समितियां गठित की जायेंगी। राज्य स्तर की क्रि एवं अ स से छः माह में कम से कम एक बार एवं जनपद एवं खण्ड स्तर की क्रि एवं अ स से प्रत्येक तिमाही में बैठक आयोजित किया जाना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि सभी स्तरों पर आयोजित की गई बैठकों की संख्या निर्धारित संख्या से अत्यधिक कम थी। निर्धारित संख्या के विरुद्ध खण्ड स्तर पर आयोजित बैठकें 10 प्रतिशत, जिले स्तर पर 25 प्रतिशत एवं राज्य स्तर पर 70 प्रतिशत प्रतिवेदन अवधि में रही।

कार्यक्रम के क्रियान्वयन के मूल्यांकन हेतु एवं सतही स्तर पर क्रियान्वयन के दौरान पाई गई कमियों में सुधार किये जाने हेतु कोई सक्रिय फीड बैक प्रणाली न होने के कारण विभिन्न क्रियान्वयन एजेन्सियों के मार्गदर्शक, कार्यक्रम के क्रियान्वयन का अनुश्रवण, इसके प्रभाव का आंकलन एवं सुधारात्मक कदम उठाये जाने सम्बन्धी उद्देश्य अप्राप्त रहे।

1.3.10.5 पर्यवेक्षण एवं निरीक्षणों में कमी

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार को निरीक्षण कार्यक्रम स्थापित करना था जो प्रत्येक तिमाही में औसतन 25 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों को आच्छादित करेगा। राज्य सरकार के निर्देशानुसार (जनवरी 2009), योजना के तत्काल एवं प्रभावी अनुश्रवण हेतु जनपद एवं खण्ड स्तर के विभिन्न विभागों के प्रशासनिक अधिकारियों को भी शामिल किया गया था एवं एक वर्ष के दौरान कम से कम अनुश्रवण लक्ष्यों हेतु एक कैलेंडर भी तय किया गया था। हालांकि, चयनित जनपदों के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि देहरादून में 2010-15 की अवधि में पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण से सम्बन्धित सूचना का रखरखाव नहीं किया गया था एवं उधमसिंह नगर के विद्यालयों में वर्ष 2013-14 तक पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण नहीं किये गये थे। हालांकि, वर्ष 2014-15 में पांच प्रतिशत विद्यालयों का निरीक्षण किया गया। अल्मोड़ा एवं टिहरी में समीक्षा अवधि में क्रमशः दो से 25 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत से 16 प्रतिशत विद्यालयों का निरीक्षण किया गया। यह भी पाया गया कि 2010-15 की अवधि में न तो किये गये निरीक्षणों से सम्बन्धित निरीक्षण प्रतिवेदन ही तैयार किये गये और न ही जनपद क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समितियों को जमा किये गये जिसके परिणामस्वरूप विद्यालयों

को खाद्यान्न की अनियमित आपूर्ति, लो वि प्र के मालिकों द्वारा चावल के बोरो में कम चावल की आपूर्ति एवं विद्यालयों में अनियमित स्वास्थ्य परीक्षाओं पर नियंत्रण नहीं रखा जा सका।

राज्य सरकार द्वारा निकास गोष्ठी (नवम्बर 2015) में अवगत कराया गया कि पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण से सम्बन्धित प्रारूप का अतिशीघ्र अन्तिमीकरण किया जायेगा।

1.3.10.6 योजना का गैर मूल्यांकन

योजना के अनुसार प्रबन्धन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (प्र अ एवं मू) पर होने वाले व्यय में खाद्यान्न, परिवहन लागत एवं कुकिंग कोस्ट के तहत कुल सहायता के 1.8 प्रतिशत की दर से केन्द्रीय सहायता प्रदान करना था। सहायता को (अ) विद्यालय स्तर के व्यय (ब) प्रबन्धन, पर्यवेक्षण, प्रशिक्षण आन्तरिक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (स) बह्य अनुश्रवण एवं मूल्यांकन। भा स से 2010-15 की अवधि में प्र अ एवं मू के भीतर ₹ 7.10 करोड़ की सहायता प्राप्त हुई थी जिसमें वाह्य मूल्यांकन हेतु ₹ 1.06 करोड़ की धनराशि शामिल थी। हालांकि, कार्यक्रम के परिणाम का मूल्यांकन करने हेतु योजना के स्वतन्त्र वाह्य मूल्यांकन पर कोई निधियां व्यय नहीं की गई (मार्च-2015)।

राज्य सरकार द्वारा अवगत (नवम्बर 2015) कराया गया कि योजना का मूल्यांकन शीघ्र कराया जायेगा।

निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ

1- विद्यालयों को निधियां विलम्ब से अवमुक्त किए जाने के परिणामस्वरूप विद्यालय स्तर पर योजना का क्रियान्वयन प्रभावित हुआ। विद्यालयों में खाद्यान्न की अनियमित आपूर्ति के प्रकरण भी थे जिसके परिणामस्वरूप मध्याह्न भोजन दिया जाना बाधित हुआ।

शासन स्तर से विद्यालयों तक समयान्तर्गत निधियां एवं पर्याप्त खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए।

2- विद्यालय अपर्याप्त कुकिंग कास्ट के कारण आवश्यक प्रोटीन एवं कैलोरीज पोषक शक्ति के रूप में प्रदान नहीं करा पा रहे थे।

शासन को वास्तविक स्तर तक भोजन पकाने की लागत बढ़वाने हेतु भा स से सम्पर्क करना चाहिए जिससे अपर्याप्त संसाधनों के कारण बच्चों को परोसे जा रहे भोजन से समझौता न करना पड़े।

3- प्रत्येक तिमाही में विद्यालयों के पर्यवेक्षण एवं निरीक्षणों की संख्या 25 प्रतिशत निर्धारित लक्ष्य से काफी कम थी।

शासन को अपने अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण मानदण्डों का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु जोर देना चाहिए।

राज्य सरकार द्वारा निकास गोष्ठी (नवम्बर 2015) में उक्त सभी तीनों संस्तुतियां विधिवत स्वीकार की गईं।

कृषि विभाग

1.4 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

भारत सरकार (भा स) द्वारा राज्यों को कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र की योजनाओं के नियोजन और कार्यान्वयन की प्रक्रिया में राज्यों को लचीलापन अपनाने एवं स्वायत्ता प्रदान करने तथा कृषकों को अधिकतम प्रतिफल देने के उद्देश्य से *राष्ट्रीय कृषि विकास योजना* (रा कृ वि यो) को प्रारम्भ किया गया था। राज्य में वर्ष 2010-15 की अवधि के दौरान योजना के कार्यान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा में विभिन्न कमियाँ पायी गयीं, जैसा कि नीचे सारांशित किया गया है।

मुख्यांश :

- *राज्य और जिला कृषि योजनाएं निर्धारित तिथि से 21 से लेकर 31 माह के विलम्ब से तैयार की गईं।*
[प्रस्तर 1.4.6.1]
- *राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (रा स्त स्वी स) द्वारा वर्ष 2010-15 की अवधि के दौरान 56 परियोजनाओं को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार किये बिना ही अनुमोदित किया गया।*
[प्रस्तर 1.4.6.2]
- *वर्ष 2011-13 से संबंधित छः परियोजनाओं के संबंध में ₹ 3.09 करोड़ का अधिक व्यय, रा स्त स्वी स के अनुमोदन के बिना किया गया था।*
[प्रस्तर 1.4.7.2]
- *₹ 4.86 करोड़ की लागत से स्थापित किए गए तीन जैविक अपशिष्ट परिवर्तक संयंत्र स्थापना के 12 से 17 महीने व्यतीत हो जाने के बाद भी क्रियाशील नहीं थे।*
[प्रस्तर 1.4.8.2 (अ)]

1.4.1 परिचय

भा स द्वारा ग्यारहवीं योजना अवधि (2007-12) के दौरान कृषि और संबंधित क्षेत्रों के द्वारा समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए कृषि क्षेत्र में चार *प्रतिशत* वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करने के उद्देश्य से रा कृ वि यो प्रारम्भ की गई (मई 2007) थी। यह एक राज्य योजना है, जिसके अंतर्गत राज्यों को कृषि-जलवायु परिस्थितियों, प्राकृतिक संसाधनों से संबन्धित मुद्दों और प्रौद्योगिकी को समग्र रूप से सम्मिलित करते हुए कृषि क्षेत्र एवं एकीकृत पशुधन, मुर्गी पालन और मत्स्य पालन के लिए अधिक व्यापक योजनाएँ बनाने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित किया गया है।

उत्तराखंड में यह योजना 2007-08 में लागू की गई थी। वर्तमान तक राज्य में 10 उप-परियोजनाओं सहित, कुल 176 परियोजनाएँ क्रियान्वित की गयीं। इन परियोजनाओं में से, 170 परियोजनाएँ वर्ष 2010-15 की अवधि के दौरान कार्यान्वित की गयी थीं।

1.4.2 संगठनात्मक ढांचा

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (रा स्त स्वी स), जो परियोजनाओं को स्वीकृत करने, योजना उद्देश्यों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने और परियोजनाओं को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार लागू किया जा रहा है, को सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी है। प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में, कृषि विभाग, योजना के कार्यान्वयन हेतु संपूर्ण नियंत्रण के लिए नोडल विभाग (नो वि) के रूप में उत्तरदायी है। जिला स्तर पर अलग-अलग विभाग अपने से संबंधित क्षेत्रों में परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए वास्तविक क्रियान्वयन संस्थाएं (क्रि सं) हैं।

1.4.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

रा कृ वि यो की निष्पादन लेखापरीक्षा का आंकलन इस उद्देश्य के साथ किया गया था कि क्या:

- योजना के नियोजन की प्रक्रिया रा कृ वि यो के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रभावी थी;
- वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत निधियों की पर्याप्तता और समय पर उपलब्धता तथा उनका प्रभावी एवं मितव्ययी उपयोग सुनिश्चित किया गया;
- परियोजनायें नियामक ढांचे के अनुसार क्रियान्वित की गईं तथा परियोजनाओं के उद्देश्यों को प्राप्त किया गया था; और
- अनुश्रवण तंत्र प्रत्येक स्तर पर पर्याप्त था।

1.4.4 लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र और पद्धति

रा कृ वि यो के अंतर्गत राज्यों को दो अलग-अलग स्ट्रीम जैसे *स्ट्रीम-1* विशिष्ट परियोजनाओं के लिए और *स्ट्रीम-11* राज्य क्षेत्र की मौजूदा योजनाओं को मजबूत करने के लिए धन उपलब्ध कराया जाता है। लेखा परीक्षा जांच के लिए कुल 17 सेक्टरों⁴² में से चार⁴³ का चयन किया गया। चयनित क्षेत्रों के अंतर्गत वर्ष 2010-2015 की अवधि के दौरान कार्यान्वित 75 परियोजनाओं⁴⁴ में से 11 (42 परियोजनाओं में से आठ परियोजनाएं *स्ट्रीम-1* में से, 23 परियोजनाओं में से दो परियोजनाएं *स्ट्रीम-2* से और 10 उप-योजनाओं में से एक परियोजना) का चयन विस्तृत लेखापरीक्षा जांच हेतु किया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

तालिका 1.4.1: चयनित परियोजनाओं का विवरण

| क्र. सं. | चयनित क्षेत्र का नाम | स्ट्रीम की श्रेणी | चयनित परियोजना का नाम |
|----------|----------------------|-------------------|---|
| 1. | सूक्ष्म/लघु सिंचाई | । | उत्तराखंड में कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए लघु सिंचाई योजना को चालू किया जाना |
| 2. | | | रानीचौरी और कनातल में वर्षा जल संचयन टैंक, सिंचाई चैनल, फव्वारा एवं ड्रिप सिंचाई प्रणाली का निर्माण कार्य |
| 3. | पशुपालन | । | पशु प्रजनन केंद्र कालसी का मजबूतीकरण, आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण |
| 4. | | | राजकीय सुअर फार्म काशीपुर का सुदृढीकरण (उधम सिंह नगर) |

⁴² पौध सुरक्षा, नवीन, एकीकृत उर्वरक पोषण प्रबंधन (ए उ पो प्र), रेशम, मत्स्य, कृषि, विस्तार, फसल, उद्यान, सूक्ष्म/लघु सिंचाई, बीज, पशु पालन, दुग्ध विकास, जैविक खेती, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (प्रा सं प्र), विपणन एवं अन्य।

⁴³ पशु पालन, जैविक खेती /जैव उर्वरक, सूक्ष्म/लघु सिंचाई, और विपणन।

⁴⁴ कुल 75 परियोजनाओं पर किए गये व्यय ₹ 160.94 करोड़ में से ₹ 59.44 करोड़ का व्यय 11 चयनित परियोजनाओं पर किया गया।

| | | | |
|-----|-------------------|----------|--|
| 5. | विपणन | । | सितारगंज मंडी के अधीन शक्तिफार्म में उप मंडी सितारगंज का निर्माण कार्य |
| 6. | | | कर्णप्रयाग मंडी अहाते का निर्माण कार्य |
| 7. | | | जैविक अपशिष्ट परिवर्तक का उपयोग कर सब्जी अपशिष्ट से खाद बनाना |
| 8. | जैविक खेती | । | जैविक खेती के अंतर्गत श्रीनगर में 300 गाँव का संतृप्तीकरण |
| 9. | | | जैविक खेती विकास हेतु प्रोत्साहन चरण-II |
| 10. | | | जैविक खेती हेतु सहायता चरण-II |
| 11. | उप-योजना (उद्यान) | उप-योजना | शहरी प्रक्षेत्र के लिए सब्जी पहल |

निष्पादन लेखापरीक्षा फरवरी से जुलाई 2015 के मध्य आयोजित की गई। लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, मानदंड और कार्यक्षेत्र पर प्रमुख सचिव, कृषि के साथ प्रवेश गोष्ठी में चर्चा (अप्रैल 2015) की गई। लेखापरीक्षा निष्कर्ष, संबन्धित अभिलेखों की संवीक्षा, उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण और प्रश्नावली तथा लेखापरीक्षा ज्ञापन के उत्तर के पश्चात तैयार किए गए। लेखा परीक्षा निष्कर्षों पर प्रमुख सचिव, कृषि के साथ निकास गोष्ठी में चर्चा (अक्टूबर 2015) की गई तथा सरकार की प्रतिक्रिया को प्रतिवेदन में उपयुक्त स्थान पर शामिल किया गया है।

1.4.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोत निम्नलिखित थे:

- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (रा कृ वि यो) के दिशानिर्देश;
- जिला कृषि योजना और विस्तृत राज्य कृषि योजना और;
- परियोजनाओं का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

1.4.6 आयोजना

1.4.6.1 जिला कृषि योजना और राज्य कृषि योजना

रा कृ वि यो के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक जिले में जिला कृषि योजना (जि कृ यो) प्रतिपादित की जानी थी। जि कृ यो में जिलों के समग्र विकास के परिप्रेक्ष्य में कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए परिकल्पना प्रस्तुत की जानी थी। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक राज्य द्वारा जिला योजनाओं को एकीकृत करके एक व्यापक राज्य कृषि योजना (रा कृ यो) तैयार की जानी थी। रा कृ वि यो के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए ये योजनायें अनिवार्य थीं।

राज्य में जि कृ यो/रा कृ यो के संबंध में लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियाँ पाई गईं:

- i. रा कृ वि यो के दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 3.3 के अनुसार, जि कृ यो और रा कृ यो को तीन माह की अवधि के भीतर तैयार किया जाना चाहिए था (रा कृ वि यो के दिशा-निर्देशों के प्रकाशन की तारीख से अर्थात् अगस्त 2007)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग द्वारा जि कृ यो को तैयार करवाने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (रा ग्रा वि स), हैदराबाद के साथ एक समझौता ज्ञाप (स ज्ञा) पर हस्ताक्षर किए (सितम्बर 2008) थे। स ज्ञा के अनुसार रा ग्रा वि सं द्वारा जि कृ यो को पाँच माह में प्रस्तुत करना था जिन्हें अंततः अगस्त 2009 में प्रस्तुत किया गया। रा ग्रा वि सं द्वारा रा कृ

यो भी जून 2010 में तैयार की गयी। अतः जि कृ यो और रा कृ यो, जो रा कृ वि यो के अंतर्गत आयोजना प्रक्रिया का मूल आधार है, निर्धारित तिथि से क्रमशः 21 और 31 माह के विलम्ब से तैयार किए गए थे। इस बीच, कार्यान्वयन संस्थाओं (का सं) द्वारा जि कृ यो/ रा कृ यो के अंतिमीकरण की प्रतीक्षा किए बिना ही परियोजनाएं तैयार की गयीं, जिससे स्पष्ट होता है कि परियोजनाओं को ऐसे समग्र परिप्रेक्ष्य के बिना ही तैयार किया गया जिन्हें जि कृ यो/ रा कृ यो के द्वारा किया जा सकता था। जि कृ यो/ रा कृ यो को विलम्ब से प्रस्तुत करने का प्रभाव इस तथ्य से भी देखा जा सकता है कि वर्ष 2008-10 अवधि से संबन्धित 39 परियोजनाओं में से ग्यारह⁴⁵ छोड़ी गई थीं तथा क्रि सं द्वारा वर्ष 2007-10 की अवधि से संबन्धित 17 परियोजनाओं⁴⁶ की ₹ 12.95 करोड़ की धनराशि वापस की गयी।

- ii. रा कृ वि यो के पुनरीक्षित दिशा-निर्देशों (2014) के अनुच्छेद 5.5 के अनुसार, बारहवीं योजना में प्रस्तावित संशोधनों को ध्यान में रखते हुए योजना के कार्यान्वयन हेतु जि कृ यो और रा कृ यो को अद्यतन उचित रूप से पुनरीक्षित और किया जाना चाहिए था। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि जि कृ यो और रा कृ यो को लेखापरीक्षा तिथि तक अद्यतन नहीं किया गया था। जि कृ यो और रा कृ यो के अद्यतन नहीं होने के कारण राज्य और जिलों की उजागर होने वाली आवश्यकताओं को नई परियोजनाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित नहीं होने की प्रबल संभावना है। विभाग ने जिला स्तर पर विभिन्न विभागों में समन्वय की कमी को रा कृ यो को अद्यतन न किए जाने के लिए जिम्मेदार ठहराया।

सरकार द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया (अक्टूबर 2015)।

1.4.6.2 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन रा स्त स्वी स को प्रस्तुत न किया जाना

दिशा निर्देशों के अनुच्छेद 7.1.1 में अपेक्षित है कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों (वि प प्रति) को रा स्त स्वी स द्वारा संस्तुति करने से पूर्व विभाग स्वयं संतुष्ट हो कि कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाएं योजना के उद्देश्यों को पूर्ण करती हैं।

रा स्त स्वी स की बैठकों से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि रा स्त स्वी स द्वारा लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान बिना संगत वि प प्रति के 56 परियोजनाओं⁴⁷ को स्वीकृति दी गई। बिना वि प प्रति के परियोजनाओं को अनुमोदित करने का परिणाम यह हुआ कि इन परियोजनाओं में से 14 परियोजनाएं रा स्त स्वी स द्वारा बाद में (दिसंबर 2013) छोड़ दी गईं।

1.4.6.3 जिला स्तर पर परियोजनाओं का समूह तैयार न किया जाना

दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 3.5 के अनुसार स्ट्रीम 1 के अंतर्गत रा स्त स्वी स में विचार-विमर्श करने के लिए, जिला स्तर से परियोजनाओं का समूह बनाया जाना आवश्यक था। विभाग द्वारा जिला स्तर के इन परियोजनाओं के समूह को प्राथमिकता के आधार पर संकलन कर उन्हें रा स्त स्वी स के समक्ष निर्णय लेने हेतु प्रस्तुत करना था।

⁴⁵ वर्ष 2008-09 की 10 में से दो परियोजनायें और वर्ष 2009-10 की 29 में से नौ परियोजनायें।

⁴⁶ वर्ष 2007-08 की एक परियोजना, वर्ष 2008-09 की चार परियोजनायें और वर्ष 2009-10 की 12 परियोजनायें।

⁴⁷ वर्ष 2010-11 में 6, वर्ष 2011-12 में 47 तथा वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 में प्रत्येक वर्ष एक।

चयनित जिलों में इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया कि जिला स्तर पर परियोजनाओं के समूह तैयार नहीं किए गये, इसके बजाय परियोजना प्रस्ताव कार्यान्वयन संस्थाओं के निदेशालय स्तर पर, जिलों की वास्तविक आवश्यकताओं का आकलन किए बिना, तैयार किए जा रहे थे। इसका प्रभाव परियोजनाओं के निष्पादन में जमीनी स्तर पर इस तथ्य से देखा जा सकता है कि 35 परियोजनाओं (कुल क्रियान्वित परियोजनाओं का 25 प्रतिशत) से संबन्धित ₹ 19.39 करोड़ विभाग को वापिस किए गए।

सरकार द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया (अक्टूबर 2015) तथा संबद्ध विभागों को जिला स्तर पर परियोजनाओं के समूह तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया।

1.4.6.4 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों को उचित विश्लेषण के बिना तैयार किया जाना

दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 7.1.1 में अपेक्षित है कि प्रत्येक परियोजना में अच्छी परियोजना वाले आवश्यक तत्व जैसे व्यवहार्यता अध्ययन, कार्यान्वयन संस्थाओं की क्षमता, कृषकों के लिए प्रत्याशित लाभ, कार्यान्वयन के लिए निश्चित समय बाध्यता, इत्यादि हों। इसके अतिरिक्त, विभाग विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ प्रभावी ढंग से समन्वय जैसे, परियोजनाओं का मूल्यांकन एवं तैयार करने, कार्यान्वयन करने और अनुश्रवण करने के लिए उत्तरदायी है।

विभाग के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि प्रस्तावों को रा स्त स्वी स को प्रस्तुत करने से पूर्व प्रस्तावों के पुनरीक्षण के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। जिसके परिणामस्वरूप, विभिन्न परियोजनाएं यथोचित रूप से क्रियान्वित नहीं की गयीं तथा अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकी, जैसा कि प्रस्तर 1.4.8.2 (अ), 1.4.8.2 (ब), 1.4.8.3 और 1.4.8.4 (अ) में देखा जा सकता है। ये विफलताएं परियोजनाओं की स्वीकार्यता और आवश्यक उचित विश्लेषण की कमी तथा कार्यान्वयन संस्थाओं की क्षमता में कमी को दर्शाती हैं। इसके अतिरिक्त, विभाग और कार्यान्वयन संस्थाओं के बीच समन्वय की कमी जैसे कि कार्यान्वयन संस्थाओं द्वारा परियोजनाओं को लागू करने में अधिक व्यय और क्रिया-कलापों का अभिसरण न किए जाने के उदाहरणों से स्पष्ट है।

निदेशक, कृषि द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यान्वयन संस्थाओं द्वारा परियोजना प्रस्ताव रा स्त स्वी स की बैठक में औचित्य के साथ प्रस्तुत किए गए तथा जिन्हें रा स्त स्वी स द्वारा विचार विमर्श के बाद अनुमोदित किया गया। उत्तर अमान्य था क्योंकि विभाग द्वारा परियोजनाओं से सम्बन्धित वि प प्रति उचित संवीक्षा/ विश्लेषण के पश्चात रा स्त स्वी स को प्रस्तुत किया जाना था।

1.4.6.5 रा स्त स्वी स के अनुमोदन के बिना परियोजनाओं का कार्यान्वयन

रा कृ वि यो के अंतर्गत किसी भी परियोजना को रा स्त स्वी स के अनुमोदन के बाद ही क्रियान्वित किया जा सकता है। लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2012-14 की अवधि के दौरान ₹ 14.61 करोड़ की सात परियोजनाएं⁴⁸ रा स्त स्वी स के अनुमोदन के बिना ही क्रियान्वित की गईं थीं। हालांकि, इन परियोजनाओं का कार्योत्तर अनुमोदन दिसम्बर 2013 में, दो से लेकर 18 महीने के

⁴⁸ चावल की पीबी-6 किस्म का प्रोत्साहन कार्यक्रम: ₹ 0.06 करोड़, दाल/उर्द फसल के लिए क्षेत्र विस्तार: ₹ 0.31 करोड़, 2012-13 के लिए आईएनएसआईएमपी: ₹ 2.16 करोड़, जैविक खेती हेतु प्रोत्साहन: ₹ 1.78 करोड़, खाद्यान्न और तेल बीज उत्पादन कार्यक्रम: ₹ 1.89 करोड़, अरहर की खेती हेतु प्रोत्साहन कार्यक्रम: ₹ 0.30 करोड़, सितारगंज (उधम सिंह नगर) मंडी के अधीन शक्तिफार्म में उप मंडी सितारगंज का निर्माण कार्य: ₹ 8.11 करोड़।

विलंब के बाद प्राप्त किया गया था। प्रकरण से स्पष्ट है कि रा कृ वि यो के दिशा-निर्देशों को जानबूझ कर नजरअंदाज करते हुए परियोजनाओं को अनुमोदित किया जा रहा था।

निदेशक, कृषि द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजनाएं मौसमी फसलों से संबंधित थीं और इसलिए समयबद्ध थीं। जिसके कारण रा स्त स्वी स के अनुमोदन के बिना ही क्रियान्वित की गयीं क्योंकि रा स्त स्वी स की बैठकें उस समय आयोजित नहीं की गई थीं। उत्तर स्वतः दर्शाता है कि परियोजनायें जल्दबाजी में तैयार की गयी थीं तथा विभाग एवं कार्यदायी संस्था द्वारा पारियोजनाओं के नियोजन हेतु पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया।

सरकार द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया (अक्टूबर 2015) तथा आश्वासन दिया गया कि रा स्त स्वी स की बैठकों का अधिक बार आयोजन किया जाएगा ताकि परियोजनाओं का क्रियान्वयन रा स्त स्वी स के अनुमोदनोपरांत किया जा सके।

1.4.7 वित्तीय प्रबंधन

1.4.7.1 निधियों की उपलब्धता

स्ट्रीम-1 और स्ट्रीम-11 के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए निधियों की उपलब्धता का विवरण तालिका 1.4.2 और तालिका 1.4.3 में क्रमशः दिया गया है:

तालिका: 1.4.2: स्ट्रीम-1 के अंतर्गत निधियों की प्राप्ति और उपयोग

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | कार्यान्वित परियोजनाएं | कुल लागत | प्रारंभिक शेष | भा.स. से प्राप्त | निधियों की कुल उपलब्धता | व्यय | अंतिम शेष | कम उपयोग के अंतर्गत प्रतिशतता |
|------------|------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4+5)=6 | (7) | (6-7)=8 | (9) |
| 2010-11 | 2 | 4.75 | 44.89 | 0.98 | 45.87 | 21.08 | 24.79 | 54.04 |
| 2011-12 | 25 | 93.24 | 24.79 | 100.36 | 125.15 | 41.78 | 83.37 | 66.62 |
| 2012-13 | 15 | 41.36 | 83.37 | 1.31 | 84.68 | 36.61 | 48.07 | 56.76 |
| 2013-14 | 30 | 161.85 | 48.07 | 34.62 | 82.69 | 53.86 | 28.83 | 34.86 |
| 2014-15 | 28 | 241.11 | 28.83 | 80.70 | 109.53 | 64.65 | 44.88 | 40.98 |
| योग | 100 | 542.31 | | 217.97 | | 217.98 | | |

स्रोत: निदेशक, कृषि विभाग

तालिका: 1.4.3: स्ट्रीम-11 के अंतर्गत निधियों की प्राप्ति और उपयोग

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | कार्यान्वित परियोजनाएं | कुल लागत | प्रारंभिक शेष | भा.स. से प्राप्त | निधियों की कुल उपलब्धता | व्यय | अंतिम शेष | कम उपयोग के अंतर्गत प्रतिशतता |
|------------|------------------------|--------------|---------------|------------------|-------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4+5)=6 | (7) | (6-7)=8 | (9) |
| 2010-11 | 1 | 0.67 | 14.65 | 0.33 | 14.98 | 8.75 | 6.23 | 41.59 |
| 2011-12 | 21 | 29.54 | 6.23 | 28.48 | 34.71 | 22.11 | 12.60 | 36.30 |
| 2012-13 | 7 | 6.65 | 12.60 | 6.90 | 19.50 | 7.47 | 12.03 | 61.69 |
| 2013-14 | 13 | 19.93 | 12.03 | 9.41 | 21.44 | 12.86 | 8.58 | 40.02 |
| 2014-15 | 0 | 0.00 | 8.58 | 0.00 | 8.58 | 4.65 | 3.93 | 45.80 |
| योग | 42 | 56.79 | | 45.12 | | 55.84 | | |

स्रोत: निदेशक, कृषि विभाग

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- वर्ष 2010-15 की अवधि के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में 34.86 प्रतिशत से 66.62 प्रतिशत और 36.30 प्रतिशत से 61.69 प्रतिशत तक निधियों का क्रमशः स्टीम-I एवं II के अंतर्गत कम उपयोग किया गया।
- वर्ष 2010-15 की अवधि के दौरान स्टीम-I के अंतर्गत राज्य ने कुल उपलब्ध धनराशि ₹ 262.86⁴⁹ करोड़ के सापेक्ष ₹ 217.98 करोड़ व्यय किए और शेष ₹ 44.88 करोड़ अनुपयोगी रहे। इसी प्रकार, स्टीम-II की परियोजनाओं के लिए संगत आंकड़ें ₹ 59.77 करोड़⁵⁰, ₹ 55.84 करोड़ और ₹ 3.93 करोड़ रहे थे।
- उत्तराखंड सरकार वर्ष 2010-11 और 2012-13 के दौरान निधियों की कम उपयोगिता दर के कारण योजना के अंतर्गत निधियाँ प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं थी।

सरकार द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया (अक्टूबर 2015) तथा आश्वासन दिया गया कि रा स्त स्वी स की बैठकों का आयोजन दिशा निर्देशों में दिये गये प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा ताकि भा स से प्राप्त निधियों का उपयोग वित्तीय वर्ष में ही किया जा सके।

1.4.7.2 रा स्त स्वी स के अनुमोदन के बिना अधिक व्यय

रा स्त स्वी स के अनुमोदन के बिना धनराशि का उपयोग नहीं किया जा सकता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2011-13 के दौरान छः परियोजनाओं पर ₹ 3.09 करोड़ का अधिक व्यय किया गया था तथा विभाग द्वारा व्ययाधिक्य धनराशि अभी तक (जुलाई 2015) रा स्त स्वी स से अनुमोदित नहीं कराई गयी थी।

निदेशक, कृषि द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया तथा अवगत कराया कि परियोजनाओं पर अधिक व्यय का अनुमोदन आगामी रा स्त स्वी स बैठक में प्राप्त कर लिया जाएगा। उपरोक्त से स्पष्ट है कि कार्यान्वयन संस्थाएँ बिना रा स्त स्वी स की स्वीकृति से अधिक निधियाँ प्राप्त करने में समर्थ थीं जो कि उचित आंतरिक नियंत्रण की कमी को दर्शाता है।

1.4.7.3 रा स्त स्वी स द्वारा परियोजनाओं के अनुमोदन के बावजूद निधियों को अवमुक्त न किया जाना

दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 5.2 (iii) के अनुसार, विभाग भारत सरकार/राज्य सरकार से प्राप्त निधियों को जिला स्तर पर कार्यान्वयन संस्थाओं को संवितरण करने हेतु निधियों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग वर्ष 2013-14 से संबंधित पाँच परियोजनाओं, जिनकी लागत ₹ 11.31 करोड़ थी, को कोई भी निधियाँ अवमुक्त करने में विफल रहा बावजूद इस तथ्य के, कि रा स्त स्वी स द्वारा बाद में अनुमोदित की गई ₹ 42.37 करोड़ की परियोजनाओं के लिए निधियाँ पहले ही अवमुक्त कर दी गई थी।

निदेशक, कृषि द्वारा इन परियोजनाओं के संबंध में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया। तथापि, विभाग की ओर से देरी, परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अपनाया गया शिथिल दृष्टिकोण दर्शाता है।

⁴⁹ प्रारम्भिक अवशेष ₹ 44.89 करोड़ और 2010-15 के दौरान भा स से ₹ 217.97 करोड़ प्राप्त हुए।

⁵⁰ प्रारम्भिक अवशेष ₹ 14.65 करोड़ और 2010-15 के दौरान भा स से ₹ 45.12 करोड़ प्राप्त हुए।

1.4.7.4 ब्याज का उपयोग

लेखापरीक्षा में पाया गया कि रा कृ वि यो की निधियों पर अर्जित ब्याज की धनराशि ₹ 3.06 करोड़ उत्तराखंड स्माल फार्मर्स एग्री-बिजनेस कन्सोर्टियम के बैंक खाते में पड़ी (मार्च 2015) थी। इसके अतिरिक्त, रा कृ वि यो की उप-योजनाओं का भी ₹ 8.19 लाख का ब्याज उद्यान विभाग की कार्यान्वयन संस्थाओं के पास पड़ा था। यह धनराशि न तो भारत सरकार को वापिस की गयी थी और न ही इसका उपयोग विभाग द्वारा किया गया था।

निदेशक, कृषि द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त किए जाने के उपरांत अर्जित ब्याज की धनराशि का उपयोग किया जाएगा। तथापि, लेखापरीक्षा तिथि तक इस तरह का कोई अनुमोदन भारत सरकार द्वारा नहीं दिया गया है।

सरकार द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया (अक्टूबर 2015) तथा नोडल विभाग को निर्देशित किया गया कि प्रकरण को रा स्त स्वी स की बैठक की परिधि में लाया जाए।

1.4.7.5 निधियों का व्ययवर्तन

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक राज्य को अनुदान दो अलग-अलग स्ट्रीम्स में प्रदान किया जाएगा। स्ट्रीम-1 की परियोजनाएं विशिष्ट परियोजनाएं हैं जिसके लिए रा कृ वि यो के अंतर्गत आवंटन का कम से कम 75 प्रतिशत उपयोग किया जाना चाहिए। स्ट्रीम-2 की परियोजनाएं राज्य क्षेत्र की चल रही परियोजनाएं हैं जिनके लिए रा कृ वि यो की कुल निधियों का 25 प्रतिशत से अधिक आवंटन नहीं किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2010-14 की अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा राज्य को ₹ 182.39 करोड़ अवमुक्त किए थे, जिसमें से विभाग द्वारा ₹ 50.76 करोड़ (27.83 प्रतिशत) स्ट्रीम-1 की परियोजनाओं के लिए, अपेक्षित धनराशि ₹ 45.60 करोड़ (25 प्रतिशत) के सापेक्ष, अवमुक्त किए गए थे तथा अवशेष धनराशि ₹ 131.63 करोड़ (72.17 प्रतिशत) स्ट्रीम-2 की परियोजनाओं के लिए अवमुक्त की गई। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 में ₹ 2.69 करोड़ पूर्व वर्षों की स्ट्रीम-2 की परियोजनाओं हेतु सामान्य रा कृ वि यो से अवमुक्त किए गए। इस प्रकार कुल ₹ 7.85 करोड़ का व्ययवर्तन स्ट्रीम-2 की परियोजनाओं के लिए किया गया था और विभाग स्ट्रीम-1 की परियोजनाओं हेतु धनराशि अवमुक्त करने में विफल रहा। जिसके परिणामस्वरूप स्ट्रीम-1 की परियोजनाओं का कार्यान्वयन नहीं हुआ।

सरकार द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया (अक्टूबर 2015) तथा अवगत कराया गया कि योजना के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता थी।

1.4.7.6 परियोजनावार लेखाओं का रख-रखाव न किया जाना

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 7.1.5 के अनुसार, नोडल संस्था कार्यान्वयन संस्थाओं द्वारा परियोजनावार लेखाओं का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित करेगी। चयनित जिलों में परियोजनाओं की नमूना जाँच में पाया गया कि कार्यान्वयन संस्थाओं द्वारा परियोजनावार लेखाओं का रख-रखाव नहीं किया जा रहा था। परियोजनावार लेखों का रख-रखाव न किए जाने के कारण कार्यान्वयन संस्थाओं द्वारा त्रुटिपूर्ण उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ प्र प) प्रस्तुत किए गए।

सरकार द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया (अक्टूबर 2015) तथा नोडल विभाग को निर्देशित किया गया कि परियोजनावार लेखों का रख-रखाव करने के सम्बंध में कार्यान्वयन संस्थाओं को अनुदेशित किया जाय।

1.4.7.7 उपयोगिता प्रमाण पत्र

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग के साथ-साथ कार्यान्वयन संस्थाओं द्वारा प्रत्येक वर्ष भारत सरकार से प्राप्त निधियों के आधार पर ही उ प्र प प्रस्तुत किए गए थे, जबकि उ प्र प प्रत्येक वर्ष में किए गए वास्तविक व्यय के आधार पर प्रस्तुत किए जाने चाहिए। प्रस्तुत किए गए उ प्र प का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका: 1.4.4: बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र

| | | | | (₹ करोड़ में) |
|------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------|
| वर्ष | भा स से प्राप्त निधियाँ | मार्च 2015 तक व्यय | मार्च 2015 तक प्रस्तुत उ प्र प | अंतर |
| 1 | 2 | 3 | 4 | (3-4)=5 |
| 2010-11 | 1.31 | 4.26 | 1.31 | 2.95 |
| 2011-12 | 128.84 | 107.13 | 128.82 | -21.69 |
| 2012-13 | 8.21 | 39.63 | 8.21 | 31.42 |
| 2013-14 | 44.03 | 65.51 | 44.03 | 21.48 |
| 2014-15 | 80.70 | 13.06 | 33.86 | -20.80 |
| योग | 263.09 | 229.59 | 216.23 | 13.36 |

स्रोत: निदेशक, कृषि विभाग

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि:

- वर्ष 2010-11, 2012-13 और 2013-14 के दौरान ₹ 4.26 करोड़, ₹ 39.63 करोड़ और ₹ 65.51 करोड़ रुपये का व्यय किया गया था जबकि क्रमशः ₹ 1.31 करोड़, ₹ 8.21 करोड़ और ₹ 44.03 करोड़ के उ प्र प प्रस्तुत किए गए थे।
- वर्ष 2011-12 और 2014-15 के दौरान ₹ 107.13 करोड़ और ₹ 13.06 करोड़ का व्यय किया गया था जबकि क्रमशः ₹ 128.82 करोड़ और ₹ 33.86 करोड़ के उ प्र प प्रस्तुत किए गए थे।

निदेशक, कृषि द्वारा स्वीकार किया गया कि प्रत्येक वर्ष में प्राप्त निधियों के अनुसार उ प्र प प्रस्तुत किए गए थे तथा वर्ष 2010-11, 2012-13 और 2013-14 के दौरान किया गया अधिक व्यय भारत सरकार से पूर्ववर्ती/उत्तरवर्ती वर्षों में प्राप्त धनराशि से किया गया था।

1.4.8 परियोजनाओं का कार्यान्वयन

परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु चयनित नमूना जाँच पर क्षेत्र वार निष्कर्ष आगे के अनुच्छेदों में विस्तृत रूप से दिये गए हैं।

1.4.8.1 पशुपालन

परियोजना का अविवेकपूर्ण क्रियान्वयन

वैज्ञानिक रूप से सूअर प्रजनन सह-पालन लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य के साथ और छोटे आकार के ग्रामीण सूअर बाड़ों की उत्पादकता में सुधार करने के लिए रा स्त स्वी स द्वारा कुल ₹ 99.65 लाख

की लागत से “राजकीय सुअर फार्म काशीपुर का सुदृढीकरण” परियोजना को अनुमोदित (दिसंबर 2012) किया गया। इस धनराशि में से, ₹ 71.34 लाख सिविल कार्यों के लिए और शेष धनराशि ₹ 28.31 लाख उपकरण, दवाएं, नर/मादा सूअर के क्रय एवं उनके भरण हेतु अनुमोदित किए गए थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्यान्वयन संस्था⁵¹ को सिविल कार्य के लिए ₹ 71.34 लाख हस्तान्तरित (फरवरी 2013) किए गए थे। सिविल कार्य जुलाई 2014 में पूर्ण किया जाना था इस बीच, परिकल्पना में परिवर्तन होने के कारण रा स्त स्वी स द्वारा परियोजना की लागत को ₹ 99.65 लाख से पुनरीक्षित कर ₹ 1.09 करोड़ किया गया (दिसंबर 2013) था। शेष धनराशि ₹ 37.43 लाख कार्यान्वयन संस्था को फरवरी 2014 में अवमुक्त की गई थी। कार्यान्वयन संस्था द्वारा क्रियान्वयन संस्था के माध्यम से ₹ 90 लाख व्यय कर 80 प्रतिशत सिविल कार्य पूरा कर लिया गया था। इस परिदृश्य में, परियोजना हेतु स्वीकृत समस्त धनराशि सिविल कार्यों पर ही व्यय की जा रही थी तथा उपकरण, दवाएं, नर/मादा सूअर के क्रय एवं उनके भरण हेतु अनुमानित लागत ₹ 28.31 लाख उपलब्ध नहीं थी।

परियोजना में पहले से ही 15 माह का बिलम्ब था तथा परियोजना के क्रियान्वयन के लिए अन्य आवश्यक मदों और उपकरणों के क्रय के लिए निधियों की अनुपलब्धता के कारण वैज्ञानिक रूप से सूअर प्रजनन सह-पालन को लोकप्रिय बनाने के वांछित उद्देश्य प्राप्त करने में और अधिक समय लग सकता है।

सरकार द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया (अक्टूबर 2015) तथा अवगत कराया गया कि परियोजना को चालू करने हेतु आवश्यक कदम उठाये जाएंगे।

1.4.8.2 जैविक खेती और जैव उर्वरक क्षेत्र

(अ) जैविक अपशिष्ट परिवर्तक प्रणाली का उपयोग कर सब्जी अपशिष्ट से खाद बनाना

उत्तराखंड कृषि उत्पादन मंडी परिषद (उ कृ उत्पा मं परि) द्वारा बाजार कचरे को जैविक खाद में बदलने के लिए राज्य सरकार को जैविक अपशिष्ट परिवर्तक (जै अ प) प्रणाली की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत (जुलाई 2011) किया गया। जै अ प प्रणाली की स्थापना देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर, रुद्रपुर और हल्द्वानी में की जानी प्रस्तावित थी। रा स्त स्वी स द्वारा ₹ 8.51 करोड़ की लागत से परियोजना को अनुमोदित (अगस्त 2011) किया गया। लेखापरीक्षा में परियोजना के कार्यान्वयन में निम्नलिखित कमियाँ पाई गईं:

- लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि सभी जै अ प संयंत्रों का सिविल कार्य, पूर्ण होने की निर्धारित तिथि से, तीन से लेकर 24 माह के विलंब से पूर्ण किया गया (मार्च 2014)। हल्द्वानी स्थित जै अ प संयंत्र का निर्माण कार्य दिसम्बर 2013 में ₹ 2.57 करोड़ की लागत से पूर्ण किया गया था, जिसका हस्तांतरण मंडी समिति, जो संयंत्र को चालू करने के लिए उत्तरदायी संस्था थी, को किया जाना प्रतीक्षित (मार्च 2015) था।

⁵¹ पशुपालन विभाग।

- ii. काशीपुर और रुद्रपुर स्थित संयंत्र, जो ₹ 2.29 करोड़ की कुल लागत से निर्मित किए गए थे, संबंधित मंडी समितियों को हस्तांतरित किए जाने के पश्चात भी 12 से लेकर 17 माह की समायावधि व्यतीत होने के बावजूद लेखापरीक्षा तिथि (मार्च 2015) तक निष्क्रिय पड़े थे।
- iii. देहरादून, हरिद्वार और रुड़की स्थित तीन अन्य संयंत्रों, जिन्हें ₹ 4.14 करोड़ के व्यय के पश्चात पूर्ण किया गया, में जैविक खाद का उत्पादन, दिसंबर 2013 से फरवरी 2015 तक, मात्र 91.531 टन था। यह अपेक्षित मात्रा 1,600 टन के सापेक्ष 1,508 टन, 94 प्रतिशत कम, था। स्पष्ट था कि मंडी समिति जैविक अपशिष्ट की उपलब्धता का सही आंकलन, अन्य संस्थाओं सहित जैसे नगर निगम से, करने में असफल रही।

उ कृ उत्पा मं परि द्वारा सिविल कार्य विलंब से पूर्ण होने के लिए स्थल चयन में देरी को जिम्मेदार ठहराया गया और अवगत कराया कि हल्द्वानी स्थित संयंत्र इसलिए हस्तांतरित नहीं किया जा सका क्योंकि मंडी समिति द्वारा इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया गया। साथ ही संयंत्रों से खाद की कम मात्रा के उत्पादन के लिए जैविक अपशिष्ट पदार्थ की कमी को उत्तरदायी ठहराया गया।

सरकार द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया (अक्टूबर 2015) तथा कार्यान्वयन संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि नगर निगम और अन्य संस्थाओं से जैविक अपशिष्ट की उपलब्धता पर विचार किया जाये।

(ब) जैविक खेती विकास हेतु प्रोत्साहन

विभाग द्वारा जिला स्तर पर कार्यान्वयन संस्थाओं को "जैविक खेती विकास हेतु प्रोत्साहन" परियोजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत ₹ 3.39 करोड़ अवमुक्त (जुलाई 2012) किए गए। परियोजना, जिसका उद्देश्य जैविक खाद के उत्पादन के लिए संरचनाओं का निर्माण करना था, को मार्च 2014 में पूरा किया गया।

चयनित कार्यान्वयन संस्थाओं के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान परियोजना के कार्यान्वयन में निम्नलिखित कमियाँ पाई गईं।

- i. यह देखा गया कि अवमुक्त धनराशि ₹ 1.54 करोड़ के सापेक्ष ₹ 1.47 करोड़ व्यय किए गए तथा अवशेष ₹ सात लाख कार्यान्वयन संस्थाओं के पास अव्ययित पड़े थे बावजूद इस तथ्य के कि 1,290 इकाइयों के सापेक्ष मात्र 570 इन्कुलम⁵² इकाइयों की स्थापना (मई 2015) की जा सकी। इसी प्रकार, कार्यान्वयन संस्थाओं द्वारा कार्य योजना में छः⁵³ अन्य मदों हेतु निर्धारित लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं किया गया।
- ii. कार्य योजना के अनुसार केंचुआ खाद गड्डे की 950 इकाइयों का निर्माण ₹ 28.50 लाख की लागत से किया जाना था जबकि कार्यान्वयन संस्थाओं द्वारा ₹ 31.64 लाख के व्यय के पश्चात 1,073 इकाइयों का निर्माण किया गया। अधिक मदों को अनुमोदित नहीं किया गया और अन्य मदों में हुई बचतों से इन पर व्यय किया गया।

⁵² एक संरचना जिससे जैविक खाद का शीघ्र उत्पादन होता है।

⁵³ नाडेप पिट, बांस नाडेप पिट, तरल खाद इकाई, केंचुआ खेती केंद्र, जैविक प्रशिक्षण ₹ 2,000 की दर से प्रत्येक और जैविक प्रशिक्षण ₹ 1,250 की दर से प्रत्येक।

- iii. 41 विशेषज्ञ प्रशिक्षकों के लिए ₹ 14.76 लाख⁵⁴ के प्रावधान के विरुद्ध 39 विशेषज्ञ प्रशिक्षकों को ₹ 16.24 लाख का भुगतान किया गया था।
- iv. जिला पिथौरागढ़ में कार्यान्वयन संस्था ने प्रमाणन/ प्रलेखन और प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण पर ₹ 1.42 लाख का व्यय किया जो कार्य योजना में सम्मिलित नहीं थी।

सरकार द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया (अक्टूबर 2015)।

1.4.8.3 विपणन

कर्णप्रयाग मंडी अहाते का निर्माण कार्य

इस परियोजना के अंतर्गत 28 “स” श्रेणी की दुकानों, पाँच गोदाम, कार्यालय भवन, नीलामी चबूतरा, हैंड पम्प बोरिंग और सबमरसिबल पम्प आदि का निर्माण कार्य किया जाना था। रा स्त स्वी स द्वारा कार्यान्वयन संस्था से वि प प्र प्राप्त किए बिना ही ₹ 2.50 करोड़ की लागत से परियोजना को अनुमोदित (अगस्त 2011) किया गया। सिविल कार्य नवम्बर 2012 में पूर्ण किया जाना निर्धारित था परन्तु परियोजना 13 माह के बिलम्ब से दिसम्बर 2013 में पूर्ण की गयी। परियोजना के क्रियान्वन में निम्नलिखित कमियाँ पाई गयीं:

- i. लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग द्वारा अनुमोदित लागत ₹ 2.50 करोड़ के सापेक्ष ₹ 4.36 करोड़ (₹ 2.50 करोड़ सितंबर 2011 एवं ₹ 1.86 करोड़ जून 2012 में) कार्यान्वयन संस्था को अवमुक्त किए गए थे। परियोजना को ₹ 4.27 करोड़ व्ययोपरांत पूर्ण (जनवरी 2014) कर लिया गया था। अवशेष धनराशि ₹ नौ लाख विभाग को वापिस कर दी गयी थी। अतः ₹ 1.77 करोड़⁵⁵ का व्यय रा स्त स्वी स के अनुमोदन के बिना किया जाना अनियमित था।
- ii. अभिलेखों की जांच में पाया गया कि आगणन में हैंड पंप बोरिंग एवं सबमरसिबल पंप की स्थापना के लिए ₹ तीन लाख रुपये का प्रावधान किया गया था जिसके बजाय कार्यान्वयन संस्था द्वारा ₹ 9.31 लाख की लागत से मिनी ट्यूबवेल एवं सबमरसिबल पंप स्थापित किया गया। इसके अतिरिक्त, कार्यान्वयन संस्था द्वारा ₹ 7.60 लाख की लागत से इलेक्ट्रॉनिक वेब्रिज की भी स्थापना की गयी जिसके लिए आगणन में प्रावधान नहीं किया गया था। अतः कार्यान्वयन संस्था द्वारा ₹ 16.91 लाख का व्यय उन मदों पर किया गया जो आगणन में सम्मिलित नहीं थी।

सरकार द्वारा तथ्यों को स्वीकार (अक्टूबर 2015) करते हुये कार्यान्वयन संस्थाओं को अनुदेशित किया गया कि परियोजना के लिए आवश्यक सभी तत्वों को वि.प.प्र. में शामिल किया जाए तथा यह भी निर्देशित किया गया कि परियोजना में मध्यवर्ती बदलाव न किए जायें।

⁵⁴ ₹ छह हजार प्रति माह प्रति विशेषज्ञ प्रशिक्षक छह माहों के लिए।

⁵⁵ ₹ 4.36 करोड़ (अवमुक्त धनराशि) - ₹ 0.09 करोड़ (विभाग को वापिस की गयी) - ₹ 2.50 करोड़ (परियोजना की लागत रा.स्त.स्वी.स. द्वारा अनुमोदित की गयी)।

1.4.8.4 सूक्ष्म/लघु सिंचाई

(अ) उत्तराखंड में कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए लघु सिंचाई योजना को चालू किया जाना

रा स्त स्वी स द्वारा 'उत्तराखंड में कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए लघु सिंचाई योजना को चालू किया जाना' परियोजना को ₹ 19.45 करोड़ की लागत से अनुमोदित (अगस्त 2009) किया गया था। विभाग द्वारा मार्च 2010 में ₹ 8.22 करोड़ एवं जुलाई 2010 में ₹ 7.81 करोड़ अवमुक्त किए गए। परियोजना को सितंबर 2011 में ₹ 15.40 करोड़ व्ययपरांत पूर्ण किया गया।

परियोजना के कार्यान्वयन में निम्नलिखित कमियाँ पाई गईं:

- इस परियोजना के अंतर्गत गूलों (खेतों में पानी ले जाने के लिए सहायक नालियाँ) और हाईड्रमों (पानी उठाने वाला यंत्र) की मरम्मत और रखरखाव किया जाना था। यह परियोजना क्रियान्वयन के लिए इस तथ्य के बावजूद ली गई कि मरम्मत और रखरखाव का कार्य होने के कारण यह परियोजना रा कृ वि यो के अंतर्गत वित्त पोषण के लिए अनुमन्य नहीं थी। विभाग का उत्तरदायित्व यह सुनिश्चित करना था कि रा स्त स्वी स में वो ही परियोजना प्रस्तुत की जाएँ जो योजना के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत स्वीकार्य हों। अतः, परियोजना की स्वीकार्यता की जाँच में विभाग द्वारा लापरवाही के परिणामस्वरूप अनियमित व्यय हुआ।
- लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच जिलों⁵⁶ में पाया गया कि परियोजना के अंतर्गत 88 हाईड्रम योजनाओं की मरम्मत और रखरखाव का कार्य किया गया था। जिसमें से 58 योजनाएँ, जिन पर ₹ 1.72 करोड़ की लागत से मरम्मत कार्य किया गया था, एक से लेकर पाँच वर्ष तक की अवधि से कार्यशील नहीं थीं। इसके कारण कृषि भूमि के 684.30 हेक्टेयर लक्षित क्षेत्र में सिंचाई प्रभावित हुई।
- लेखापरीक्षा में पाया गया कि जिला स्तर पर कार्यान्वयन संस्थाओं द्वारा गूलों से प्राप्त सिंचाई क्षमता के वास्तविक आंकड़ों के अभिलेखों का रखरखाव नहीं किया जा रहा था। जिसके अभाव में, लेखापरीक्षा द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि लक्षित सिंचाई क्षमता का लाभ प्राप्त हुआ या नहीं।

विभाग द्वारा बल दिया गया कि रा स्त स्वी स द्वारा परियोजना को उचित रूप से अनुमोदित किया गया था तथा विभिन्न कारणों से 22 योजनाओं को ड्रॉप किए जाने के परिणामस्वरूप परियोजना के अंतर्गत बचत हुई। हाईड्रम योजनाओं के कार्यशील न होने के लिए किसानों द्वारा खेती न किए जाने तथा प्राकृतिक आपदाओं को जिम्मेदार ठहराया गया।

उत्तर स्वीकार योग्य नहीं था क्योंकि 88 हाईड्रम योजनाओं में से 41 योजनाएं वर्ष 2012-13 अर्थात् जून 2013 की प्राकृतिक आपदा से पूर्व कार्यशील नहीं थीं तथा विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले खेती न किए जाने वाले क्षेत्र में परियोजना को क्रियान्वित करने के सम्बंध में साध्यता सुनिश्चित की जानी चाहिए थी।

⁵⁶ बागेश्वर, देहरादून, पौड़ी, पिथौरागढ़ और टिहरी।

(ब) अपूर्ण कार्य

रा स्त स्वी स द्वारा परियोजना 'रानीचौरी और कनातल में वर्षा जल संचयन टैंक, सिंचाई चैनल, फव्वारा एवं ड्रिप सिंचाई प्रणाली का निर्माण कार्य' ₹ 83.55 लाख की लागत से अनुमोदित (अक्टूबर 2011) की गयी थी। विभाग द्वारा कार्यान्वयन संस्था को ₹ 81.76 लाख अवमुक्त (अगस्त 2012) किए गए।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि परियोजना 14 माह के विलंब से प्रारम्भ (नवंबर 2013) की गयी तथा कार्य को सात माह के भीतर पूर्ण (मई 2014) किया जाना था। परियोजना के अंतर्गत आर सी सी वॉटर टैंक के निर्माण हेतु कार्यान्वयन संस्था द्वारा समझौता ज्ञाप (स ज्ञा) क्रियान्वित किए बिना कार्यदायी संस्था⁵⁷ को कार्य दिया गया। कार्यान्वयन संस्था द्वारा अप्रैल 2015 तक ₹ 79.77 लाख व्यय किए गए थे तथा कार्य प्रगति पर था। इस प्रकार, परियोजना अपूर्ण रही और परियोजना के उद्देश्य प्राप्त नहीं हुए थे। यदि कार्यदायी संस्था के साथ स ज्ञा हस्ताक्षरित किया गया होता तो विभाग विलंब के लिए कार्यदायी संस्था के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता था।

कार्यान्वयन संस्था ने कहा कि समय पर उचित स्थल चयन न होने के कारण कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया कि कार्यदायी संस्था द्वारा शीघ्र ही कार्य पूर्ण कर हस्तांतरित करने का आश्वासन दिया गया।

1.4.8.5 रा कृ वि यो के अंतर्गत उप-योजना

क्रिया कलापों का अभिसरण न किया जाना

योजना के दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 2.4 के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार की अन्य योजनाओं/ कार्यक्रमों से योजना का अभिसरण किया जाना अपेक्षित था।

जिला⁵⁸ स्तर पर कार्यान्वयन संस्था के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि अन्य योजनाओं/ कार्यक्रम के साथ योजना का अभिसरण सुनिश्चित नहीं किया जा रहा था और उप योजना 'शहरी प्रक्षेत्र के लिए सब्जी पहल' में सम्मिलित क्रियाकलापों⁵⁹ को अन्य केन्द्रपोषित योजना अर्थात् 'उत्तर पूर्व हिमालयी राज्यों के लिए उद्यान तकनीकी लक्ष्य' (उ पू हि रा उ त ल) के अंतर्गत भी चलाया जा रहा था।

सरकार द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया (अक्टूबर 2015) तथा नोडल विभाग को जि कृ यो/रा कृ यो के अद्यतन के दौरान क्रियान्वयन संस्थाओं के साथ समन्वय करने हेतु निर्देशित किया गया।

1.4.9 रा स्त स्वी स द्वारा योजना का अनुश्रवण और मूल्यांकन

योजना के कार्यान्वयन का अनुश्रवण रा स्त स्वी स, विभाग, कार्यान्वयन संस्थाओं और कृषि उत्पादन आयुक्त (कृ उ आ) की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा किया जाना था। तथापि, इन प्राधिकारियों द्वारा अनुश्रवण में की गई निम्नलिखित कमियाँ पाई गईं।

⁵⁷ उत्तराखंड पेयजल संस्थान विकास एवं निर्माण निगम और निर्माण खण्ड, चंबा (टिहरी गढ़वाल)।

⁵⁸ देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार और टिहरी।

⁵⁹ खुला परागण द्वारा सब्जी की खेती, हाईब्रिड सब्जी की खेती, ग्रीन हाउस (तालिका संरचना), जैविक खेती (केंचुआ खाद इकाईयाँ), ए की प्र/ए पो प्र का प्रोत्साहन और कृषक प्रशिक्षण।

1.4.9.1 रा स्त स्वी स द्वारा अनुश्रवण और मूल्यांकन

योजना के दिशा निर्देशों के अनुच्छेद 6.4 के अनुसार रा स्त स्वी स को जब जब आवश्यकता पड़े बैठक की जानी थी परंतु प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बैठक अपेक्षित थी। लेखा परीक्षा में पाया गया कि अप्रैल 2010 से मार्च 2015 के दौरान अपेक्षित 20 के सापेक्ष मात्र आठ बैठकें ही आयोजित की गईं। रा स्त स्वी स द्वारा परियोजनाओं को उचित कार्यान्वयन के अनुश्रवण हेतु न तो अपेक्षित क्षेत्र अध्ययन और न ही मूल्यांकन अध्ययन किया गया। इस दृष्टिकोण का प्रतिकूल प्रभाव नियोजन, वित्तीय प्रबंध और परियोजनाओं के जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन की कमियों के उदाहरणों, जैसा कि पिछले अनुच्छेदों में बताया गया, से देखा जा सकता है।

सरकार द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया (अक्टूबर 2015) तथा रा स्त स्वी स की बैठकों का अधिक बार आयोजन किए जाने का आश्वासन दिया गया।

1.4.9.2 रा स्त स्वी स की सहायता के लिए अनुश्रवण तंत्र का अभाव

भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देशों (जुलाई 2008) के अनुच्छेद 8.1 के अनुसार, कृ उ आ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाना था जिसे अन्य चीजों के साथ-साथ मासिक आधार पर योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा कर अपना प्रतिवेदन रा स्त स्वी स को प्रस्तुत करना था।

लेखा परीक्षा में पाया गया कि छः वर्ष पश्चात भी सरकार द्वारा ऐसी किसी समिति का गठन नहीं किया गया था। समिति का गठन न किए जाने के कारण रा स्त स्वी स जो रा कृ वि यो पर सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय था, को पेशेवर तरीके से कार्य करने में बाधाओं का सामना करना पड़ा, जैसे कि बिना वि प प्र के परियोजनाओं को अनुमोदन, अस्वीकार्य परियोजनाओं को अनुमोदन और अनुमोदित परियोजनाओं को छोड़े जाने के उदाहरणों से देखा जा सकता है।

सरकार द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया (अक्टूबर 2015) तथा विभाग को समिति का गठन करने के लिए निर्देशित किया गया।

1.4.9.3 विभाग द्वारा परियोजनाओं का अनुश्रवण न किया जाना

कृषि विभाग, नोडल विभाग होने के आधार पर परियोजना के कार्यान्वयन का समग्र नियंत्रण करने के लिए उत्तरदायी है, जिसको उचित मूल्यांकन, कार्यान्वयन, अनुश्रवण और परियोजनाओं के मूल्यांकन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों और कार्यान्वयन संस्थाओं के साथ प्रभावी ढंग से आवश्यक समन्वय करना चाहिए था।

कार्यान्वयन संस्था के स्तर पर परियोजनाओं के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग द्वारा विभिन्न कार्यान्वयन संस्थाओं अर्थात् जिला स्तर पर विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं का उचित अनुश्रवण और मूल्यांकन सुनिश्चित नहीं किया गया था। विभाग द्वारा एक बार कार्यान्वयन संस्थाओं को निधियां अवमुक्त करने के पश्चात उसके द्वारा मात्र उ प्र प और भौतिक तथा वित्तीय प्रगति के प्रतिवेदन एकत्रित किए गए। इसलिए, विभाग द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कमियों पर ध्यान नहीं दिया जा सका और विभाग यह बताने की स्थिति में भी नहीं था कि किस स्तर तक अभिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति हुई थी, जैसा कि परियोजनाओं के कार्यान्वयन में की गई विभिन्न लेखापरीक्षा टिप्पणियों से देखा जा सकता है।

विभाग ने अवगत कराया कि परियोजनाओं का अनुश्रवण कार्यान्वयन संस्थाओं द्वारा स्वयं किया गया था। लेखापरीक्षा तथ्यों की पुष्टि उत्तर से स्वतः होती है।

1.4.9.4 परिसंपत्ति पंजिका का रखरखाव न किया जाना

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, विभाग को परियोजनाओं के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों की एक पंजिका का रखरखाव सुनिश्चित करना था। इसके अतिरिक्त, परिसंपत्तियां जिनकी आवश्यकता न हो, को अन्य जरूरतमंद स्थानों को पुनः वितरित किया जाना चाहिए था। तथापि, यह पाया गया कि विभाग द्वारा परिसंपत्ति पंजिका का रखरखाव नहीं किया गया था।

सरकार द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया (अक्टूबर 2015) तथा विभाग को योजना के अन्तर्गत सृजित स्थायी परिसंपत्तियों की पंजिका का रखरखाव करने हेतु निर्देशित किया गया।

1.4.9.5 प्रभाव का मूल्यांकन

निदेशक अर्थ एवं सांख्यिकी द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़ों का विश्लेषण करने पर पाया गया कि राज्य में योजना के कार्यान्वयन के बाद कृषि के विकास की गति वर्ष 2009-10 के दौरान 9.63 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2011-12 में 4.01 प्रतिशत तक हो गयी थी। वर्ष 2012-13 के दौरान यह 8.85 प्रतिशत तक पहुंच गई लेकिन वर्ष 2013-14 के दौरान पुनः ऋणात्मक 2.51 प्रतिशत तक गिर गई। वर्ष 2014-15 के दौरान यह पुनः 5.12 प्रतिशत तक आ गयी। आगे, वर्ष 2010-2015 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ) में कृषि क्षेत्र का योगदान 11.92 प्रतिशत से घटकर 9.42 प्रतिशत हो गया।

कृषि के विकास में इस तरह की असंगत प्रवृत्तियां इंगित करती हैं कि योजना के अंतर्गत वर्ष 2010-15 के दौरान ₹ 274 करोड़ व्यय करने के बावजूद वांछित परिणाम नहीं मिले।

निष्कर्ष और अनुशंसाएँ

1. अनुपयुक्त नियोजन और वि प प्र के गैर पुनरीक्षण के कारण परियोजनाएं ड्रॉप हुई, परियोजनाओं की लागत में संशोधन, अधिक व्यय तथा अस्वीकार्य परियोजना का कार्यान्वयन हुआ।

सरकार द्वारा नियोजन प्रक्रिया को, वि प प्र का उचित विश्लेषण, परियोजनाओं के समूह की तैयारी और जमीनी स्तर के अधिकारियों की भागीदारी को योजना के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर ठीक किया जा सकता है।

2. राज्य वर्ष 2010-15 की अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में योजना के तहत भा स की सहायता का उपयोग करने में विफल रहा।

सरकार द्वारा निधियों का समय पर उपयोग सुनिश्चित किए जाने के लिए परियोजना के कार्यान्वयन की गति में तेजी लाई जा सकती है।

3. जैविक खेती और जैविक खाद क्षेत्र के अंतर्गत छः में से तीन जै अ प सयंत्रों में जैविक खाद का उत्पादन, जैविक अपशिष्ट की अनुपलब्धता के कारण उनकी क्षमता से 94 प्रतिशत कम था। अन्य तीन सयंत्र निष्क्रिय पड़े थे। क्षेत्र की अन्य परियोजना के अंतर्गत कार्य अनुमोदित योजना के अनुसार नहीं किया गया था।

सयंत्रों की क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए जैविक अपशिष्ट पदार्थ की उपलब्धता का पता लगाया जा सकता है। कार्य योजना को वास्तविक आवश्यकता पर विचार कर तैयार किया जा सकता है।

4. अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना के साथ उप-योजना के तहत गतिविधियों के अभिसरण पर विचार नहीं किया गया।

अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना के साथ गतिविधियों के अभिसरण का पालन किया जा सकता है।

5. अनुश्रवण तंत्र द्वारा अच्छी तरह से कार्य नहीं किया गया और परियोजनाओं का मूल्यांकन भी नहीं किया गया।

निर्धारित अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तंत्र की सुचारु कार्यपद्धति को सुनिश्चित किया जा सकता है।

अनुपालन लेखापरीक्षा

नागरिक उड्डयन विभाग

1.5 नागरिक उड्डयन विभाग के क्रियाकलाप

1.5.1 परिचय

नागरिक उड्डयन विभाग राज्य के गणमान्य व्यक्तियों को विमानन सुविधायें उपलब्ध कराने, राज्य के स्वामित्व वाले वायुयान एवं हेलीकॉप्टरों के रख-रखाव, राज्य के अधीन हवाई पट्टीयों एवं हेलीपैडों के उन्नयनीकरण/ निर्माण/ रख-रखाव एवं राज्य में अन्य विमानन सुविधाओं को विकसित करने के लिये उत्तरदायी है। वर्तमान में निदेशालय स्तर तक विभाग उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (उ ना उ वि प्रा) एक स्वायत्त निकाय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, जो अप्रैल 2014 से पूर्णरूपेण परिचालन में है।

वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक के दौरान विभाग, वर्तमान में उ ना उ वि प्रा के क्रिया - कलापों के मूल्यांकन की लेखा परीक्षा अप्रैल 2015 में प्राधिकरण के अभिलेखों की नमूना जांच द्वारा संपादित की गयी। मुख्य निष्कर्षों पर चर्चा निम्नवत है:-

1.5.2 राज्य में गणमान्य व्यक्तियों को विमानन सुविधा का प्रावधान

1.5.2.1 किराये पर लिये गये हेलीकॉप्टरों को अधिक भुगतान

(i) सरकार के स्वामित्व वाले दोहरे इंजन वाले इ सी-135 हेलीकॉप्टर को स्थिर (ग्राउन्डेड) कर दिया गया (11.10.2011) एवं इसके इंजनों को मरम्मत हेतु (14.10.2011 से 25.01.2012) हटाया गया (14.10.2011)। सरकार के स्पष्ट रूप से निर्देश थे (नवम्बर 2011) कि सरकारी हेलीकॉप्टर के इंजनों की मरम्मत होने तक राज्य के गणमान्य व्यक्तियों की यात्राओं हेतु उसी प्रकार का हेलीकॉप्टर किराये पर लिया जाये ताकि उसे राजकीय पायलटों के द्वारा उड़ाया जा सके और प्राइवेट क्रू मेम्बर (चालक दल) पर होने वाले अतिरिक्त व्यय से बचा जा सके।

जाँच में पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा सरकारी श्रेणी का एक दोहरे इंजन वाला हेलीकॉप्टर ₹ 1.05 लाख प्रति घण्टा की दर से किराये पर लिया गया (21 अक्टूबर 2011) जो 12.10.2011 से 11.11.2011 के दौरान 29.15 घंटे तक प्रचालन में रहा। तथापि इस हेलीकॉप्टर की सेवाएं इसे किराये पर लिये जाने के एक माह बाद बिना किसी अभिलिखित कारणों बंद कर दी गयीं। शासनादेश के विपरीत अत्यधिक दरों को प्रभारित करने के लिए चार अलग-अलग कम्पनियों से चार अन्य प्रकार के हेलीकॉप्टर, उनका किराया कम करने के संबंध में वार्ता किये बिना एवं सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना उच्चतर दरों पर (₹ 1.25 लाख से ₹ 1.45 लाख प्रतिघंटा) 67.42 घंटे की कुल अवधि के लिये किराये पर लिये गये थे। विभाग लेखा परीक्षा को, नये प्रकार के हेलीकॉप्टरों जिन्हें राजकीय पायलट उड़ाने में सक्षम नहीं थे, को किराये पर लिये जाने के औचित्य को साबित करने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा सका। प्राधिकरण द्वारा इन कम्पनियों को ₹ 1.25 लाख से ₹ 1.45 लाख प्रति घंटा की बढ़ी हुई दरों पर एवं साथ में निजी चालक दल सदस्यों

के खाने एवं ठहरने का भुगतान किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप ₹ 31.67 लाख का व्ययाधिक्य हुआ। प्राधिकरण द्वारा लेखा परीक्षा टिप्पणी में वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया गया।

(ii) उ ना उ वि प्रा द्वारा नवम्बर 2013 में लिये गये एक निर्णय के अनुसार एकल इंजन हेलीकॉप्टर के किराये की दर ₹ 75,000 प्रतिघंटा निर्धारित की गयी थी। जाँच में पाया गया कि उ ना उ वि प्रा द्वारा लिये गये निर्णय के विपरीत हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने के लिए छः विमानन कम्पनियों को अक्टूबर 2013 से मार्च 2014 के दौरान 209 घण्टों हेतु ₹ 80,000 प्रति घण्टे की दर से भुगतान किया गया जिसके परिणाम स्वरूप ₹ 10.45 लाख का अतिरिक्त भुगतान किया गया था।

शासन द्वारा उत्तर (दिसम्बर 2015) में अवगत कराया गया कि दो कम्पनियों⁶⁰ से ₹ 3.75 लाख के वसूली हेतु पत्र प्रेषित कर दिये गये हैं।

1.5.2.2 संविदा कर्मियों को अनुचित भुगतान

अप्रैल 2014 में उ ना उ वि प्रा के पूर्ण रूपेण, संचालन में आने के पश्चात राज्य के गणमान्य व्यक्तियों के लिए विमानन सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं उडानों के परिचालन हेतु सेवाएं प्रदान करने वाले तकनीकी संविदा कर्मियों की सेवाएं 31 मार्च 2014 को समाप्त कर दी गयी थी। कर्मियों को तत्कालीन विभाग की सेवा-शर्तों के आधार पर 3 से 4 माह के लिए उ ना उ वि प्रा हेतु कार्य नये सिरे से करने के लिए अवसर की पेशकश की गयी थी। इसके पश्चात, संविदा कर्मियों को लागू नियमों के अनुसार नियुक्त किया जाना था।

जाँच में पाया गया कि मई 2015 तक प्राधिकरण भर्ती प्रक्रिया को नये सिरे से आरम्भ करने में न केवल विफल रहा बल्कि इसके द्वारा संविदा कर्मियों के वेतन में प्रति व्यक्ति ₹ 0.50 लाख से ₹ 1.50 लाख तक पूर्वव्यापी प्रभाव से, जो अप्रैल 2014 से लागू था, वृद्धि की गयी थी (मार्च 2015)। पूर्व व्यापी प्रभाव से की गयी यह वृद्धि अनौचित्यपूर्ण थी, क्योंकि पूर्व में किये गये अनुबन्ध की शर्तों में वेतन वृद्धि करने का प्रावधान नहीं था और न ही इतनी अधिक मात्रा में वृद्धि करने का कोई आधार था। जिसके कारण कर्मियों को ₹ 55.58 लाख के बकाया का भुगतान किया गया था जो कि अनियमित था।

प्रकरण इंगित किये जाने पर, प्राधिकरण द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया एवं अवगत कराया गया कि उक्त संविदा कर्मियों की सेवाओं को राज्य के गणमान्य व्यक्तियों की यात्रा के संचालन हेतु बढ़ाया गया था। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि प्राधिकरण परिचालन के एक वर्ष पश्चात भी नये सिरे से भर्ती करने में असफल रहा, साथ ही संविदा कर्मियों के वेतन में भी पूर्वव्यापी प्रभाव से वृद्धि की गयी थी।

1.5.3 वायुयान एवं हेलीकॉप्टर की खरीद व रख-रखाव

1.5.3.1 निधियों का अवरोधन

शासन द्वारा हेलीकॉप्टर के क्रय हेतु ₹ 40 करोड़ स्वीकृत किये गये थे (मार्च 2013)। स्वीकृत धनराशि को वैयक्तिक लेखा खाता (वै ले खा) में रखा गया था। प्राधिकरण दो वर्षों तक क्रय प्रक्रिया आरम्भ करने में असफल रहा और धनराशि को समर्पित (मार्च 2015) कर दिया गया। इसी बीच,

⁶⁰ यूटी एअर इण्डिया प्राइवेट लि: ₹ 2.29 लाख एवं आर्यन एवियेसन प्राइवेट लि: ₹ 1.46 लाख

₹ 50 करोड़ की धनराशि समान उद्देश्य हेतु दो समान किस्तों, अक्टूबर 2014 व मार्च 2015 में स्वीकृत की गयी थी। यह धनराशि भी लेखा-परीक्षा तिथि तक बिना किसी प्रगति के अनुपयोगी पड़ी हुई थी।

प्राधिकरण ने अवगत कराया कि हैलीकॉप्टर के क्रय से संबंधित निर्णय शासन स्तर पर लिया जाना था जो वर्तमान तक नहीं लिया गया था। उतर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्राधिकरण द्वारा शासन को हैलीकॉप्टर क्रय हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये जाने के संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था।

1.5.3.2 अनियमित व्यय

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 की कण्डिका 12(1) के अनुसार, जब क्रय की जाने वाली सामग्री का मूल्य ₹ एक लाख से ₹ 15 लाख के मध्य हो तो सीमित निविदा पृच्छा विधि को अपनाया जाना चाहिए। तथापि, लेखा परीक्षा में पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा नियमों की अवहेलना कर वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान सरकारी हैलीकॉप्टर एवं वायुयान हेतु क्रमशः ₹ 101.73 लाख एवं ₹ 66.98 लाख के पुर्जे एवं औजार क्रय किये गये थे। यदि प्राधिकरण द्वारा आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किया जाता तो प्रतिस्पर्धात्मक निविदा के माध्यम से न्यूनतम दरों का लाभ सुनिश्चित किया जा सकता था।

प्रकरण इंगित किये जाने पर, प्राधिकरण द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया एवं अवगत कराया गया कि इसे भविष्य में अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है।

1.5.4 राज्य की हवाई पट्टियों का उन्नयनीकरण/ रख-रखाव

1.5.4.1 निधियों का अवरोधन

प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2006-07 से वर्ष 2012-13 के दौरान भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना छः हेलीपैडों के निर्माण हेतु विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं को ₹ 5.60 करोड़⁶¹ अवमुक्त किये गये थे। भूमि उपलब्ध न होने के कारण उक्त हेलीपैडों का निर्माण लेखा परीक्षा तक प्रारम्भ नहीं हो सका था एवं उक्त धनराशि कार्यदायी संस्थाओं के पास दो से नौ वर्षों की अवधि से अवरूद्ध पड़ी थी।

प्राधिकरण द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया एवं अवगत कराया गया कि जैसे ही संबंधित जिला प्रशासन द्वारा भूमि उपलब्ध करायी जायेगी, हेलीपैडों का निर्माण कर दिया जायेगा।

1.5.4.2 म नि ना उ का अनुमोदन प्राप्त किये बिना हवाई पट्टियों का क्रियान्वयन

शासन द्वारा नैनी-सैनी हवाई पट्टी, पिथौरागढ़ के व्यवसायिक रूप में संचालन हेतु उच्चिकरण एवं विस्तारीकरण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी (मार्च 2009)। विद्यमान हवाई पट्टी जिसकी माप 1,330 x 20 मीटर थी, जो 20 सीटों से कम क्षमता वाले वायुयान के संचालन हेतु उपयुक्त थी, को 1,600 x 30 मीटर तक उन्नयनीकरण करके 48 सीट की क्षमता वाले वायुयान को संचालन करने

⁶¹ रायागर-बेरीनाग हेलीपैड: ₹ 84.24 लाख (05/2008), गोथी-धारचूला हेलीपैड: ₹ 96.10 लाख (05/2008), पीपलकोटी/ जोशीमठ हेलीपैड: ₹ 39.06 लाख (09/2006), डिखैत-पौड़ी हेलीपैड: ₹ 15.32 लाख (01/2010), कोटि-कॉलोनी टिहरी हेलीपैड: ₹ 150.00 लाख (03/2013) और नैनीताल हेलीपैड: ₹ 174.95 लाख (03/2013)।

योग्य बनाना था। निर्माण कार्य हेतु महानिदेशक, नागरिक उड्डयन (म नि ना उ) भारत सरकार का अनुमोदन अपेक्षित था।

प्राधिकरण द्वारा म नि ना उ से अनुमोदन प्राप्त किये बिना ही कार्य प्रारम्भ (अप्रैल 2010) कर दिया गया था एवं मार्च 2015 तक ₹ 27.39 करोड़ व्यय कर दिये गये थे। इसी बीच, म नि ना उ द्वारा प्रस्तावित उन्नयनीकरण के विपरीत सुझाव दिया गया (मार्च 2013) क्योंकि प्रस्तावित रन-वे का क्षेत्र उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पर्याप्त नहीं था। म नि ना उ ने सुझाव दिया कि प्राधिकरण को ए टी आर 42 प्रकार के वायुयान (48 सीट वाले) के स्थान पर अपेक्षाकृत छोटे वायुयान (19 सीट वाले) हेतु आवेदन करना चाहिए। इस प्रकार प्राधिकरण द्वारा ऐसा कार्य जो पर भारत सरकार द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था एवं जिससे कोई वास्तविक लाभ भी प्राप्त नहीं हुआ था, ₹ 27.39 करोड़ के जनधन को उतावलेपन से व्यय कर दिया गया था क्योंकि पूर्वनिर्मित हवाई पट्टी भी 20 सीट वाले वायुयानों के संचालन हेतु सक्षम थी।

प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि कार्य को म नि ना उ से अनुमोदन मिलने की प्रत्याशा में प्रारम्भ कर दिया गया था। उत्तर से स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है कि प्राधिकरण द्वारा जल्दबाजी में तथा व्यवसायिक निपुणता के विपरीत कार्य किया गया।

1.5.4.3 लैंडिंग/ पार्किंग शुल्क की वसूली न किया जाना

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्राधिकरण के अर्न्तगत संचालित विभिन्न हेलीपैडों एवं हवाई पट्टियों पर निजी कम्पनियों के हेलीकॉप्टरों/ विमानों द्वारा लैंडिंग पार्किंग एवं हेंगर प्रयोग के सापेक्ष शुल्क⁶² निर्धारित किया गया था (जून 2013)। ये दरें 1 मई 2013 से लागू होनी थीं।

जाँच में पाया गया था कि 9 मई 2014 से 31 मार्च 2015 के दौरान विभिन्न कम्पनियों के द्वारा सहस्त्रधारा हेलीपैड पर 627 बार (495 प्रथम एवं 132 अनुवर्ती) लैंडिंग/ पार्किंग की गयी थी एवं पाँच दिन हेंगर का प्रयोग किया गया था। लागू दरों के अनुसार, प्राधिकरण द्वारा इन सेवाओं के सापेक्ष ₹ 28.55 लाख⁶³ की वसूली की जानी थी जिसमें से केवल ₹ 5,650⁶⁴ की वसूली के अतिरिक्त अन्य वसूली नहीं की गयी थी। अन्य हेलीपैडों पर लैंडिंग/ पार्किंग शुल्क की गणना लेखा परीक्षा को सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने के कारण नहीं की जा सकी।

शासन ने उत्तर में अवगत कराया (दिसम्बर 2015) कि पूरे राज्य में वर्ष 2013-14 से जून 2015 तक के लैंडिंग/ पार्किंग शुल्क की वसूली हेतु धनराशि ₹ 1.69 करोड़ के बिल कम्पनियों को प्रेषित कर दिये गये हैं। शासन का उत्तर लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है।

1.5.4.4 कार्य का देरी से सम्पादन

शासन द्वारा प्रत्येक विभाग को कार्यदायी संस्था के साथ समझौता ज्ञापन (स ज्ञा) गठित किया जाना अनिवार्य (मई 2008) किया गया था ताकि निर्माण कार्य समय से पूरा किया जा सके एवं लागत

⁶² सहस्त्रधारा हेलीपैड पर प्रत्येक पहली लैंडिंग और रात के हॉल्ट के लिए दरें, उसी दिन होने वाली अनुवर्ती लैंडिंग और हेंगर के प्रयोग के लिए निर्धारित दरें क्रमशः ₹ 5,000, ₹ 2,500 और ₹ 10,000 प्रतिदिन प्रति हेलीकॉप्टर थीं।

⁶³ $(495 \times ₹ 5,000 = ₹ 24,75,000) + (132 \times ₹ 2,500 = ₹ 3,30,000) + (5 \times ₹ 10,000 = ₹ 50,000) = ₹ 28,55,000$ (9 मई 2014 से 31 मार्च 2015 तक की अवधि हेतु)।

⁶⁴ 19/03/2015 की लैंडिंग के सापेक्ष।

वृद्धि से बचा जा सके। निर्धारित समय से विलम्ब होने के प्रकरण में आवंटित कार्य रद्द करने हेतु प्राधिकरण को सशक्त बनाना था, जैसा कि आदर्श स जा में परिकल्पित था।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2009-10 से 2014-15 के मध्य कार्यदायी संस्थाओं को आवंटित 24 कार्यों में से किसी भी कार्य में स जा हस्ताक्षरित नहीं किया गया था। इनमें से छः⁶⁵ कार्य लेखा परीक्षा तिथि तक अपूर्ण थे। स जा गठित न किये जाने के कारण इन कार्यों के पूर्ण करने की कोई तिथि निश्चित नहीं की गई थी तथा कार्यों में विलम्ब के लिए कार्यदायी संस्थाओं के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई करने में प्राधिकरण असमर्थ था।

प्राधिकरण द्वारा लेखा परीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया गया।

1.5.5 आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली

किसी संगठन में आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली ऐसे क्रिया-कलाप एवं सुरक्षा उपाय हैं जिन्हें प्रबन्धन द्वारा लागू किया जाता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि संगठन लागू नियमों व विनियमों का पालन करते हुए, अपनी जवाबदेही एवं दायित्वों को पूरा करें तथा इसके परिचालन हेतु योजनाबद्ध तरीके से कार्यवाही की।

जाँच में पाया गया कि प्राधिकरण में अभिलेखों के रख-रखाव के स्तर में बहुत कमियाँ थीं, यहाँ तक कि प्राधिकरण के परिचालन हेतु आवश्यक मूल अभिलेखों का भी रख रखाव नहीं किया जा रहा था, निजी हेलीकॉप्टर कम्पनियों को प्रदत्त लैंडिंग, पार्किंग, हैंगर के उपयोग एवं अन्य सुविधाओं से संबंधित अभिलेख भी तैयार नहीं किये जा रहे थे। आय में वृद्धि, किसी भी प्रकार की पर्यटन सम्बन्धी बुनियादी सुविधाओं और निजी निवेश को प्राप्त करने में प्राधिकरण का प्रयत्न विफल रहा जैसा कि इसकी स्थापना के समय परिकल्पित किया गया था। प्राधिकरण के अर्न्तगत निर्माणाधीन हेलीपैड/ रनवे के संबंध में किसी भी अभिलेख का रख-रखाव नहीं किया जा रहा था। मूल अभिलेखों के अभाव के कारण लेखापरीक्षा, प्राधिकरण के परिचालन एवं क्रिया-कलापों के अनुश्रवण एवं नियंत्रण की पर्याप्तता को अभिनिश्चित नहीं कर पायी थी।

प्रकरण इंगित किये जाने पर प्राधिकरण द्वारा कोई उचित उत्तर नहीं दिया गया था।

प्रकरण शासन को प्रेषित कर दिया गया है (जुलाई 2015), उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2015)।

निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ

1. विभिन्न हेलीपैडों एवं हवाई पट्टियों पर निजी कम्पनियों के हेलीकॉप्टरों / विमानों के लैंडिंग, पार्किंग एवं हैंगर प्रयोग के सापेक्ष शुल्क नहीं वसूला जा रहा था।

प्राधिकरण को निजी कम्पनियों द्वारा सरकारी हेलीपैडों / हवाई पट्टियों के प्रयोग सम्बन्धी अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना चाहिए तथा उनसे निर्धारित दरों पर शुल्क वसूल किया जाना चाहिए।

2. प्राधिकरण द्वारा सरकारी हेलीपैडों एवं वायुयान के कलपुर्जों की अधिप्राप्ति के सम्बन्ध में प्रचलित नियमों/ अधिनियमों का पालन नहीं किया जा रहा था।

⁶⁵ एक 2010 में, तीन 2013 में, एक 2014 में और एक 2015 में।

धन का सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने के लिए सभी खरीद पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक एवं उचित तरीके से की जानी चाहिए।

संस्कृति विभाग

1.6 निरर्थक व्यय

संस्कृति विभाग द्वारा, उस भूमि पर जिस पर उसका स्वामित्व नहीं था, प्रेक्षागृह के अनाधिकृत निर्माण के परिणामस्वरूप ₹ 1.03 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

राज्य सरकार द्वारा, हरिद्वार में स्थानीय संस्कृति को संरक्षित एवं प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संस्कृति विभाग के लिए 250 सीट के प्रेक्षागृह के निर्माण हेतु ₹ 1.67 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी (मार्च 2008)। वन विभाग द्वारा उत्तराखण्ड पेयजल निगम, ऋषिकेश खण्ड को निर्माण कार्य आरम्भ करने हेतु ₹ 1.20 करोड़⁶⁶ की धनराशि उपलब्ध करायी गयी।

निर्माण एजेंसी के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच (जुलाई 2014) एवं निदेशक, संस्कृति से पुनः प्राप्त की गई सूचना (मार्च 2015) में पाया गया कि उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा 'अहमदपुर कदच्छड़' गांव की उस भूमि के टुकड़े पर प्रेक्षागृह का निर्माण आरम्भ किया गया (सितम्बर 2008) जिसका स्वामित्व भारत सरकार की कम्पनी भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (भेल) के पास था। बी एच ई एल द्वारा बार-बार कार्य रोकने के अनुरोध के पश्चात पुलिस कार्रवाई के माध्यम से कार्य बंद कराया गया (अगस्त 2011)। तब तक, 65 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका था और ₹ 1.03 करोड़ का व्यय भी हो चुका था।

पुनश्च गतिरोध के कारणों की जांच में आगे पाया गया कि बी एच ई एल ने कथित गांव में अपनी 32 एकड़ जमीन, जिसमें जमीन विभिन्न लोगों के द्वारा लगातार अतिक्रमित की जा रही थी, को जिला प्रशासन को हस्तान्तरित करना प्रस्तावित किया था (सितम्बर 2007)। तथापि, भेल ने यह स्पष्ट कर दिया था कि भेल का स्थानीय प्रबंधन इस हस्तान्तरण और प्रस्ताव के लिये अधिकृत नहीं था, इस संबंध में राज्य सरकार का प्रस्ताव, भेल के कॉर्पोरेट कार्यालय को निदेशक मण्डल की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। जिला प्रशासन ने इस प्रस्ताव को 'भूमि के हस्तान्तरण' के रूप में लिया और इस भूमि के हिस्से (जिसकी माप 0.747 हेक्टेयर थी) को निर्माण एजेंसी को प्रेक्षागृह के निर्माण हेतु हस्तान्तरित किया गया (जून 2008)। भेल के द्वारा उचित स्वीकृति के अभाव में, यह हस्तान्तरण अनाधिकृत था तथा भारत सरकार की सम्पत्ति के अतिक्रमण जैसा था, जिसके परिणामस्वरूप भेल प्रबंधन द्वारा कार्य रूकवा दिया गया। यदि विभाग द्वारा, जिला प्रशासन पर, एजेंसी को निर्माण कार्य देने से पूर्व भूमि का एक स्पष्ट स्वामित्व प्राप्त किये जाने पर जोर दिया गया होता तो यह परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती।

अगस्त 2011 में भेल द्वारा कार्य रूकवाने के बाद विभाग ने भेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, नई दिल्ली को औपचारिक रूप से भूमि के हस्तान्तरण के संबंध में प्रस्ताव दिया (जनवरी 2013)। यह

⁶⁶ सितम्बर 2008, अप्रैल 2010 तथा मई 2011 में ₹ 40 लाख की तीन समान किस्तें।

प्रकरण आज तक भेल, नई दिल्ली में बिना किसी प्रगति के लंबित था। फिर भी, ₹ 1.03 करोड़ का सम्पूर्ण खर्च निरर्थक रहा तथा परियोजना के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई। इसके अतिरिक्त, परियोजना को पूर्ण करने की अपेक्षित लागत पहले ही ₹ 1.67 करोड़ से बढ़कर नई संशोधित लागत ₹ 3.54 करोड़ हो गई (जैसा कि अगस्त 2011 में प्रस्तावित था) जो कि निश्चित ही समय के साथ और बढ़ जायेगी।

निदेशक, संस्कृति ने समस्त उल्लिखित तथ्यों की पुष्टि की। फिर भी, निदेशक ने, बिना स्पष्ट अधिकार के भूमि पर निर्माण एजेन्सी को निर्माण कार्य के प्रारम्भ किये जाने का इस आधार पर बचाव किया कि विभिन्न सरकारी परियोजनाओं के लिये भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराना जिला प्रशासन के क्षेत्र के अन्तर्गत था एवं ऐसा ही जिला प्रशासन के द्वारा किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि प्रेक्षागृह का निर्माण विभाग के प्रयोगार्थ था। इसलिये, विभाग यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी था कि उसके हितों का किसी भी प्रकार से समझौता न हो। अभी तक, परियोजना को पूर्ण करने की थोड़ी सी भी प्रगति दिखाई नहीं दी जैसा कि भेल के द्वारा इस मुद्दे पर कोई रुचि नहीं दिखायी गयी थी। इस सम्पूर्ण घटना क्रम का परिणाम इस बात का भी प्रमाण है कि कैसे विभाग की शिथिलता और विवेक की कमी के परिणामस्वरूप निधियों का अवरोधन के कारण सम्पूर्ण खर्च निष्फल हुआ।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (मई 2015); उत्तर प्रतिक्रिया था (दिसम्बर 2015)।

वन विभाग

1.7 राजस्व की हानि

वन विभाग द्वारा वन उपज के विदोहन में रुकावट के फलस्वरूप ₹ 93.31 लाख की राजस्व हानि हुई।

राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के अंतर्गत 10 वर्षीय 'वन कार्य योजना' की स्वीकार्यता अनिवार्य है, जो अनवरत प्रबंधन, संरक्षण और वन संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित करती है, तथा पूरे देश में वन प्रबंधन योजना में एकरूपता लाती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी पूरे देश में केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी वन में सभी गैर वानिकी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है (दिसम्बर 1996)। विभाग को वर्तमान कार्यकारी योजना प्रतिवेदन की समाप्ति से कम से कम दो वर्ष पूर्व प्रारम्भिक कार्य योजना को अनुमोदित कर देना चाहिये ताकि अंतिम कार्य योजना की तैयारी, भारत सरकार के विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इसका अनुमोदन एवं कार्यान्वित करने हेतु सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी को इसकी सुपर्दगी, वर्तमान योजना की समाप्ति के पहले पूर्ण किया जा सके।

प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग के अभिलेखों की जांच (फरवरी 2015) में पाया गया कि प्रभाग के लिये स्वीकृत कार्य योजना मात्र 2012-13 तक की अवधि तक ही वैध थी एवं विभाग द्वारा इस अवधि की समाप्ति से पूर्व भारत सरकार से नई कार्य योजना की स्वीकृति नहीं करायी गयी थी। इस प्रकार, वर्ष 2013-14 के बाद से प्रभाग हेतु कोई भी अनुमोदित कार्य योजना नहीं थी जिससे वन उपज का अग्रेतर विदोहन जैसे लीसा का संग्रह (चीड़ के पेड़ों से निकाले गये रेजिन) एवं विक्रय और

गिरे हुए पेड़ों के काष्ठ की संग्रह एवं बिक्री, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया था, रोक दिया गया जिससे विभाग को राजस्व उत्पादन के बहुमूल्य स्रोत से वंचित रहना पड़ा।

लेखापरीक्षा ने, वन सम्पदा के विदोहन में रुकावट का अनुदारवादी आंकलन कर, जो विगत तीन वर्षों का प्रतिबंध से पूर्व की औसत मात्रा एवं उपज के मूल्य पर आधारित था, पाया कि वर्ष 2013-14 व 2014-15 में लीसा का विदोहन न करने व काष्ठ की बिक्री न होने के कारण ₹ 93.31 लाख की राजस्व हानि⁶⁷ हुई। यदि विभाग ने कार्य योजना शीघ्र तैयार कर पूर्व कार्य योजना की वैधता समाप्त होने से पूर्व भारत सरकार से इसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली होती तो इस हानि को बचाया जा सकता था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, प्रभागीय वनाधिकारी ने तथ्यों की पुष्टि की और बताया कि स्वीकृत कार्य योजना के अभाव में लीसा के विदोहन व लकड़ियों का बिक्री सम्बन्धी कार्यकलाप नहीं किया जा सकता था। प्रत्युत्तर लेखापरीक्षा आपत्ति का समर्थन करता है। विभाग आसानी से अपने राजस्व के स्रोत, बहुमूल्य वन सम्पदाओं के अपव्यय को रोकने एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का परिपालन, समय से कार्ययोजना के गठन एवं अनुमोदन द्वारा सुनिश्चित कर सकता था। जो इस प्रकरण में नहीं किया गया।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया था (मई 2015), उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2015)।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

1.8 निष्फल व्यय

बेस अस्पताल के निर्माण के लिए स्थल का त्रुटिपूर्ण ढंग से चयन करने के कारण स्थल विकास पर ₹ 2.12 करोड़ का निरर्थक व्यय किया गया।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा बेस अस्पताल चंदोक, पिथौरागढ़ के निर्माण हेतु ₹ 35.59 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी (नवम्बर 2011)।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़ के अभिलेखों की संवीक्षा में (दिसम्बर 2014) पाया गया कि विभाग का चयनित स्थल पर अस्पताल निर्माण का कदम सुगम पहुँच के घटक जो कि लोक सुविधाओं का अनिवार्य लक्षण है, पर आधारित नहीं था, क्योंकि स्थल जिला मुख्यालय से 12 किमी. की दूरी पर स्थित था। इस कारण लोक प्रतिनिधियों एवं राजनीतिक दलों द्वारा विरोध किया गया। इन विरोधों के कारण, सरकार ने निर्माण स्थल चंदोक से लिथुआण्डा में जो कि जिला मुख्यालय के पास में ही है, परिवर्तित कर दिया (अक्टूबर 2012)। फिर भी, स्थल विकास एवं वन भूमि

⁶⁷ लीसा सत्व प्राप्त न करने के कारण राजस्व की ₹ 55.42 लाख राजस्व की हानि (₹ 22.60 लाख 2013-14 में और ₹ 32.82 लाख 2014-15 में) + टिम्बर की बिक्री न होने से ₹ 37.89 लाख राजस्व की हानि (₹ 13.12 लाख 2013-14 में और ₹ 24.77 लाख 2014-15 में)।

स्थानान्तरण पर ₹ 2.12 करोड़⁶⁸ जो पहले ही व्यय किए जा चुके थे स्थल परिवर्तन के आदेश के बाद किया गया। स्थल परिवर्तन के कारण किया गया यह सम्पूर्ण व्यय अंततः निष्फल रहा।

यह इंगित किये जाने पर, सरकार ने अवगत कराया (अक्टूबर 2015) कि स्थल परिवर्तन, चिकित्सीय सुविधायें सभी की पहुँच में हों, को ध्यान में रखते हुए किया गया था तथा यह आम जनता के निवेदन पर आधारित था। शासन द्वारा दिये गये उत्तर से स्पष्ट प्रमाण है कि विभाग द्वारा इस पहुँच को अस्पताल निर्माण हेतु दूरस्थ स्थल के चयन के समय नहीं अपनाया गया। इस लोकधन के निष्फल व्यय के लिए सरकार स्वयं उत्तरदायी है, क्योंकि अस्पताल निर्माण के लिए पूर्व चयनित स्थल पर निर्माण हेतु कोई आपत्ति नहीं लगाई गयी।

इस प्रकार त्रुटिपूर्ण ढंग से स्थल चयन करने के कारण ₹ 2.12 करोड़ का निष्फल व्यय किया गया एवं ठेकेदार के साथ वित्तीय निहितार्थ पैदा किया गया जो कि ठेकेदार द्वारा ₹ 4.27 करोड़ धनराशि के प्रतिपूर्ति की मांग से स्पष्ट है।

गृह विभाग

1.9 निष्क्रिय उपकरण

भारत सरकार द्वारा हिल रिकवरी क्रेन जिस उद्देश्य के लिए आवंटित किये गये थे, उसकी पूर्ति नहीं हो पायी, जैसे कि पु अ, टिहरी और व पु अ, देहरादून को ₹ 40.89 लाख मूल्य के दो क्रेन आवंटित थे, क्रमशः छह और तीन साल की अवधि तक निष्क्रिय पड़े रहे।

पुलिस महानिदेशक (पु म), उत्तराखण्ड की मांग (मई 2005 और अगस्त 2010) के अनुसार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार (भा स) द्वारा सात हिल रिकवरी क्रेन (अप्रैल 2008 में पाँच, और मई 2011 में दो) 'राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना (रा रा दु रा से यो)' के अन्तर्गत पु म, उत्तराखण्ड को आवंटित की गई थी।

पुलिस अधीक्षक (पु अ), नई टिहरी के अभिलेखों से यह ज्ञात हुआ कि पु म, उत्तराखण्ड ने टिहरी जिले को ₹ 21.20 लाख की एक हिल रिकवरी क्रेन आवंटित (दिसम्बर 2008) की थी। क्रेन की लॉग बुक की जांच (सितम्बर 2011) में यह पाया गया कि ऑपरेटर की अनुपलब्धता के कारण क्रेन निष्क्रिय पड़ी रही (फरवरी 2015)।

इसी प्रकार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (व पु अ), देहरादून के अभिलेखों (नवम्बर 2014) से यह ज्ञात हुआ कि देहरादून जिले को आवंटित (दिसम्बर 2011) ₹ 19.69 लाख मूल्य के हिल रिकवरी क्रेन भी बेकार पड़ी रही (अगस्त 2014)।

प्रकरण इंगित किये जाने पर, पु अ, टिहरी ने बताया कि ऑपरेटर की अनुपलब्धता के कारण क्रेन का उपयोग नहीं किया जा सका, वहीं व पु अ, देहरादून ने बताया कि मांग न होने की वजह से क्रेन का उपयोग नहीं किया जा सका।

⁶⁸ परामर्श कार्य: ₹ 28.60 लाख, वन भूमि के लिए मुआवजा: ₹ 13.70 लाख एवं निर्माण: ₹ 169.375 लाख।

पु अ, टिहरी एवं व पु अ, देहरादून के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्य द्वारा की गई मांग के अनुसार ही पु म, उत्तराखण्ड को क्रेन आवंटित की गयी। इसके अतिरिक्त, दुर्घटना स्थलों से 640 दुर्घटना ग्रस्त वाहनों⁶⁹ को क्रमशः टिहरी एवं देहरादून में निकाला गया था, 55 वाहनों को व पु अ देहरादून के क्रेनों द्वारा हटाया गया था। वहीं उपरोक्त प्रश्नगत क्रेनों का उपयोग बिल्कुल नहीं किया गया था। शेष 585 वाहनों के मालिकों को पुलिस के पास क्रेन उपलब्ध रहते हुए भी वैकल्पिक साधनों द्वारा अपने वाहनों को हटवाना पड़ा था। इस प्रकार, जिस उद्देश्य के लिए इन क्रेनों को भारत सरकार द्वारा आवंटित किया गया था, उसकी पूर्ति नहीं हो पायी जैसे कि ₹ 40.89 लाख मूल्य की दो क्रेन क्रमशः छः और तीन साल की अवधि तक निष्क्रिय पड़ी रहीं और आने वाले वर्षों में उनकी स्थिति के खराब होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया था (मई 2015); उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2015)।

औद्योगिक विकास विभाग

1.10 उत्पादक को अदेय लाभ

मिथ्या दावों के आधार पर एक उत्पादक को ₹ 22.89 लाख के उपदान का भुगतान किया गया जो कि अब ₹ 9.91 लाख के ब्याज के साथ वसूली योग्य था।

उत्तराखण्ड सरकार ने समन्वित और नियोजित विकास के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए निर्माण एवं सेवा क्षेत्रों हेतु विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2008 लागू की थी। ऐसी उत्पादक इकाईयां जो कि जिला उद्योग केन्द्र (जि उ के) से आवश्यक अनुमोदन/ पंजीकरण के साथ अस्तित्व में आई थीं, वे उक्त नीति के अन्तर्गत विद्युत देयकों में सब्सिडी और रियायत की पात्र थीं। मिथ्या दावों, किसी आवश्यक सूचना की पूर्ति नहीं करने अथवा दी गई किसी शर्त का उल्लंघन करने के आधार पर विद्युत देयकों में रियायत प्राप्त करने के प्रकरण में 18 प्रतिशत ब्याज के साथ भू-राजस्व के समान तरीके से राशि वसूली योग्य थी।

महाप्रबन्धक, जि उ के कोटद्वार के अभिलेखों की जाँच (फरवरी 2014) में यह पाया गया कि नीति के अन्तर्गत बेसन निर्माण हेतु पंजीकृत एक उत्पादक⁷⁰ ने वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान वर्ष 2008-09 में अधिप्राप्त ₹ 19.26 लाख के औजार एवं संयंत्र पर ₹ 3.94 लाख की विशेष ब्याज सब्सिडी का दावा किया। उसी अवधि में उसने उत्पादन क्रियाकलापों के विद्युत देयकों पर ₹ 18.95 लाख की रियायत का भी दावा किया। विद्युत देयकों पर सब्सिडी स्वीकृत करने के लिए लेखापरीक्षित आर्थिक चिह्न या उत्पादन/ विक्रय विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिन्हे यह सुनिश्चित करने के क्रम में कि वाणिज्यिक उत्पादन किया गया है, विभाग द्वारा सब्सिडी जारी करने के पूर्व जांच किया जाना आवश्यक है। जबकि, यह पाया गया कि वर्ष 2013-14 तक के लेखा परीक्षित आर्थिक चिह्न अथवा उत्पादन/ विक्रय विवरणी की प्राप्ति के बिना उत्पादक द्वारा किये गये

⁶⁹ टिहरी (2009-15): 322 वाहन एवं देहरादून (2012-15): 318 वाहन।

⁷⁰ मैसर्स सुरेश कुमार बेसन उद्योग।

दावों को अनुमत्त किया गया तथा भुगतान किया गया। परिणामतः, वाणिज्यिक उत्पादन के दावों की सत्यता स्थापित नहीं की जा सकती है।

लेखापरीक्षा ने उत्पादक द्वारा जि उ के को प्रस्तुत सूचनाओं का मिलान वाणिज्यिक कर विभाग (वा क वि), कोटद्वार, पौड़ी के अभिलेखों से किया और पाया कि वर्ष 2008-09 के दौरान वा क वि में घोषित, अधिप्राप्त औजार एवं संयंत्र का मूल्य केवल ₹ 0.88 लाख था। यह उत्पादक द्वारा महाप्रबंधक जि उ के के समक्ष उसी अवधि में ₹ 19.26 लाख के औजार एवं संयंत्र की अधिप्राप्ति के दावों को मिथ्या सिद्ध करता है। मिलान में यह भी पाया गया कि वर्ष 2009-10⁷¹ के दौरान, उत्पादक द्वारा ₹ 6,160 के उत्पादन व्यय के साथ ₹ 0.45 लाख का कच्चा माल क्रय किया गया और मात्र ₹ 0.76 लाख के बेसन का विक्रय किया गया। इसी बीच, उसी वर्ष में, महाप्रबंधक जि उ के के समक्ष ₹ 6.14 लाख के विद्युत की खपत दर्शायी गयी, जिसके द्वारा उसी वर्ष हेतु ₹ 4.60 लाख (कुल खपत का 75 प्रतिशत) की उपदान अवमुक्त की गयी। इसप्रकार, जि उ के को दर्शायी गयी विद्युत की खपत (₹ 6.14 लाख) वा क वि को दर्शायी गयी उत्पादन लागत (₹ 0.45 लाख + ₹ 6,160 = ₹ 0.51 लाख) का 1,200 प्रतिशत था, जोकि निहसंदेह यह स्थापित करता है कि या तो जि.उ.के. को प्रस्तुत आकड़े कृत्रिम थे या औजार एवं संयंत्र और विद्युत का प्रयोग विशिष्ट उद्देश्यों के इतर किया जा रहा था। दोनों परिस्थितियों में, उत्पादक, प्रोत्साहन के लाभों को प्राप्त करने के अयोग्य था और मिथ्या दावों के आधार पर उसे भुगतान की गयी ₹ 22.89 लाख का उपदान ₹ 9.91 लाख के ब्याज के साथ वसूलनीय थी। यह भी कि, जिला अधिकारी द्वारा उत्पादक के दावों को अनुमत्त करने के पूर्व लेखापरीक्षित आर्थिक चिट्ठे को प्रस्तुत करने पर जोर देते हुए इसे आसानी से रोका जा सकता था।

इस ओर इंगित किये जाने पर लेखापरीक्षा इस निष्कर्ष को, कि विशिष्ट उद्देश्यों के इतर विद्युत का उपयोग किया गया, को सरकार ने यह कहते हुए स्वीकार किया (जून 2015) कि आटा पिसाई के कार्य हेतु भी विद्युत का प्रयोग किया गया। उक्त उद्योग के निर्मित उत्पाद में बेसन और आटा दोनों सम्मिलित हैं, के आधार पर उपदान दिये जाने को भी उनके द्वारा न्याय संगत करार दिया गया।

सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अभिलेखों में यह साक्ष्यकित है कि उक्त उद्योग केवल बेसन उत्पादन हेतु अधिकृत था और अन्य कोई कार्य (सेवा) उपलब्ध करने के लिए नहीं था। इस प्रकार, विशिष्ट उद्देश्यों के इतर विद्युत उपयोग हेतु उपदान नहीं दी जानी चाहिए थी।

ग्रामीण विकास विभाग

1.11 परिहार्य व्यय

विभाग द्वारा दोषपूर्ण डी.पी.आर. तैयार करने के कारण राज्य सरकार को केन्द्र पोषित योजना पी एम जी एस वाई के सड़क कार्य पर अपने संसाधनों से ₹ 152.20 लाख भुगतान करना पड़ा।

राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी एम जी एस वाई) के अंतर्गत पौड़ी जिले में 8.75 किमी. लम्बी किलबोखाल-तकोलीखाल मोटर मार्ग के निर्माण (चरण-1 के कार्य: पहाड़ी भाग के

⁷¹ उत्पादक द्वारा वा क वि के समक्ष विवरणी प्रस्तुत नहीं करने के कारण 2009-10 के आगे का मिलान नहीं किया जा सका।

कटान द्वारा कच्चा मार्ग का निर्माण) हेतु ₹ 208.02 लाख⁷² की वित्तीय एवं प्रशासनीक स्वीकृति प्रदान की गयी (दिसम्बर 2006)। कार्य ठेकेदार को ₹ 241.22 लाख कि धनराशि (निर्माण लागत आंगणित दरों से 17.65 प्रतिशत अधिक तथा रखरखाव कार्य आगणित दरों पर) में आवंटित किया गया (दिसम्बर 2007) जिसके पूर्ण करने की तिथि दिसम्बर 2008 थी। ठेका कार्य की मात्रा के आधार पर दिया गया था जिसका अर्थ था कि सरकार ठेकेदार को उसके वास्तविक रूप से किये गये कार्य की मात्रा के आधार पर ही भुगतान करना था। यह कार्य ठेकेदार द्वारा पूर्ण रूप से मार्च 2010 में पूर्ण किया गया।

कार्यालय अधिशासी अभियंता (अ अ) पी एम जी एस वाई, सिंचाई खण्ड, कोटद्वार के अभिलेखों की लेखापरीक्षा (सितम्बर 2014) में पाया गया कि विभाग ने प्राक्कलन में पहाड़ के उत्खनन से 1,34,933.06 घन मी. मिट्टी एवं पत्थर एवं 67,880.55 घन मी. साधारण पत्थर की उपलब्धता का अनुमान लगाया था तथा वही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (वि परि रि) में भी सम्मिलित किया गया था। इस संबंध में सड़क के संरेखण में की गई सर्वेक्षण रिपोर्ट के निष्कर्षों की भी अनदेखी की गयी जिसमें 18,196.05 घन मी. कठोर रॉक की उपलब्धता थी और इसके बावजूद उक्त आँकड़ों को वि परि रि में साधारण रॉक के रूप में शामिल किया गया। साथ ही वि परि रि भी दोषपूर्ण सिद्ध हुआ जैसा कि 78,323.19 घनमीटर हार्ड रॉक (एच आर) के साथ 1,08,008.66 घन मी. मिट्टी एवं पत्थर तथा 45,600.87 घनमीटर साधारण रॉक (ओ आर) का उत्खनन भी ठेकेदार द्वारा हिल साइड कटिंग के दौरान किया गया। यह कठोर रॉक बिल में 'अतिरिक्त मद' के रूप में शामिल किया गया था। कठोर रॉक खुदाई की लागत ₹ 201.11 लाख (78,323.19 घन मी. @ ₹ 218.25 प्रति घन मी. और इससे अधिक पर 17.65 प्रतिशत) रखी गयी थी। फिर भी, अन्य मदों की बचत से राज्य सरकार पर कार्य का वास्तविक व्यय भार ₹ 152.20 लाख पड़ा। चूंकि पी एम जी एस वाई शतप्रतिशत केन्द्र पोषित योजना है, यह लागत भारत सरकार द्वारा वहन किया जाना था यदि कठोर रॉक का प्रावधान वि परि रि में किया गया होता। इस प्रकार, राज्य सरकार द्वारा ₹ 152.20 लाख अतिरिक्त एवं परिहार्य व्यय वहन किया गया।

पुनश्च, लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि यदि कठोर रॉक का प्रावधान वि परि रि में सम्मिलित किया गया होता, तो ₹ 218.25 प्रति घन मी. के स्थान पर ₹ 168 प्रति घन मी. (यह मूल्य दर वि परि रि तैयार करते समय लागू थी) का ही भुगतान करना होता। इससे ₹ 152.20 लाख के व्यय भार में से ₹ 46.30 लाख की बचत⁷³ हो सकती थी। अतः विभाग को बढी हुई दर (₹ 218.25 प्रति घन मी.) से भुगतान किया गया जो कि कार्य निष्पादन के समय लागू थीं, इसके अतिरिक्त, इस कार्य में कठोर रॉक पर ठेकेदार को अतिरिक्त निविदा दर की अनुमति (17.65 प्रतिशत अधिक) किसी अन्य चल रहे अनुबंध में क्रियान्वित अतिरिक्त मदों पर विभाग द्वारा भुगतान विभाग की प्रथाओं का उल्लंघन था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर अधिशासी अभियंता ने स्वीकार किया कि यदि कठोर रॉक को वि परि रि में सम्मिलित किया जाता तो ₹ 152.20 लाख के राज्य के राजकोष पर इस अधिक

⁷² पी एम जी एस वाई के अनुसार ₹ 193.55 लाख निर्माण लागत भारत सरकार द्वारा वहन किया जाना था एवं ₹ 14.47 लाख मरम्मत, पांच साल के लिये, जो कि राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना था।

⁷³ (₹ 218.25 - ₹ 168) प्रति घनमी. X 78,323.19 घनमी. + 17.65 प्रतिशत अधिक अतिरिक्त।

दायित्व से बचा जा सकता था। हालांकि, कठोर रॉक के लिए पुर्ननिर्धारित दरों पर भुगतान को यह कहते हुये सही ठहराया कि यह दरें कार्य निष्पादन के समय लागू थीं।

अधिशाली अभियन्ता की स्वीकृति से विभाग की व्यवसायिक विफलता परिलक्षित होती है जिसके कारण गम्भीर वित्तीय भार राजकोष पर हुआ। एक ही समय में संशोधित दरों का औचित्य विभाग द्वारा वि परि रि तैयार करने के समय में प्रचलित दरों पर भुगतान किया जाना उचित नहीं है।

इसप्रकार, दोषपूर्ण वि परि रि तैयार करने के कारण ₹ 152.20 लाख का परिहार्य व्यय राज्य सरकार को हुआ साथ ही साथ ₹ 46.30 लाख का अधिक व्यय भी हुआ।

प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया (फरवरी 2015) उत्तर प्रतिक्रित था (दिसम्बर 2015)।

लोक निर्माण विभाग

1.12 ब्याज का परित्याग

ठेकेदारों को भुगतान किये गये मोबलाईजेशन अग्रिम पर ब्याज भारित नहीं करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.73 करोड़ के ब्याज का परित्याग हुआ।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का नियम 48, मोबलाईजेशन अग्रिम, मशीनरी उपकरण के सापेक्ष अग्रिम एवं कार्यों की प्रगति में वृद्धि हेतु अग्रिम को छोड़कर अन्य कार्य हेतु ठेकेदारों को अग्रिम भुगतान करने को स्पष्टतः अभिनिषेध करता है, परन्तु यह, अग्रिम भी ब्याज के भुगतान की शर्त पर दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, आवश्यक अनुपालन हेतु विभाग द्वारा प्रसारित (मई 2007) केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा निर्देशों (अप्रैल 2007) में भी सरकार के हितों की रक्षा हेतु उक्त पर जोर दिया गया है।

अधिशाली अभियन्ता (अ अ), निर्माण खण्ड-एशियन डेवलेपमेन्ट बैंक (नि ख ए डी बी), पिथौरागढ़ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच (दिसम्बर 2014) में यह पाया गया कि अल्मोड़ा, चम्पावत और पिथौरागढ़ (परिशिष्ट - 1.12.1) की 10 सड़कों के सुधारीकरण/ सुदृढीकरण सम्बन्धित कार्यों के चार अनुबंधों के सापेक्ष ठेकेदारों को ₹ 15.48 करोड़ के ब्याज रहित अग्रिम (अनुबंधित लागत के 10 प्रतिशत⁷⁴) का भुगतान किया गया। ब्याज रहित अग्रिम, उपर्युक्त इंगित नियम के अक्षरशः विपरीत था एवं कार्यस्थल पर लाई अथवा एकत्रित की गई सामग्री की आवश्यकता और वास्तविक लागत का मूल्यांकन किये बिना भुगतान किया गया था। इसके अतिरिक्त, मशीनरी एवं उपकरण अग्रिम के प्रकरणों में, नियोक्ता के बीमा तथा धारणाधिकार भी सुनिश्चित नहीं किये गये थे।

ठेकेदारों को ब्याज भारित किये बिना अग्रिम का भुगतान लागू नियमों का उल्लंघन था। लेखापरीक्षा ने 10 प्रतिशत प्रति वर्ष (घटते हुए अवशेष पर साधारण ब्याज) ब्याज को आगणित करते हुए इन ब्याज रहित अग्रिमों के वित्तीय प्रभावों का आंकलन किया जैसा कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में किया जाता है, और महालेखाकार ने फरवरी 2014 में सरकार को इस संबंध में सलाह दी थी और पाया कि ठेकेदारों को दिये गये अग्रिमों पर ब्याज भारित नहीं किये जाने के कारण देय ₹ 1.73 करोड़ की राशि का विभाग ने परित्याग किया।

⁷⁴ मोबलाईजेशन अग्रिम पांच प्रतिशत और मशीनरी अग्रिम पांच प्रतिशत।

अ अ, नि ख-ए डी, बी लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़ ने ही केवल अवगत कराया कि अग्रिमों का भुगतान अनुबंधों की शर्तों एवं नियमों के अनुसार किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है जैसा कि अनुबंध लागू नियमों का उल्लंघन कर रहे थे और राजकोष की कीमत पर ठेकेदारों के हितों का संरक्षण कर रहे थे।

प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया (मई 2015), उत्तर प्रतिक्रियित था (दिसम्बर 2015)।

1.13 ठेकेदार को अदेय लाभ

विभाग द्वारा स्वयं के मानदंडों के विपरीत ठेकेदार को समयवृद्धि का अनुचित लाभ दिया गया जो कि ₹ 3.30 करोड़ के ऋणमुक्त नुकसान (लिक्विडेटेड डैमेज) की माफी प्रदर्शित करता है।

परियोजना निदेशक, एशियन विकास बैंक वित्तपोषित निर्माण कार्यों की परियोजना प्रबंधक इकाई (प नि प प्र इ-ए डी बी) द्वारा पौड़ी खिर्सू-आदिबद्री मोटर मार्ग (किमी 0.00 से किमी 21.07 तक) तथा चौबट्टाखाल-चौरीखाल मोटर मार्ग (किमी 0.0 से किमी 25.96 तक) के निर्माण हेतु एक ठेकेदार को ₹ 33.02 करोड़ का ठेका आवंटित किया गया था (मार्च 2010)। कार्य की पूर्णता हेतु 6 माह प्रति लक्ष्य (मई 2010-अक्टूबर 2010, नवम्बर 2010-अप्रैल 2011 एवं मई 2011-अक्टूबर 2011) निर्धारित करते हुए तीन लक्ष्य (माइलस्टोन) संस्तुत किये गये थे। ठेकेदार को क्रमशः 25 प्रतिशत, 50 प्रतिशत तथा 100 प्रतिशत की वित्तीय प्रगति इन लक्ष्यों के सन्दर्भ में सुनिश्चित करनी थी। जिनके न किये जाने की दशा में वह मूल अनुबंध के 1/6000 वें भाग के मूल्य के ऋणमुक्त नुकसान का (कार्य के पूर्णभाग हेतु मूल अनुबंध मूल्य के 1/2000 वां भाग प्रतिदिन), मूल अनुबंध मूल्य के 10 प्रतिशत प्रतिदिन की सीमा तक, भुगतान करने हेतु उत्तरदायी था। यदि ठेकेदार उतने दिनों तक, जितना कि अधिकतम ऋणमुक्त नुकसान (अनुबंध मूल्य के 10 प्रतिशत) भुगतान किया जाना था, का कार्य पूर्ण करने में देरी करता है तो इसे अनुबंध का मूलभूत उल्लंघन माना जाता और विभाग इस आधार पर अनुबंध समाप्त कर सकता था।

अधिशाली अभियन्ता (अथवा परियोजना प्रबंधक), निर्माण खण्ड, एशियन विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित निर्माण कार्य (अ अ नि ख- ए डी बी), लोक निर्माण विभाग, पौड़ी के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि ठेकेदार द्वारा किसी भी निर्धारित लक्ष्य को समय पर पूरा नहीं किया गया। कार्य निर्धारित 18 माह के स्थान पर 50 माह में पूरा हुआ (जून 2014)। अतः अ अ, नि ख - ए डी बी द्वारा ठेकेदारों से ₹ 16.09 करोड़ धनराशि (परिशिष्ट - 1.13.1) ₹ 3.30 करोड़ की सीमा तक, ऋणमुक्त नुकसान के रूप में वसूली की जानी थी, जो नहीं की गयी।

आगे जांच में पाया गया कि एक ओर अ अ नि ख - ए डी बी ने ₹ 82.50 लाख की धनराशि ठेकेदार से देरी (168 दिन) से निर्धारित लक्ष्य प्राप्त होने पर ऋणमुक्त नुकसान के रूप में काटी थी, वहीं दूसरे व तीसरे निर्धारित लक्ष्यों के लिए प्रस्तुत देयकों से कोई कटौती नहीं की गयी। इसके स्थान पर प नि प प्र इ - ए डी बी द्वारा सभी अनुबंधों में कार्य पूर्ण होने की अवधि समाप्ति के बाद व अ अ नि ख-ए डी बी के ठेकेदारों के निष्क्रिय दृष्टिकोण के कारण अनुबंध के रद्द करने की तीव्र एवं स्पष्ट

अनुशंसा⁷⁵ के बाद भी ठेकेदार को पांच समयवृद्धियां (जनवरी 2012, फरवरी 2012, मार्च 2013, दिसम्बर 2013 तथा जुलाई 2014) प्रदान की गयी थी। इन समयवृद्धियों के बाद पहले से काटे गये ऋणमुक्त नुकसान की राशि ₹ 82.50 लाख भी ठेकेदार को वापस कर दी गयी (अगस्त 2014)।

यह पाया गया कि दोषी ठेकेदार को बार-बार समयवृद्धियां प्रदान करने से ₹ 3.30 करोड़ के ऋणमुक्त नुकसान की माफी दी गयी जोकि अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन था और यह तब भी प्रदान की गयी जबकि यह विभाग के संज्ञान में था कि ठेकेदार अपने दृष्टिकोण के प्रति अति निष्क्रिय था और समयवृद्धि पाने हेतु काल्पनिक आधार प्रस्तुत कर रहा था। इसके अतिरिक्त, समयवृद्धियां अनियमित थीं क्योंकि यह प नि, प प्र इ-ए डी बी द्वारा प्रदान की गयी थी जो कि लोक निर्माण विभाग जी पी डबल्यू-9 के परिच्छेद 7 के अनुसार प्राधिकृत नहीं था। इससे बढ़कर अनुबंध की शर्तानुसार⁷⁶ परियोजना प्रबंधक (अथवा अ अ) समयवृद्धि हेतु सक्षम था तथा पी डी समयवृद्धि हेतु सक्षम नहीं था। अतः ठेकेदार को समयवृद्धि के रूप में अदेय लाभ दिये जाने से न केवल राजकोष को ₹ 3.30 करोड़ ऋणमुक्त नुकसान माफी के रूप में भार पड़ा बल्कि जनता की भी, सड़क निर्माण न होने से उत्पन्न कठिनाईयों में वृद्धि हुई।

इस संबंध में इंगित किये जाने पर, अ अ नि ख-ए डी बी द्वारा अवगत कराया गया कि ऋणमुक्त नुकसान की राशि की कटौती पहले निर्धारित लक्ष्य हेतु की गयी थी। उनके द्वारा साथ ही जोड़ा गया कि और धनराशि की कटौती नहीं की गयी क्योंकि समयवृद्धि समय-समय पर प्रदान की गयी थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अ अ नि ख-ए डी बी ने ऋणमुक्त नुकसान की कटौती समयवृद्धि दिये जाने से काफी पहले ही बंद कर दी थी, समयवृद्धि का आधार उचित न था, समयवृद्धि अवधि अधिकतम अनुमोदनीय समयसीमा (वह अवधि जिसके लिए ऋणमुक्त नुकसान की अधिकतम राशि अर्थात अनुबंध के मूल्य का 10 प्रतिशत का भुगतान किया जा सकता था) से अधिक थी, तथा इन समयवृद्धियों को स्वीकार करने वाला प्राधिकारी, ऐसी समयवृद्धियों को स्वीकार करने हेतु प्राधिकृत नहीं था। साथ ही पहले से काटा गया ऋणमुक्त नुकसान ठेकेदार को वापस कर दिया गया था।

प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया (जुलाई 2015), उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2015)।

1.14 लोक निर्माण विभाग में निक्षेप कार्य

1.14.1 परिचय

राज्य लोक निर्माण विभाग (लो नि वि) राज्य में सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं, पुलों और प्रमुख सरकारी इमारतों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, यह संबंधित विभागों द्वारा हस्तांतरित निधियों के माध्यम से एक "कार्यदायी संस्था" के रूप में निक्षेप कार्य भी करता है। लो नि वि के अतिरिक्त सिंचाई खंडों और राज्य ग्रामीण अभियंत्रण सेवा (ग्रा अभि स) द्वारा भी राज्य में निक्षेप कार्य किया जाता है।

यद्यपि अनुपालन लेखापरीक्षा लो नि वि खण्डों द्वारा वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक की अवधि के दौरान निष्पादित किए गए निक्षेप कार्यों के क्रियान्वयन पर केंद्रित था। राज्य सरकार द्वारा

⁷⁵ अ अ, नि.ख. -ए डी बी ने 19 बार ठेकेदार को कार्य की प्रगति तेज करने व चार बार उच्चाधिकारियों को ठेकेदार की अनिच्छा तथा साथ ही ठेकेदार के कार्य समय पर पूर्ण करने की अक्षमता के कारण अनुबंध को रद्द करने हेतु लिखा था।

⁷⁶ अनुबंध की शर्तों का भाग 7(ब)(26)।

₹ 1,596.47 करोड़ राशि अवमुक्त की गई जिसके सापेक्ष लो नि वि द्वारा आच्छादित अवधि में ₹ 1,507.03 करोड़ का उपयोग किया गया था। चयनित जिलों में, अवमुक्त की गई राशि ₹ 392.24 करोड़ के सापेक्ष, ₹ 355.27 करोड़ का उपयोग किया गया था। यह अनुपालन लेखापरीक्षा अप्रैल से जून 2015 तक लो नि वि खण्डों के मासिक खातों⁷⁷ में शामिल अधिकतम निक्षेप कार्यों की संख्या के आधार पर चयनित कुल आठ खण्डों⁷⁸, जिनमें से तीन खण्ड कुमायूँ तथा पाँच गढ़वाल जोन के थे तथा जो लेखापरीक्षा हेतु अपेक्षित थे, के अभिलेखों की नमूना जांच द्वारा संपादित की गई। लेखापरीक्षा निष्कर्ष की चर्चा निम्न प्रस्तारों में की गई है:

1.14.2 अभिलेखों का खराब रख-रखाव

निक्षेप कार्यों के लेखों को दो भागों में संकलित और समेकित किया जाता है अर्थात् प्रपत्र-65 में, जिसका भाग-I चालू माह के दौरान प्रभावित हुए निक्षेप कार्यों का विवरण दर्शाता है और भाग-II समस्त निक्षेप कार्यों का विवरण दर्शाता है, जो परिचालन में है।

नमूना जांच के लिए चयनित खण्डों की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि नि ख, लो नि वि, नैनीताल एवं आंशिक रूप से नि ख, लो नि वि, देहरादून को छोड़कर वास्तविक निक्षेप की प्राप्ति, किया गया व्यय, कार्यों के प्रगति की अद्यतन स्थिति एवं निधियों की उपलब्धता के संबंध में शुद्ध चित्रण हेतु रख रखाव एवं निर्धारित प्रपत्र-65 में प्रतिवेदित नहीं किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, आठ में से छह खंडों द्वारा निक्षेप कार्यों के लेखों को, उनके द्वारा निष्पादित किए जा रहे अन्य नियमित लोक निर्माण कार्यों के साथ-साथ प्रपत्र-64⁷⁹ में प्रस्तुत करते पाये गए। इस ओर इंगित किए जाने पर खण्डों द्वारा तथ्यों को स्वीकारा गया एवं भविष्य में अभिलेखों के उचित रखरखाव का आश्वासन दिया गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त अभिलेखों की जाँच में यह भी पाया गया कि निक्षेप रजिस्टर के भाग-III, जो कि निक्षेप कार्यों के प्राथमिक अभिलेखों में से एक है, का रखरखाव नमूना जांच किए गए आठ में से दो⁸⁰ खंडों द्वारा नहीं किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, मुख्य अभियंता, विभाग के प्रमुख (विभागाध्यक्ष), लो नि वि खण्डों द्वारा राज्य में निष्पादित किए गए कुल निक्षेप कार्यों की कोई जानकारी या अभिलेख, प्रदान नहीं किया जा सका। तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा 2012-13 से 2014-15 तक की अवधि के दौरान कुल निष्पादित किए गए एवं पूर्ण किए गए निक्षेप कार्यों के विवरण, नमूना जांच किए गए खण्डों के अन्य सहायक अभिलेखों से उद्धरण किये गए। विवरण तालिका 1.14.1 में दिया गया है-

⁷⁷ खण्डों द्वारा लेखा एवं हकदारी कार्यालय को प्रस्तुत की गई मासिक खातों से एकत्रित की गई सूचनाएँ।

⁷⁸ निर्माण खण्ड (नि ख), लोक निर्माण विभाग, देहरादून, हल्द्वानी, नैनीताल, रुड़की और प्रांतीय खण्ड (प्रा ख), लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार, रुद्रपुर, पौड़ी व भटवाड़ी।

⁷⁹ निक्षेप कार्यों के अतिरिक्त आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर कार्यों के लेखों को फार्म-64 में संकलित और समेकित किया जाता है

⁸⁰ प्रा ख लो नि वि पौड़ी और नि ख लो नि वि नैनीताल।

तालिका 1.14.1

| खण्ड का नाम (लो नि वि) | मार्च 2012 को निक्षेप कार्य | अप्रैल 2012 से मार्च 2015 के दौरान आवंटित किए गए कार्य | कुल कार्य | मार्च 2015 तक वास्तव में पूर्ण हुए कार्य | अनारम्भ कार्य |
|---------------------------|--------------------------------|--|------------|--|------------------|
| नि ख देहरादून | 52 | 161 | 213 | 152 | 03 |
| नि ख हल्द्वानी | 11 | 05 | 16 | 01 | 00 |
| नि ख नैनीताल | 59 | 58 | 117 | 82 | 02 |
| नि ख रुड़की | 10 | 07 | 17 | 11 | 00 |
| प्रा ख हरिद्वार | 38 | 29 | 67 | 52 | 00 |
| प्रा ख रुद्रपुर | 06 | 14 | 20 | 07 | 00 |
| प्रा ख पौड़ी | 05 | 05 | 10 | 05 | 00 |
| प्रा ख भटवाड़ी | 04 | 08 | 12 | 04 | 01 |
| योग | 185 | 287 | 472 | 314 | 06 |

स्रोत: खण्डों द्वारा प्रदान / उद्धरण किए गए

*जिला प्रशासन, सांसद/विधायक निधि, इत्यादि से प्राप्त निधियों से विभाग द्वारा किए गए कार्यों के अलावा अन्य कार्य शामिल

उपरोक्त कार्यों के संबंध में, लेखापरीक्षा में निम्न बिंदु प्रकाश में आए :

1.14.3 दायित्वों का सृजन

वित्तीय हस्त पुस्तिका (वि ह पु) भाग-VI: के प्रस्तर 580 के अनुसार निक्षेप कार्यों पर परिव्यय, प्राप्त निक्षेप राशि की सीमा के अधीन हो तथा निक्षेप कार्यों पर प्राप्त निक्षेप राशि से अधिक किए गए कोई भी व्यय "प्रकीर्ण लोकनिर्माण अग्रिम" के अधीन प्रभारित होगा।

- अभिलेखों की लेखा परीक्षा जांच में पता चला है कि नि ख देहरादून में, 14 निक्षेप कार्यों का निष्पादन प्राप्त निक्षेप राशि से ₹ 49.36 लाख अधिक व्यय करके किया गया था। इसके अतिरिक्त, 18 निक्षेप कार्यों का निष्पादन, न केवल इन कार्यों पर प्राप्त निक्षेप राशि से बल्कि इनकी स्वीकृत लागत से भी ₹ 130.65 लाख अधिक व्यय करके किया गया था। यह भी पाया गया कि इन कार्यों पर प्राप्त निक्षेप राशि से किए गए अधिक व्यय को "प्रकीर्ण लोकनिर्माण अग्रिम" के अधीन प्रभारित नहीं किया गया था। इस प्रकार 32 निक्षेप कार्यों पर, इनके लिए प्राप्त वास्तविक निक्षेप राशि से ₹ 180.01 लाख (परिशिष्ट-1.14.1) अधिक, अन्य निक्षेप कार्यों पर प्राप्त निक्षेप राशि से खर्च किया गया था।

इस ओर इंगित किए जाने पर, खण्डों द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया गया कि आधिकार्यों का समायोजन आगणन के संशोधन और संशोधित मांगों द्वारा किया जाएगा।

- नमूना जांच किए गए आठ में से दो खण्डों⁸¹ की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि लो नि वि द्वारा ₹ 427.40 लाख की आगणित लागत के नौ ऐसे कार्य किये गये जिसके लिए ग्राहक विभागों द्वारा निधि अवमुक्त नहीं की गई थी। खण्डों द्वारा इन कार्यों पर ₹ 147.69 लाख खर्च किए गए, जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि अन्य निक्षेप कार्यों से निधि का व्यावर्तन कर दायित्व का सृजन किया गया।

⁸¹ नि ख देहरादून (छः कार्य) और नि ख नैनीताल (तीन कार्य)।

इस ओर इंगित किए जाने पर, खण्डों⁸² द्वारा अवगत कराया गया कि सभी कार्य स्वीकृत कार्य थे और आधिक्य, ग्राहक विभाग से निक्षेप प्राप्त होने पर समायोजित हो जाएगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि चाहे वह स्वीकृत कार्य हों, निधि जारी किए बिना कार्यों का निष्पादन, नियमों⁸³ के तहत निषिद्ध है।

इस प्रकार बिना निधि जारी किए कार्यों को किए जाने और वास्तविक निक्षेप प्राप्ति से अधिक व्यय के परिणामस्वरूप धनराशि ₹ 147.69 लाख का व्ययाधिक्य और ₹ 180.01 लाख के दायित्व का सृजन किया गया।

1.14.4 शेष धनराशि का समर्पण न किया जाना

वि ह पु भाग-VI के वित्तीय नियम 519 (ब) के अनुसार यदि कोई निक्षेप राशि शेष रह जाए तो, प्रभागीय अधिकारी के अनुमोदन के साथ उसके अभ्यर्पण के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए।

लेखा परीक्षा जांच में पता चला है कि 40 पूर्ण किए गए निक्षेप कार्य (परिशिष्ट - 1.14.2) के व्यय न हुये निक्षेप राशि ₹ 46.34 लाख को संबन्धित खण्डों द्वारा ग्राहक विभागों को अभ्यर्पित नहीं किया गया जिससे वह धनराशि अवरुद्ध रही। इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि नि ख नैनीताल में 29 निक्षेप कार्य के सापेक्ष ₹ 185.89 लाख की धनराशि 2010-11 से बिना व्यय के पड़ी हुई है। इस ओर इंगित किए जाने पर, खंडों⁸⁴ द्वारा उत्तर दिया गया कि कार्य पूर्ण हो गया है और शेष धनराशि का समर्पण ग्राहक विभाग को कर दिया जाएगा जबकि अधिशासी अभियंता (अधि अभि), नि ख नैनीताल द्वारा उत्तर दिया गया कि शेष धनराशि को समर्पण करने या उसका उपयोग करने से सम्बन्धित वार्ता ग्राहक विभाग के साथ की जाएगी। अधि अभि, नि ख, नैनीताल का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि चार वर्ष से अधिक समय तक बिना व्यय हुई धनराशि को, प्रभागीय अधिकारी के अनुमोदन से ग्राहक विभाग को समर्पण कर देना चाहिए था।

प्रा ख, लो नि वि, हरिद्वार में देवपुरा से लो नि वि कार्यालय होते हुये मायापुर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय तक बिटुमिनस मैकेडम/ सेमी डेन्स बिटुमिनस कंक्रीट से मरम्मत कार्य की स्वीकृति (29 जनवरी 2014) आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी द्वारा ₹ 51.18 लाख की धनराशि पर दी गई थी, जिसके विरुद्ध कार्य को ₹ 38.25 लाख की लागत पर अगस्त 2014 में पूर्ण दर्शाया गया था जबकि इस कार्य पर मार्च 2015 में अद्यतन व्यय ₹ 51.06 लाख भारित किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि अवशेष धनराशि ₹ 12.81 लाख राज्य सेक्टर से संबन्धित "पुरानी दिल्ली नीति बाईपास मार्ग की मरम्मत पर व्यावर्तित की गयी जो कि अनियमित था। अधि अभि, लो नि वि हरिद्वार ने तथ्यों को स्वीकार किया।

1.14.5 समय और लागत वृद्धि

परियोजनाओं/ योजनाओं का लाभ लोगों को प्रदान करने के लिए अति महत्वपूर्ण है कि कार्य एक समयबद्ध तरीके से और आगणित लागत के भीतर पूर्ण हो।

⁸² नि ख देहरादून और नि ख नैनीताल ₹147.69 लाख के भुगतान के लिए।

⁸³ वित्तीय हस्त पुस्तिका, भाग-VI का प्रस्तर 375-(अ) ।

⁸⁴ प्रा ख रुद्रपुर, प्रा ख भटवाड़ी एवं नि ख रुड़की।

- i. लेखा परीक्षा जांच के समय पाया गया कि दो⁸⁵ खण्डों के तीन निक्षेप कार्यों में समय और लागत वृद्धि थी (परिशिष्ट - 1.14.3)। एक प्रकरण⁸⁶ में यद्यपि व्यय स्वीकृत लागत के अन्तर था परंतु ₹ 53.04 लाख की लागत में वृद्धि को समायोजित करने के लिए खण्ड द्वारा वास्तविक कार्य को कम किया गया। इन कार्यों में लेखापरीक्षा की तिथि तक उनके पूर्ण होने की निर्धारित तिथि से चार से सात वर्ष की समयवृद्धि भी परिलक्षित हो रही थी। इसके अतिरिक्त, शेष दो कार्यों⁸⁷ को पूर्ण करने के लिए संशोधित आगणन ₹ 221.05 लाख का प्रस्तुत किया गया, जिसकी स्वीकृति अभी तक ग्राहक विभाग को प्राप्त होनी थी। इस प्रकार लेखापरीक्षा तिथि तक ₹ 274.09 लाख की लागत वृद्धि के अलावा चार से सात वर्ष तक समयवृद्धि पाई गई।

इस ओर इंगित किये जाने पर नि ख हल्द्वानी ने तथ्यों को स्वीकार किया, जबकि नि ख देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि कार्य अभी भी अधूरा है, (जून 2009 से) क्योंकि कार्य की अतिरिक्त मर्दें जिन्हें मूल आगणन में शामिल नहीं किया गया था, उन्हें कराया गया। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि कार्य कराने से पूर्व खण्ड को अतिरिक्त मर्दों में शामिल अतिरिक्त समय और लागत के बारे में ग्राहक विभाग को बताना और सहमति लेना आवश्यक था। विभाग के पास ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत उपलब्ध नहीं था जो दिखाये कि कार्य कराने से पूर्व ग्राहक विभाग की सहमति प्राप्त की गयी। आगे कोई स्वीकृति नहीं प्राप्त की गयी, यह तथ्य कि 48 क्वार्टर जिन्हें कुर्सी स्तर तक पूर्ण किया गया था, 2009 से अपूर्ण पड़े हुये थे।

- ii. वित्तीय हस्तपुस्तिका -VI के नियम 318 यह प्राविधानित करता है कि प्राविधिक स्वीकृति एक गारंटी है जो यह दर्शाता है कि प्रस्ताव संरचनात्मक रूप से मजबूत है और आगणन की गणना सही है और पर्याप्त रूप से डाटा पर आधारित है।

अधिशाली अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भटवारी, के अभिलेखों के नमूना जांच में यह पाया गया कि गंगनानी- भंगेली मोटर मार्ग⁸⁸ (लंबाई चार किलोमीटर) के निर्माण को क्रियान्वित करने के लिए मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल क्षेत्र) एवं उपमहाप्रबंधक (एन टी पी सी), लोहरगंज-पाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, के स्तर के अधिकारियों के बीच एक संयुक्त बैठक हुई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि मार्ग का निर्माण सात मीटर की चौड़ाई में किया जाएगा जिसमें से वॉटर बाउंड मैकेडम सतह के ऊपर 5.50 मीटर की चौड़ाई में बिटुमिनस सतह होगी। कार्य को 10 महीनों⁸⁹ में पूर्ण किया जाना था। लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य का ठेका एक ठेकेदार को दिया गया (28/03/2005) जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं समापन की तिथि क्रमशः 01/06/2005 एवं 31/03/2006 थी जो कि 10 माह होती थी।

⁸⁵ नि ख देहरादून (एक कार्य) और नि ख हल्द्वानी (दो कार्य) ।

⁸⁶ जिला नैनीताल में हल्द्वानी, काठगोदाम एवं चोरगलिया थानों में टाईप-II के 48 आवासों का निर्माण।

⁸⁷ इन दो आगणनों में से एक राजस्व विभाग के 120 आवासीय क्वार्टर के निर्माण के लिए है, जिनमें से केवल 72 क्वार्टर पूर्ण किए गए थे और शेष 48 क्वार्टर जून 2009 से अपूर्ण (केवल कुर्सी स्तर तक निर्माण) पड़े हुये थे। दूसरा सिविल कोर्ट, हल्द्वानी में टाईप-II के 20 आवासों के निर्माण के लिए है।

⁸⁸ लोहारीनाग-पाला जल विद्युत परियोजना के गुनागा एडिट तक के पहुंच मार्ग के निर्माण/ सुधारीकरण के नाम से भी जाना जाता है।

⁸⁹ इस अवधि के प्रथम छः महीने में पहाड़ कटान दीवार का निर्माण कार्य किया जाना था और शेष चार महीनों में बिटुमिनस कार्य को पूर्ण किया जाना अपेक्षित था।

लेखा परीक्षा में पाया गया कि संयुक्त बैठक में लिए गए निर्णय के विपरीत एन टी पी सी के द्वारा कार्य का क्षेत्र बदल दिया गया था और अधिशासी अभियन्ता, भटवारी, को इस आशय से विदित कराया गया कि भविष्य में मार्ग के चौड़ाई को सात मीटर से बढ़ा कर 10 मीटर कर दिया जाए जबकि नाले का निर्माण कार्य उसके बाद किया जाएगा। इसके बाद, लोक निर्माण विभाग द्वारा, कार्य का अनुबंध किये जाने के बाद, आगणन में ₹ 6.88 करोड़ (कुल आगणित राशि ₹ 13.88 करोड़) की वृद्धि कर पुनरीक्षित कर दिया गया था। अभिलेखों के पुनः परीक्षण से ज्ञात हुआ था कि अधीक्षण अभियन्ता के स्थल निरीक्षण (15/03/2008) के बाद यह निर्णय लिया गया कि 18 मीटर स्पान आरसीसी पुल के स्थान पर बेंडेड कॉजवे का निर्माण कार्य और तदनुसार ठेकेदार⁹⁰ को यह सूचित (13/04/2008) किया गया कि मार्ग के समरेखन के बीच पुल निर्माण किए जाने की आवश्यकता नहीं थी और इसके स्थान पर अतिरिक्त पहाड़ कटान की सलाह दी गयी थी। यह इस बात की ओर इंगित करता है कि कार्य का क्रियान्वयन अनौपचारिक रूप से किया गया था।

इसके बाद, लोक निर्माण विभाग ने अनुबंध को, ₹ 10.54 करोड़ की राशि व्यय करने के पश्चात, बीच में ही अंतिमीकरण कर दिया और उसके बाद अवशेष कार्य⁹¹, मलबा गिरने के कारण बह गए 300 मीटर मार्ग के निर्माण, क्षतिग्रस्त रिटेंनिंग/ब्रेस्ट वाल के निर्माण तथा ढुलाई की दर में बढ़ोत्तरी के आधार पर, कार्य की लागत को पुनः पुनरीक्षित (28/02/2009) कर ₹ 26.84 करोड़ कर दिया गया था। कार्य को पुनः दूसरे ठेकेदार⁹² को प्रदान किया गया (28/02/2009) था, जिसके अनुसार कार्य के प्रारम्भ एवं समापन की तिथि क्रमशः 28/02/2009 एवं 27/06/2009 थी। कार्य पूर्ण किए जाने की इस निर्धारित तिथि की समाप्ति के बाद भी, लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य पर अद्यतन रूप से ₹ 25.31 करोड़ की राशि व्यय करने के बावजूद, कार्य समय पर पूर्ण नहीं कर सका था (मई 2015)।

इस प्रकार, आवश्यकता के निर्धारण, कार्य प्रदान किए जाने के बाद कार्य क्षेत्र में बदलाव और कार्य की धीमी प्रगति में एन टी पी सी एवं लो नि वि का तदर्थ दृष्टिकोण परिलक्षित होती है। इस प्रकार, कार्य पूर्ण किए जाने के समय सीमा में 10 वर्ष की वृद्धि के अतिरिक्त, परिणामस्वरूप, मूल स्वीकृति एवं पुनः पुनरीक्षित स्वीकृति में क्रमशः 383 प्रतिशत एवं 193 प्रतिशत से लागत में वृद्धि हुई थी। इसके अतिरिक्त कार्यपूर्ण किए जाने में 10 वर्षों से ज्यादा की देरी हुई। उत्तर प्रतीक्षित है।

1.14.6 भूमि की अनुपलब्धता के कारण निधियों का अवरोधन

दो खण्डों की लेखा परीक्षा जांच में देखा गया कि दो कार्यों के निष्पादन के लिए ग्राहक विभाग द्वारा ₹ 34.18 लाख (परिशिष्ट-1.14.4) निक्षेपित किये गये थे, लेकिन उसके लिये भूमि, सम्बन्धित खण्ड को उपलब्ध नहीं करायी गयी थी। निधियाँ लेखापरीक्षा तिथि तक (मई - जून 2015) छः से 11 वर्ष की अवधि के लिए अवरुद्ध पायी गयीं।

⁹⁰ मैसर्स हिलवेज़ इंजीनियरिंग कंपनी।

⁹¹ वॉटर बाउंड मैकेडम, बिटुमिनस मैकेडम, सेमी डैस मैकेडम।

⁹² मैसर्स भारत कन्स्ट्रक्शन, देहरादून।

इस ओर इंगित किए जाने पर विभाग ने अवगत कराया कि कथित कार्य निष्पादन के लिए ग्राहक विभाग द्वारा भूमि उपलब्ध नहीं करायी जा सकी। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि निक्षेपित राशि सदैव के लिए अवरूद्ध नहीं की जा सकती है और यदि ग्राहक विभाग द्वारा भूमि उपलब्ध नहीं करायी गयी तो निक्षेपित राशि वापस कर दी जानी चाहिए थी।

1.14.7 निक्षेप कार्यों से संबन्धित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

- प्रांतीय खंड, लो नि वि, हरिद्वार, में उत्तराखंड सरकार द्वारा “कुम्भ मेला 2010” के अंतर्गत गंगा नहर हरिद्वार पर डैम कोठी के नजदीक ₹ 4.33 करोड़ की लागत से स्टील गर्डर पुल के निर्माण की स्वीकृति प्रदान (जनवरी 2009) की गयी थी एवं इसकी पुनरीक्षित स्वीकृति ₹ 4.34 करोड़ (15 दिसम्बर 2009) प्रदान की गयी थी। तथापि, सातवाँ चलित बिल तक ठेकेदार को ₹ 4.69 करोड़ (पुनरीक्षित स्वीकृत लागत से ₹ 35 लाख अधिक) जबकि आठवाँ चलित/अंतिम बिल (₹ 5.09 करोड़) के सापेक्ष ठेकेदार को ₹ 39.82 लाख की राशि का भुगतान किया जाना लंबित था, जिसे ठेकेदार को भुगतान नहीं किया गया था। ठेकेदार द्वारा इस विषय को न्यायालय में ले जाया गया जिसमें न्यायालय ने ठेकेदार के पक्ष में निर्णय देते हुए (18 मार्च 2015) विभाग को आदेशित किया कि विभाग ठेकेदार को ₹ 98.46 लाख⁹³ के साथ-साथ 04 जून 2013 से भुगतान की वास्तविक तिथि की अवधि तक का ब्याज (वादकालित⁹⁴ ब्याज) की राशि का भुगतान करे। लेखा परीक्षा तिथि (अप्रैल 2015) तक भुगतान नहीं हुआ था जिसके कारण 04 जून 2013 से आदेशित राशि पर उत्तरोत्तर वादकालित ब्याज देयता का बढ़ना जारी रहेगा।

इसे इंगित किए जाने पर, अधिशासी अभियंता ने बताया कि पुल को कलात्मक रूप देने के लिए स्टील गर्डर पुल के डिज़ाइन एवं ड्राइंग को परिवर्तित कर आर्क टाइप किया गया था, जिसके कारण पुल की लागत बढ़ गयी थी और ₹ 4.99 करोड़ की पुनरीक्षित लागत की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव उत्तराखंड सरकार को भेजा गया था। तथापि, उत्तराखंड सरकार द्वारा केवल ₹ 4.34 करोड़ की स्वीकृति ही प्रदान की गयी थी, जिसमें मात्रा और दर में वृद्धि के कारण कार्य को क्रियान्वित करना संभव नहीं था। खण्ड का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बिना ग्राहक विभाग द्वारा प्राधिकृत किए बिना स्वीकृत लागत से अधिक की राशि के कार्य को संपादित करने के लिए ठेकेदार को अधिकृत करना अनियमित था और फलतः वादकालित ब्याज सहित ₹ 1.33 करोड़⁹⁵ की देयता का सृजन भी हुआ था।

- अधिशासी अभियन्ता, भटवाडी के द्वारा निक्षेप कार्य के अंतर्गत एनटीपीसी के लिए गंगनानी-भंगेली मोटर मार्ग (चार किलोमीटर) का निर्माण कार्य कराया जा रहा था जिसकी पुनः पुनरीक्षित लागत, सेंटेंज चार्ज ₹ 2.98 करोड़ सहित, ₹ 26.84 करोड़ थी। मार्च 2015 तक कार्य पर अद्यतन व्यय ₹ 25.31 करोड़ हो चुका है। अभिलेखों से यह साक्ष्य दृष्टिगत नहीं हुआ कि सेंटेंज चार्ज की राशि को सरकारी खाते में जमा किया गया था। लेखा परीक्षा के दौरान एक विशिष्ट पूछताछ की

⁹³ अवशेष भुगतान योग्य राशि ₹ 39,81,689 + लाभ की हानि: ₹ 28,92,000 + 18.01.2010 से 3.6.2013 तक की अवधि में ब्याज: ₹ 24,22,394 + नोटिस तथा हार्डकोर्ट के कार्यों पर व्यय : ₹ 3,00,000 + वर्तमान प्रोसीडिंग पर व्यय: ₹ 2,50,000

⁹⁴ लंबित लिटिगेशन।

⁹⁵ ₹ 98.46 लाख + ₹ 35 लाख (जिसका भुगतान पूर्व में किया जा चुका था)।

गयी कि क्या इस राशि को सरकारी खाते में जमा किया गया था। इस संबंध में, खण्ड द्वारा लेखा परीक्षा में उठाए गए तथ्यों की पुष्टि करने के अतिरिक्त कोई उत्तर नहीं दिया गया था जो कि इंगित करता है कि सेंटेंज चार्ज को अनियमित रूप से खण्डीय स्तर पर रोके रखा गया था।

- अधिशासी अभियन्ता, भटवाड़ी के द्वारा गंगनानी-भंगोली मोटर मार्ग के निर्माण का कार्य ठेकेदार⁹⁶ को प्रदान (28 मार्च 2005) किया गया था जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं समापन की निर्धारित तिथि क्रमशः 01/06/2005 एवं 31/03/2006 थी। तथापि कार्य प्रारम्भ होने की निर्धारित तिथि के पूर्व ही दिनांक 08/04/2005 को एक चलित लेखा देयक के माध्यम से ठेकेदार को ₹ 45 लाख का भुगतान यह दिखाते हुए किया गया कि ₹ 45,53,069 का अग्रिम भुगतान ऐसे कार्य के लिए किया जा रहा जो अभी तक मापा नहीं गया है और साथ ही साथ यह भी दर्शाया गया कि यह भुगतान एक मोबिलाईजेशन अग्रिम की तरह दिया जा रहा है। जो कि अनुचित था क्योंकि कार्य प्रारम्भ की निर्धारित तिथि 1/06/2005 थी। तथ्यों के अनुसार, लेखा परीक्षा की तिथि (मई 2015) तक कार्य को पूर्ण नहीं दिखाया गया था।

निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

1. निक्षेप कार्यों पर किया गया व्यय, इन कार्यों के लिए प्राप्त निक्षेप राशि तक सीमित नहीं रखा गया था और इन कार्यों पर किए गए अधिक व्यय का वहन अन्य निक्षेप कार्यों के लिए प्राप्त निक्षेप राशि से किया गया था। प्राप्त निक्षेप राशि से इस प्रकार किए गए अधिक व्यय को "प्रकीर्ण लोक निर्माण अग्रिम" के अधीन प्रभारित भी नहीं किया गया था।

शासन यह सुनिश्चित कर सकता है कि विभाग, निक्षेप कार्यों पर परिव्यय, प्राप्त जमा धनराशि तक सीमित रखे और अधिक व्यय की दशा में प्राप्त निक्षेप राशि से किए गए अधिक व्यय को "प्रकीर्ण लोकनिर्माण अग्रिम" के अधीन प्रभारित करें।

2. निक्षेप कार्य के निष्पादन के उपरांत संबन्धित खण्ड द्वारा शेष/व्यय न हुये धनराशि को ग्राहक विभाग को समर्पण नहीं किया गया।

शेष/ व्यय न हुये धनराशि को, ग्राहक विभाग को शीघ्रातिशीघ्र समर्पण करने हेतु शासन द्वारा विभाग को निदेश जारी किया जा सकता है।

3. अधिकतर खण्डों द्वारा वास्तविक निक्षेप प्राप्ति, किए गए व्यय, कार्यों के प्रगति की अद्यतन स्थिति एवं धन की उपलब्धता से संबन्धित विवरणों का रखरखाव निर्धारित प्रपत्र - 65 में नहीं रखा गया और न ही प्रतिवेदित किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, कुछ खण्डों द्वारा निक्षेप पंजिका के भाग-III, जो कि निक्षेप कार्यों के प्राथमिक अभिलेखों में से एक है, का रखरखाव नहीं किया जा रहा था।

शासन यह सुनिश्चित कर सकता है कि विभाग, निक्षेप कार्यों के लेन-देनों से संबन्धित समेकित प्रविष्टियों का रखरखाव निर्धारित प्रपत्र नं 65 "निक्षेप कार्यों की अनुसूची" एवं निक्षेप पंजिका के भाग-III में करें।

⁹⁶ मेसर्स हिलवेज़ इंजीनियरिंग कंपनी

राजस्व विभाग

1.15 भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण (भू अभि क) योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा की अनुवर्ती लेखापरीक्षा

1.15.1 परिचय

भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण (भू अभि क) की योजना" की निष्पादन लेखापरीक्षा" (नि ले), 31 मार्च 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल), उत्तराखण्ड सरकार के अध्याय-1 के प्रस्तर 1.1 के रूप में, सम्मिलित की गई थी। जिसमें वर्ष 2004-05 से 2008-09 की अवधि आच्छादित की गई थी। यह प्रतिवेदन सितम्बर 2010 के दौरान राज्य विधान सभा के पटल पर रखा गया था। लेखापरीक्षा अभियुक्तियों के अनुपालन एवं अनुशंसाओं पर त्वरित कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता थी जिससे कि भू-अभिलेखों के मैनुअल रखरखाव में व्याप्त कमियों को दूर कर एवं उनके रखरखाव को दक्ष तथा पारदर्शी बनाकर एवं भू-अभिलेख का जन सामान्य तक पहुँच में सुधार कर योजना के मुख्य लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता था।

1.15.2 अनुवर्ती लेखापरीक्षा

उपर्युक्त नि ले की अनुवर्ती लेखापरीक्षा जुलाई और अगस्त 2015 के मध्य सम्पादित की गई। यह विगत भू अभि क के नि ले प्रतिवेदन में वर्णित लेखापरीक्षा अभियुक्तियों एवं अनुशंसाओं की समीक्षा तक ही सीमित थी। लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में अप्रैल 2009 से मार्च 2015 तक की भू अभि क योजना के परिचालन को आच्छादित किया गया। प्रतिवेदन में की गयी अनुशंसाओं के क्रियान्वयन की वस्तु स्थिति को अभिनिश्चित करने के लिए शासन, राजस्व बोर्ड, दो तहसील सूचना केन्द्रों⁹⁷ एवं दो जिला सूचना केन्द्रों⁹⁸ को लेखापरीक्षा ज्ञाप निर्गत किए गए। लेखापरीक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु भू अभि क योजना से संबंधित अद्यतित देवभूमि सॉफ्टवेयर एवं शासन/विभागीय आदेशों की भी समीक्षा की गई। लेखापरीक्षा निष्कर्षों को सुसंगत अभिलेखों के परीक्षण, उपलब्ध आँकड़ों के विश्लेषण और प्रश्नावलियों एवं लेखापरीक्षा ज्ञापों के प्रत्युत्तरों के परीक्षण के उपरान्त ही तैयार किया गया है, जिन पर टिप्पणी निम्न प्रस्तरों में की गयी है:

1.15.3 पूर्व की अनुशंसाएँ एवं उनकी स्थिति

निष्पादन लेखापरीक्षा (2009) में प्रतिवेदित 26 लेखापरीक्षा अभियुक्तियों के सापेक्ष 14 स्वीकृत अनुशंसाएँ सम्मिलित थी। भू अभि क योजना में उक्त 14 अनुशंसाओं में से इंटरनेट पर आँकड़ों का अद्यतन करने से संबंधित एक अनुशंसा पूर्णतः क्रियान्वित पायी गयी, तीन अनुशंसाएँ यथा (i) हार्डवेयर का उच्चीकरण (ii) तहसील सूचना केन्द्रों, जिला सूचना केन्द्रों, राज्य अनुश्रवण प्रकोष्ठ और एन आई सी के मध्य कनेक्टिविटी और (iii) पंजीकरण प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण एवं इसका भू अभि क के साथ एकीकृत करने की अनुशंसा आंशिक रूप से क्रियान्वित पायी गयी एवं शेष क्रियान्वित नहीं पाई गई। यह प्रदर्शित करता है कि शासन और विभाग द्वारा स्वीकार की गई

⁹⁷ देहरादून (सदर), काशीपुर।

⁹⁸ देहरादून, उधमसिंह नगर।

अनुशंसाओं को लागू करने हेतु अभी भी ठोस कार्यवाही की जानी है। अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान पायी गयी अनुशंसावार स्थिति नीचे वर्णित है:

1.15.3.1 अनुशंसा - 1 (प्रस्तर सं. 1.1.9.1 एवं 1.1.9.2)

➤ दाखिल-खारिज आदेशों के अद्यतनीकरण तथा नई खतौनियों को बनाने में समय सारणी का दृढ़ता से अनुपालन किए जाने की आवश्यकता है।

स्थिति- क्रियान्वित नहीं किया गया

दो नमूना लेखापरीक्षा तहसीलों की अनुवर्ती लेखापरीक्षा में पाया गया कि दाखिल-खारिज आदेशों को अभी भी चार से 136 दिनों तक के विलंब से अद्यतन किया जा रहा था। इसी प्रकार, यह भी पाया गया कि 67 गावों के 1,11,519 खातों में से 45,132 खतौनियों, कुल खतौनियों का 40.47 प्रतिशत को अद्यतन करने के बाद पुर्ननिर्मित नहीं किया गया था। इस प्रकार, दाखिल-खारिज आदेशों के अद्यतनीकरण एवं नई खतौनियों को बनाने में अभी भी विलम्ब हो रहा था।

निकास गोष्ठी (अक्टूबर 2015), में शासन द्वारा विभाग को आर-6 पंजिका में दर्ज प्रविष्टियों को कम्प्यूटर डाटाबेस में समयबद्ध रूप से दर्ज करने एवं नई खतौनियों को बनाने हेतु छः वर्षीय चक्र का पालन करने हेतु आदेश निर्गत करने हेतु कहा गया।

1.15.3.2 अनुशंसा - 2

➤ इन्टरनेट पर भू-अभिलेखों का डाटा नियमित रूप से तिमाही अद्यतन करना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि मात्र 25 प्रतिशत तहसील के अभिलेख अगस्त 2009 तक अद्यतन पाए गए।

स्थिति- क्रियान्वित

लेखापरीक्षा के प्रत्युत्तर में, विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि 88 तहसीलों के अद्यतन आँकड़ों को इंटरनेट पर अपलोड कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त इस उद्देश्य हेतु सेन्ट्रल सर्वर एवं संबंधित हार्डवेयर के खरीद हेतु निविदा की प्रक्रिया को प्रारम्भ करने के लिए राज्य सरकार ने राजस्व बोर्ड को दिशा निर्देश जारी किए थे (मई 2015)।

1.15.3.3 अनुशंसा- 3 (प्रस्तर - 1.1.9.6)

➤ सभी तहसील डाटा केन्द्रों में टच स्क्रीन कम्प्यूटर कियोस्कों को इन्स्टॉल/मरम्मत कराने हेतु आवश्यक कदम उठाए जायें।

स्थिति- क्रियान्वित नहीं किया गया

लेखापरीक्षा के प्रत्युत्तर में, विभाग ने बताया कि अधिकांश तहसीलों में टच स्क्रीन कयोस्क मशीनें तकनीकी खराबी के कारण अक्रियाशील हैं। दो नमूना लेखापरीक्षित तहसीलों में टच स्क्रीन कयोस्क मशीनों की अक्रियाशील स्थिति तथ्यों की पुष्टि करती है।

निकास गोष्ठी (अक्टूबर 2015) में, शासन द्वारा अवगत कराया गया कि उन्नत तकनीकी प्रगति के कारण भू-अभिलेख के आकड़ें अब मोबाइल फोन पर उपलब्ध हैं तथा टच स्क्रीन कयोस्क मशीन अब प्रचलन में नहीं है।

1.15.3.4 अनुशंसा- 4 (प्रस्तर - 1.1.10)

➤ तकनीकी विकास को ध्यान में रखते हुए हार्डवेयर के उच्चीकरण तथा कई नई आवश्यकताओं जैसे कि उच्च संग्रहण क्षमता, नए ऑपरेटिंग सिस्टम आदि हेतु एक तंत्र को स्थापित किया जाना चाहिए।

स्थिति- आंशिक क्रियान्वित

लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर, राज्य सरकार द्वारा अवगत कराया गया कि हार्डवेयर को अपग्रेड करने, संग्रहण क्षमता बढ़ाने एवं नये ऑपरेटिंग सिस्टम को स्थापित करने के संबंध में राजस्व बोर्ड को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिये गये हैं। राजस्व बोर्ड ने बताया कि देवभूमि सॉफ्टवेयर के सुचारु संचालन हेतु विण्डोज एवं एस क्यू एल सर्वर 2012 की आवश्यकता है। अधिकांश तहसीलों में अभी भी पुराने हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर हैं जिसका विवरण निम्नवत है:

| विण्डोज सर्वर | एस क्यू एल सर्वर | तहसील एवं उप-तहसील की संख्या |
|-------------------|-------------------|--|
| विण्डोज 2012 | एस क्यू एल 2012 | 1 (अल्मोड़ा) |
| विण्डोज 2008 | एस क्यू एल 2008 | 4 (रूद्रपुर, काशीपुर, विकास नगर एवं डोईवाला) |
| विण्डोज 2000/2003 | विण्डोज 2000/2003 | 100 |

तथापि, राज्य के जिला अभिलेख केन्द्रों एवं समस्त तहसीलों में स्थापित हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर से सम्बन्धित सूचना देने में विभाग असफल रहा। दो नमूना लेखापरीक्षित तहसीलों में से एक तहसील देहरादून में पाया गया कि सिस्टम विण्डोज 2003 ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य कर रहा था और डाटाबेस एस क्यू एल सर्वर 2000 में रखा जा रहा था जो कि गाँव की खतौनियों से संबंधित प्रतिवेदनों के निर्माण, गाँव की भू-श्रेणीवार प्रतिवेदन, तहसील के गाँवों का सारांश और स्वान से जोड़ने के अभाव इत्यादि मुद्दों को पूर्ण करने में सक्षम नहीं था।

निकास गोष्ठी (अक्टूबर 2015) में, शासन द्वारा बताया गया कि तकनीकी उच्चीकरण को देखते हुए नये हार्डवेयर एवं सेन्ट्रल सर्वर को शीघ्र ही स्थापित किया जायेगा।

1.15.3.5 अनुशंसा - 5 (प्रस्तर - 1.1.12.1)

➤ राज्य सरकार तहसील डाटा केन्द्रों की तकनीकी देखरेख हेतु स्थायी मुख्य स्रोत कर्मचारी की नियुक्ति पर विचार करे।

स्थिति- क्रियान्वित नहीं किया गया

दो जनपदों देहरादून एवं उधमसिंह नगर की नमूना जाँच में पाया गया कि सी एल आर योजना हेतु किसी स्थायी मुख्य स्रोत कर्मचारी को नियुक्त नहीं किया गया था।

निकास गोष्ठी (अक्टूबर 2015) में, शासन द्वारा बताया गया कि नये पटवारियों की भर्ती प्रक्रिया प्रगति पर है एवं इस बैच के कर्मचारियों की आवश्यक प्रशिक्षण के उपरान्त इस कार्य के लिए सेवा ली जायेगी।

1.15.3.6 अनुशंसा- 6 (प्रस्तर - 1.1.9.7)

► कम्प्यूटरीकृत खतौनियों के कपटपूर्ण उपयोग को रोकने हेतु होलोग्राम का प्रयोग अनिवार्य किया जाए।

स्थिति- क्रियान्वित नहीं किया गया

उत्तर में विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि भू अभि क योजना के समापन एवं राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (रा भू अभि आ का) योजना के प्रारम्भ होने के कारण लेखापरीक्षा की अनुशंसा को लागू नहीं किया गया।

कम्प्यूटरीकृत खतौनियों के जालसाजी/ दोषपूर्ण उपयोग को रोकने के लिए लेखापरीक्षा द्वारा उपर्युक्त अनुशंसा दी गई थी। अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि दो नमूना लेखापरीक्षित तहसीलों⁹⁹ में कम्प्यूटरीकृत खतौनियों को जारी करने के लिए न तो होलोग्राम और न ही पूर्व मुद्रित स्टेशनरी का प्रयोग किया जा रहा था। देहरादून तहसील में खतौनी के प्रयोग में धोखाधड़ी का मामला प्रकाश में आया जिसमें देहरादून मसूरी विकास प्राधिकरण (एम डी डी ए) से नक्शों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कम्प्यूटरीकृत खतौनी की प्रति में हेर-फेर किया गया था। ऐसी घटनाएँ खतौनियों पर होलोग्राम के प्रयोग की महत्ता को रेखांकित करती हैं।

निकास गोष्ठी (अक्टूबर 2015) में, तथ्यों को स्वीकार करते हुए यह बताया गया कि खतौनियों की विशिष्ट पहचान एवं जालसाजी से बचने के लिए सॉफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन किया जा सकता है।

1.15.3.7 अनुशंसा - 7 (प्रस्तर - 1.1.9.8)

► तहसील डाटा केन्द्र, जिला डाटा केन्द्र, राज्य अनुश्रवण प्रकोष्ठ तथा एन आई सी के मध्य स्वान के तहत संयोजन स्थापित किया जाना आवश्यक है।

स्थिति- आंशिक कार्यान्वयन

उत्तर में विभाग ने अवगत कराया कि 13 जिला डाटा केन्द्रों एवं 67 तहसील डाटा केन्द्रों को स्वान के माध्यम से जोड़ दिया गया है। यह पाया गया कि तहसील डाटा केन्द्र, देहरादून में निम्न क्षमता वाले हार्डवेयर स्थापित होने के कारण स्वान कनेक्टिविटी की सुविधा का उपयोग करने में देहरादून तहसील सक्षम नहीं था। तथापि, काशीपुर तहसील में जिला स्तर के सर्वर को आकड़ें प्रेषित करने के लिए स्वान का उपयोग किया जा रहा था।

निकास गोष्ठी (अक्टूबर 2015) में, शासन द्वारा बताया गया कि चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक शेष तहसील डाटा केन्द्रों को जोड़ने का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

1.15.3.8 अनुशंसा- 8 (प्रस्तर - 1.1.10.4 घ)

► विद्यमान पासवर्ड द्वारा सुरक्षा व्यवस्था तोड़ी जा सकती है। अतः यह आवश्यक है कि बायोमैट्रिक पहचान तकनीक की सुरक्षा प्रदान की जाए।

⁹⁹ देहरादून एवं काशीपुर।

स्थिति- क्रियान्वित नहीं किया गया

उत्तर में विभाग ने अवगत कराया कि बायोमेट्रिक पहचान तकनीक उपयोग में नहीं था। यह भी पाया गया कि नियमित समयान्तराल पर पासवर्ड न बदलने के कारण सेवानिवृत्त एवं स्थानान्तरित कर्मचारियों की सिस्टम तक अभी भी पहुँच है। जिनसे सिस्टम को खतरा था।

निकास गोष्ठी (अक्टूबर 2015) के दौरान, शासन द्वारा सभी तहसील डाटा केन्द्रों के सॉफ्टवेयर में बायोमेट्रिक तकनीक में उपलब्ध गुणों को उपयोग करने हेतु निर्देशित किया गया।

1.15.3.9 अनुशंसा- 9 (प्रस्तर - 1.1.12.2)

➤ सभी राजस्व कर्मियों हेतु नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम सुनिश्चित किया जाए।

स्थिति- क्रियान्वित नहीं किया गया

उत्तर में, राज्य सरकार द्वारा अवगत कराया गया कि भू अभि क योजना का रा भू अभि आ का योजना में विलय हो गया है जिसमें राजस्व कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान कराने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि राजस्व बोर्ड द्वारा कोई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। दो नमूना जाँच जिलों और तहसील डाटा सेंटर में पाया गया कि सी एल आर योजना को लागू करने एवं इसके रखरखाव हेतु राजस्व कर्मचारियों के लिए किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया।

1.15.3.10 अनुशंसा- 10 (प्रस्तर - 1.1.13)

➤ कार्यान्वयन प्राधिकारियों द्वारा अनुश्रवण तंत्र में सुधार हेतु योजना की आवधिक समीक्षा योजना राज्य तथा जिला दोनों ही स्तरों पर लागू की जाए। साथ ही योजना के मूल्यांकन का कार्य एक ख्यातिप्राप्त शोध संगठन को गुणात्मक फीड बैक हेतु सौंपा जा सकता है।

स्थिति- क्रियान्वित नहीं किया गया

इस संबंध में लेखापरीक्षा को विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि सेंट्रल सर्वर प्रणाली संचालित करने की प्रक्रिया विचाराधीन है और लेखापरीक्षा अनुशंसा का रा भू अभि आ क योजना में विचार किया जायेगा। विभाग ने बताया कि इस योजना का मूल्यांकन किसी अनुसंधान संस्थान द्वारा गुणात्मक फिडबैक हेतु नहीं किया गया। तथापि, देहरादून तहसील में जिलाधिकारी द्वारा एक बार तहसील डाटा केन्द्र का निरीक्षण किया गया एवं जनता की सुविधा के लिए इलेक्ट्रॉनिक टोकन प्रणाली लागू की गई।

निकास गोष्ठी (अक्टूबर 2015) में, शासन ने राज्य और जिलें दोनों स्तर पर योजना की आवधिक समीक्षा कार्यान्वयन प्राधिकारियों से कराकर अनुश्रवण प्रक्रिया को गति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी।

1.15.3.11 अनुशंसा- 11 (प्रस्तर - 1.1.9.1)

- वर्तमान में डाटा-वेस का अद्यतनीकरण ऑफ-लाइन मोड में किया जाता है। डाटबेस को नवीनतम तथा अवांछित मानव हस्तक्षेप रहित बनाने हेतु विद्यमान सॉफ्टवेयर में आनलाइन म्युटेशन तथा वर्कफ्लो आटोमेशन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

स्थिति- क्रियान्वित नहीं किया गया

पूछे जाने पर, शासन ने बताया कि सी एल आर योजना को रा भू अभि आ का योजना के साथ विलय कर लिया गया है जहाँ आनलाइन म्युटेशन प्रस्तावित है।

1.15.3.12 अनुशंसा - 12 एवं 13 (प्रस्तर - 1.1.8.2)

- वर्तमान में, भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण मात्र खतौनियों तक ही सीमित है। कम्प्यूटरीकरण के परिलाभ पूर्णतः तभी दिखेंगे जब खसरा अर्थात् फसलों का अभिलेख कम्प्यूटरीकृत होगा।
- कम्प्यूटरीकरण को पूर्ण बनाने के लिए अगले चरण में, मूल भू-अभिलेखों की स्कैनिंग एवं कैडस्ट्रल नक्शों/ग्रामों के नक्शों के डिजिटलईजेशन का कार्य भी किया जाना आवश्यक है।

स्थिति- क्रियान्वित नहीं किया गया

कम्प्यूटरीकरण का परिलाभ पूर्णतः दर्शित नहीं था क्योंकि खसरा का कम्प्यूटरीकरण एवं कैडस्ट्रल नक्शे/ग्रामीण नक्शे का डिजिटलईजेशन किया जाना अभी भी शेष था। इस संदर्भ में शासन द्वारा बताया गया कि रा भू अभि आ का योजना के तहत एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में खसरा का डिजिटलईजेशन किया जा रहा है और इसी योजना के तहत आधारभूत भू-अभिलेखों के स्कैनिंग एवं कैडस्ट्रल नक्शे/ग्रामीण नक्शे के डिजिटलईजेशन के लिए पौड़ी एवं अलमोड़ा जनपद का चयन किया गया है।

1.15.3.13 अनुशंसा - 14

- चूंकि, बिक्री/खरीद संव्यवहारों के कारण अधिक संख्या में दाखिलखारिज आदेश होते हैं, अतः यह सुझाव दिया जाता है कि रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया को भी कम्प्यूटरीकृत किया जाए तथा भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के साथ एकीकृत किया जाए।

स्थिति- आंशिक क्रियान्वित

उत्तर में, शासन ने बताया कि देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, नैनीताल एवं पौड़ी (कोटद्वार तहसील) जनपदों में भू-पंजीकरण का कार्य कम्प्यूटरीकृत कर लिया गया है। शासन द्वारा आगे बताया गया कि भू-पंजीकरण एवं भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण दो अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं और भू अभि क योजना के तहत भू-पंजीकरण प्रक्रिया नहीं आती है। तथापि, इसे रा भू अभि आ का योजना के तहत एक घटक के रूप में सम्मिलित किया जा रहा है।

1.15.4 31 मार्च 2009 की समाप्ति पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के अध्याय 1, प्रस्तर 1.1 के अन्य लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का अनुपालन।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान 14 अनुशंसाओं के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों पर विभाग द्वारा किये गये अनुपालनों का भी विश्लेषण किया गया। अन्य लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों/पूर्व

निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों के अनुपालन के संदर्भ में स्थिति लगभग यथावत थी। जिनकी स्थिति का विवरण निम्नवत है:

1.15.4.1 आंशिक आच्छादन (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर सं. 1.1.8.1)

यह पाया गया कि, भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण अभी भी जमींदारी विनाश अधिनियम (जेड-ए) भूमि¹⁰⁰ तक ही सीमित था और इसे नॉन जेड-ए भूमि तक विस्तारित नहीं किया गया। इस ओर इंगित किये जाने पर, शासन ने प्रतिउत्तर में बताया कि 291 गाँवों¹⁰¹ जो कि चकबंदी या बंदोबस्ती में हैं, को छोड़कर शेष सभी गाँवों को भू अभि का योजना के अंतर्गत आच्छादित कर लिया गया है। शासन ने आगे बताया कि नॉन जेड-ए भूमि को रा भू अभि आ का के अंतर्गत आच्छादन किया जायेगा।

1.15.4.2 नयी खतौनियों का निर्माण न किया जाना। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर सं. 1.1.9.2)

यह पाया गया कि, खतौनियों को प्रत्येक छः वर्ष पश्चात भू-स्वामित्व के विवरण जैसे स्वामी का नाम, पिता का नाम, प्लाट संख्या, क्षेत्रफल आदि को वर्तमान खतौनी में संशोधित करते हुए निर्मित किया जाना आवश्यक होता है। चूंकि खतौनी का रख-रखाव फसली वर्ष के आधार पर किया जाता है, इसलिए अद्यतन करने की प्रक्रिया को, 1 जुलाई से शुरू होने वाले फसली वर्ष को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 30 जून तक पूर्ण किया जाना आवश्यक होता है।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान दो नमूना जाँच तहसीलों के अभिलेखों की जांच में प्रकट हुआ कि 67 गाँवों से सम्बन्धित 45,132 खतौनियाँ, जो कि कुल खतौनियों का 40.47 प्रतिशत थीं, पूनर्जीवित नहीं की गईं। विवरण निम्नवत तालिकाबद्ध है:

तालिका-1.15.1

| तहसील का नाम | गाँवों की संख्या | खतौनी की कुल संख्या | अद्यतन नहीं किये गये खतौनी की संख्या | प्रतिशतता में |
|----------------|------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|
| देहरादून (सदर) | 49 | 85,148 | 33,419 | 39.24 |
| काशीपुर | 18 | 26,371 | 11,713 | 44.41 |
| कुल | 67 | 1,11,519 | 45,132 | 40.47 |

स्रोत: 02 नमूना लेखापरीक्षित तहसीलों से एकत्रित सूचना

परिणामस्वरूप, मांगे जाने पर पुरानी खतौनियाँ अत्यधिक संख्या में वितरित की जा रही थी एवं प्रचलन में थी जिससे भू-स्वामियों को अद्यतन एवं सही खतौनी उपलब्ध कराने का मूल उद्देश्य विफल हो रहा था।

1.15.4.3 कार्य की पुनरावृत्ति (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर सं 1.1.9.3)

यह पाया गया कि, भू-अभिलेखों के अद्यतनीकरण की प्रक्रिया के कम्प्यूटरीकरण के बावजूद, कार्य प्रचलित तरीकों के अनुसार मैनुअली भी किया जा रहा था। मैनुअल अभिलेखों एवं पंजिकाओं के अनुरक्षण कार्य के जारी रहने के कारण कार्य भार में वृद्धि एवं खतौनियों के इलेक्ट्रॉनिक अद्यतनीकरण संबंधित कार्य में विलम्ब हुआ।

¹⁰⁰ भूमि जहाँ उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम, 1,950 लागू था।

¹⁰¹ 211 गाँव चकबन्दी के अंतर्गत एवं 80 गाँव बंदोबस्ती के अंतर्गत।

शासन ने उत्तर दिया कि मैन्युअल एवं कम्प्यूटर कार्यों का पुनर्मूल्यांकन किया जायेगा और पूर्णतः कम्प्यूटरीकरण हेतु रा भू अभि आ का योजना के अधीन प्रस्तावित किया जायेगा।

1.15.4.4 भू-क्षेत्रफल के मैन्युअल एवं कम्प्यूटरीकृत रिकार्ड में असमानता (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर सं 1.1.9.4)

यह पाया गया कि, विभाग ने पूर्व की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इंगित विसंगतियों¹⁰² को सुधारने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की। शासन ने बताया कि भू अभि क योजना का रा भू अभि आ का योजना में विलय हो गया है, जिसमें भू-अभिलेखों के डिजीटाइजेशन का कार्य प्रस्तावित है और डिजीटाइजेशन प्रक्रिया के उपरान्त ही इन विसंगतियों को सुधारा जा सकता है।

निकास गोष्ठी में (अक्टूबर 2015), के दौरान सचिव, राजस्व विभाग ने संबंधित कर्मचारियों यथा पटवारियों को आँकड़ों का पुनर्निरीक्षण करने, शुद्धता, सुनिश्चिता करने तथा इससे संबंधित कर्मचारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करने हेतु आदेश दिया।

1.15.4.5 अकार्यशील तहसील डाटा केन्द्र (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर सं 1.1.9.5)

यह पाया गया कि, राज्य में वर्तमान में 102 तहसीले एवं सात उप-तहसीले हैं। 16 नव-सृजित तहसीलों¹⁰³ एवं सात उप-तहसीलों¹⁰⁴ को छोड़कर बाकी तहसीलों में कम्प्यूटरीकृत अभिलेखों का अधिकार (आर ओ आर) वितरित किया जा रहा था।

निकास गोष्ठी (अक्टूबर 2015) में, शासन ने अक्रियाशील तहसील डाटा केन्द्रों को क्रियाशील बनाने हेतु आवश्यक हार्डवेयर एवं अन्य सहयोग प्रदान करने का निर्देश दिया।

1.15.4.6 बुनियादी संरचना (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर सं 1.1.9.9)

दो नमूना परीक्षित तहसीलों के अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान बुनियादी संरचना की उपलब्धता एवं स्थिति के संदर्भ में निम्नवत् पाया गया

- तहसील कम्प्यूटर केन्द्र के लिए कम से कम 200-250 वर्ग फीट क्षेत्र के सापेक्ष काशीपुर तहसील कम्प्यूटर केन्द्र हेतु केवल 117 वर्ग फीट का क्षेत्र उपलब्ध था।
- दोनों नमूना परीक्षित तहसीलों के कम्प्यूटर कक्ष में कोई भी अग्निशामक यंत्र स्थापित नहीं था। परिणामतः तहसील कम्प्यूटर केन्द्रों में किए गए अग्नि सुरक्षा मानक अपर्याप्त थे।
- देहरादून (सदर) तहसील में कोई भी वातानुकूलित यंत्र स्थापित नहीं पाया गया। काशीपुर तहसील में पाया गया कि यू पी एस एवं फाइलों का सर्वर से अति निकटता के कारण डाटा बेस धूल एवं आग के खतरों से होने वाले नुकसान के प्रति अनावृत थे।

निकास गोष्ठी (अक्टूबर 2015) में, शासन ने निर्देश दिया कि सभी प्रकार की आधारभूत आवश्यकताएं संस्था के कोष से प्रदान किये जायें।

¹⁰² कम्प्यूटराईज्ड रिपोर्ट एवं मैन्युअल रिकॉर्ड के मध्य भिन्नताएं।

¹⁰³ कण्डीसोंड, नैनबाग, बालगंगा, बसुकेदार, भगवानपुर, नारायणबगड़, आदिबद्री, जीलासू, चाकीसैण, डोईवाला, बंगापानी, थल, गणाई गंगोली, स्याल्दे, धौलछीना और दुगनाकुरी।

¹⁰⁴ पावकी देवी, जोशियाड़ा, धौरतारी, पुल्ला गुमदेश, मछोड, लमगड़ा और शामा।

1.15.4.7 सॉफ्टवेयर की कमियाँ (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर सं 1.1.10.1)

दो नमूना परीक्षित तहसीलों की अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि अभी भी भू अभि का सॉफ्टवेयर में निम्नलिखित कठिनाईयाँ हैं।

- क. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, दाखिल-खारिज आदेशों को दर्ज करने हेतु छः फसली वर्ष के लिए छः कॉलम दिए गए हैं। प्रत्येक कॉलम के अन्तर्गत एक आदेश के लिए 70 कैरेक्टर तक जगह सीमित होती है। जैसे ही कोई आदेश सीमा से ऊपर का हो जाता है तो सिस्टम द्वारा एक अलग दाखिल-खारिज आदेश दर्ज किया जाता है। इसके कारण दाखिल-खारिज लॉग द्वारा दिखाए जा रहे दाखिल-खारिज आदेशों की संख्या किसी एक खतौनी के लिए त्रुटिपूर्ण थीं।
- ख. टिप्पणी कॉलम, जिसके अन्तर्गत भूमि के एवं उससे सम्बन्धित बैंक लोन के बंधक से सम्बन्धित आदेश दर्ज किया जाता है, में कालम की चौड़ाई अपर्याप्त थी। पूछताछ किए जाने पर, यह सूचित किया गया कि टिप्पणी कॉलम के अन्तर्गत मात्र 20 कैरेक्टर की ही जगह है, जो कि बैंक लोन सम्बन्धित विवरण को दर्ज किए जाने के लिए काफी कम थी।
- ग. देव-भूमि सॉफ्टवेयर का प्रचार-प्रसार गाँव की खतौनी से सम्बन्धित कई तरह की सूचनाएं एवं रिपोर्ट जैसे गाँव में क्षेत्रफलवार खातों की संख्या, एक गाँव की भूमि की श्रेणीवार सूचना, तहसील के गाँवों की संक्षिप्त सूचना इत्यादि प्रदान करने वाले सॉफ्टवेयर के रूप में किया गया है। हालाँकि, लेखापरीक्षा दल द्वारा पाया गया कि उक्त रिपोर्टों को प्राप्त करते समय सिस्टम के हँग होने की सम्भावना हो जाती थी, जो हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर दोनों की कमी को दर्शाता था।

निकास गोष्ठी (अक्टूबर 2015) में, बताया गया कि ये सभी मामले रा भू अभि आ का योजना के अंतर्गत आच्छादित किये जायेंगे।

1.15.4.8 इनपुट नियन्त्रण (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर सं 1.1.10.2)

दो नमूना लेखापरीक्षित तहसीलों में निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी गयीं जो सी एल आर डाटाबेस की विश्वसनीयता को प्रभावित करती हैं:

- 571 दृष्टांतों में खाताधारकों का नाम एवं 441 दृष्टांतों में खाताधारकों के पिता/पति का नाम रिक्त, शून्य या बिन्दु दर्ज था।
- 6,065 दृष्टांतों में खाताधारकों के पते रिक्त या अपूर्ण छोड़ दिये गये थे।
- 67,715 प्रकरणों में खाताधारकों की जाति दर्ज नहीं थी। इस प्रकार, जमींदारी उन्मूलन एवं भू-प्रबन्धन अधिनियम, 1950 के नियम 157 (क) एवं (ख) के उपबन्धों का जिसमें एस सी/एस टी की निजी भूमि का विक्रय, किसी अन्य जाति को नहीं किया जा सकता का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा था।
- यह पाया गया कि भू-स्वामियों का हिस्सा संयुक्त खाते के प्रकरण में रिक्त छोड़ दिया गया था, जिसके अभाव में सॉफ्टवेयर के माध्यम से खाताधारकों के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जाँच नहीं की जा सकती थी।
- 96 दृष्टांतों में एक ही भूखंड संख्या, जो किसी खास गांव के लिए अद्वितीय होनी चाहिए, समान गाँव के अन्तर्गत दो या चार बार दर्ज की गयी थी।

- 43 दृष्टांतों में भूखंडों का क्षेत्रफल ऋणात्मक पाया गया।
- दो नमूना परीक्षित तहसीलों में गाँव का कुल क्षेत्रफल, जो दो अलग-अलग तालिकाओं में, जैसे भूमिधारकों का विवरण (के_2 तालिका) एवं भूखंडों के विवरण (के_गाटा तालिका) के अन्तर्गत दर्ज किया गया था, विसंगतियाँ दिखाता था।

निकास गोष्ठी (अक्टूबर 2015) में, शासन ने बताया कि आंतरिक नियंत्रण को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए इंगित अनियमितताओं को ध्यान में रखा जायेगा।

1.15.4.9 डॉक्यूमेंटेशन का न होना (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर सं 1.1.10.3)

दो नमूना परीक्षित तहसीलों की अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि देवभूमि सॉफ्टवेयर का संस्करण 1.2 प्रचलन में था; तथापि सॉफ्टवेयर में किसी भी स्तर पर किए गए किसी भी परिवर्तन का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं था। उचित डॉक्यूमेंटेशन के अभाव में, सॉफ्टवेयर में किये गये विभिन्न संशोधनों/परिवर्तनों के लिए कोई चिन्ह नहीं था।

उत्तर में शासन ने बताया कि भविष्य में सॉफ्टवेयर में होने वाले सभी परिवर्तनों का डॉक्यूमेंटेशन किया जायेगा।

1.15.4.10 एक्सेस नियन्त्रण (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर सं 1.1.10.4)

दो नमूना परीक्षित तहसीलों की अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि कमजोर संगठनात्मक नियंत्रण के कारण रजिस्ट्रार कानूनगो से नीचे पद वाले राजस्व कर्मचारियों तथा यहाँ तक कि निजी ऑपरेटरों को भी एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में कार्य करते हुए पाया गया। यद्यपि, सॉफ्टवेयर में एक्सेस पासवर्ड के माध्यम से यूजर प्रमाणीकरण के लिए पहले से अंतःविष्ट सुविधाएं हैं; लेकिन नियन्त्रण प्रक्रियाएं जैसे असफल लॉगिन प्रयासों की संख्या पर प्रतिबंध, नियमित पासवर्ड बदलने, अक्षरांकीय पासवर्ड या पासवर्ड के लिए कैरेक्टरों की न्यूनतम सीमा को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में शामिल नहीं किया गया था।

एप्लीकेशन में, यूजर के स्थानान्तरण एवं सेवानिवृत्ति के बाद यूजर के खातों को हटाने के लिए कोई प्रावधान नहीं था। दो नमूना परीक्षित तहसीलों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि डाटावेस में 19 अनाधिकृत/डमी यूजर खाते¹⁰⁵ थे। जिसके परिणामस्वरूप अनाधिकृत यूजरों द्वारा प्रवेश के जोखिम के लिए सिस्टम खुला था।

काशीपुर तहसील में यह पाया गया कि आर ओ आर (खतौनी) सीधे सर्वर के माध्यम से वितरित की जा रही थीं एवं ग्राहक मशीनों के माध्यम से वितरित नहीं की जा रही थीं, जो डाटा की सुरक्षा के जोखिम को बढ़ाना उजागर कर रहा था।

किसी भी नमूना परीक्षित तहसील में अंगूठे की छाप के माध्यम से पहुँच प्रदान करने वाले बायोमैट्रिक उपकरण स्थापित नहीं पाये गये।

निकास गोष्ठी (अक्टूबर 2015) में, शासन ने बताया कि आवश्यक बदलाव रा भू अभि आ का में किये जाएंगे।

¹⁰⁵ 15 निष्क्रिय यूजर्स, तीन स्थानान्तरित यूजर्स एवं एक सेवानिवृत्त यूजर्स।

1.15.4.11 अपर्याप्त सुरक्षा उपाय (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर सं 1.1.10.5)

दो नमूना परीक्षित तहसीलों की अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि डाटावेस का बैक-अप लेने हेतु निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया जा रहा था, साथ ही बैकअप डाटा की जांच हेतु रिस्टोरिंग प्रक्रिया का कभी प्रयास नहीं किया गया। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का कोई लाइसेंस संस्करण, देहरादून तहसील में स्थापित नहीं पाया गया जिससे सिस्टम पर वायरस के आक्रमण की संभावना बनती है। प्रतिउत्तर में, शासन ने बताया कि इस संदर्भ में निर्देश जारी किए जाएंगे तथा सभी तहसील डाटा केन्द्रों में नियमित बैकअप को आश्वस्त किया जायेगा।

1.15.4.12 केन्द्रीय सहायता (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर सं 1.1.11.1)

भू अभि क योजना की अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि केन्द्रीय सहायता से ₹ 1,325.30 लाख अव्ययित शेष धनराशि सभी मौजूदा योजनाओं¹⁰⁶ को बन्द करने एवं उत्तराखण्ड में रा भू अभि आ का योजना के क्रियान्वयन के निवेदन के साथ भू-संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को समर्पित (सितम्बर 2014) कर दिया गया। साथ ही भारत सरकार के अभिलेख तथा उत्तराखण्ड शासन के आकड़ों तथा भारत सरकार के अभिलेखों में ₹ 0.20 करोड़ के अंतर का उल्लेख था, जिसे मिलान कराने की आवश्यकता थी।

आगे, यह भी पाया गया कि रा भू अभि आ का योजना हेतु केन्द्रीय सहायता के रूप में ₹ 762.17 लाख (सितम्बर 2014 एवं नवम्बर 2014) प्राप्त किये गये थे। राज्य सरकार ने भी योजना के क्रियान्वयन हेतु राजस्व बोर्ड को अपने हिस्से के रूप में ₹ 760.70 लाख अवमुक्त (जनवरी 2015 एवं मार्च 2015) किये। अगस्त 2015 तक भारत सरकार को कोई भी उपयोगिता प्रमाणपत्र अग्रसारित नहीं किया गया था।

1.15.4.13 "उत्तरांचल इनफारमेशन सिस्टम" सॉफ्टवेयर की खरीद (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर सं 1.1.11.3)

भू-अभिलेखों के उन्नयन के इरादे से मुख्य राजस्व आयुक्त, दो डिवीजनल कार्यालयों, 64 तहसील डाटा केन्द्रों एवं 13 जिला डाटा केन्द्रों में प्रयोग के लिये 'उत्तरांचल इनफारमेशन सिस्टम' (यू आई एस) सॉफ्टवेयर ₹ 40 लाख¹⁰⁷ की कुल लागत से खरीदा (मार्च 2006) गया था। दो चयनित तहसीलों में किसी भी सिस्टम में इस प्रकार का कोई भी सॉफ्टवेयर स्थापित नहीं पाया गया। इसके अलावा तहसीलों के कर्मचारीगण उक्त सॉफ्टवेयर से अनभिज्ञ थे।

निकास गोष्ठी (अक्टूबर 2015) में, शासन ने आश्वस्त किया कि इस संदर्भ में जाँच की जायेगी।

1.15.4.14 जिला भू-अभिलेख प्रबन्धन एवं अनुरक्षण समिति (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर सं 1.1.11.4)

यह पाया गया कि, कम्प्यूटरीकृत अभिलेखों के अधिकार (आर ओ आर) के वितरण के माध्यम से ₹ 17.07 करोड़ की धनराशि वसूल की गयी (जुलाई 2015 तक)। दो नमूना परीक्षित जिलों में यह पाया गया कि कम्प्यूटरीकृत अभिलेखों के अधिकार के वितरण के माध्यम से प्राप्त धनराशि अनानुमन्य मदों जिसे नीचे सूचीबद्ध किया गया है पर खर्च कर दी गयी:

¹⁰⁶ स्ट्रेनिंग ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (एस आर ए) अपडेशन ऑफ लैण्ड रिकॉर्ड (यू एल आर) एवं कम्प्यूटराइजेशन ऑफ लैण्ड रिकॉर्ड (सी एल आर)।

¹⁰⁷ @50,000 रुपये प्रति यू आई एस की सीडी।

- ₹ 15.31 लाख का व्यय देहरादून जिले की विभिन्न तहसीलों में जनाधार केन्द्रों को क्रियाशील बनाने हेतु कम्प्यूटर, प्रिन्टर, यू पी एस, स्कैनर एवं वेब कैमरा की अधिप्राप्ति में हुआ।
- जिलाधिकारी कार्यालय, देहरादून हेतु ₹ 99,750 का व्यय कर कम्प्यूटर के तीन सेटों का क्रय किया गया।
- ₹ 62,923 का भुगतान वाहन के क्रय हेतु कार्यालय अभिलेख अधिकारी, देहरादून को किया गया।
- ₹ 85,000 का भुगतान नवसृजित तहसील, डोईवाला, देहरादून के कोर्ट रूम की स्थापना हेतु किया गया।
- जिला भू-अभिलेख प्रबन्धन एवं अनुरक्षण समिति, उधमसिंहनगर के खाते से ₹ 20 लाख की धनराशि क्षतिपूर्ति (प्रत्येक को ₹ 10 लाख) के रूप में दो पीड़ितों के आश्रितों को प्रदान किया गया।

निकास गोष्ठी (अक्टूबर 2015) में, शासन ने बताया कि उक्त कोष के प्रबंधन एवं प्रशासन के संदर्भ में निर्गत शासनादेशों का अनुसरण करने के लिए सभी जिला भू-अभिलेख प्रबन्धन एवं अनुरक्षण समिति को निर्देश निर्गत किये जायेंगे। शासन ने यह भी निर्देशित किया कि जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर द्वारा आहरित धनराशि की प्रतिपूर्ति की जाये।

1.15.4.15 कार्य के दबाव का निर्धारण (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर सं 1.1.12.1)

दो नमूना परीक्षित जिलों की अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि पटवारियों एवं रजिस्ट्रार कानूनगो¹⁰⁸ के संवर्ग में जनशक्ति की कमी थी। इसका प्रभाव पर्यवेक्षण की गुणवत्ता, खतौनियों के अद्यतनीकरण की शुद्धता एवं म्यूटेशन आदेशों के प्रविष्टि की समयबद्धता तथा आर ओ आर को अधिकार प्रदान करने पर होता है। पटवारियों एवं रजिस्ट्रार कानूनगो पर अत्यधिक कार्य दबाव के प्रतिकूल प्रभाव की वास्तविकता यह है कि रजिस्ट्रार कानूनगो से नीचे स्तर के कर्मचारी और यहाँ तक कि प्राइवेट डाटा एन्ट्री आपरेटर की अनाधिकृत पहुंच 'सिस्टम मैनेजमेन्ट माड्यूल' तक है जिसके कारण डाटा की गोपनीयता एवं विश्वसनीयता प्रभावित होती है। उत्तर में, शासन ने बताया कि पटवारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रगति पर है।

अनुशंसाओं एवं अन्य अभ्युक्तियों पर 1 अक्टूबर 2015 को आयोजित निकास गोष्ठी में चर्चा की गयी। शासन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया कि सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर से सम्बन्धित अनुशंसाओं को रा भू अभि आ का के क्रियान्वयन के दौरान सुनिश्चित किया जायेगा। शासन ने यह भी सुनिश्चित किया कि भू अभी क योजना से संबंधित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर तत्काल ध्यान देने को सुनिश्चित करने हेतु सम्बन्धित कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश निर्गत किये जायेंगे।

¹⁰⁸ 22 स्वीकृत पद के सापेक्ष 18 रजिस्ट्रार कानूनगो पदास्थापित थे, 254 स्वीकृत पद के सापेक्ष 179 पटवारी/लेखपाल पदास्थापित थे।

निष्कर्ष

उपरोक्त से यह स्पष्ट होता है कि शासन/विभाग ने अनिस्तारित लेखापरीक्षा प्रेक्षकों के तत्काल निस्तारण हेतु कोई भी पहल नहीं की। इसके अतिरिक्त नई योजना रा भू अभि आ का योजना अभी भी क्रियान्वित होनी शेष थी। इस प्रकार जनहित की एक महत्वपूर्ण योजना अपने आरम्भ के सात वर्षों के उपरान्त भी अभी तक अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से दूर है।

समाज कल्याण विभाग

1.16 निष्क्रिय व्यय

बालिका छात्रावास पर किया गया व्यय ₹ 1.02 करोड़ निष्क्रिय रहा, क्योंकि इसके संचालन हेतु व्यवस्थाओं के अभाव के कारण भवन का उपयोग नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार, ने राजकीय स्नात्कोत्तर महाविद्यालय, बेरीनाग, पिथौरागढ़ के परिसर में अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्राओं हेतु पचास सीटों के छात्रावास के निर्माण हेतु ₹ 72.14 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की (फरवरी 2006)। तत्पश्चात कार्यदायी संस्था, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम द्वारा प्राक्कलन संशोधित कर ₹ 1.02 करोड़ किया गया (फरवरी 2007), जिसे शासन द्वारा अनुमोदित किया गया (जनवरी 2011)।

निदेशक, समाज कल्याण, हल्द्वानी के अभिलेखों की जांच (जुलाई 2014) में पाया गया कि छात्रावास का निर्माण कार्य सितम्बर 2011 में पूर्ण हो गया था। तथापि, छात्रावास के संचालन हेतु महाविद्यालय में महिला कार्मिक की अनुपलब्धता के कारण, प्रधानाचार्य छात्रावास भवन का कब्जा लेने में अनिच्छुक थे, जिस कारण भवन महाविद्यालय को हस्तान्तरित नहीं हो सका पुनश्च, प्रधानाचार्य ने सलाह दी (जून 2012), कि जब तक महाविद्यालय में अपेक्षित पदों की स्वीकृति नहीं हो जाती, तब तक समाज कल्याण विभाग छात्रावास का संचालन कर सकता है। इसके प्रतिउत्तर में जिला समाज कल्याण अधिकारी ने छात्रावास के जिला मुख्यालय से 100 किमी दूर होने के कारण, छात्रावास के संचालन में असमर्थता व्यक्त की (दिसम्बर 2013)। भवन इसके पूर्ण होने के माह से यानि सितम्बर 2011 से अप्रयुक्त रहा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग द्वारा छात्रावास के पूर्ण होने के बाद संचालन हेतु, कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व, महाविद्यालय अथवा अन्य स्थानीय निकाय के साथ कोई प्रबन्ध नहीं किए गए। शासन ने भी ऐसे किन्हीं प्रबंधों के प्रमाण की कमी के बावजूद भी धनराशि अवमुक्त कर दी। शासन ने स्वीकृति पत्र में यह स्पष्ट उल्लेख किया था कि छात्रावास के निर्माण के अतिरिक्त, व्यवस्था को चलाने हेतु आवर्ती व्यय अथवा जनशक्ति हेतु कोई धनराशि प्रदान नहीं की जाएगी। इससे वर्तमान में गतिरोध उत्पन्न हुआ जिससे ₹ 1.02 करोड़ का पूरा व्यय निष्क्रिय रहा।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, निदेशक समाज कल्याण ने कहा कि, कार्य समाप्ति के बाद छात्रावास के संचालन हेतु महाविद्यालय की सम्मति प्राप्त नहीं की जा सकी, क्योंकि शासन ने अपेक्षित सम्मति प्राप्त करने के निर्देश जारी करने के दो दिन के अंदर प्राशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी थी। उत्तर दर्शाता है कि शासन और विभाग दोनों आवश्यक दूरदर्शिता की कवायद में विफल रहे, क्योंकि स्वीकृति रोकी जा सकती थी अथवा जब तक कि छात्रावास के संचालन

हेतु महाविद्यालय अथवा स्थानीय निकाय के साथ प्रबंध नहीं कर लिए जाते, कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए था।

इस प्रकार बालिका छात्रावास पर किया गया ₹ 1.02 करोड़ का व्यय इसके संचालन हेतु प्रबंधों के अभाव में निष्क्रिय रहा।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (फरवरी 2015); उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2015)।

अध्याय ॥

राजस्व खण्ड

अध्याय-II

राजस्व क्षेत्र

2.1 परिचय

2.1.1 राजस्व प्राप्ति की प्रवृत्ति

वर्ष 2014-15 के दौरान उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उदगृहित कर एवं करेत्तर राजस्व, वर्ष के दौरान राज्य को समनुदेशित विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के निवल आगमों का राज्यांश एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तदनुरूपी आँकड़े तालिका 2.1.1 में दिये गये हैं।

तालिका 2.1.1 राजस्व प्राप्ति प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 |
|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1 | राज्य सरकार द्वारा उदगृहित राजस्व | | | | | |
| | • कर राजस्व | 4,405.48 | 5,615.62 | 6,414.25 | 7,355.34 | 8,338.47 |
| | • करेत्तर राजस्व | 678.06 | 1,136.13 | 1,602.88 | 1,316.54 | 1,110.44 |
| | योग | 5,083.54 | 6,751.75 | 8,017.13 | 8,671.88 | 9,448.91 |
| 2 | भारत सरकार से प्राप्तियाँ | | | | | |
| | • विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के निवल आगमों का अंश ¹ | 2,460.07 | 2,866.04 | 3,272.88 | 3,573.38 | 3,792.30 |
| | • सहायता अनुदान | 4,064.56 | 4,073.45 | 4,457.21 | 5,075.27 | 7,005.34 |
| | योग | 6,524.63 | 6,939.49 | 7,730.09 | 8,648.65 | 10,797.64 |
| 3 | राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 एवं 2) | 11,608.17 | 13,691.24 | 15,747.22 | 17,320.53 | 20,246.55 |
| 4 | 1 से 3 की प्रतिशतता | 44 | 49 | 51 | 50 | 47 |

स्रोत: वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2014-15 के दौरान, कुल राजस्व प्राप्तियों का 47 प्रतिशत (₹ 9,448.91 करोड़) राज्य सरकार द्वारा उदगृहित किया गया। वर्ष 2014-15 के दौरान प्राप्तियों का शेष 53 प्रतिशत (₹ 10,797.64 करोड़) भारत सरकार से विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के निवल आगमों का अंश एवं सहायता अनुदान के हिस्से के रूप में था।

2.1.2 वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान उदगृहित कर राजस्व का विवरण तालिका 2.1.2 में दर्शाया गया है।

¹ नोट: विवरण हेतु, कृपया उत्तराखण्ड सरकार के वर्ष 2014-15 के वित्त लेखों (खण्ड-II) में लघु शीर्षों द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखे का विवरण सं.-14 देखें। उपरोक्त तालिका में आंकड़े मुख्य लेखाशीर्ष - 0020 - निगम कर, 0021 - निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0032 - सम्पत्ति कर, 0037 - सीमा शुल्क, 0038 - संघीय उत्पाद शुल्क तथा 0044 - सेवा कर 'अ-कर राजस्व' के अन्तर्गत वित्त लेखों में अंकित राज्यों को समनुदेशित निवल प्राप्तियों के अंश को, राज्य द्वारा उदगृहित राजस्व से निकाल दिया गया है तथा इस विवरण के विभाज्य संघीय करों में राज्य के हिस्से में सम्मिलित किया गया है।

तालिका 2.1.2 उदगृहित कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | राजस्व प्राप्ति का शीर्ष | 2010-11 | | 2011-12 | | 2012-13 | | 2013-14 | | 2014-15 | | वास्तविक वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता | |
|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-------------------------------------|
| | | बजट अनुमान | वास्तविक | बजट अनुमान | वास्तविक | बजट अनुमान | वास्तविक | बजट अनुमान | वास्तविक | बजट अनुमान | वास्तविक | बजट अनुमान 2014-15 के सापेक्ष 2014-15 | वास्तविक 2013-14 के सापेक्ष 2014-15 |
| 1. | बिक्री, व्यापार आदि पर कर | 2,586.00 | 2,940.48 | 3,187.60 | 3,643.51 | 4,088.10 | 4,289.41 | 4,847.22 | 4,902.91 | 5,459.01 | 5,464.84 | (+)0.11 | (+)11.46 |
| 2. | राज्य आबकारी | 686.93 | 755.92 | 727.67 | 843.65 | 942.15 | 1,117.92 | 1,149.25 | 1,269.29 | 1,345.40 | 1,486.66 | (+)10.50 | (+)17.13 |
| 3. | स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क | 425.65 | 439.50 | 483.85 | 524.05 | 573.95 | 648.40 | 640.40 | 686.71 | 708.79 | 714.06 | (+)0.74 | (+)3.98 |
| 4. | मोटर वाहनों पर कर | 225.30 | 227.26 | 249.53 | 334.69 | 275.00 | 304.29 | 320.00 | 368.83 | 360.00 | 393.70 | (+)9.36 | (+)6.74 |
| 5. | विद्युत पर कर एवं शुल्क | 72.00 | 2.16 | 75.00 | 229.02 | 60.00 | 2.71 | 100.00 | 64.66 | 100.00 | 192.65 | (+)92.65 | (+)197.94 |
| 6. | भू-राजस्व | 11.73 | 18.31 | 13.48 | 10.18 | 8.55 | 10.59 | 8.15 | 21.65 | 9.05 | 39.26 | (+)333.81 | (+)81.34 |
| 7. | उपयोगी वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क | 8.68 | 12.15 | 10.60 | 16.52 | 17.50 | 23.13 | 24.41 | 23.47 | 25.01 | 25.26 | (+)1.00 | (+)7.63 |
| 8. | अन्य | 8.00 | 9.70 | 12.00 | 14.00 | 15.00 | 17.80 | 22.00 | 17.82 | 16.00 | 22.04 | (+)37.75 | (+)23.68 |
| | योग | 4,024.29 | 4,405.48 | 4,759.73 | 5,615.62 | 5,980.25 | 6,414.25 | 7,111.43 | 7,355.34 | 8,023.26 | 8,338.47 | (+) 3.93 | (+)13.37 |

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2010-11 से 2014-15 में राज्य के स्वयं के कर राजस्व में ₹ 4,405.48 करोड़ से ₹ 8,338.47 करोड़ (89.27 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वर्ष 2013-14 से 2014-15 में 13.36 प्रतिशत बढ़ी। यद्यपि, वर्ष के दौरान वृद्धि की दर पिछले वर्ष की तुलना में मामूली सी 1.33 प्रतिशत घटी थी। बिक्री कर, व्यापार आदि से प्राप्त राजस्व ना केवल राजस्व कर (65.53 प्रतिशत) में मुख्य अंशदाता बनी बल्कि पिछले वर्ष की तुलना में 11.46 प्रतिशत की वृद्धि भी की। राज्य के स्वयं के कर राजस्व में राज्य आबकारी एक अन्य मुख्य अंशदाता था।

सम्बन्धित विभागों ने भिन्नता के निम्नलिखित कारण बताये:

वाहनो पर कर:- वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2014-15 में मुख्य शीर्ष "0041" में वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि का कारण मोटरवाहन सुधार नियमावली/अधिनियम, 2003 को पुनरीक्षित कर सुधार करना रहा।

विद्युत पर कर एवं शुल्क:- पिछले वर्षों में विद्युत पर करों एवं शुल्कों में उल्लेखनीय वृद्धि का कारण, उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि0 द्वारा विद्युत शुल्कों की बड़ी राशि का जमा होना था।

भू-राजस्व:- वर्ष 2014-15 में राजस्व में वृद्धि का कारण, विभिन्न विभागों के विविध बकाये की वसूली हेतु संग्रह शुल्क जैसे व्यापार कर, वानिकी देय, परिवहन कर, आबकारी शुल्क, उद्योग, विद्युत देय, वित्त निगम, बैंक देय, स्टाम्प शुल्क आदि था।

2.1.3 वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान उदगृहित करेत्तर राजस्व का विवरण तालिका 2.1.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.1.3
उदगृहित करेत्तर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | राजस्व प्राप्ति शीर्ष | 2010-11 | | 2011-12 | | 2012-13 | | 2013-14 | | 2014-15 | | वास्तविक वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता | |
|---------|--------------------------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|---|-------------------------------------|
| | | बजट अनुमान | वास्तविक | बजट अनुमान | वास्तविक | बजट अनुमान | वास्तविक | बजट अनुमान | वास्तविक | बजट अनुमान | वास्तविक | बजट अनुमान 2014-15 के सापेक्ष 2014-15 | वास्तविक 2013-14 के सापेक्ष 2014-15 |
| 1. | ऊर्जा | 230.00 | 13.54 | 235.00 | 41.24 | 84.00 | 150.04 | 122.55 | 121.11 | 122.55 | 45.01 | (-)63.28 | (-)62.84 |
| 2. | ब्याज प्राप्ति | 62.00 | 53.76 | 52.01 | 50.62 | 35.00 | 114.76 | 44.83 | 51.12 | 33.10 | 108.17 | (+)226.80 | (+)111.60 |
| 3. | वानिकी एवं वन्य जीव | 266.10 | 229.69 | 286.83 | 234.26 | 296.71 | 238.20 | 309.34 | 362.70 | 342.06 | 351.24 | (+)2.68 | (-)3.16 |
| 4. | लोक निर्माण | 14.51 | 24.83 | 17.27 | 17.85 | 16.16 | 18.13 | 9.15 | 15.51 | 19.11 | 28.29 | (+)48.04 | (+)82.40 |
| 5. | विविध सामान्य सेवायें | 22.00 | 28.23 | 14.00 | 37.57 | 11.00 | 25.85 | 3.55 | 48.74 | 21.00 | 8.26 | (-)60.67 | (-)83.05 |
| 6. | अन्य प्रशासनिक सेवायें | 10.12 | 47.15 | 12.21 | 70.15 | 11.82 | 38.72 | 3.73 | 32.38 | 19.13 | 33.50 | (+)75.12 | (+)3.46 |
| 7. | पुलिस | 9.00 | 11.26 | 9.00 | 11.41 | 10.11 | 10.98 | 11.21 | 13.39 | 11.47 | 16.51 | (+)43.94 | (+)23.30 |
| 8. | चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य | 11.48 | 29.01 | 17.93 | 23.20 | 23.16 | 30.00 | 22.10 | 44.04 | 24.52 | 37.78 | (+)54.08 | (-)14.21 |
| 9. | सहकारिता | 5.18 | 1.70 | 1.02 | 2.93 | 2.21 | 1.38 | 2.23 | 9.78 | 2.01 | 1.17 | (-)41.79 | (-)88.04 |
| 10. | वृहद एवं मध्यम सिंचाई | 3.32 | 5.10 | 3.31 | 8.07 | 2.37 | 7.65 | 2.42 | 6.75 | 2.42 | 9.22 | (+)280.99 | (+)36.59 |
| 11. | अलौह धातु खनन/धातु कर्म उद्योग | 99.01 | 93.62 | 110.01 | 112.58 | 131.00 | 109.85 | 151.00 | 249.99 | 301.00 | 223.72 | (-) 25.67 | (-) 10.51 |
| 12. | अन्य करेत्तर प्राप्ति | 382.28 | 140.17 | 888.52 | 526.25 | 584.63 | 857.32 | 534.15 | 361.03 | 909.09 | 247.57 | (-) 72.76 | (-) 31.43 |
| | योग | 1,115.00 | 678.06 | 1,647.11 | 1,136.13 | 1,208.17 | 1,602.88 | 1,216.26 | 1,316.54 | 1,807.46 | 1,110.44 | (-)38.56 | (-)15.65 |

स्रोत: वित्त लेखे

करेत्तर राजस्व वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान लगातार बढ़ा परन्तु यह वर्ष 2013-14 से घटती प्रवृत्ति दर्शाती है। पिछले वर्ष के ₹286.34 करोड़ (17.86 प्रतिशत) की कमी के सापेक्ष वर्ष 2014-15 के दौरान इसमें ₹206.10 करोड़ (15.65 प्रतिशत) की कमी दर्ज की गयी।

सम्बन्धित विभागों ने भिन्नता के निम्नलिखित कारण बताये:

पुलिस:- इस राजस्व शीर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्ति का कारण, विभागीय परीक्षाओं के आवेदनकर्ताओं द्वारा आवेदन फार्म के साथ निर्धारित शुल्क जमा किया जाना था।

चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य:- विभाग द्वारा बताया गया (जुलाई 2015) कि 2014-15 से पूर्व, चिकित्सा शिक्षा की राजस्व प्राप्ति विभाग के प्राप्ति शीर्ष में जमा की जाती थीं। अब, वे मेडिकल कालेज के खाते में रखी जा रही थी, क्योंकि इस संबंध में निर्णय शासन स्तर पर लम्बित था। अतः चिकित्सा शिक्षा के राजस्व शीर्ष की कम जमा प्राप्ति के कारण पिछले वर्ष की तुलना में विभाग की राजस्व प्राप्ति में कमी दर्ज की गई।

सहकारिता:- पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्ति में कमी के मुख्य कारण, समितियों/ संस्थाओं द्वारा अधिक आडिट शुल्क जमा कराया जाना, नेशन कोआपरेटिव डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन से अनुदान की प्रतिपूर्ति में कमी और आर्बीट्रेशन एवं समितियों का निबंधन कम होना था।

खनन उद्योग:- पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2014-15 में राजस्व प्राप्ति में कमी के कारण, संस्वीकृत लीज खनन का समर्पण, भारत सरकार द्वारा वन क्षेत्र में खनन करने का अनुमोदन न किया जाना एवं नैनीताल जिले की गोला नदी में खनन कार्य का अवरुद्ध किया जाना था।

उर्जा:- वित्त लेखे के अनुसार, वर्ष 2014-15 में उर्जा विभाग का करेत्तर राजस्व ₹ 45.01 करोड़ था। जबकि, विभाग द्वारा सूचित किया गया कि वर्ष 2014-15 के दौरान वास्तविक प्राप्ति ₹ 179.31 करोड़ थी और यह भी सूचित किया गया कि बजट अनुमन्य एवं पिछले वर्ष की तुलना में बुकड राजस्व प्राप्ति में वृद्धि का मुख्य कारण पिछले बकायों का भुगतान/समायोजन किये जाने से था। इससे यह प्रदर्शित होता है कि विभाग अपने बुक किये हुए राजस्व प्राप्तियों के आँकड़ों के अन्तर को वित्त लेखों से मिलान करने में असफल रहा।

2.1.4 राजस्व बकायों का विश्लेषण

मुख्य राजस्व शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च, 2015 को ₹ 7,024.24 करोड़ के राजस्व बकायों में से ₹ 687.49 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे, जैसा कि तालिका 2.1.4 में वर्णित है।

तालिका 2.1.4 राजस्व बकाया

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | राजस्व शीर्ष | 31 मार्च 2015 को कुल बकाये की राशि | 31 मार्च 2015 को 5 वर्षों से अधिक बकाये की राशि | विभाग के उत्तर |
|------------|--|------------------------------------|---|---|
| 1. | बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्यवर्धित कर | 6,462.49 | 669.88 | ₹ 491.50 करोड़ (1,820 मामले) की वसूली न्यायालय में विचाराधीन है। शेष ₹ 5,970.99 करोड़ के वसूली प्रमाणपत्र, जहाँ भी आवश्यक थे जारी किये जा चुके हैं। |
| 2. | विद्युत पर कर एवं शुल्क | 523.22 | 0 | विभाग ने बताया कि इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि से नियमित पत्राचार किया जा रहा है। |
| 3. | सहकारिता | 19.57 | 10.71 | वसूली हेतु माँग जिला स्तर के अधिकारियों के माध्यम से संसाधित हो गयी है। |
| 4. | स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क | 13.29 | 3.71 | ₹ 0.30 करोड़ की वसूली न्यायालय में विचाराधीन है तथा अन्य प्रकरणों में वसूली हेतु माँग संसाधित की गयी है। |
| 5. | वाहनों पर कर | 4.77 | 2.57 | 13 प्रकरण (₹ 0.10 करोड़) न्यायालय में विचाराधीन है। शेष प्रकरणों में वसूली प्रमाण पत्र जारी किये जा चुके हैं। |
| 6. | राज्य आबकारी | 0.60 | 0.60 | ₹ 0.25 करोड़ की धनराशि के दो प्रकरण न्यायालय में लम्बित है। अन्य प्रकरणों में, धनराशि (₹ 0.35 करोड़) की वसूली के लिए कार्यवाही की जा रही है। |
| 7. | गन्ना क्रय पर कर | 0.20 | 0 | गन्ना क्रय पर कर, चीनी मिल से चीनी की बोरियों की निकासी के समय नियमित रूप से जमा किया जा रहा है। |
| 8. | मनोरंजन कर | 0.10 | 0.02 | ₹ 0.02 करोड़ के प्रकरण न्यायालय में लम्बित हैं। शेष प्रकरणों में वसूली प्रमाण पत्र जारी किये जा चुके हैं। |
| योग | | 7,024.24 | 687.49 | |

स्रोत: सम्बन्धित विभाग

2.1.5 निर्धारणों का बकाया

वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित प्रकरणों का विवरण, कर निर्धारण योग्य प्रकरणों, वर्ष के दौरान निस्तारित प्रकरणों एवं वर्ष के अन्त में अन्तिमीकरण हेतु लम्बित प्रकरणों की संख्या का विवरण जैसा कि बिक्री कर के सम्बन्ध में वाणिज्य कर विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तालिका 2.1.5 में दिया गया है।

तालिका 2.1.5 बकाया कर निर्धारण

| राजस्व शीर्ष | प्रारम्भिक अवशेष | वर्ष 2014-15 के दौरान कर निर्धारण योग्य नये प्रकरण | कुल कर निर्धारण योग्य प्रकरण | वर्ष 2014-15 के दौरान निस्तारित प्रकरण | वर्ष के अन्त में अवशेष | निस्तारण की प्रतिशतता (स्तम्भ 5 से 4) |
|--|------------------|--|------------------------------|--|------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्यवर्धित कर | 1,08,617 | 1,38,822 | 2,47,439 | 1,68,235 | 79,204 | 67.99 |

स्रोत: वाणिज्य कर विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

विभाग को कर निर्धारण प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु अधिक प्रयास करने चाहिए।

2.1.6 वाणिज्य कर विभाग द्वारा पकड़े गये करापवंचन

वाणिज्य कर विभाग द्वारा पकड़े गये करापवंचन के प्रकरणों, निस्तारित प्रकरणों तथा वर्ष 2014-15 में उदगृहित अतिरिक्त कर की मांग का विवरण, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया, तालिका 2.1.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.1.6 करापवंचन

(₹ करोड़ में)

| राजस्व शीर्ष | 31 मार्च 2014 को लंबित प्रकरणों की संख्या | वर्ष 2014-15 के दौरान पकड़े गये प्रकरण | योग | प्रकरणों की संख्या जिसमें कर निर्धारण/जांच पूरा होने पर अर्थदण्ड सहित अतिरिक्त मांग की गई | | 31 मार्च 2015 को लंबित प्रकरणों की संख्या |
|--|---|--|-------|---|--------------|---|
| | | | | मामलों की संख्या | मांग की राशि | |
| बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्यवर्धित कर | 216 | 902 | 1,118 | 923 | 320.75 | 195 |
| मनोरंजन कर | 206 | 204 | 410 | 270 | 0.04 | 140 |

विभाग द्वारा, मांग की गई राशि के सापेक्ष वसूल की गई राशि को सूचित नहीं किया गया था (अगस्त 2015)।

2.1.7 कर वापसी के प्रकरण

वर्ष 2014-15 के प्रारम्भ में लंबित कर वापसी के प्रकरणों की संख्या, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान स्वीकार कर वापसी एवं वर्ष 2014-15 के अन्त में लम्बित प्रकरण, जैसे कि वाणिज्य कर विभाग द्वारा सूचित किया गया, तालिका 2.1.7 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.1.7 कर वापसी प्रकरण का विवरण

(₹ लाख में)

| क्र. सं. | विवरण | बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर | |
|----------|------------------------------|---------------------------|----------|
| | | मामलों की संख्या | धनराशि |
| 1. | वर्ष के आरम्भ में बकाया दावे | 735 | 2,011.53 |
| 2. | वर्ष के दौरान प्राप्त दावे | 7,138 | 8,434.62 |
| 3. | वर्ष के दौरान की गई वापसी | 7,191 | 8,154.11 |
| 4. | वर्ष के अन्त में बकाया शेष | 682 | 2,292.04 |

स्रोत: सम्बन्धित राज्य विभाग

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम (उ मू व क अ), 2005 ब्याज का भुगतान प्रति माह एक प्रतिशत की दर से प्रदान करता है। पर यदि आदेश जारी होने की दिनांक से 90 दिनों के भीतर अतिरिक्त धनराशि डीलर को वापस नहीं की जाती है और इसके बाद जब तक पुनर्भुगतान नहीं हो

जाता प्रति माह 1.5 (डेढ़) प्रतिशत की दर से भुगतान की व्यवस्था है। ब्याज दायित्व को अनदेखा करने के लिए, राज्य सरकार को पुनर्भुगतान दावों के निस्तारण के प्रयास समय रहते करने चाहिए।

2.1.8 लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/सरकार की प्रतिक्रिया

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) (म ले), उत्तराखण्ड निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार, लेन-देनों की नमूना जांच तथा महत्वपूर्ण लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण को सत्यापित करने हेतु सम्बद्ध सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण सम्पादित करते हैं। इन निरीक्षणों के आधार पर निरीक्षण प्रतिवेदन (नि प्र) तैयार किये जाते हैं, जिसमें निरीक्षण के समय पायी गयी तथा स्थल पर ही निस्तारित न की गई, अनियमितताएँ सम्मिलित होती हैं, जो निरीक्षित कार्यालयों के प्रमुखों को निर्गत की जाती हैं एवं उसकी प्रतियाँ अगले उच्च प्राधिकारियों को शीघ्र सुधार की कार्रवाई हेतु भेजी जाती हैं। कार्यालय प्रमुखों/सरकार से अपेक्षा की जाती है कि नि प्र में सम्मिलित टिप्पणियों का अनुपालन शीघ्रता से सुनिश्चित करके त्रुटियों एवं चूकों का सुधार समुचित रूप से करें एवं अनुपालन आख्या म ले को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी होने के चार सप्ताह के अन्दर भेजें। गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं लेखापरीक्षा प्रस्तर के माध्यम से विभागाध्यक्षों/सरकार के संज्ञान में लायी जाती हैं।

जून 2015 तक निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों में देखा गया कि 922 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित ₹ 188.66 करोड़ के 1,985 प्रस्तर जून 2015 तक बकाया थे तथा इनके साथ पूर्ववर्ती दो वर्षों के तदनुसूची आँकड़े तालिका 2.1.8 में दर्शाये गये हैं।

तालिका 2.1.8 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण

| | जून 2013 | जून 2014 | जून 2015 |
|---|----------|----------|----------|
| निस्तारण हेतु लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या | 919 | 891 | 922 |
| बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संख्या | 1,936 | 1,944 | 1,985 |
| अन्तर्निहित राजस्व की धनराशि (₹ करोड़ में) | 178.58 | 173.54 | 188.66 |

2.1.8.1 30 जून 2015 को विभागवार निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण व बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियों एवं इनमें अन्तर्निहित धनराशि का विवरण तालिका 2.1.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.1.9

विभागवार निरीक्षण प्रतिवेदन का विवरण

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विभाग का नाम | प्राप्ति की प्रकृति | बकाया प्रतिवेदनों की संख्या | बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संख्या | अन्तर्निहित धनराशि |
|----------|--------------------|---|-----------------------------|--|--------------------|
| 1. | वित्त | बिक्री, व्यापार आदि पर कर एवं सुख-साधन कर | 445 | 1,131 | 111.75 |
| | | मनोरंजन कर | 10 | 15 | 0.15 |
| 2. | आबकारी | राज्य आबकारी | 67 | 114 | 29.58 |
| 3. | परिवहन | मोटरयानों पर कर | 103 | 266 | 35.63 |
| 4. | स्टाम्प एवं निबंधन | स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क | 297 | 459 | 11.55 |
| योग | | | 922 | 1,985 | 188.66 |

जुलाई 2014 से जून 2015 तक जारी 74 निरीक्षण प्रतिवेदनों में से 66 निरीक्षण प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा को निर्धारित समय के अन्दर कार्यालय प्रमुखों के प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुए। उत्तर प्राप्त न होने के कारण निरीक्षण प्रतिवेदनों का बड़ी मात्रा में बकाया रहना इंगित करता है कि कार्यालयाध्यक्षों और विभागाध्यक्षों द्वारा नि प्र में म ले द्वारा दर्शायी गयी कमियाँ, चूकों एवं

अनियमितताओं को दूर करने हेतु त्वरित कार्यवाही नहीं की गई थी।

सरकार, लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर शीघ्र एवं उचित प्रतिक्रिया हेतु एक प्रभावी प्रणाली स्थापित करने पर विचार कर सकती है।

2.1.8.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार ने नि प्र में प्रस्तरों एवं नि प्र के निस्तारण की प्रगति की निगरानी एवं शीघ्र निपटारे हेतु लेखापरीक्षा समिति गठित की है। वर्ष 2014-15 के दौरान दो विभागों की आडिट कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें ₹0.19 करोड़ से सम्बन्धित 31 प्रस्तरों का निस्तारण किया गया जिसका विवरण तालिका 2.1.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.1.10

विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का विवरण

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | राजस्व शीर्ष | आयोजित की गई बैठकों की संख्या | निस्तारित प्रस्तरों की संख्या | धनराशि |
|----------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| 1. | मनोरंजन कर | 01 | 06 | 0.05 |
| 2. | मोटरवाहन कर | 01 | 25 | 0.14 |
| | योग | 02 | 31 | 0.19 |

2.1.8.3 प्रलेख लेखापरीक्षा प्रस्तरों के सम्बन्ध में विभाग का उत्तर

प्रलेख लेखापरीक्षा प्रस्तर को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि म ले प) के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित किया जाता है, जिन्हें सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिवों/सचिवों को उनका ध्यान लेखापरीक्षा आपत्तियों की ओर आकर्षित करते हुये उनके उत्तर छः सप्ताह के भीतर भेजने के निवेदन के साथ म ले द्वारा अग्रसारित किया जाता है। विभाग/शासन से उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में इस तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के ऐसे प्रस्तरों के अन्त में नित्य उल्लिखित कर दिया जाता है।

एक² विषयक लेखापरीक्षा एवं आठ³ प्रलेख प्रस्तरों को फरवरी 2015 से जुलाई 2015 के मध्य सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को नाम से प्रेषित किया गया था। आठ प्रलेख प्रस्तरों में से दो प्रकरणों में विभाग द्वारा वसूली की जा चुकी थी। प्रलेख प्रस्तरों के मामले में, प्रकरण शासन को सूचित किये गये थे, परन्तु उक्त के उत्तर प्राप्त नहीं हुये (दिसम्बर 2015)। उसे शासन की प्रतिक्रिया के बिना इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है। तथापि, इन प्रलेख प्रस्तरों के सम्बन्ध में सम्बन्धित लेखापरीक्षिती इकाईयों की प्रतिक्रिया प्राप्त हो गई है तथा इन्हें उचित प्रकार से प्रस्तरों में शामिल कर लिया गया है।

2.1.8.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर विभाग की अनुवर्ती कार्यवाही - संक्षिप्त स्थिति

लोक लेखा समिति, जिसे दिसम्बर 2002 में अधिसूचित किया गया, की आन्तरिक कार्यप्रणाली के अनुसार भारत के नि म ले प के प्रतिवेदन को विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत किये जाने पर विभाग लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर कार्यवाही प्रारम्भ करते हैं तथा उस पर शासन द्वारा कृत

² राजस्व विभाग में प्रकरणों का लम्बित रहना।

³ वाणिज्य कर विभाग।

कार्यवाही/व्याख्यात्मक टिप्पणी को प्रतिवेदन के पटल पर रखने के तीन माह के भीतर समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है। इन प्रावधानों के बावजूद, प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों को असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत किया जाता रहा है। वर्ष 2008-09 से 2013-14 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित 23 प्रस्तरों (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) को, 2009 से 2015 तक के वर्षों में राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रत्येक मामले में इन प्रस्तरों पर सम्बन्धित विभाग से कृत कार्यवाही की व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ औसतन 25 माह के विलम्ब से प्राप्त हुई थीं। 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए दो विभागों⁴ से तीन प्रस्तरों के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ अभी तक प्राप्त नहीं हुई (अगस्त 2015)। वर्ष 2013-14 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को विधानसभा के समक्ष 03 नवम्बर, 2015 को प्रस्तुत किया गया तथा कृत कार्यवाही की व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ अभी तक अप्राप्त हैं (दिसम्बर, 2015)।

लोक लेखा समिति द्वारा वर्ष 2008 से 2013 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित पाँच चयनित प्रस्तरों पर चर्चा की गयी थी। तथापि, सम्बन्धित विभाग से लोक लेखा समिति की एक अनुशंसा पर कृत कार्यवाही की टिप्पणियाँ अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं, जैसा कि तालिका 2.1.11 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.1.11

| वर्ष | विभाग का नाम | प्रस्तर विवरण | योग | अभ्युक्तियाँ |
|---------|----------------|---|-----|--|
| 2010-11 | मोटरवाहन विभाग | 5.2 "मोटरवाहन विभाग में कम्प्यूटरीकरण" पर निष्पादन लेखापरीक्षा (5.2.30 औद्योगिक बसों पर अतिरिक्त कर का अनारोपण) | 01 | दिनांक 24.02.2014 को निस्तारित, लेकिन लोक लेखा समिति की एक अनुशंसा के सम्बन्ध में कृत कार्रवाई की टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। |

2.1.9 लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मुद्दों का निपटारा करने वाले तन्त्र का विश्लेषण

विभागों/शासन द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में मुख्य मुद्दों को सम्बोधित करने की प्रणाली का विश्लेषण करने हेतु, वाणिज्य कर विभाग से सम्बन्धित विगत पाँच वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रस्तरों एवं निष्पादन लेखापरीक्षा पर कृत कार्रवाई का मूल्यांकन किया गया तथा इसे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

अनुवर्ती प्रस्तर 2.1.9.1 में राजस्व शीर्ष "0040" के अन्तर्गत वाणिज्य कर विभाग का निष्पादन तथा विगत पाँच वर्षों में स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पकड़े गये मामले एवं 2010-11 से 2014-15 तक के वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित मामले भी विवेचित किये गये हैं।

2.1.9.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

विगत पाँच वर्षों में जारी वाणिज्य कर विभाग से सम्बन्धित निरीक्षण प्रतिवेदनों का संक्षिप्त विवरण, प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रस्तरों एवं उनकी 31 मार्च, 2015 की स्थिति तालिका 2.1.12 में दर्शायी गयी है।

⁴ वाणिज्य कर विभाग, स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग।

तालिका 2.1.12
निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | प्रारम्भिक अवशेष | | | वर्ष के दौरान वृद्धि | | | वर्ष के दौरान निस्तारण | | | वर्ष के दौरान अन्तिम अवशेष | | |
|---------|--------------------|---------|--------|----------------------|---------|--------|------------------------|---------|--------|----------------------------|---------|--------|
| | निरीक्षण प्रतिवेदन | प्रस्तर | धनराशि | निरीक्षण प्रतिवेदन | प्रस्तर | धनराशि | निरीक्षण प्रतिवेदन | प्रस्तर | धनराशि | निरीक्षण प्रतिवेदन | प्रस्तर | धनराशि |
| 2010-11 | 312 | 751 | 50.01 | 54 | 158 | 89.37 | 6 | 32 | 0.70 | 360 | 877 | 138.68 |
| 2011-12 | 360 | 877 | 138.68 | 54 | 192 | 8.56 | 12 | 46 | 65.94 | 402 | 1,023 | 81.30 |
| 2012-13 | 402 | 1,023 | 81.30 | 37 | 151 | 23.79 | 27 | 78 | 11.20 | 412 | 1,096 | 93.89 |
| 2013-14 | 412 | 1,096 | 93.89 | 35 | 140 | 21.26 | 36 | 156 | 10.38 | 411 | 1,080 | 104.77 |
| 2014-15 | 411 | 1,080 | 104.77 | 44 | 135 | 8.83 | 17 | 100 | 13.12 | 438 | 1,115 | 100.48 |

शासन पुराने प्रस्तरों के निस्तारण हेतु विभाग एवं महालेखाकार कार्यालय के साथ तदर्थ समिति की बैठकों का आयोजन करता है। वर्ष 2010-11 के प्रारम्भ में 312 निरीक्षण प्रतिवेदनों के सापेक्ष 751 लम्बित प्रस्तरों की संख्या, वर्ष 2014-15 के अन्त में बढ़कर 438 लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों के सापेक्ष 1,115 प्रस्तर हो गये थे, जबकि 2010-11 से 2014-15 की अवधि में मात्र 412 प्रस्तरों का निस्तारण किया गया था।

2.1.10 विभागों/ शासन द्वारा स्वीकार की गयी अनुशंसाओं पर कृत कार्यवाही

महालेखाकार द्वारा संचालित निष्पादन लेखापरीक्षाओं को सम्बन्धित विभाग/शासन को उनके उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ सूचनार्थ अग्रेषित किया जाता है। इन पर समापन सम्मेलन में भी चर्चा की जाती है तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों हेतु समीक्षा को अन्तिम रूप देते समय विभाग/शासन की राय को सम्मिलित किया जाता है।

वाणिज्य कर विभाग पर चार निष्पादन लेखापरीक्षा (नि ले) तथा परिवहन विभाग पर एक नि ले तथा उप खनिज विभाग पर एक नि ले को विगत चार वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया था। नि ले में कुल 28 अनुशंसाओं को शासन के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। अनुशंसाओं पर कृत कार्यवाही टिप्पणी का विवरण तालिका 2.1.13 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.1.13

| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष | निष्पादन लेखापरीक्षा का नाम | अनुशंसाओं की संख्या | स्थिति |
|----------------------------|--|---------------------|---|
| 2008-09 | केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में संव्यवहारों (क्रय/विक्रय तथा अन्तरण) पर कराधान (नि ले) | 05 | दिनांक 19.09.2013 को प्राप्त कृत कार्यवाही टिप्पणी चर्चा हेतु लम्बित। |
| 2009-10 | बिक्री कर से मूल्यवर्धित कर के लिये पारगमन (नि ले) | 08 | दिनांक 07.08.2014 को प्राप्त कृत कार्यवाही टिप्पणी चर्चा हेतु लम्बित। |
| 2010-11 | अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में घोषणा प्रपत्रों का प्रतिसत्यापन (नि ले) | 08 | अप्राप्त कृत कार्यवाही टिप्पणी। |
| 2011-12 | मूल्यवर्धित कर का प्रशासन (नि ले) | 07 | अप्राप्त कृत कार्यवाही टिप्पणी। |
| 2013-14 | मोटरवाहन कर पर करों का उद्ग्रहण एवं संग्रहण (नि ले) | 03 | अप्राप्त कृत कार्यवाही टिप्पणी। |
| | उप-खनिजों से प्राप्ति | 02 | |

2.1.11 लेखापरीक्षा आयोजना

वर्ष 2014-15 के दौरान, कुल 233 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयाँ थी, उनमें से 99 इकाईयों की लेखापरीक्षा आयोजना तैयार की गयी थी तथा 100 इकाईयों की लेखापरीक्षा की गयी जिसमें से दो इकाईयाँ आरक्षित इकाईयों से ली गई थी।

उक्त उल्लिखित अनुपालन लेखापरीक्षा के अतिरिक्त, एक विषयक लेखापरीक्षा "राजस्व विभाग के लम्बित प्रकरण" को भी राजस्व विभाग में भू-राजस्व प्रकरणों के प्रबंधन हेतु उपलब्ध प्रणाली की क्षमता के निरीक्षण हेतु लिया गया।

2.1.12 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान आयोजित स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2014-15 के दौरान पाँच विभागों की 100 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच से ज्ञात हुआ कि 171 मामलों में कुल ₹ 10.27 करोड़ का अवनिर्धारण/न्यूनारोपण/राजस्व हानि हुई। वर्ष के दौरान, सम्बन्धित विभाग ने वर्ष 2014-15 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किये गये 24 प्रकरणों में सम्मिलित ₹ 0.45 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया। विभाग ने वर्ष 2014-15 के दौरान 58 प्रकरणों में ₹ 0.40 करोड़ वसूल किए, जिसमें से चालू वर्ष के लेखापरीक्षा निष्कर्ष से सम्बन्धित तीन प्रकरणों में ₹ 0.004 करोड़ तथा शेष विगत वर्ष के हैं।

2.1.13 राजस्व अध्याय की व्याप्ति

राजस्व अध्याय में एक विषयक लेखापरीक्षा "राजस्व विभाग के लम्बित प्रकरण" सहित सात प्रस्तर, सम्मिलित है, जिनका वित्तीय प्रभाव ₹ 2.47 करोड़ है। विभागों/शासन ने चार प्रकरणों में ₹ 1.59 करोड़ धनराशि की लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया है जिसमें से एक प्रकरण में ₹ 0.04 करोड़ की वसूली भी की गयी है। शेष प्रकरणों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। इनकी चर्चा आगे के प्रस्तरों में की गयी है।

⁵ वाणिज्य कर विभाग, राज्य आबकारी विभाग, मोटरवाहन विभाग, स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग तथा मनोरंजन कर विभाग।

अनुपालन लेखापरीक्षा

वाणिज्य कर विभाग

2.2 मूल्यवर्धित कर की गलत दर लागू करने के कारण कर का न्यूनारोपण

कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कर की गलत दर लागू करने के परिणामस्वरूप ₹ 4.08 लाख के कर के न्यूनारोपण के अतिरिक्त ₹ 3.98 लाख का ब्याज भी देय हुआ।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम (उ मू व क अ) 2005 की धारा- 4 (2) (ख) में प्रावधान है कि अनुसूची-II (क) में विनिर्दिष्ट माल के संबंध में एक प्रतिशत की दर से, अनुसूची-II (ख) में विनिर्दिष्ट माल के संबंध में चार प्रतिशत की दर से, अनुसूची-II (ग) में विनिर्दिष्ट माल के संबंध में उसमें विनिर्दिष्ट दर से तथा किसी भी अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं अर्थात् अवर्गीकृत वस्तु के संबंध में 12.5 प्रतिशत की दर से कर देय होगा। पुनः उ मू व क अ, 2005 की धारा 34 (4) में प्रावधान है कि स्वीकृत रूप से देय कर विहित समय के भीतर जमा किया जायेगा। ऐसा करने में विफल होने पर अदत्त धनराशि पर विहित अन्तिम तारीख के ठीक अगली तारीख से ऐसी धनराशि के भुगतान की तारीख तक 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय और भुगतान योग्य होगा।

पुनः विभाग के स्पष्टीकरण (जनवरी 2012) के अनुसार उ मू व क अ, 2005 की धारा- 4 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (i) (घ) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार आयरन स्क्रेप से भिन्न स्क्रेप पर कर अवर्गीकृत वस्तुओं की भांति 13.5 प्रतिशत की दर (2008-09 में 12.5 प्रतिशत था) से देय है।

डिप्टी कमिश्नर (क नि)-I, वाणिज्य कर काशीपुर ऊधमसिंह नगर के अभिलेखों की जांच (नवम्बर 2013) में पाया गया कि कर निर्धारण प्राधिकारी ने एक व्यापारी⁶ के वर्ष 2008-09 के कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय अनुसूची-II (ख) में विनिर्दिष्ट माल पर लागू दर से ₹ 48.07 लाख की आयरन स्क्रेप से भिन्न स्क्रेप की बिक्री पर चार प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया, जबकि आयरन स्क्रेप से भिन्न स्क्रेप की बिक्री पर अवर्गीकृत माल की बिक्री होने के कारण 12.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किये जाने की आवश्यकता थी। इस प्रकार, कर की गलत दर लागू करने के फलस्वरूप 8.5 प्रतिशत की अन्तरीय दर से ₹ 4.08 लाख के कर का न्यूनारोपण के अतिरिक्त ₹ 3.98 लाख⁷ ब्याज भी देय है।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुये मामले का पुनः करनिर्धारण किया (नवम्बर 2014) तथा ₹ 4.08 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की तथा करदाता ने अपील दायर की (अप्रैल 2015) जो कि अभी तक अनिर्णित है (नवम्बर 2015)।

प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया (फरवरी 2015), शासन का उत्तर प्रतिक्षित है (दिसम्बर 2015)।

⁶ मैसर्स जिन्दल स्क्रेप ट्रेडर्स, काशीपुर।

⁷ ब्याज: (01.10.2008 से 31.03.2015 तक = 78 माह) : ₹ 4.08 लाख x 15 x 78/12 x 100 = ₹ 3.98 लाख।

2.3 प्रपत्र - 11 का अनाधिकृत उपयोग

अनाधिकृत घोषणा प्रपत्र - 11 के विरुद्ध रियायती दर से शीरे की खरीद एवं करमुक्त देशी शराब का उत्पादन एवं बिक्री के परिणामस्वरूप ₹ 16.85 लाख की राजस्व क्षति के अतिरिक्त ₹ 59.47 लाख का अर्थदण्ड भी देय था।

उ मू व क अ 2005 की धारा 4 (7) (ख) में यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी व्यापारी को उपधारा (क) में निर्दिष्ट कोई माल किसी कर योग्य माल का प्रदेश में विनिर्माण करने के प्रयोजन के लिए या उसके द्वारा विनिर्मित या प्रसंस्कृत ऐसे माल की पैकिंग में प्रयोग के लिए अपेक्षित हो और उसका ऐसे माल को राज्य में या अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान या भारत से बाहर निर्यात करने के दौरान बेचने का अभिप्राय हो तो वह कर निर्धारक प्राधिकारी को ऐसे प्रपत्र और ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए, इसकी बाबत मान्यता प्रमाण पत्र दिये जाने के लिए आवेदन कर सकता है और यदि आवेदक विलम्ब शुल्क जमा करने की अपेक्षा को सम्मिलित करते हुए सभी अपेक्षाओं और शर्तों को जो की विहित की जायें पूरा करता हो तो कर निर्धारक प्राधिकारी ऐसे माल के संबंध में व्यापारी को ऐसे प्रपत्र में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाये, मान्यता प्रमाण पत्र देगा।

पुनः उ मू व क अ 2005 की धारा 58(i)(xxix) में प्रावधान है कि यदि कोई क्रेता झूठा या गलत घोषणा पत्र या प्रमाण पत्र जारी करता है, या देता है जिसके कारण इस अधिनियम के अथवा इसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत विक्रय या क्रय पर कर न लग सके तो अन्तर्ग्रस्त माल की कीमत के 40 प्रतिशत से अनधिक धनराशि या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन ऐसे माल पर आरोपणीय कर की तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो अर्थदण्ड के रूप में आरोपणीय होगी। इस अधिनियम की धारा 63 में प्रावधान है कि इस अधिनियम में अन्यत्र दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी और धारा 58 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो व्यक्ति इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध के अधीन विहित कोई ऐसा मिथ्या या गलत प्रमाण पत्र या घोषणापत्र किसी अन्य व्यक्ति को जारी करे, जिसके कारण ऐसे अन्य व्यक्ति को साथ या उसके द्वारा किये गये क्रय या विक्रय के संव्यवहार पर इस अधिनियम के अधीन कोई कर आरोपणीय नहीं रह जाता है या रियायती दर पर आरोपणीय हो जाता है, तो वह ऐसे संव्यवहार पर ऐसी धनराशि का दायी होगा जो ऐसे संव्यवहार पर देय होती, यदि ऐसा प्रमाण पत्र या घोषणा पत्र जारी न किया गया होता।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण)- VI वाणिज्य कर, देहरादून के अभिलेखों की नमूना जांच (दिसम्बर 2013) में पाया गया कि क्रेता⁸ द्वारा (कर निर्धारण नवम्बर 2012) में कर निर्धारण वर्ष 2008-09 में शीरा की खरीद ₹ 99.11 लाख पर रियायत दर से खरीद का लाभ अनुमन्य हेतु 26 प्रपत्र-11 विक्रेता⁹ को जारी किये गये थे। तत्पश्चात क्रेता द्वारा शीरा से ₹ 21.37 करोड़ की कर मुक्त देशी शराब का उत्पादन तथा बिक्री की गयी थी। अधिनियम के अनुसार कर योग्य वस्तु का उत्पादन करने वाली निर्माता इकाई को ही प्रपत्र- 11 के सापेक्ष की गयी खरीद पर रियायती दर का

⁸ दून वैली डिस्टीलर्स, कुआँवाला, देहरादून।

⁹ डोईवाला शुगर कम्पनी लि.।

लाभ अनुमन्य है। इस प्रकरण में मूल्यवर्धित कर में रियायती दर अनुमन्य किया जाना अनियमित था। इस प्रकार रियायती दर से शीरे की खरीद पर अनाधिकृत रूप से प्रपत्र- 11 प्रयोग कर करमुक्त देशी शराब के उत्पादन व बिक्री करने के परिणाम स्वरूप ₹ 59.47 लाख¹⁰ का अर्थदण्ड तथा ₹ 16.85 लाख¹¹ की राजस्व क्षति हुई।

यह इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा (मार्च, 2014) तथ्यों को स्वीकार करते हुए, प्रकरण का पुनः निर्धारण कर (अप्रैल 2014) अर्थदण्ड ₹ 59.47 लाख सहित ₹ 76.32 लाख की मांग सृजित की गयी। विभाग द्वारा (फरवरी 2015) सूचित किया गया कि व्यापारी द्वारा संयुक्त कमिश्नर (अपील) के समक्ष प्रकरण के पुनः निर्धारण के विरुद्ध अपील दायर की गयी (जुलाई 2014)। जिसका निर्णय अपेक्षित है (नवम्बर 2015)।

प्रकरण शासन को प्रेषित किया गया (फरवरी 2015)। उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2015)।

2.4 अर्थदण्ड का अनारोपण

इनपुट टैक्स के लाभ का गलत दावा करने पर ₹ 3.25 लाख के अर्थदण्ड का अनारोपण।

उ मू व क अ 2005 की धारा 58(1) (xi) के अनुसार अगर कोई व्यापारी इनपुट टैक्स के लाभ के रूप में किसी धनराशि का गलत दावा करता है या किसी मिथ्या बिक्री बीजक के आधार पर इनपुट टैक्स के लाभ का दावा करता है, तो ₹ 5,000 या दावाकृत धनराशि का तीन गुना धनराशि जो भी अधिक हो, अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) खण्ड II, वाणिज्य कर विभाग, रुद्रपुर के अभिलेखों की नमूना जांच (फरवरी, 2014) में पाया गया कि एक व्यापारी¹² द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2008-09 के दौरान ₹ 35.47 लाख की खरीद¹³ पर चार प्रतिशत की दर से इनपुट टैक्स के लाभ का दावा किया गया था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विक्रेता व्यापारी से सत्यापित कराने पर पाया गया (सितम्बर 2012) कि व्यापारी द्वारा ₹ 27.05 लाख की खरीद पर इनपुट टैक्स के लाभ का दावा गलत किया गया था और गलत दावाकृत ₹ 1.08 लाख के इनपुट टैक्स के लाभ अनुमन्य नहीं किये गये, किन्तु विभाग द्वारा उ मू व क अ 2005 की धारा 58 (1) (xi) के अनुसार ₹ 3.25 लाख का अर्थदण्ड व्यापारी पर आरोपित नहीं किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुमन्य न की गयी धनराशि व्यापारी द्वारा जमा कर दी गयी।

यह इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा (मई, 2015) लेखपरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुये मामले का पुनः निर्धारण कर ₹ 3.25 लाख की मांग सृजित की गयी थी। करदाता द्वारा संयुक्त आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की गयी। निर्णय अभी भी लंबित है (नवम्बर 2015)।

प्रकरण शासन को प्रेषित किया गया (मार्च 2015)। उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर, 2015)।

¹⁰ अर्थदण्ड = आरोपणीय कर का तीन गुना = 3 x ₹ 19,82,235.20 (₹ 99,11,176 का 20 प्रतिशत) = ₹ 59,46,705.60।

¹¹ राजस्व क्षति ₹ 99,11,176 x 17 प्रतिशत = ₹ 16,84,899.92।

¹² गौरव मदान एण्ड सन्स, मेन रोड, गदरपुर, उधमसिंह नगर।

¹³ स्टोन एण्ड स्टोन चिप्स।

2.5 कर के विलम्बित भुगतान पर ₹ 5.81 लाख अर्थदण्ड का अनारोपण

अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत व्यापारी द्वारा देय कर विहित समय के भीतर भुगतान करने में विफल होने के बावजूद कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा ₹ 5.81 लाख अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया।

उ मू व क अ, 2005 की धारा 58 (1) (vii) (ख) में प्रावधान है कि यदि कर निर्धारक प्राधिकारी को यह समाधान हो जाये कि किसी व्यापारी ने युक्तियुक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर, अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया है तो ऐसा व्यापारी उसके द्वारा देय कर, यदि कोई हो, के अतिरिक्त अर्थदण्ड के रूप में देय कर का कम से कम 10 प्रतिशत, किन्तु अधिक से अधिक 25 प्रतिशत यदि कर दस हजार रुपये तक हो और देय कर का 50 प्रतिशत यदि कर दस हजार रुपये से अधिक हो, धनराशि का भुगतान करने का दायी होगा।

पुनः एक प्रकरण¹⁴ में माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड ने निर्णय दिया है कि ऐसे व्यापारी पर अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा जो देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा करने में असफल रहता है यद्यपि व्यापारी ने विलम्बित अवधि के लिए ब्याज के साथ देय कर जमा कर दिया हो।

दो वाणिज्य कर इकाईयों¹⁵ के अभिलेखों की जांच (दिसम्बर व जनवरी 2014) में पाया गया कि तीन व्यापारियों¹⁶ ने अपना देय कर देय तिथि के पश्चात 10 से 200 दिन विलम्ब से जमा किया। यद्यपि व्यापारियों का कर निर्धारण मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 25 (7) के अन्तर्गत किया गया था, संबंधित कर निर्धारण प्राधिकारी ने विलम्ब से देय कर ब्याज सहित जमा करने हेतु नोटिस जारी किया। तथापि अर्थदण्ड हेतु नोटिस जारी नहीं किया गया। इस प्रकरण में कर निर्धारण प्राधिकारी को धारा 58 (1) (vii) (ख) के अनुसार कर के विलम्ब से जमा करने पर कम से कम 10 प्रतिशत तथा अधिक से अधिक 50 प्रतिशत अर्थदण्ड आरोपित करने का विवेकाधिकार है। कर निर्धारण प्राधिकारी के विवेकाधिकार शक्ति को ध्यान में रखते हुये कम से कम 10 प्रतिशत अर्थदण्ड आरोपित किया जाना था जो कि ₹ 5.81 लाख आंकलित किया गया था। इस प्रकार विभाग ने न केवल अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया बल्कि इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को भी नजरअन्दाज किया।

इसे इंगित किये जाने पर संबंधित प्राधिकारी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुये ₹ 5.81 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की (अप्रैल 2014 एवं फरवरी 2015)। जिसमें से ₹ 4.20 लाख वसूल की जा चुकी है (जून 2014, मार्च 2015)।

प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया (मई 2015), उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2015)।

¹⁴ आनन्द निशिकावा कम्पनी बनाम आयुक्त, व्यापार कर रिवीजन सं 16/2005 और 17/2005 दिनांक 18.06.2007।

¹⁵ सहायक आयुक्त (क.नि.) खण्ड-VIII वाणिज्य कर, देहरादून उपायुक्त - (क.नि.) II, वाणिज्य कर, हल्द्वानी।

¹⁶ सहायक आयुक्त (क.नि.) खण्ड-VIII वाणिज्य कर, देहरादून से सम्बन्धित मैसर्स खोडे इंडिया लिमिटेड, देहरादून (कर निर्धारण वर्ष 2010-11), उपायुक्त (क.नि.) II वाणिज्य कर, हल्द्वानी से सम्बन्धित मैसर्स कुमायूँ माईन्स और मिनरल्स, भवानीगंज, हल्द्वानी (कर निर्धारण वर्ष 2008-09 से वर्ष 2009-10) और मैसर्स कविशा मोटर्स लिमिटेड, वांशीकुंज, तिकोनिया, हल्द्वानी (कर निर्धारण वर्ष 2008-09)।

2.6 कर का न्यूनारोपण

कर निर्धारण के समय, पूर्व अवधि की बिक्री के लिए जिस समय उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित अधिनियम, 2005 में धारा 4 की उपधारा (3) का खण्ड (ग) लागू नहीं था, को त्रुटिपूर्ण ढंग से लागू किये जाने के परिणामस्वरूप देय ₹ 2.15 लाख के ब्याज के अतिरिक्त 8.5 प्रतिशत की अन्तरीय दर से ₹ 2.57 लाख के कम कर का आरोपण किया गया।

उ मू व क अ, 2005 की धारा 4 (2)(ख) (i)(घ) में प्रावधान है कि यदि कोई वस्तु किसी भी अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं है अर्थात् अवर्गीकृत वस्तु के संबंध में 12.5 प्रतिशत की दर से कर देय है। अधिनियम की धारा-34(4) में प्रावधान है कि स्वीकृत रूप से देय कर विहित समय के भीतर जमा किया जायेगा। ऐसा करने में विफल होने पर अदत्त धनराशि पर विहित अन्तिम तारीख के ठीक अगली तारीख से ऐसी धनराशि के भुगतान की तारीख तक 15 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज देय और भुगतान योग्य होगा।

पुनः अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) में अन्तर्स्थापित¹⁷ (दिनांक 07.01.2010) खण्ड (ग) में प्रावधान है कि ऐसे भाग, पुर्जे तथा सहायक उपकरण जो कि मूल अधिनियम में अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं, पर कर की वही दर होगी जो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उस वस्तु पर लागू है।

असिस्टेंट कमिश्नर (क नि) खण्ड-1, वाणिज्य कर, रुद्रपुर के अभिलेखों (जनवरी 2015) की जांच में पाया गया कि कर निर्धारण प्राधिकारी ने एक व्यापारी¹⁸ के वर्ष 2009-10 के कर निर्धारण (अप्रैल 2013) को अन्तिम रूप देते समय अनुसूची-11 (ख) में विनिर्दिष्ट माल पर लागू दर से ₹ 30.27 लाख की माइल्ड स्टील (एम एस) रैंक की बिक्री पर चार प्रतिशत की दर से (अप्रैल, 2009 से दिसम्बर, 2009) ₹ 1.21 लाख¹⁹ का कर आरोपित किया जबकि एम एस रैंक की बिक्री पर अवर्गीकृत माल की बिक्री होने के कारण 12.5 प्रतिशत की दर से अर्थात् ₹ 3.78 लाख²⁰ कर आरोपित किये जाने की आवश्यकता थी। इस प्रकार, कर निर्धारण के समय पूर्व अवधि जब खण्ड (ग) लागू नहीं था, की बिक्री पर अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (ग) को त्रुटिपूर्ण लागू किये जाने के परिणामस्वरूप 8.5 प्रतिशत की अन्तरीय दर से ₹ 2.57 लाख²¹ के कर के न्यूनारोपण के अतिरिक्त ₹ 2.15 लाख²² का ब्याज देय है।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (जनवरी 2015) कि विचाराधीन वस्तु ट्रांसमिशन टावर का अभिन्न हिस्सा था। क्रेता व्यापारी टावर खड़ा करता है और यह एक विशेष वस्तु है जिसका उपयोग अन्यथा सम्भव नहीं है। ट्रांसमिशन टावर का अभिन्न हिस्सा होने के कारण एम एस रैंक की बिक्री पर वैट अधिनियम की धारा 4(3) (ग) के अन्तर्गत चार प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ₹ 30.27 लाख के एम एस रैंक की बिक्री पूर्व

¹⁷ अधिसूचना संख्या 22/XXXVI(3)/2010/76(1)/2009 दिनांक 07.01.2010।

¹⁸ प्रेसीटेक इनक्लोजर सिस्टम्स प्रा0लि0।

¹⁹ ₹ 30.27 लाख @ 4 प्रतिशत = ₹ 1.21 लाख।

²⁰ ₹ 30.27 लाख @ 12.5 प्रतिशत = ₹ 3.78 लाख।

²¹ कर का न्यूनारोपण: ₹ 3.78 लाख - ₹ 1.21 लाख = ₹ 2.57 लाख।

²² ब्याज ₹ 2.57 लाख x 15 प्रतिशत x 67/12 = ₹ 2.15 लाख (दिनांक 01.10.2009 से 30.04.2015 की अवधि के लिए अर्थात् 67 माहों के लिए)।

अवधि, (अप्रैल 2009 से दिसम्बर 2009) जब खण्ड (ग) लागू नहीं था, से संबंधित थी और इस प्रकार एम एस रैंक अवर्गीकृत वस्तु की भांति मानी जायेगी।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (मई 2015) उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2015)।

2.7 घोषणा प्रपत्र - 11 एवं प्रपत्र - सी के विरुद्ध कर का न्यूनारोपण

इस अनुच्छेद का प्रमुख केन्द्र घोषणा पत्रों प्रपत्र-11 एवं प्रपत्र-सी के विरुद्ध रियायती दर पर खरीद एवं बिक्री के कारण कर में लाभ का निरीक्षण किया जाना था। 'प्रपत्र-11 एक घोषणा प्रपत्र है जिसे व्यापारी खरीद एवं बिक्री के सापेक्ष कर में छूट में लाभ का उपभोग करते हैं। लेखापरीक्षा निष्कर्षों को आगे अनुच्छेद में वर्णित किया गया है।

2.7.1 स्थानीय घोषणा पत्र प्रपत्र - 11 के विरुद्ध संव्यवहार पर कर का न्यूनारोपण

उ मू व क अ 2005 के नियम 23(3) के प्रावधानों के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष में जारी किया गया सादा प्रपत्र-11 उस वित्तीय वर्ष में किये गये संव्यवहार एवं उसके ठीक पूर्व के दो वित्तीय वर्ष में किये गये सम्व्यवहार के लिये वैध होगा।

डिप्टी कमिश्नर (क नि) वाणिज्य कर, विकास नगर के कर निर्धारण पत्रावली के नमूना लेखापरीक्षा जांच (फरवरी 2015) में उद्घटित हुआ कि एक व्यापारी²³ जो निर्माण गति विधियों में संलग्न था, ने चार प्रपत्र-11 जो वित्तीय वर्ष 2008-09 में जारी किये गये थे, के विरुद्ध वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 719.31 लाख के फेराइट ट्रांसफार्मर की बिक्री की। संबंधित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा क नि को अन्तिम रूप देते समय (अप्रैल 2014) दो प्रतिशत की दर से कर आरोपण किया गया जबकि इन प्रपत्रों-11 के विरुद्ध 13.5 प्रतिशत का कर आरोपणीय था। इसके, फलस्वरूप ₹ 82.73 लाख कर का न्यूनारोपण हुआ। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि जिस वित्तीय वर्ष में प्रपत्र-11 जारी किये गये उसके बाद के वर्षों में प्रपत्र-11 के प्रयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं था। उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि किसी वित्तीय वर्ष में जारी किये गये सादा प्रपत्र-11 उस वित्तीय वर्ष एवं उसके ठीक पूर्व के दो वित्तीय वर्षों में संव्यवहार के लिए वैध था।

2.7.2 अवैध घोषणा पत्र प्रपत्र - सी पर कर का न्यूनारोपण

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 8(1), 8(3) एवं 8(4) के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक व्यापारी जो अन्तरराज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान एक पंजीकृत व्यापारी को अपने पंजीयन प्रमाण पत्र में वर्णित माल का विक्रय फार्म-सी के विरुद्ध करता है, वह दो प्रतिशत की दर से कर का देनदार होगा। शासनादेश संख्या 6,222, दिनांक 25 मई 2001 एवं शासनादेश संख्या 335, दिनांक 16 मार्च 2005 के अंतर्गत एक प्रतिशत की दर से कर का देनदार होगा।

दो वाणिज्य कर कार्यालयों²⁴ की अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच (मई 2015 से जून 2015) में पाया गया कि दो व्यापारियों²⁵ जो (जनवरी 2015 से मार्च 2015 के मध्य हुए क नि) निर्माण प्रक्रिया में शामिल थे, द्वारा वर्ष 2010-11 से 2011-12 के मध्य आठ घोषणा पत्रों (प्रपत्र-सी) के विरुद्ध

²³ श्री नौरमेग, सेलाकुई, विकास नगर

²⁴ डिप्टी कमिश्नर (क नि) - I, वाणिज्य कर, हरिद्वार एवमं डिप्टी कमिश्नर (क नि) - I वाणिज्य कर, रुद्रपुर।

²⁵ मैसर्स जीवल पॉलिटैक्स, सिडकुल, हरिद्वार, मैसर्स थाई सुमित नील ऑटो (प्राइवेट) लिमिटेड, रुद्रपुर।

₹ 526.46 लाख के नान वुवेन फैब्रिक्स/ ऑटो पार्ट्स की बिक्री की गयी। इन प्रपत्रों की लेखापरीक्षा द्वारा कर सूचना आदान प्रणाली बेवसाईट (TINXSYS) पर जांच की गई और यह पाया गया कि यह प्रपत्र वास्तव में क्रेता व्यापारियों को न जारी कर अन्य व्यापारियों को जारी किये गये थे। संबंधित क नि अधिकारी द्वारा कर निर्धारण करते समये (जनवरी 2015 से मार्च 2015) इन प्रपत्रों का सत्यापन नहीं कराया गया एवं 13.5 प्रतिशत के स्थान पर एक प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया। इस प्रकार क नि अधिकारी के स्तर पर क नि पूर्ण करने से पूर्व इन प्रपत्रों के सत्यापन न किये जाने के फलस्वरूप 12.5 प्रतिशत की अन्तरीय दर से इन अवैध घोषणा पत्रों पर ₹ 65.81 लाख²⁶ के कर का न्यूनारोपण हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर संबंधित प्राधिकारियों द्वारा प्रकरण की जांच किये जाने को कहा गया। प्रकरण शासन को सदभित किया गया (अगस्त 2015), उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2015)।

राजस्व विभाग

लम्बित राजस्व प्रकरण 16,108 (अप्रैल 2003) से बढ़कर 34,209 (अगस्त 2015) तक हो गये थे। लम्बित प्रकरणों पीठासीन अधिकारियों की कमी, अधिवक्ताओं की हड़ताल और बन्द/ हड़ताल, की मुख्य भूमिका रही थी।

2.8 राजस्व विभाग के लम्बित प्रकरण

2.8.1 परिचय

भूमि एक महत्वपूर्ण परिसम्पत्ति है, तथापि, भू राजस्व का महत्व वर्ष दर वर्ष गिर रहा है, जो यह सुनिश्चित करता है कि कुशल प्रशासनिक भू सम्पत्ति का रखरखाव अभी भी सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण ग्रामीण समुदाय के लिए मुख्य है। भू राजस्व प्रशासन और भू- राजस्व प्रकरणों के अधिनिर्णय इस पर महत्व रखते हैं। राजस्व प्रशासन, जिला प्रशासन का एक मुख्य कार्य होता है। राजस्व प्रशासन की शक्तियां, राजस्व अधिनियमों/ संहिताओं, टेनेंसी अधिनियम, लैंड सीलिंग एक्ट और राज्य सरकारों की विधियों में हैं। राजस्व न्यायालयों में राजस्व अधिकारी के रूप में कलेक्टर, एसडीएम, सहायक कलेक्टर, तहसीलदार को न्यायिक क्षमता (अकेले राजस्व भूमि से सम्बन्धित) के रूप में कार्यकारी क्षमता है। राजस्व न्यायालयों के क्षेत्राधिकार, राजस्व अधिकारियों के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र के साथ सम्बद्ध होते हैं। राजस्व न्यायालयों को प्रत्येक घटक का क्षेत्राधिकार, भू-राजस्व और सम्बन्धित कानूनों में परिभाषित किया गया है। राजस्व न्यायालय जिन प्रकार के प्रकरणों को देखते हैं उसमें कृषि भूमि से संबंधित प्रकरण और राज्य राजस्व एक्ट से संबंधित मामले आते हैं, टेनेंसी एक्ट और सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए गये नियम अपनाये जाते हैं। उदाहरण स्वरूप, कुछ प्रकरण जैसे जामाबन्दी में समझौता, बंटवारे के प्रकरण, भू-राजस्व के इन्द्राज में सुधार, भूमि के प्राधिकार से संबंधित विवाद, खातेदारी के लिए घोषणात्मक मुकदमा, अदालती हुक्म का पालन करना आदि आते हैं। राजस्व न्यायालय अपना कार्य बड़े स्तर पर सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुरूप ही करता है। उत्तराखण्ड में राजस्व विभाग की सबसे बड़ी न्यायिक निकाय, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है जिसका

²⁶ ₹ 526.46 लाख x 12.5 प्रतिशत = ₹ 65.81 लाख।

प्रमुख बोर्ड का अध्यक्ष (मुख्य राजस्व आयुक्त) होता है। इसका उद्देश्य राजस्व विभाग के सभी न्यायिक एवं प्रशासकीय कार्यों पर नियन्त्रण, उन्नयन एवं नियमित करना होना है। राजस्व प्रकरणों के निस्तारण हेतु राज्य में दो सर्किट न्यायालय पौड़ी एवं नैनीताल में एवं 234 राजस्व न्यायालय²⁷ कार्यरत है। अप्रैल 2015 से जून 2015 के मध्य, राजस्व न्यायालय के बोर्ड, कुमायूँ और गढ़वाल आयुक्त के न्यायलयों, चार जिला जज न्यायलयों और दो उप मजिस्ट्रेट कोर्ट की अनुपालन लेखापरीक्षा सम्पादित की गई जो विभाग द्वारा अनिस्तारित राजस्व प्रकरणों को निपटाने में अपनाई जा रही खामियों पर केन्द्रित थी, जिसमें अप्रैल 2012 से मार्च 2015 के अभिलेखों की जाँच की गई। लेखापरीक्षा आपत्तियाँ निम्न हैं:-

2.8.2 राज्य में राजस्व वादों का लम्बित रहना

बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अभिलेखों से यह प्रदर्शित हुआ कि राजस्व प्रकरण विभिन्न स्तरों²⁸ पर लम्बित थे, जिनकी संख्या अप्रैल, 2003 में 16,108 प्रकरणों से बढ़कर मार्च 2015 में 35,687 प्रकरण²⁹ हो गई, (जैसा कि **परिशिष्ट 2.8.1** में दर्शाया गया है)। तथापि, अगस्त 2015 में 34,209 प्रकरण थे। इनमें से 78.72 प्रतिशत प्रकरण, राज्य के मात्र चार जिलों देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर एवं नैनीताल में लम्बित थे। छः माह से अधिक पुराने लम्बित राजस्व प्रकरणों का विस्तृत अवधिवार विश्लेषण। नीचे **तालिका 2.8.1** में दिया गया है।

तालिका - 2.8.1 : लम्बित राजस्व प्रकरणों का अवधिवार विश्लेषण 31.08.15 तक की स्थिति के अनुसार

| न्यायालय | छः माह से अधिक एवं एक वर्ष से कम | 1 से 3 वर्ष तक लम्बित प्रकरण | 3 से 9 वर्ष तक लम्बित प्रकरण | 9 से 15 वर्ष तक लम्बित प्रकरण | 15 वर्ष से अधिक |
|-------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| बोर्ड ऑफ रेवेन्यू | 840 | 258 | 322 | 14 | 0 |
| आयुक्त, गढ़वाल | 955 | 0 | 1,183 | 49 | 35 |
| आयुक्त, कुमायूँ | 72 | 0 | 476 | 3 | 0 |
| 13 जनपद, न्यायालय | 7,318 | 173 | 5,439 | 85 | 4 |
| योग | 9,185 | 431 | 7,420 | 151 | 39 |

स्रोत: बोर्ड ऑफ रेवेन्यू

उपरोक्त अवधिवार विश्लेषण से प्रकट हुआ कि 34,209 लम्बित राजस्व प्रकरणों में से 17,226 प्रकरण (50 प्रतिशत) जो कि छः माह से 15 वर्षों से अधिक समय से लम्बित थे। इनमें से 53 प्रतिशत राजस्व प्रकरण छः माह से अधिक लेकिन एक साल से कम समय से लम्बित थे। इसके अतिरिक्त, 44 प्रतिशत प्रकरण 3 वर्ष से 15 वर्ष से अधिक समय से लम्बित थे। ये लम्बित प्रकरण राज्य की प्रणाली की कमियों को प्रदर्शित करते हैं।

²⁷ जनपद के 225 न्यायालय और 9 आयुक्त और अपर आयुक्त न्यायालय।

²⁸ तहसील, जनपद, रेवेन्यू बोर्ड।

²⁹ 932 प्रकरण, बोर्ड आफ रेवेन्यू में लम्बित, गढ़वाल मण्डल में 23,412 राजस्व प्रकरण लम्बित और कुमायूँ मण्डल में 11,343 राजस्व प्रकरण लम्बित।

2.8.3 राजस्व प्रकरणों का निस्तारण

लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु, अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने (सितम्बर 2012) कुल दर्ज प्रकरणों के लगभग 150 प्रतिशत का लक्ष्य³⁰ निर्धारित किया। अभिलेख दर्शाते हैं कि वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि लगभग 50 प्रतिशत कम रही।

राजस्व प्रकरणों के लम्बित रहने के आसन्न कारणों को पता करने के क्रम में देहरादून³¹ एवं अल्मोड़ा³² जनपदों के राजस्व प्रकरणों से सम्बन्धित विगत तीन वर्षों में निर्धारित 125 फाइलों की जांच की गयी। चयनित न्यायालयों द्वारा प्रकरणों के निस्तारण हेतु लिया गया औसत समय का विवरण तालिका 2.8.2 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.8.2 : राजस्व न्यायालयों द्वारा लिया गया औसत समय

(माह में)

| जनपद | वादों के निस्तारण हेतु लिया गया औसत समय | | |
|----------|---|-----------------|--------------|
| | डी एम कोर्टस | एस डी एम कोर्टस | तहसील कोर्टस |
| देहरादून | 69 | 20 | 14 |
| अल्मोड़ा | 13 | 22 | 5 |

इन प्रकरणों की जांच में पाया गया कि याचिकाकर्ता को न्याय पाने के लिए अपने यहां से न्यायालय कई बार जाना पड़ा, जिससे उसे काफी समय तक मानसिक उत्पीड़ना झेलनी पड़ी। कुल मिलाकर, वादियों और न्यायालयों दोनों के समय की बर्बादी हुई। पुनश्चः, यह पाया गया कि राजस्व न्यायालय में मामलों के लम्बित रहने के कई कारण थे जिन्हें अनुवर्ती प्रस्तर में वर्णित किया गया है (कृपया प्रस्तर 2.8.4 से 2.8.6 देखें) तथ्यों को विभाग द्वारा भी स्वीकार किया गया।

2.8.4 अधिवक्ताओं की हड़ताल/ बन्द

लम्बित राजस्व प्रकरणों को कम करने के लिए उत्तराखण्ड उच्चन्यायालय, नैनीताल ने सभी पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित (नवम्बर 2014) किया कि “अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण न्यायिक कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए”। राजस्व बोर्ड ने भी निर्देशित किया कि सम्बन्धित आयुक्त एवं जिलाधिकारियों अधिवक्ताओं के एसोसिएशन के साथ सामंजस्य स्थापित कर यह सुनिश्चित करें कि राजस्व न्यायालय के कार्य बाधित न हों और बैठकों की संख्या अधिकतम हो।

लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि राजस्व न्यायालय की सुनवाई में देरी का कारण अधिवक्ताओं द्वारा बार-बार हड़ताल किया जाना था। पुनश्चः, अभिलेखों की जांच में पाया गया कि अप्रैल 2012 से मार्च 2015 तक की अवधि में अधिवक्ताओं की हड़ताल एवं अन्य विभिन्न कारणों³³ से मुख्य राजस्व आयुक्त, न्यायालय एवं आयुक्त न्यायालय, कुमायूँ में क्रमशः 213 दिन एवं 176 दिन की न्यायिक कार्यबन्दी थी। जैसा कि तालिका 2.8.3 में दर्शाया गया है।

³⁰ वर्ष के दौरान कुल दाखिल प्रकरण और विगत लम्बित प्रकरणों का 50 प्रतिशत।

³¹ देहरादून- डी एम कोर्ट, दो एस डी एम कोर्टस और तीन तहसील कोर्टस।

³² अल्मोड़ा- डी एम कोर्ट, आठ एस डी एम कोर्टस और नौ तहसील कोर्टस।

³³ कर्मियों के द्वारा बन्दी/हड़ताल/कार्य स्थगन।

तालिका-2.8.3: वर्ष वार अलग-अलग दिवसों का विवरण जिममें राजस्व न्यायालय वर्ष 2012-15 की अवधि के दौरान बन्द थे।

(दिनों में)

| वर्ष | बोर्ड आफ रिवन्यु (मुख्य राजस्व आयुक्त) | कुमायूँ आयुक्त न्यायालय |
|---------|--|-------------------------|
| 2012-13 | 80 | 21 |
| 2013-14 | 92 | 74 |
| 2014-15 | 41 | 81 |
| योग | 213 | 176 |

यह भी पाया गया था कि अप्रैल 2012 से मार्च 2015 तक की अवधि में जनपद पिथौरागढ़ के राजस्व न्यायालय में हड़ताल के कारण एक वर्ष में औसत कार्य दिवस 103 दिनों के सापेक्ष औसतन 58 दिन ही न्यायिक कार्य सम्पादित किया जा सका। न्यायिक प्रकरणों के निपटान हेतु 150 प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी। राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष ने तथ्यों को स्वीकार किया।

2.8.5 पीठासीन अधिकारियों की कमी

राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण हेतु सम्बन्धित राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों³⁴ की जिम्मेदारी होती है, तथापि, जांच में पाया गया कि तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के स्वीकृत 106 एवं 135 पदों के सापेक्ष क्रमशः 50 एवं 76 पदों पर ही लोग कार्यरत पाये गये। इसके अतिरिक्त, अपर जिला मजिस्ट्रेट के 14 स्वीकृत पदों के सापेक्ष चार पद रिक्त थे। पीठासीन अधिकारियों की कमी के कारण राजस्व अदालतों में न्यायिक प्रकरण लम्बित थे।

2.8.6 राजस्व न्यायालयों का निरीक्षण

मुख्य सचिव द्वारा सभी आयुक्तों एवं जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देशित (जनवरी, 2013) किया गया था कि राजस्व न्यायालयों का वार्षिक निरीक्षण करें। यह भी निर्देशित किया गया था कि न्यायालयों के वार्षिक निरीक्षण के दौरान वह राजस्व मामलों, सरकारी बकाया की वसूली, बन्दोबस्त एवं चकबन्दी से संबंधित लम्बित प्रकरणों के सत्यापन की समीक्षा करेंगे।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा बार-बार जारी निर्देशों के बावजूद अधिकारियों द्वारा अदालतों का निरीक्षण नियमित रूप से नहीं किया जा रहा था। तथापि, अध्यक्ष राजस्व बोर्ड द्वारा वर्ष 2012-15 के दौरान विगत तीन वर्षों में चार बार न्यायालयों का निरीक्षण किया गया था। अध्यक्ष के निरीक्षण रिपोर्ट में प्रदर्शित था कि "अधिकारियों द्वारा न्यायिक कार्यों में रुचि न लेना और न्यायिक कार्यों से सम्बन्धित नियमों एवं विनियमों आदि से सम्बन्धित ज्ञान की कमी होना पाया गया था"। इस सम्बन्ध में राजस्व न्यायालय में लम्बित प्रकरणों में कमी लाने हेतु दिशा निर्देश भी जारी किये गये थे। इसके बावजूद भी राजस्व न्यायालयों द्वारा लम्बित प्रकरणों को कम करने हेतु अध्यक्ष के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। तथ्यों को स्वीकार करते हुए अध्यक्ष राजस्व बोर्ड ने पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित किया कि भू-राजस्व प्रकरणों के लम्बित प्रकरणों को कम करने के लिए सामान्य रूप से संचालित न्यायालयों को और अधिक दिनों तक संचालित किया जाना सुनिश्चित करें।

³⁴ बोर्ड के चेयरमैन, कमिश्नरों, अपर आयुक्तों, डी.एम., ए.डी.एम., एस.डी.एम., तहसीलदार और नायब तहसीलदार।

2.8.7 लोक अदालत

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त निर्देशों के अनुसार राज्य विधिक प्राधिकारियों को लम्बित प्रकरणों के त्वरित निपटान के लिए एक लोक अदालत का गठन किया जाना था जिसमें विभिन्न विषयों के मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु सम्बन्धित न्यायालयों में मासिक लोक अदालत का आयोजन करना था। लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि राजस्व न्यायालयों द्वारा लोक अदालत के आयोजन/ संचालन हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया था। इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड ने बताया कि कम मामलों के लम्बित रहने के कारण ऐसी लोक अदालत का गठन नहीं किया गया। उत्तर सन्तोषजनक नहीं था, क्योंकि लम्बित प्रकरणों की वृद्धि को देखते हुए एक वर्ष में 150 प्रतिशत निस्तारण हेतु लक्ष्य निर्धारित किये गये थे जिसे लोक अदालत का गठन न करके विभाग ने भू-राजस्व सम्बन्धित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण का अवसर खो दिया था।

2.8.8 आनलाइन सिस्टम/ वेबसाइट एवं राजस्व मामलों का प्रबन्धन

राजस्व बोर्ड के पास अपनी सेवाओं की जानकारी प्रदान करने हेतु बेवसाइट³⁵ है। परन्तु राजस्व सम्बन्धी मामलों को ऑनलाइन दर्शाने का कोई डाटाबेस तैयार नहीं किया गया था।

इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर राजस्व बोर्ड ने बताया कि न्यायालय से सम्बन्धित डाटाबेस राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन आई सी) के सहयोग से भविष्य में बनाया जायेगा। इस प्रकार प्राधिकारी एवं याचिकाकर्ता दोनों ही बेवसाइट से विभिन्न राजस्व प्रकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त करने से वंचित रहे।

निष्कर्ष एवं अनुशंसायें

पीठासीन अधिकारियों की कमी एवं अधिवक्ताओं द्वारा बार-बार की जाने वाली हड़ताल के कारण राजस्व न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों में बढ़ोत्तरी हुई। राजस्व प्रकरणों के निपटान हेतु निर्धारित लक्ष्य के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान लगभग 50 प्रतिशत कम उपलब्धि हुई। परिणामस्वरूप, विभिन्न स्तरों के राजस्व मामलों 16,108 (अप्रैल 2003) से बढ़कर 34,209 (अगस्त 2015) तक पहुंच गये।

राजस्व मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु सरकार/ विभाग पीठासीन अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए विचार करे। सरकार को भी लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु लोक अदालतें लगानी चाहिए।

³⁵ www.uk.revenue.gov.in.

अध्याय III

सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र (सा क्षेत्र 3)

अध्याय-III

सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र (सा क्षे उ)

3.1 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यविधि

3.1.1 परिचय

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा क्षे उ) में राज्य सरकार की कम्पनियाँ एवं सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक प्रकृति के क्रिया कलापों को संपादित करने हेतु राज्य सा क्षे उ की स्थापना की गई है एवं यह राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 31 मार्च 2015 को, 21 सा क्षे उ ऐसे थे जो कि कार्यरत थे। इनमें से, कोई भी कम्पनी पूंजी विनिमय में सूचीबद्ध नहीं थी। वर्ष 2014-15 के दौरान, कोई नया सा क्षे उ सम्मिलित या बंद नहीं हुआ था। 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार, उत्तराखण्ड में राज्य सा क्षे उ का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 3.1.1: 31 मार्च 2015 को सा क्षे उ की कुल संख्या

| सा क्षे उ के प्रकार | कार्यरत सा क्षे उ | अकार्यरत सा क्षे उ ¹ | कुल |
|---------------------|-------------------|---------------------------------|-----|
| सरकारी कम्पनियाँ | 18 | 04 ² | 22 |
| सांविधिक निगम | 03 ³ | - | 03 |
| कुल | 21 | 04 | 25 |

सितम्बर 2015 तक अन्तिमीकृत वार्षिक लेखों के अनुसार कार्यरत सा क्षे उ ने ₹ 5,741.42 करोड़ (परिशिष्ट 3.1.2) का कारोबार दर्ज किया था। यह कारोबार वर्ष 2014-15 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ) के 4.14 प्रतिशत के बराबर था। सितम्बर 2015 तक अन्तिमीकृत किये गये लेखों के अनुसार कार्यरत सा क्षे उ द्वारा ₹ 283.09 करोड़ का सकल लाभ अर्जित किया। मार्च 2015 के अंत तक उनके द्वारा 19,896 कर्मचारी (परिशिष्ट 3.1.2) नियोजित किए गए।

31 मार्च 2015 तक चार अकार्यरत सा क्षे उ ऐसे थे जो पिछले 25 से 28 वर्षों से मौजूद थे और जिनमें ₹ 0.37 करोड़ का निवेश था।

3.1.2 जवाबदेही संरचना

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 139 एवं धारा 143 से संबंधित प्रावधानों के द्वारा सरकारी कम्पनियों की, लेखापरीक्षा की प्रक्रिया शासित होती है। अधिनियम की धारा 2(45) के अनुसार, सरकारी कम्पनी वह कम्पनी है जिसमें कम से कम 51 प्रतिशत पूंजी केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्रीय सरकार और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों, इसमें वह कम्पनी भी शामिल हैं जो इस प्रकार की सरकारी कम्पनी की एक

¹ अकार्यरत वे सा क्षे उ हैं, जिन्होंने अपना संचालन बन्द कर दिया है।

² कम्ट्रोन लिमिटेड, उत्तरप्रदेश हिलफोनस लिमिटेड, उत्तरप्रदेश हिलक्वार्ट्ज लिमिटेड और उ पा ई लिमिटेड (31 मार्च 1991 से परीसमापन पर था)।

³ उत्तराखण्ड परिवहन निगम, उत्तराखण्ड वन विकास निगम और उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम।

सहायक कम्पनी है। पुनश्च, अधिनियम की धारा-143 की उपधारा - 7 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि म ले प) ऐसी कम्पनी के प्रकरण में जो धारा-139 की उपधारा-5 या उपधारा-7 में आच्छादित हो, यदि आवश्यक समझता है, एक आदेश द्वारा ऐसी कंपनियों के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा संपादित करती है तथा नि म ले प (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा - 19 अ के प्रावधानों को उस कम्पनी के लेखों की ऐसी नमूना जाँच को प्रतिवेदित करने में लागू करता है। इस प्रकार सरकारी कम्पनियाँ कोई अन्य कम्पनी जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वयं या केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्रीय सरकार और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों के नियंत्रण में हों, की लेखापरीक्षा नि म ले प के द्वारा की जाती हैं। कम्पनी के वित्तीय विवरण जो 31 मार्च 2014 या उस से पूर्व के हों, की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार शासित रहेगी।

3.1.3 सांविधिक लेखापरीक्षा

सरकारी कम्पनियों के वित्तीय विवरण (जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) में परिभाषित है) की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है, जो कि अधिनियम की धारा-139 (5) या (7) के प्रावधानों के अनुसार नि म ले प द्वारा नियुक्त किये जाते हैं, जो एक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रतिलिपि जिसमें अन्य दूसरी चीजों के साथ अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार कम्पनी का वित्तीय विवरण सम्मिलित है, नि म ले प को प्रस्तुत करेगा। अधिनियम की धारा 143(6) के प्रावधानों के अन्तर्गत इन वित्तीय विवरणों की प्राप्ति के 60 दिन के अन्दर नि म ले प द्वारा पूरक लेखापरीक्षा संपादित की जायेगी।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों द्वारा शासित होती है। तीन सांविधिक निगमों में से, उत्तराखंड परिवहन निगम और उत्तराखंड वन विकास निगम के लिए नि म ले प एक मात्र लेखापरीक्षक है। उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम की लेखापरीक्षा प्रारम्भ में नि म ले प को वर्ष 2003-04 से वर्ष 2008-09 तक के लिए सौंपी गयी थी जिसे नि म ले प के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) के अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 तक विस्तारित किया गया है।

3.1.4 सरकार और विधायिका का कार्य

राज्य सरकार सा क्षे उ के मामलों पर नियंत्रण अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से रखता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी और बोर्ड के निर्देशकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है।

राज्य विधान मंडल सा क्षे उ में सरकारी निवेश के लेखांकन एवं उपयोगिता का भी अनुश्रवण करता है। इसके लिए, राज्य सरकार कम्पनियों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों एवं सीएजी की टिप्पणियों के साथ वार्षिक प्रतिवेदन और सांविधिक निगमों के मामलों में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, अधिनियम की धारा - 394 के अन्तर्गत या जैसा संबंधित अधिनियम में निर्धारित हो, विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होता है। नि म ले प की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सरकार को नि म ले प के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा - 19 अ के अंतर्गत प्रस्तुत की जायेगी।

3.1.5 उत्तराखण्ड सरकार की हिस्सेदारी

राज्य सरकार की इन सा क्षे उ में महत्वपूर्ण वित्तीय हिस्सेदारी है। यह हिस्सेदारी मुख्यतः तीन प्रकार की है:

- **अंशपूँजी और ऋण-** अंशपूँजी योगदान के अतिरिक्त, राज्य सरकार समय-समय पर सा क्षे उ को ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।
- **विशेष वित्तीय समर्थन-** जब कभी भी आवश्यक होता है, राज्य सरकार सा क्षे उ को अनुदान और सब्सिडी के माध्यम से बजटीय सहायता प्रदान करती है।
- **प्रत्याभूति-** राज्य सरकार सा क्षे उ द्वारा वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने पर ब्याज मय ऋण की अदायगी हेतु प्रत्याभूति देती है।

3.1.6 राज्य सा क्षे उ में निवेश

31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार, 25 सा क्षे उ में निवेश (पूँजी और दीर्घावधि ऋण) ₹ 8,398.51 करोड़ था, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:


तालिका 3.1.2: सा क्षे उ में कुल निवेश

(₹ करोड़ में)

| सा क्षे उ के प्रकार | सरकारी कम्पनियाँ | | | सांविधिक निगम | | | कुल योग |
|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | पूँजी | दीर्घावधि ऋण | योग | पूँजी | दीर्घावधि ऋण | योग | |
| कार्यरत सा क्षे उ | 2,675.27 | 3,008.10 | 5,683.37 | 2,477.13 | 237.63 | 2,714.76 | 8,398.13 |
| अकार्यरत सा क्षे उ | 0.38 | - | 0.38 | - | - | - | 0.38 |
| कुल | 2,675.65 | 3,008.10 | 5,683.75 | 2,477.13 | 237.63 | 2,714.76 | 8,398.51 |

31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार, राज्य के सा क्षे उ में कुल निवेश का 99.99 प्रतिशत कार्यरत सा क्षे उ और शेष 0.01 प्रतिशत अकार्यरत सा क्षे उ में था। इस कुल निवेश में 61.35 प्रतिशत पूँजी का और 38.65 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण निहित था। निवेश 2010-11 में ₹ 6,257.24 करोड़ से 34.22 प्रतिशत बढ़कर 2014-15 में ₹ 8,398.51 करोड़ हो गया जैसा की नीचे ग्राफ में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.1.1: सा क्षे उ में कुल निवेश



—■— निवेश (पूँजी और दीर्घावधि ऋण)


3.1.6.1 31 मार्च 2015 के अनुसार राज्य सा क्षेत्र उ में क्षेत्रवार निवेश की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 3.1.3: सा क्षेत्र उ में क्षेत्रवार निवेश

| क्षेत्र का नाम | सरकारी/अन्य कम्पनियाँ | | सांविधिक निगम | कुल | निवेश (₹ करोड़ में) |
|------------------|-----------------------|----------|---------------|-----------|------------------------|
| | कार्यरत | अकार्यरत | कार्यरत | | |
| ऊर्जा | 3 | - | - | 3 | 5,206.62 |
| विनिर्माण | 6 | 3 | - | 9 | 286.43 |
| वित्त | 3 | - | - | 3 | 30.36 |
| विविध | 1 | - | 1 | 2 | 1.00 |
| सेवाएं | 2 | - | 1 | 3 | 353.13 |
| अवसंरचना | 2 | - | 1 | 3 | 2,511.99 |
| कृषि एवं सम्बद्ध | 1 | 1 | - | 2 | 8.98 |
| कुल | 18 | 4 | 3 | 25 | 8,398.51 |

31 मार्च 2011 और 31 मार्च 2015 के अंत में चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश और उसका प्रतिशत बार चार्ट में नीचे दिए गए हैं:

चार्ट 3.1.2: सा क्षेत्र उ में क्षेत्रवार निवेश



वर्ष 2014-15 के दौरान कुल निवेश की मुख्य प्रतिशतता ऊर्जा क्षेत्र में ही जारी रही। तथापि, यह 2010-11 (₹ 3,880.70 करोड़) में कुल निवेश का 62.02 प्रतिशत से घटकर 2014-15 (₹ 5,206.62 करोड़) में 61.99 प्रतिशत हो गया। 2010-11 से 2014-15 के दौरान, विविध क्षेत्र का निवेश भी घटकर 35.45 प्रतिशत से 34.24 प्रतिशत हो गया। 2010-11 से 2014-15 के दौरान, विनिर्माण क्षेत्र एवं ऊर्जा क्षेत्र में निवेश, कुल निवेश का क्रमशः 2.19 प्रतिशत से बढ़कर 3.41 प्रतिशत एवं 0.34 प्रतिशत से बढ़कर 0.36 प्रतिशत हो गया था।

3.1.7 वर्ष के दौरान विशेष सहायता और प्रतिफल

राज्य सरकार सा क्षेत्र उ को वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वर्ष 2014-15 को समाप्त तीन वर्षों के लिए राज्य के सा क्षेत्र उ से संबंधित इक्विटी, ऋण, अनुदान/ उपदान, बट्टे खाते में डाले जाने वाले ऋण एवं माफी योग्य ब्याज हेतु बजट से बहिर्गमन का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।


तालिका 3.1.4: सा क्षे उ को बजटीय सहायता का विवरण

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं | विवरण | 2012-13 | | 2013-14 | | 2014-15 | |
|--------|----------------------------|---------------------|---------|---------------------|--------|---------------------|---------|
| | | सा क्षे उ की संख्या | राशि | सा क्षे उ की संख्या | राशि | सा क्षे उ की संख्या | राशि |
| 1. | समता पूँजी बजटीय बहिर्गमन | 2 | 460.02 | 4 | 259.91 | 4 | 171.96 |
| 2. | बजट से दिया गया ऋण | 3 | 252.90 | 6 | 190.07 | 5 | 374.43 |
| 3. | बजट द्वारा अनुदान/उपदान | 5 | 83.22 | 4 | 69.71 | 3 | 32.60 |
| 4. | कुल बहिर्गमन (1+2+3) | 7 | 796.14 | 8 | 519.69 | 7 ⁴ | 578.99 |
| 5. | ऋण व ब्याज माफी | | | | | | |
| 6. | जारी की गयी प्रत्याभूतियाँ | 1 | 1.51 | 1 | 1.54 | 2 | 57.87 |
| 7. | प्रत्याभूति वचनबद्ध | 4 | 1062.93 | 4 | 906.66 | 4 | 1471.97 |

इक्विटी, ऋण और अनुदान/ उपदान के निमित्त बजटीय बहिर्गमन से सम्बन्धित पिछले पांच वर्षों का विवरण नीचे ग्राफ में दिया गया है।

चार्ट 3.1.3 समतापूँजी, ऋण और अनुदान/उपदानों का बजटीय बहिर्गमन



राज्य सरकार द्वारा राज्य सा क्षे उ को इक्विटी, ऋण एवं अनुदानों/ उपदानों बजटीय बहिर्गमन के रूप में प्रदान किया गया, वर्ष 2010-11 में ₹702.88 करोड़ एवं वर्ष 2014-15 में ₹578.99 करोड़ के साथ अस्थिर प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है।

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष में प्रत्याभूति वचनबद्धता की राशि ₹1,062.93 करोड़ (चार सा क्षे उ) की थी जो 31 मार्च 2015 को बढ़कर ₹1,471.97 करोड़ (चार सा क्षे उ) हो गई क्योंकि राज्य सरकार ने उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लि0 को आर ए पी डी आर पी ऋण पर प्रत्याभूति दी थी। चालू वर्ष के दौरान, दो सा क्षे उ, नामतः उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और उत्तराखण्ड बहुदेशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड ने क्रमशः ₹57.44 करोड़ और ₹0.43 करोड़ की प्रत्याभूति प्राप्त की थी।

⁴ सम्बन्धित वर्ष के दौरान कम्पनियों को प्राप्त - समतापूँजी, ऋण, अनुदान जो बजटीय सहायता के रूप में प्राप्त हुआ है, को प्रदर्शित करता है।

सा क्षे उ को बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार प्रत्याभूति देती है जिसके लिए प्रत्याभूति शुल्क वसूल करती है। ऋण गृहीता के आधार पर राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार यह शुल्क शून्य प्रतिशत⁵ से एक प्रतिशत तक होता है। प्रत्याभूति प्रतिबद्धता 2012-13 से 2014-15 के दौरान ₹ 1,062.93 करोड़ से ₹ 1,471.97 करोड़ हो गई। इसके अतिरिक्त, दो⁶ सार्वजनिक उपक्रमों ने 2014-15 के दौरान ₹ 10.17 करोड़ प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान किया।

3.1.8 वित्त लेखे के साथ मिलान

राज्य सा क्षे उ के अभिलेखों के अनुसार इक्विटी, ऋणों एवं बकाया प्रत्याभूतियों के आँकड़े राज्य के वित्त लेखे में दर्शाए गए आँकड़ों से मिलने चाहिए। आँकड़ों के मिलान न हो पाने पर, सम्बन्धित सा क्षे उ एवं वित्त विभाग को अन्तरों का मिलान करना चाहिए। 31 मार्च 2015 को इन की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 3.1.5: सा क्षे उ के अभिलेखों के सापेक्ष वित्त लेखाओं के अनुसार इक्विटी, ऋण, बकाया प्रत्याभूति

(₹ करोड़ में)

| सम्बन्धित बकाया | वित्त लेखे के अनुसार | सा क्षे उ के अनुसार राशि | अन्तर |
|-----------------|----------------------|--------------------------|--------|
| इक्विटी | 2,188.10 | 2,729.66 | 541.56 |
| ऋण | 194.94 | 902.53 | 707.59 |
| प्रत्याभूति | 1,223.76 | 1,471.97 | 248.21 |

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 12 सा क्षे उ के सम्बन्ध में आँकड़ों में अन्तर⁷ पाया गया और इनमें से कुछ के अन्तरों का मिलान 2003 से लम्बित था। मुख्यतः प्रत्याभूति के संबंध में दो सा क्षे उ⁷ में तथा इक्विटी के संबंध में पांच सा क्षे उ⁸ में भिन्नतायें पायीं गयीं। सरकार और सा क्षे उ को समयबद्ध ढंग से अन्तरों के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। सम्बन्धित सा क्षे के उपक्रमों और वित्त विभाग को अन्तरों के मिलान की आवश्यक कार्यवाही करने के लिए लिखा गया था (अक्टूबर 2015)।

3.1.9 लेखों के अन्तिमीकरण में बकाया

3.1.9.1 कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 96(1) के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के कम्पनियों के वित्तीय विवरण का अन्तिमीकरण सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह के अन्दर, अर्थात् सितम्बर माह के अन्त तक हो जाना चाहिए। जिसकी विफलता कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 99 के अनुसार दंडनीय है। इसी प्रकार संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सांविधिक निगमों के मामले में, उनके लेखों का अन्तिमीकरण, लेखापरीक्षा और उनका विधायिका में

⁵ उत्तराखण्ड बहुद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड की प्रत्याभूति राशि शून्य प्रतिशत है।

⁶ उत्तराखण्ड जल विद्युत विकास निगम लिमिटेड (₹ 6.19 करोड़) तथा पाँवर ट्रॉन्समिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (₹ 3.98 करोड़)।

⁷ उत्तराखण्ड पाँवर कॉरपोरेशन लिमिटेड (₹ 415.82 करोड़) तथा पाँवर कॉरपोरेशन ट्रॉन्समिशन लिमिटेड (₹ 178.53 करोड़)।

⁸ उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (₹ 292.75 करोड़) पावर ट्रॉन्समिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (₹ 214.20 करोड़), उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (₹ 8.61 करोड़), किच्छा शूगर कम्पनी (₹ 17.21 करोड़) एवं उत्तराखण्ड बहुद्देशीय विकास एवम निगम (₹ 16.05 करोड़)।

प्रस्तुतीकरण होना चाहिए। 30 सितम्बर 2015 को कार्यरत सा क्षे उ के लेखाओं के अन्तिमीकरण की प्रगति नीचे तालिका में दर्शायी गयी हैं:

तालिका 3.1.6: कार्यरत सा क्षे उ के अन्तिमीकरण की स्थिति

| क्र.स. | विवरण | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | कार्यरत सा क्षे उ/अन्य कम्पनियों की संख्या | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| 2. | वर्ष के दौरान अन्तिमीकृत लेखों की संख्या | 28 | 15 | 10 | 16 | 16 |
| 3. | बकाया लेखों की संख्या | 135 | 140 | 150 | 148 | 153 |
| 4. | कार्यरत सा क्षे उ जिनके लेखे बकाया हैं की संख्या | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5. | बकाया अवधि की सीमा (संख्या वर्षों में) | 1 से 25 वर्ष | 1 से 26 वर्ष | 1 से 27 वर्ष | 1 से 27 वर्ष | 1 से 28 वर्ष |

पूर्ववर्ती पाँच वर्षों 2010-11 से 2014-15 के दौरान, राज्य सा क्षे उ लेखाओं को प्रति वर्ष निपटाने में असफल रहे, परिणामस्वरूप बकाये में बढ़ोतरी हुई और वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान लेखाओं के अन्तिमीकरण में बकाया लेखों की संख्या 135 (2010-11) से 153 (2014-15) के बीच हो गयी।

प्रशासनिक विभागों का यह उत्तरदायित्व है कि वह सा क्षे के उपक्रमों की इन ईकाइयों की गतिविधियों की निगरानी करें और यह सुनिश्चित करें कि इनके खातों का अन्तिमीकरण और अंगीकरण निर्धारित अवधि के अन्दर किया जाये। संबंधित विभागों को नियमित रूप से बकायों को सूचित किया था। इसके अतिरिक्त, महालेखाकार द्वारा मुख्य सचिव एवं सचिव (वित्त) उत्तराखण्ड सरकार के समक्ष अप्रैल 2015 और सितम्बर 2015 को खातों के बकाया समाप्त करने के प्रकरण को उजागर किया गया तथापि कोई सुधार नहीं पाया गया।

3.1.9.2 राज्य सरकार ने, छः सा क्षे उ में ₹ 448.29 करोड़ का निवेश उन वर्षों के दौरान किया था (इक्विटी: चार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹ 174.55 करोड़, ऋण: चार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹ 250.67 करोड़ तथा अनुदान: एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में ₹ 23.07 करोड़) जिनके लेखों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था तथा उनका विवरण **परिशिष्ट 3.1.1** में दिया गया है। लेखों के अन्तिमीकरण और बाद में उन लेखों की लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या निवेशों और व्यय को लेखों में ठीक प्रकार से लेखाकृत किया गया है तथा उद्देश्यों, जिनके लिए निवेश किया गया था, प्राप्त हुए हैं या नहीं और इस कारण सरकारी निवेश, जो इन सा क्षे उ में किया गया है, राज्य विधायिका के नियन्त्रण से बाहर रहे।

3.1.9.3 उपरोक्त के अतिरिक्त, अकार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा खातों को अन्तिम रूप देने में बकाया राशि की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 3.1.7: अकार्यरत सा क्षे उ के बकाया लेखों की स्थिति

| अकार्यरत कम्पनियों के नाम | अवधि जिसके लेखे बकाया हैं | जिनमें लेखे बकाया रहे वर्षों की संख्या |
|-------------------------------|---------------------------|--|
| उपाय लि. | 1989-90 से | 26 |
| कुमट्रौन लि. | 1990-91 से | 25 |
| उत्तर प्रदेश हिल फोन्स लि. | स्थापना से (1987-88) | 28 |
| उत्तर प्रदेश हिल क्वार्टज लि. | स्थापना से (1989-90) | 26 |

यह देखा जा सकता है कि चार अकार्यरत सा क्षेत्रों में से एक सा क्षेत्र अर्थात् उपाय लि. 31 मार्च 1991 से परिसमापन की प्रक्रिया में थी और शेष तीन अकार्यरत सा क्षेत्रों के उपक्रमों⁹ में 25 से 28 वर्षों तक के खातों का बकाया था।

सांविधिक निगम के सम्बन्ध में, केवल उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम ने अपने 2013-14 तक के लेखों का अन्तिमीकरण किया था शेष दो सांविधिक निगमों अर्थात् उत्तराखण्ड परिवहन निगम और उत्तराखण्ड वन विकास निगम के क्रमशः 2012-13 और 2010-11 तक के लेखों का अन्तिमीकरण हुआ था।

3.1.10 सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण

निगमों द्वारा जारी किये गये (30 सितंबर 2015 तक) सांविधिक निगमों के लेखाओं की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ ले प) की विधान मंडल में प्रस्तुतीकरण की स्थिति नीचे दर्शायी गयी है:

तालिका 3.1.8: पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का विधायिका में प्रस्तुतीकरण

| क्र.सं. | सांविधिक निगम का नाम | जिस वर्ष तक एस ए आर प्रति विधायिका को प्रस्तुत किए गए | वर्ष जिनके लिए पृ ले प प्रति विधायिका को प्रस्तुत नहीं किए गए | |
|---------|--|---|---|---|
| | | | पृ ले प प्रति का वर्ष | सरकार को निर्गत होने की तिथि/वर्तमान स्थिति |
| 1 | उत्तराखण्ड परिवहन निगम | 2008-09 | 2010-11 से 2012-13 | अभी प्रस्तुत नहीं हुए |
| 2 | उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम | 2009-10 | 2010-11 से 2013-14 | अभी प्रस्तुत नहीं हुए |
| 3 | उत्तराखण्ड वन विकास निगम | 2008-09 | 2009-10 से 2010-11 | सरकार को मई 2015 को प्रेषित |

3.1.11 लेखों के अन्तिमीकरण न होने का प्रभाव

लेखों को अंतिमरूप देने में देरी का परिणाम जैसे कि ऊपर दर्शाया गया है, प्रासंगिक विधियों के प्रावधानों के उल्लंघन के साथ साथ जनता के पैसे की धोखाधड़ी और रिसाव का खतरा हो सकता है। उपरोक्त लेखों के बकाया को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2014-15 के लिए राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वास्तविक योगदान को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है और राज्य की आय में उनके योगदान की भी सूचना राज्य विधान मण्डल को नहीं मिली।

यह संस्तुति की जाती है कि:

- सरकार प्रत्येक व्यक्तिगत कम्पनियों के बकाया लेखों के निपटारे की देख-रेख और प्रगति की निगरानी करने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर सकती है।
- जहाँ कहीं सरकारी कर्मचारियों की संख्या अपर्याप्त है या विशेषज्ञता का अभाव है, वहाँ सरकार खातों की तैयारी से संबंधित कार्य के लिए आउटसोर्सिंग पर विचार कर सकती है।

3.1.12 सा क्षेत्रों के नवीनतम अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार उनका निष्पादन

3.1.12.1 कार्यरत सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम **परिशिष्ट 3.1.2** में निर्दिष्ट हैं। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद से सा क्षेत्रों के कुल कारोबार

⁹ कुमट्रॉन लि, उत्तर प्रदेश हिल फोन्स लि एवं उत्तर प्रदेश हिल क्वार्टर लिमिटेड।

का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में सा क्षे उ की गतिविधियों की विद्यमानता को प्रदर्शित करता है। निम्न तालिका की 2014-15 को समाप्त पांच वर्ष की समयावधि के लिये कार्यरत सा क्षे उ के कारोबार एवं राज्य स घ उ का विवरण प्रदर्शित करती है।

तालिका 3.1.9: कार्यरत सा क्षे उ की कारोबार के सापेक्ष राज्य सकल घरेलू उत्पाद का विवरण


(₹ करोड़ में)

| विवरण | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| कारोबार ¹⁰ | 2,539.52 | 3,258.60 | 4,042.00 | 5,103.24 | 5,741.42 |
| राज्य स घ उ | 83,966 | 97,858 | 1,08,250 | 1,22,897 | 1,38,723 |
| कारोबार का राज्य स घ उ से प्रतिशतता | 3.02 | 3.33 | 3.73 | 4.15 | 4.14 |

कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कारोबार की एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति थी। यह 2010-11 में ₹ 2,539.52 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 5,741.42 करोड़ हो गई। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कारोबार का प्रतिशत 2010-11 में 3.02 प्रतिशत से बढ़कर, 2014-15 में 4.14 प्रतिशत हो गया।

3.1.12.2 2010-11 से 2014-15 के दौरान राज्य के कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कुल लाभ (हानि) अर्जन (खर्च) को निम्न बार चार्ट में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.1.4 कार्यरत सा क्षे उ के लाभ/हानि (-)



(कोष्ठक में प्रदर्शित आंकड़े संबंधित वर्ष में कार्यरत सा क्षे उ की संख्या को दर्शाते हैं)

वर्ष 2010-11 के दौरान कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की हानि ₹ 221.62 करोड़ थी जो 2011-12 में बढ़कर ₹ 562.75 करोड़ हो गयी। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2013-14 में हानि में ₹ 191.80 करोड़ की कमी आई। 2014-15 में घाटे में जाने वाले सा क्षे उ ने अपनी स्थिति को व्यापक रूप में सुधारा और ₹ 283.09 करोड़ का लाभ कमाया।

वर्ष 2014-15 के दौरान, 21 कार्यरत सा क्षे उ में से 12 सा क्षे उ में ₹ 408 करोड़ का लाभ और नौ सार्वजनिक उपक्रमों में ₹ 124.91 करोड़ की हानि हुयी। उत्तराखंड पाँवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 323.40 करोड़), राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड उत्तराखंड लिमिटेड (₹ 30.01 करोड़) और उत्तराखंड वन विकास निगम (₹ 36.86 करोड़) लाभ अर्जित करने में प्रमुख योगदान देने वाले

¹⁰ कारोबार 30 सितम्बर को नवीनतम अन्तिमीकरण लेखों के अनुसार है।

सा क्षे उ थे। डोईवाला चीनी कम्पनी लिमिटेड (₹ 38.21 करोड़), किच्छा चीनी कम्पनी लिमिटेड (₹ 34.95 करोड़) और उत्तराखंड परिवहन निगम (₹ 25.35 करोड़) में भारी नुकसान हुआ।

3.1.12.3 सा क्षे उ के कुछ अन्य प्रमुख मानकों को नीचे दिया गया है:

तालिका 3.1.10: राज्य सा क्षे उ के मुख्य मानक

| विवरण | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 |
|-------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| नियोजित पूँजी पर प्रति फल (प्रतिशत) | 0.98 | (-) 3.56 | 0.59 | (-) 6.31 | 8.74 |
| ऋण | 2,465.29 | 2,883.12 | 2,702.00 | 2,929.57 | 3,245.73 |
| कारोबार ¹¹ | 2,539.52 | 3,258.60 | 4,042.00 | 5,103.24 | 5,741.42 |
| ऋण/कारोबार अनुपात | 0.97:1 | 0.88:1 | 0.67:1 | 0.57:1 | 0.57:1 |
| ब्याज अदायगियाँ | 271.63 | 288.64 | 276.93 | 281.65 | 358.33 |
| संचित लाभ/हानि | (-)807.79 | (-)1,905.97 | (-)2,081.42 | (-)2,034.59 | (-)1,883.90 |

(₹ करोड़ में)

उपरोक्त आँकड़े, सा क्षे उ के कारोबार को छोड़कर सभी सा क्षे उ से सम्बन्धित हैं

उपरोक्त में देखा जा सकता है कि नियोजित पूँजी पर प्रतिफल एक अस्थिर प्रवृत्ति को दिखाता है। ऋण कारोबार अनुपात जो वर्ष 2010-11 में 0.97:1 था जो घटकर वर्ष 2014-15 में 0.57:1 हो गया। संचित हानि जो वर्ष 2010-11 में ₹ 807.79 करोड़ थी वर्ष 2012-13 में बढ़कर ₹ 2,081.42 करोड़ तथा उसके बाद वर्ष 2014-15 में घटकर ₹ 1,883.90 करोड़ हो गयी।

3.1.12.4 राज्य सरकार ने सा क्षे उ के लिए कोई लाभांश नीति नहीं बनाई थी जिसके अन्तर्गत सा क्षे उ द्वारा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त पूँजी पर एक न्यूनतम प्रतिफल का भुगतान आवश्यक होता। वर्ष 2014-15 के दौरान किसी भी सा क्षे उ द्वारा लाभांश घोषित नहीं किया गया।

3.1.13 अकार्यरत सा क्षे उ का परिसमापन

3.1.13.1 31 मार्च 2015 को चार अकार्यरत सा क्षे उ (सभी कम्पनियाँ) थे। इनमें से एक सा क्षे उ नामतः यू पी ए आई लिमिटेड 31 मार्च 1991 से समापन की प्रक्रिया में थी। पिछले पाँच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के अन्त में अकार्यरत सा क्षे उ की संख्या नीचे दी गयी है:

तालिका 3.1.11: अकार्यरत सा क्षे उ

| विवरण | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 |
|------------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|
| अकार्यरत कम्पनियों की संख्या | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| अकार्यरत सांविधिक निगमों की संख्या | - | - | - | - | - |
| किया गया व्यय | इन कम्पनियाँ ने वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान कोई व्यय नहीं किया था। | | | | |
| योग | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

चूँकि अकार्यरत सा क्षे उ राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं कर रहे हैं और अपने निर्धारित उद्देश्यों को भी प्राप्त नहीं कर रहे, अतः इन सा क्षे उ को या तो बंद या पुर्नर्जीवित किया जाए।

3.1.13.2 अकार्यरत सा क्षे उ के परिसमापन होने के स्तर नीचे दिये गये हैं:

¹¹ कार्यरत सा क्षे उ का कारोबार 30 सितम्बर को नवीनतम अन्तिमीकरण लेखों के अनुसार है।

तालिका 3.1.12: अकार्यरत सा क्षेत्र 3 का समापन

| क्र.सं. | विवरण | कम्पनियाँ | सांविधिक निगम | योग |
|---------|--|-----------|---------------|-----|
| 1. | कुल अकार्यरत सा क्षेत्र 3 की संख्या | 04 | - | 04 |
| 2. | उक्त (1) में से निम्न लिखित के अंतर्गत संख्या | - | - | - |
| (अ) | न्यायालय द्वारा परिसमापन (परिसमापक नियुक्त) | 01 | - | 01 |
| (ब) | स्वैच्छिक परिसमापन (परिसमापक नियुक्त) | - | - | - |
| (स) | बन्दीकरण अर्थात्बन्द करने के आदेश/निर्देश जारी परन्तु परिसमापन की प्रक्रिया अभी तक प्रारम्भ नहीं हुई | 03 | - | 03 |

वर्ष 2014-15 के दौरान कोई भी कम्पनी अन्तिम रूप से बन्द नहीं हुई थी। एक मात्र कम्पनी अर्थात् यू पी ए आई लिमिटेड, जिसने न्यायालय के आदेशानुसार समापन का मार्ग अपनाया था, 24 वर्षों से अधिक समय से परिसमापन के अधीन थी। कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत स्वैच्छिक समापन की प्रक्रिया तेजी से और सख्ती से अपनाई/ अनुकरण की जानी चाहिए। सरकार को तीन अकार्यरत सा क्षेत्र 3 के समापन के बारे में निर्णय लेना चाहिए।

3.1.14 लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

वर्ष 2014-15 के दौरान नौ कार्यरत कम्पनियों ने अपने 10 लेखा परीक्षित लेखों को महालेखाकार को प्रेषित किया। इसमें से आठ कम्पनियों के नौ¹² लेखाओं को पूरक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया तथा एक कम्पनी को गैर-समीक्षा प्रमाण पत्र जारी किया गया। नि म ले प द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन एवं नि म ले प की पूरक लेखापरीक्षा कुछ सकारात्मक प्रवृत्ति इंगित करती है। (तालिका 3.1.13) लेखाओं के रखरखाव की गुणवत्ता में और सुधार की स्थिति यथावत है। सांविधिक लेखापरीक्षकों और नि म ले प की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक मूल्य का विवरण तालिका 3.1.13 में दिया गया है:

तालिका 3.1.13: लेखापरीक्षा टिप्पणियों का कार्यरत कम्पनियों पर मौद्रिक प्रभाव

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | विवरण | 2012-13 | | 2013-14 | | 2014-15 | |
|---------|---|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
| | | लेखाओं की संख्या | राशि | लेखाओं की संख्या | राशि | लेखाओं की संख्या | राशि |
| 1. | लाभ में कमी | 4 | 108.47 | 5 | 28.07 | 5 | 22.94 |
| 2. | हानि में वृद्धि | 4 | 86.07 | 2 | 16.96 | 2 | 0.76 |
| 3. | महत्वपूर्ण तथ्यों को उद्घोषित न किया जाना | 1 | 28.25 | 1 | 180.16 | 2 | 72.39 |
| 4. | वर्गीकरण की गलती | 4 | 26.80 | 1 | 4.37 | 3 | 290.27 |

नि म ले प और सांविधिक लेखापरीक्षक की टिप्पणी का मुख्य प्रभाव ₹ 110.40 करोड़ किच्छा चीनी कम्पनी लिमिटेड (2013-14), ₹ 149.13 करोड़ डोईवाला चीनी कम्पनी लिमिटेड (2013-14) और ₹ 75.39 करोड़ उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (2014-15) के लेखाओं पर था और उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड और उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सम्बन्ध में क्रमशः ₹ 4.88 करोड़ और ₹ 14.28 करोड़ से लाभ में कमी निहितार्थ थी।

¹² उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण उधम लि के दो लेखा (2011-12 एवं 2012-13) अंतर्मीकृत के अधीन है।

वर्ष के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने नौ सा क्षे उ के सभी 10 खातों के लिए अर्हता प्रमाणपत्र और उद्घोषणायें दी थी। इसके अतिरिक्त, सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा कोई प्रतिकूल प्रमाणपत्र इन खातों के लिए जारी नहीं किया गया था। उपरोक्त के अतिरिक्त, नि म ले प ने सात खातों पर प्रतिकूल टिप्पणियां दी थीं। पुनश्च, इन खातों पर अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान कोई उद्घोषणा वाली टिप्पणी नहीं दी गयी थी। कम्पनियों द्वारा लेखा मानकों के अनुपालन की स्थिति बहुत खराब रही जैसे कि वर्ष के दौरान सात खातों में 14 ऐसे मामले थे जिनमें लेखा मानकों का अनुपालन नहीं किया गया था।

इसी प्रकार, वर्ष 2014-15 के दौरान तीन कार्यरत सांविधिक निगमों ने अपने आठ लेखों¹³ को महालेखाकार को अग्रेषित किया। इन लेखों की लेखापरीक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व नि म ले प का था जो कि पूरा कर लिया गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों और नि म ले प की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक मूल्य का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 3.1.14: लेखापरीक्षा टिप्पणियों का सांविधिक निगमों पर प्रभाव

| क्र.सं. | विवरण | 2012-13 | | 2013-14 | | 2014-15 | |
|---------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | | लेखाओं की संख्या | राशि (₹ करोड़) | लेखाओं की संख्या | राशि (₹ करोड़) | लेखाओं की संख्या | राशि (₹ करोड़) |
| 1. | लाभ में कमी | - | - | - | - | 2 | 49.49 |
| 2. | हानि में वृद्धि | - | - | 1 | 25.07 | 6 | 87.40 |
| 3. | महत्वपूर्ण तथ्यों को उद्घोषित न किया जाना | - | - | - | - | - | - |
| 4. | वर्गीकरण की गलती | - | - | - | - | 2 | 0.88 |

लेखापरीक्षा में टिप्पणियों की राशि वर्ष 2013-14 में ₹ 25.07 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 137.77 करोड़ हो गयी। लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ में वृद्धि स्पष्ट रूप से यह दर्शाती हैं कि वास्तव में लेखाओं के रखरखाव की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है।

3.1.15 सरकार की लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया

सा क्षे उ से सम्बन्धित प्रस्तर

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नि म ले प के प्रतिवेदन में छः ड्राफ्ट प्रस्तरों जिनका मूल्य ₹ 89.57 करोड़ था, सम्बन्धित विभागों के अपर मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया गया कि उनका जवाब छः सप्ताह के अन्दर भेजने का कष्ट करें। तथापि, राज्य सरकार सम्बन्धित प्रस्तरों के सम्बन्ध में कोई अनुपालन आख्या प्राप्त नहीं हुई थी (दिसम्बर 2015)।

¹³ उत्तराखण्ड पेयजल निगम के दो लेखे, उत्तराखण्ड परिवहन निगम के चार लेखे एवं उत्तराखण्ड वन एवं विकास निगम के दो लेखे।

3.1.16 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्यवाही

लंबित प्रत्युत्तर

भारत के नि म ले प की रिपोर्ट लेखापरीक्षा संवीक्षा की प्रक्रिया की परिणति का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए यह आवश्यक है कि कार्यपालक उस पर उचित और समय पर प्रतिक्रिया प्रकाश में लायें। सभी प्रशासनिक विभागों को कोपू की किसी प्रश्नावली का इंतजार किए बिना, निर्धारित प्रारूप में, भारत के नि म ले प के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किए गए प्रस्तर/ समीक्षा पर अपना उत्तर/ व्याख्यात्मक टिप्पणी उस प्रतिवेदन के विधान मंडल में प्रस्तुति के तीन महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत करने हैं:

तालिका 3.1.15: व्याख्यात्मक टिप्पणी प्राप्त न होना (31 दिसम्बर 2015 को)

| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष (वाणिज्यिक/ सा क्षे उ) | लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को राज्य विधान मण्डल में प्रस्तुत करने की तिथि | लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल कुल समीक्षा/प्रस्तरों की संख्या | | समीक्षा/प्रस्तरों की संख्या जिनके लिए व्याख्यात्मक नोट प्राप्त नहीं हुए | |
|--|--|---|-----------|---|-----------|
| | | समीक्षायें | प्रस्तर | समीक्षायें | प्रस्तर |
| 2010-11 | दिसम्बर 2012 | 1 | 4 | 01 | 04 |
| 2011-12 | सितम्बर 2013 | 1 | 2 | 01 | 02 |
| 2012-13 | नवम्बर 2014 | 1 | 2 | 01 | 02 |
| 2013-14 | नवम्बर 2015 | 0 | 06 | 0 | 06 |
| योग | | 3 | 14 | 03 | 14 |

उपर्युक्त में यह देखा जा सकता है कि तीनों विभागों से सम्बन्धित उपरोक्त प्रस्तर/ समीक्षा जिन पर टीका-टिप्पणी की गई है, पर व्याख्यात्मक टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई थी (दिसम्बर 2015 तक)।

3.1.17 सा क्षे उ समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर चर्चा

30 सितंबर 2015 तक समीक्षा लेखापरीक्षा व प्रस्तर जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सा क्षे उ) में शामिल किए गये हैं और जिन पर सा क्षे उ की समिति द्वारा चर्चा की गई है, की स्थिति नीचे दी गयी है:

तालिका 3.1.16: 31 दिसम्बर 2015 तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल समीक्षा/प्रस्तर व उन पर चर्चा

| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि | समीक्षा/प्रस्तरों की संख्या | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------------------------|----------|
| | लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित | | प्रस्तर लेखापरीक्षा जिस पर चर्चा हुई | |
| | समीक्षायें | प्रस्तर | समीक्षायें | प्रस्तर |
| 2008-09 | 1 | 5 | - | 1 |
| 2009-10 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 2010-11 | 1 | 4 | 1 | - |
| 2011-12 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2012-13 | 1 | 2 | - | - |
| योग | 5 | 18 | 3 | 4 |

3.1.18 सा क्षे उ समिति के प्रतिवेदन का अनुपालन

मार्च 2007 से मार्च 2015 तक कोपू के छः प्रतिवेदनों से संबंधित 15 प्रस्तरों पर जो राज्य विधान मण्डल में प्रस्तुत किए गए, कोई कृत कार्यवाही टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई थी (दिसंबर 2015)। जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 3.1.17: कोपू प्रतिवेदनों पर अनुपालन

| वर्ष जिसमें कोपू की बैठक हुई | कुल बैठकों की संख्या | कोपू प्रतिवेदनों की कुल संख्या | कोपू प्रतिवेदनों पर कुल अनुशंसा की संख्या | अनुशंसा की संख्या जिन पर एटीएन प्राप्त नहीं हुए |
|------------------------------|----------------------|--------------------------------|---|---|
| 2014-15 | 05 ¹⁴ | 02 | 07 | जहाँ कृत कार्यवाही टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई वहाँ कोई अनुशंसा प्राप्त नहीं हुई |
| 2015-16 | 06 ¹⁵ | 02 | 08 | |
| योग | 11 | 04 | 15 | |

मार्च 2007 से मार्च 2012 तक कोपू प्रतिवेदन में भारत के नि म प ले के प्रतिवेदन में छपी ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित संस्तुतियां शामिल हैं।

सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि: (क) निरीक्षण प्रतिवेदनों/ड्राफ्ट प्रस्तरों/समीक्षा लेखापरीक्षाओं और कोपू द्वारा दी गयी संस्तुतियों एवं कृत कार्यवाही टिप्पणी के जवाब एक निर्धारित समय पर दिए जायें (ख) हानि/बकाया अग्रिमों/अधिक भुगतान की वसूली निर्धारित अवधि के भीतर की जाये और (ग) लेखापरीक्षा आपत्तियों के लिए प्रत्युत्तरो की व्यवस्था में सुधार किया जाये।

3.1.19 लेखापरीक्षा आपत्तियों पर विभाग की प्रतिक्रिया

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2013-14 के प्रस्तर संख्या 3.5 में लेखापरीक्षा ने बताया कि उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि ने निरन्तर विद्युत आपूर्ति का 15 प्रतिशत अतिरिक्त उपकर (सरचार्ज) न लगाकर एक उपभोक्ता को ₹ 2.12 करोड़ का अनुचित लाभ पहुंचाया। विभाग ने अब इस उपभोक्ता को निरन्तर विद्युत आपूर्ति उपभोक्ता के रूप में वर्गीकृत कर लिया है व अप्रैल 2014 से 15 प्रतिशत अतिरिक्त उपकर (सरचार्ज) लगा दिया है। तदनुसार, विभाग ने अप्रैल 2014 से मार्च 2015 का ₹ 53.12 लाख संग्रहित किया। तथापि, मई 2010 से मार्च 2014 के ₹ 2.12 करोड़ के अतिरिक्त उपकर की वसूली के विषय में विभाग द्वारा सूचित किया जाना अपेक्षित है।

3.1.20 इस अध्याय का आच्छादन

इस अध्याय में छः प्रस्तरों को सम्मिलित किया गया है जिसका वित्तीय प्रभार ₹ 89.57 करोड़ है।

3.1.21 सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्गठन और ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

वर्ष 2014-15 के दौरान सरकार की कम्पनियों और सांविधिक निगमों के निजीकरण का कोई प्रकरण नहीं था। राज्य सरकार ने राज्य सा क्षे उ में सरकार की इक्विटी के विनिवेश के लिए कोई नीति तैयार नहीं की थी।

¹⁴ मार्च 2007, मार्च 2008, मार्च 2010, मार्च 2011 एवं मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

¹⁵ मार्च 2007, मार्च 2008, मार्च 2009, मार्च 2010, मार्च 2011 एवं मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

अनुपालन लेखापरीक्षा

उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

3.2 परिहार्य व्यय

यू पी सी एल द्वारा ऊर्जा के क्रय-विक्रय हेतु ऊर्जा बाजार में पंजीयन न किए जाने के परिणामस्वरूप ऊर्जा व्यापारियों को देय व्यापार लाभ/लेन-देन शुल्क के रूप में ₹ 4.68 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया।

उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यू पी सी एल) राज्य की एक मात्र वितरण अनुज्ञापी है, जो राज्य की ऊर्जा माँग को पूरा करने के लिए ऊर्जा की अधिप्राप्ति एवं वितरण के लिए उत्तरदायी है। यह राज्य उत्पादक कम्पनी¹⁶, स्वतंत्र ऊर्जा उदपादक (स्व ऊ उ), केन्द्रीय पूल में राज्य के अंश एवं ऊर्जा व्यापारियों के माध्यम से खुले बाजार/ऊर्जा बाजार से ऊर्जा का क्रय करती है। ऊर्जा बाजारों से ऊर्जा के क्रय हेतु दो विकल्प उपलब्ध हैं; प्रथमतः, ऊर्जा बाजार में प्रत्यक्ष रूप से पंजीयन कराकर एवं द्वितीय ऊर्जा बाजार के ऊर्जा व्यापारियों से ऊर्जा का क्रय। दूसरे विकल्प में, ऊर्जा व्यापारी द्वारा प्रति इकाई ऊर्जा क्रय पर व्यापार लाभ प्रभारित किया जाता है।

अभिलेखों की जांच (मार्च 2015) में पाया गया कि यू पी सी एल ने ऊर्जा बाजार में अपना पंजीयन नहीं कराया था, बजाय इसके इसने ऊर्जा बाजार से अल्पकालीन ऊर्जा क्रय हेतु ऊर्जा व्यापारियों¹⁷ से अनुबन्ध किये तथा ऊर्जा व्यापारियों को व्यापार लाभ तथा सेवा शुल्क के रूप में वर्ष 2011-12 से 2014-15 की अवधि में ₹ 4.68 करोड़ का भुगतान किया जिस का विवरण निम्न तालिका 3.2.1 में दिया गया है:

तालिका 3.2.1

| वर्ष | ऊर्जा व्यापारी का नाम | बाजार से क्रय की गई ऊर्जा की मात्रा (मिलियन यूनिट्स) | व्यापार लाभ (₹ प्रति इकाई के किलो वाट) | व्यापारी को भुगतान किया गया कुल व्यापार लाभ (₹ लाख में) | सेवा शुल्क @12.36 प्रतिशत (₹ लाख में) | ऊर्जा व्यापारी को कुल भुगतान (₹ लाख में) |
|---------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|
| 2011-12 | ग्लोबल इनर्जी प्राइवेट लिमिटेड | 1.64 | 0.020 | 0.33 | 0.03 ¹⁸ | 0.36 |
| 2012-13 | ग्लोबल इनर्जी प्राइवेट लिमिटेड | 203.74 | 0.020 | 40.75 | 5.04 | 45.79 |
| 2013-14 | ग्लोबल इनर्जी प्राइवेट लिमिटेड | 919.90 | 0.020 | 183.99 | 22.74 | 206.73 |
| 2014-15 | ग्लोबल इनर्जी प्राइवेट लिमिटेड/मेसर्स श्री सीमेन्ट लिमिटेड | 1,276.46 | 0.015 | 191.47 | 23.67 | 215.14 |
| | कुल | 2,401.74 | -- | 416.54 | 51.48 | 468.02 |

¹⁶ उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड।

¹⁷ मेसर्स ग्लोबल इनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स श्री सीमेन्ट लिमिटेड।

¹⁸ वर्ष 2011-12 के लिए सेवा कर की प्रभावी दर 10.30 प्रतिशत थी।

यह भी इंगित किया जाना है कि यू पी सी एल ने स्वयं ही ऊर्जा बाजार के माध्यम से अल्पकालीन ऊर्जा क्रय में बचत करने के तथ्य का विश्लेषण किया तथा इसके निदेशक मण्डल ने इसी आधार पर ऊर्जा बाजार की प्रत्यक्ष सदस्यता ग्रहण करने के एक प्रस्ताव को अनुमोदित किया था (नवम्बर 2013)। तथापि, यू पी सी एल ऐसे किसी पंजीकरण के लिए आगे नहीं बढ़ा तथा ऊर्जा व्यापारियों को प्रभारणीय व्यापार लाभ लेन-देन शुल्क का भुगतान जारी रखा।

प्रबन्धन ने अवगत कराया (अगस्त 2015) कि निदेशक मण्डल ने पॉवर एक्सचेंज ऑफ इण्डियन लि. (पी एक्स आई एल) में पंजीकरण का अनुमोदन किया था जिसका ऊर्जा बाजार में अंश मात्र दो प्रतिशत था तथा यह यू पी सी एल की मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं था। उन्होंने आगे बताया कि ऊर्जा व्यापारी ऊर्जा क्रय बिलों के भुगतान हेतु 11 दिनों की पश्च भुगतान उधार सुविधा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, यदि यू पी सी एल ऊर्जा बाजार में प्रत्यक्ष सदस्यता ग्रहण करता है तो पृथक कार्यालय स्थापित करने की भी आवश्यकता होगी।

प्रबन्धन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यू पी सी एल ऊर्जा व्यापारियों से नियमित रूप से ऊर्जा क्रय कर रहा है। यह भी इंगित किया जाना है कि वर्ष 2011-12 से वर्ष 2014-15 के मध्य यू पी सी एल ने 1.64 एम यू से 1276.46 एम यू तक मात्रा की सीमा में अल्पकालीन ऊर्जा क्रय की, पी एक्स आई एल एवं इण्डियन एनर्जी एक्सचेंज (आई ई एक्स) की प्रतिदिन औसत व्यापार मात्रा क्रमशः आठ एम यू प्रतिदिन एवं 81 एम यू प्रतिदिन है। पी एक्स आई एल में एक वर्ष में उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा 2920 एम यू (8 एम यू x 365) है जो कि यू पी सी एल की वार्षिक मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त, आई ई एक्स में पंजीकरण कराने का विकल्प सदैव ही यू पी सी एल के पास उपलब्ध है क्योंकि ऊर्जा बाजार के माध्यम से क्रय ऊर्जा की मात्रा वर्ष दर वर्ष बढ़ रही है। पुनश्चः, यू पी सी एल का यह उत्तर कि 'व्यापारी ऊर्जा खरीद बिलों पर 11 दिन की पश्च भुगतान उधार सुविधा देता है' सही नहीं था क्योंकि इस प्रकार भुगतान ऋण सुविधा का कोई भी प्रावधान अनुबंध साथ ही साथ व्यापारी के बिलों में नहीं था। तथापि, अनुबंध के अनुसार यू पी सी एल क्रय दिवस के दो दिन के पश्चात भुगतान न करने पर 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने के लिए उत्तरायी है। इसके अतिरिक्त, यू पी सी एल में ऊर्जा क्रय के लिए एक अलग विंग कार्य कर रहा है। इस प्रकार से ऊर्जा बाजार में पंजीकरण न करने के कारण वर्ष 2014-15 तक यू पी सी एल ने व्यापारी को देय ₹ 4.68 करोड़ व्यापार लाभ लेन-देन शुल्क का भुगतान किया जबकि किसी भी ऊर्जा बाजार में एक मुश्त ₹ 39.10 लाख पी एक्स आई एल में अथवा ₹ 70.06 लाख आई ई एक्स में प्रवेश तथा प्रतिभूति शुल्क का भुगतान कर पंजीकरण कराकर इसे बचाया जा सकता था।

इस प्रकार, ऊर्जा बाजार में अपना पंजीयन न करवाने में, यू पी सी एल की निष्क्रियता के परिणामस्वरूप, ₹ 4.68 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

यह प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया (जुलाई 2015); उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2015)।

3.3 पुनर्संचित त्वरित ऊर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम का क्रियान्वयन

3.3.1 परिचय

उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यू पी सी एल) पुनर्संचित त्वरित ऊर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम (पु त्व ऊ वि सु का) के लिये कार्यदायी संस्था है। कार्यक्रम राज्य के 31 नगरों¹⁹ में संचालित है। कार्यक्रम का उद्देश्य वास्तविक प्रत्यक्ष निष्पादन निरंतर हानि में कमी, निरंतर परिशुद्ध बेस लाइन डाटा के संग्रहण के लिए विश्वसनीय एवं स्वचालित प्रणाली की स्थापना एवं ऊर्जा लेखांकन के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी को अंगीकृत करना है। कार्यक्रम का क्रियान्वयन दो भागों नामतः भाग अ और भाग ब में है।

- **भाग (अ) :** इसके अंतर्गत परियोजना क्षेत्र के लिये बैस लाइन डाटा उपभोक्ता सूची तैयार करना, भौगोलिक सूचना प्रणाली (भौ सू प्र) मानचित्रक, वितरण ट्रान्सफार्मरों एवं फीडरों पर मीटर लगाना है, सभी वितरण ट्रान्सफार्मरों तथा फीडरों के लिए स्वचालित डाटा लॉगिंग, पर्यवेक्षित नियंत्रण एवं डाटा अधिग्रहण (प नि डा अ) प्रणाली सम्मिलित है। इसमें मीटर रीडिंग, बिलिंग एवं संग्रहण, ऊर्जा लेखांकन एवं लेखापरीक्षा के लिये सूचना प्रौद्योगिकी की उपयोगिता का अंगीकरण सम्मिलित है।
- **भाग (ब) :** इसके अंतर्गत 11 के वी स्तर के उपकेन्द्रों एवं ट्रान्सफार्मरों/ ट्रान्सफार्मर केन्द्रों का नवीनीकरण, आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण, 11 के वी के स्तर एवं उसके नीचे की लाइनों का पुनः परिचालन, भार का बाँटना, फीडर पृथक्कीकरण, भार संतुलन, एच वी डी एस (11 के वी), सघन क्षेत्रों में एरियल बंच केबल का परिचालन, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा मीटरों को छेड़छाड़ रहित इलेक्ट्रॉनिक मीटर से बदलना, कैपेसिटर बैंको एवं मोबाइल सेवा केन्द्र को स्थापित करना इत्यादि सम्मिलित है। जहाँ पर उप पारेषण प्रणाली कमजोर हो, उसका 33 के वी या 66 के वी से सुदृढीकरण करना भी सम्मिलित है। पावर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन (पी एफ सी), भारत सरकार की मार्ग दर्शिकाओं के अनुसार, यदि भाग ब का कार्य निर्धारित समयावधि²⁰ में पूरा नहीं होता तो पी एफ सी के ऋण को अनुदान में नहीं बदला जायेगा।

यू पी सी एल मुख्यालय एवं 31 नगरों में से 25 नगरों के अभिलेखों की नमूना जांच कर मार्च 2015 से सितम्बर 2015 की अवधि में लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के लिए सम्पादित की गयी कि वर्ष 2012-13 से वर्ष 2014-15 की अवधि में पु त्व ऊ वि सु का से वांछित परिणाम प्राप्त हुए या नहीं।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.3.2 कार्यक्रम का भाग-अ

3.3.2.1 वित्तीय प्रबन्धन

कार्यक्रम के अनुसार, प्रारम्भ में 100 प्रतिशत निधियाँ भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के लिए ऋण के रूप में ऐसी शर्तों पर जो वित्त मंत्रालय द्वारा निर्णित थी नोडल एजेन्सी के द्वारा

¹⁹ उत्तराखण्ड राज्य में 2011 के जनगणना के अनुसार 31 नगरों की जनसंख्या 10,000 से अधिक है।

²⁰ अक्टूबर 2016।

प्रदान की गयी थी। पुनश्च, अनुमोदित परियोजना लागत के 30 प्रतिशत तक परियोजना के अनुमोदन पर भारत सरकार ऋण के अग्रिम के रूप में उपयोगिता प्रमाण पत्रों के सापेक्ष प्रमाणित दावों पर 60 प्रतिशत, तथा वितरित ऋण के पूर्ण उपयोग के पश्चात शेष 10 प्रतिशत अवमुक्त किया जाना था।

यू पी सी एल के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि ₹ 163.42 करोड़ की अनुमोदित परियोजना लागत के सापेक्ष, भारत सरकार ने ₹ 75.49 करोड़ जारी किया था जिसके सापेक्ष यू पी सी एल ने ₹ 75.76 करोड़ का व्यय किया (मार्च 2015)। यह पाया गया कि यू पी सी एल ने ₹ 82 करोड़ जो कि अगस्त 2015 तक व्यय किये गये थे, के उपयोगिता प्रमाण पत्र पावर फाइनेन्स कॉरपोरेशन (पी एफ सी), भारत सरकार को प्रस्तुत किये थे (अगस्त 2015)। यू पी सी एल को अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष किया गया व्ययाधिक्य वर्तमान तक भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

3.3.2.2 भाग-अ के कार्यों का क्रियान्वयन

परियोजना में चयनित 31 नगर क्षेत्रों में आने वाले, सभी उपभोक्ताओं का भौगोलिक सूचना प्रणाली (भौ सू प्र) में मानचित्रण किया जाना था; वितरण ट्रान्सफार्मरों में मीटर एवं मोडम स्थापित किये जाने थे; मीटर रीडिंग, बिलिंग एवं संग्रहण के लिए अपनाये गये सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग; ऊर्जा लेखांकन एवं लेखापरीक्षा को शुरू किया जाना; तथा प्रणाली आवश्यकता विशिष्टीकरण के अनुसार यू पी सी एल के उप-खण्डीय कार्यालयों में दो एम बी पी एस की दर से प्रारम्भिक इन्टरनेट संयोजन तथा 128 के बी पी एस की दर से द्वितीयक संयोजन उपलब्ध कराना सम्मिलित था। पच्चीस नगरों के अभिलेखों की जांच के दौरान, निम्नलिखित कमियां पाई गयी:

i. उपभोक्ताओं का मानचित्रण

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सितम्बर 2015 तक 25 में से 16 नगरों²¹ में 37,895 उपभोक्ता अभी भी भौ सू प्र में मानचित्रित होने थे। नये उपभोक्ताओं के भौ सू प्र के मानचित्रण न होना इन उपभोक्ताओं की भौतिक स्थिति तथा उपभोग के तरीके का पता नहीं लगने के रूप में परिणामित हुई।

ii. वाणिज्यिक उपभोक्ताओं की स्वाँचालित मीटर रीडिंग

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दस नगरों²² में, उपभोक्ता मीटर रीडिंग स्टेटस लेजर के अनुसार, 25 किलो वाट से ऊपर के कुल 1,196 वाणिज्यिक उपभोक्ताओं में से 551 उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग स्वाँचालित मीटर रीडिंग की स्थान पर हाथ से की जा रही थी, जो कि मीटर रीडिंग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग के अपर्याप्त क्रियान्वयन की ओर संकेत करता है।

iii. इन्टरनेट संयोजन

उ पा का लि में व्यवधान रहित नेटवर्क संयोजन के लिये प्राथमिक संयोजन दो एम बी पी एस की दर से एवं द्वितीयक संयोजन 128 के बी पी एस की दर से प्रणाली आवश्यकता विशिष्टीकरण के

²¹ काशीपुर (2,772), रुद्रपुर (5,644), देहरादून (8,847), टिहरी (1,769), हरिद्वार (1,198), बाजपुर (450), सितारगंज (1,306), खटीमा (3,468), रामनगर (1,322), उत्तरकाशी (144), नैनीताल (284), पिथौरागढ़ (557), मंगलौर (1,693), लन्डौरा (657), कोटद्वार (5,956), हल्द्वानी (1,869)।

²² बाजपुर (64/168), देहरादून (127/294), सितारगंज एवं खटीमा (62/122), रामनगर (06/14), उत्तरकाशी (17/27) नैनीताल (27/84), रानीखेत (11/37), हरिद्वार (175/361) एवं ऋषिकेश (62/129)।

अन्तर्गत उपखण्डों को दिया जाना था। यह देखा गया कि 48 में से 29 केन्द्रों पर केवल प्राथमिक इन्टरनेट संयोजन दिया गया। इसके अतिरिक्त, एक केन्द्र में दो एम बी पी एस से कम का संयोजन दिया गया। द्वितीयक इन्टरनेट संयोजन किसी भी केन्द्र पर नहीं दिया गया। फलस्वरूप, यू पी सी एल व्यवधानरहित इन्टरनेट संयोजन सभी केन्द्रों में देने में असफल रहा।

iv. डी टी आर की मीटरिंग

लेखापरीक्षा में पाया गया (अगस्त 2015) कि सात नगरों²³ में 2026 मीटर में से 435 मीटर जो कि वितरण ट्रॉन्सफार्मर पर लगे हुए थे खराब/ निष्क्रिय पाये गये जिसकी वजह से ए टी एण्ड सी हानियों का सही मापन नहीं हो पाया।

v. मीटरिंग उपकरणों की अपर्याप्त सुरक्षा

डी टी आर पर लगे उपकरणों की चोरी की घटनाएं रूड़की एवं हल्द्वानी नगरों में पाई गईं। यू पी सी एल के पास पु त्व ऊ वि सु का के अन्तर्गत लगे उपकरणों की चोरी से सुरक्षा हेतु कोई भी प्रलेखित कार्य योजना नहीं थी।

प्रबन्धन ने टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि अब नये विकल्पों को ढूंढा जा रहा है, जिससे की सभी कार्यालयों को नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जा सके और यह भी अवगत कराया कि सभी प्रशिक्षण खण्डों को सूचित कर दिया है कि ट्रॉन्सफार्मरों पर लगे खराब अथवा निष्क्रिय मीटरों को बदलने की जिम्मेदारी उनकी है।

3.3.3 कार्यक्रम का भाग-ब

3.3.3.1 वित्तीय प्रबन्धन

कार्यक्रम के अनुसार, भाग-ब के अन्तर्गत, परियोजना लागत के 30 प्रतिशत तक, परियोजना के अनुमोदन पर, भारत सरकार से ऋण के अग्रिम के रूप में परियोजना लागत का 10 प्रतिशत वित्तीय संस्थाओं से ऋण के रूप में/स्वयं के संसाधनों से अवमुक्त किया जाना था, परियोजना लागत का 50 प्रतिशत चिन्हित मानकों की प्राप्ति के सापेक्ष प्रगति/ उपयोगिता के आधार पर किये गये प्रमाणित दावों के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा ऋण के रूप में उत्तरोत्तर वितरित किया जाना था। परियोजना लागत का शेष 10 प्रतिशत, भा स एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा पिछली किस्तों के माध्यम से वितरित ऋणों के पूर्ण उपयोगिता के सापेक्ष ही भा स ऋण के रूप में वितरित होना था।

यू पी सी एल के अभिलेखों में पाया गया कि ₹ 584.10 करोड़ की अनुमोदित परियोजना लागत के सापेक्ष, भारत सरकार ने ₹ 176.74 करोड़ ही अवमुक्त किये जिसके विरुद्ध यू पी सी एल केवल ₹ 97.87 करोड़ का व्यय करने में ही सक्षम था जो कि निधियों के अपर्याप्त उपयोग को प्रदर्शित करता है। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि यू पी सी एल ने पु त्व ऊ वि सु का की निधियों को प्राप्त करने के लिए 31 पृथक परियोजना-वार खाते खोलने के स्थान पर मात्र एक खाता खोला (मार्च 2009)। ये पृथक खाते केवल अगस्त 2014 में ही खोले गये जबकि ये खाते मार्च 2009 में ही परियोजना-वार खोले जाने थे। इसके अतिरिक्त, परियोजना-वार प्राप्त वास्तविक अनुदान जमा करने

²³ देहरादून (59/952), रूड़की (73/217), मंगलौर एवं लन्ढौरा (45/65), कोटद्वार (15/52), रुद्रपुर (91/406) एवं हल्द्वानी (152/334)।

के बजाय, यू पी सी एल चतुष्पक्षीय अनुबन्ध²⁴ एवं ऊर्जा मन्त्रालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए मुख्य खाते से इन 31 खातों में आवश्यकता के आधार पर धनराशि अन्तरित की गई।

3.3.3.2 यूपीसीएल पर अतिरिक्त भार

परियोजना की डी पी आर को पी एफ सी द्वारा प्रमाणित तथा तकनीकी - व्यावसायिक रूप से मूल्यांकित किया गया तथा तत्पश्चात् त्व ऊ वि सु का की संचालन समिति को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गई। पुनश्चः, पी एफ सी अपने अंशदान को अनुमोदित लागत तक ही सीमित रखती है।

- i) लेखापरीक्षा ने पाया कि यू पी सी एल ने डी पी आर²⁵, देहरादून के केन्द्र एवं दक्षिण खण्डों तथा टिहरी में कुल ₹ 17.28 करोड़²⁶ के कार्यों को शामिल किये बिना, प्रस्तुत कर दी। ये कार्य 33 के वी एवं 11 के वी उपकेन्द्रों एवं लाइनों के निर्माण, नवीनीकरण, आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण से सम्बन्धित थे तथा भाग-ब परियोजनाओं के लिए आवश्यक थे। इससे प्रदर्शित हुआ कि यू पी सी एल द्वारा डी पी आर वास्तविक आधार पर तैयार नहीं की गई थी जो यू पी सी एल पर अतिरिक्त भार के रूप में परिणामित हुई। यदि इन कार्यों को डी पी आर में शामिल कर लिया जाता तो यू पी सी एल द्वारा ₹ 17.28 करोड़ के अतिरिक्त भार को बचाया जा सकता था, क्योंकि इन कार्यों के लिए पी एफ सी से अनुदान प्राप्त किया जा सकता था। प्रबन्धन ने उत्तर दिया कि मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए तथा गुणवत्तापूर्ण ऊर्जा प्रदान करने के लिए उपरोक्त कार्य आन्तरिक संसाधनों से करवाये जा रहे थे। उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि उपरोक्त सभी कार्य पु त्व ऊ वि सु का के अन्तर्गत डी पी आर (भाग-ब) बनाते समय सम्मिलित किये जाने चाहिये थे।
- ii) लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि यू पी सी एल द्वारा 10 नगरों²⁷ के लिए पी एफ सी, भा स की संचालन समिति से अनुमोदित (अक्टूबर 2011) डी पी आर की दरों से अधिक दरों पर अनुबंध किया गया। परिणामस्वरूप यू पी सी एल अब ₹ 58.22 करोड़ के अतिरिक्त भार को वहन करने के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि पी एफ सी ने केवल डी पी आर लागत को ही अनुमोदित किया। प्रबन्धन का उत्तर प्रतीक्षित है।

इस प्रकार, यू पी सी एल को ₹ 75.50 करोड़ का अतिरिक्त भार त्रुटिपूर्ण एवं अपूर्ण डी पी आर प्रस्तुत करने तथा पी एफ सी द्वारा अनुमोदित दरों से अधिक दरों पर अनुबन्ध गठित करने के कारण वहन करना पड़ा।

3.3.3.3 परिसमापन क्षति की अल्प कटौती

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियम, 2008 एवं यू पी सी एल द्वारा किये गये अनुबन्ध के अनुसार यदि परियोजनाओं के समापन में विलम्ब होता है तो अनुबन्ध के मूल्य का 0.1 प्रतिशत प्रतिदिन अर्थदण्ड

²⁴ चतुष्पक्षीय अनुबन्ध की शर्तों के कम्पनी, जो पु त्व ऊ वि सु का अनुदान प्राप्त करने वाली कम्पनी है, को तुरन्त ही परियोजना-वार पृथक खाता/ उपलेखा शीर्ष, प्राप्ति एवं व्यय पक्ष में पृथक लेखांकन वर्गीकरण हेतु खोलना था।

²⁵ फरवरी 2011 देहरादून के लिए एवं जुलाई 2011 टिहरी के लिए।

²⁶ ₹ 6.92 करोड़ + ₹ 10.34 करोड़ + ₹ 0.02 करोड़ क्रमशः।

²⁷ नैनीताल: ₹ 1.01 करोड़, उत्तरकाशी: ₹ 1.07 करोड़, टिहरी: ₹ 0.75 करोड़, विकासनगर: ₹ 1.05 करोड़, पौड़ी: ₹ 0.80 करोड़, कोटद्वार: ₹ 1.63 करोड़, अल्मोड़ा: ₹ 1.08 करोड़, गोपेश्वर: ₹ 0.79 करोड़, जोशीमठ: ₹ 0.60 करोड़ एवं देहरादून: ₹ 49.44 करोड़।

काटा जायेगा जो कि अनुबन्ध के अन्तर्गत कार्य के मूल्य (आपूर्ति + निर्माण) का अधिकतम 10 प्रतिशत होगा।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि चार नगरों²⁸ में निर्धारित समाप्ति की तिथि में 100 दिन का विलम्ब होने पर यू पी सी एल ने अनुबन्ध मूल्य का 10 प्रतिशत अर्थदण्ड काटने के स्थान पर 10 प्रतिशत अर्थदण्ड बिलों के मूल्य, जो ठेकेदारों ने जमा किया, पर काटा था जिसके फलस्वरूप ₹ 1.96 करोड़ का अर्थदण्ड कम काटा गया।

3.3.3.4 भाग-ब के कार्यों की क्रियान्वयन

भाग-ब के कार्यों की धीमी प्रगति

उपकेन्द्रों, ट्रॉन्सफार्मरों/ ट्रॉन्सफार्मर केन्द्रों का नवीनीकरण, आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण, लाइनों का पुनः परिचालन, भार बांटना, फीडर पृथक्कीकरण, भार संतुलन एवं विद्युत चुंबकीय ऊर्जा मापको को छेड़छाड़ रहित इलैक्ट्रॉनिक मीटरों में बदलना इत्यादि प्रमुख कार्यों को योजना के अन्तर्गत करना था। पुनश्च, पी एफ सी, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार, यदि भाग 'ब' के कार्य निर्धारित समयावधि में (अक्टूबर 2016) पूरा नहीं होते तो पी एफ सी ऋण को अनुदान में नहीं बदला जायेगा। अभिलेखों की जाँच में निम्नलिखित कमियाँ पायी गयीं:

- 15,930 खराब तीन फेज मापकों के सापेक्ष केवल 624 (3.92 प्रतिशत) ही बदले गये।
- 17,605 तीन फेज मीटर जिन्हें उपभोक्ताओं के घर के बाहर लगाना था, के सापेक्ष केवल एक मीटर ही स्थानान्तरित हुआ।
- 473.80 कि मी नई 11 के वी लाइनों को बनाने के लक्ष्य के सापेक्ष केवल 72.95 कि मी (15.40 प्रतिशत) लाइन बन पायीं।
- 325.945 कि मी एल टी लाइन को एच टी लाइनों में परिवर्तित करने के लक्ष्य के सापेक्ष केवल 12.80 कि मी (3.93 प्रतिशत) ही परिवर्तित की गई।
- लेखापरीक्षा में यह पाया कि 16 नगरों²⁹ में मै. जीनस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबन्ध गठित किये गये थे जो कि 18 महीने की समयावधि अर्थात् अगस्त 2014 तक पूरे होने थे। अप्रैल 2015 को इन नगरों के भाग-ब कार्यों की प्रगति 5.32 से 29.35 प्रतिशत की सीमा में थी, तथापि, निर्धारित कार्य पूर्ण करने की तिथि (अगस्त 2014) पूर्व में ही समाप्त हो चुकी थी।

चयनित नगरों में, आगे यह पाया गया कि:

i. डीपीआर के प्रस्तुतिकरण/तैयार करने तथा कार्य आवंटन में विलम्ब

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि 31 प्रकरणों में भाग अ की डी पी आर अनुमोदित होने के छः महीने समायोजित करने के पश्चात् भी भाग ब के डी पी आर के प्रस्तुतिकरण/ तैयार करने में 258 से 313 दिनों तक का विलम्ब हुआ तथा भाग ब की डी पी आर अनुमोदित होने के पश्चात् भी निविदा आमंत्रित करने में 309 से 576 दिनों का तथा कार्य आवंटित करने में

²⁸ कोटद्वार, पौड़ी, रानीखेत एवं अल्मोड़ा।

²⁹ काशीपुर, जसपुर, रुद्रपुर, गदरपुर, लक्सर, हरिद्वार, बाजपुर, लन्ढौरा, मंगलौर, रुड़की, रामनगर, हल्द्वानी, नैनीताल, सितारंगज, खटीमा एवं किच्छा।

491 से 870 दिनों का विलम्ब हुआ, जिसके फलस्वरूप कार्य समाप्ति में देरी हुई तथा कार्य की लागत बढ़ी।

- लेखापरीक्षा में पाया गया की देहरादून नगर की डी पी आर, आरंभ में पु त्व ऊ वि सु का के भाग-ब के कार्यों तथा प नि डा अ कार्यों को सम्मिलित करते हुए फरवरी 2011 में पी एफ सी को तथा उसी की पुनरीक्षित डी पी आर पुनः दिसम्बर 2012 को प्रस्तुत की गई जो की संचालन समिति से फरवरी 2013 में अनुमोदित हुई। अनुबंध एक वर्ष के विलम्ब के पश्चात् फरवरी 2014 में गठित हुआ। तथापि, एक साल व्यतीत होने के पश्चात् (फरवरी 2014 से) केवल 16 प्रतिशत वित्तीय प्रगति प्राप्त की गई। प नि डा अ से संबंधित कार्य प्रारंभ नहीं किये गये थे (जून 2015)।

ii. स्थापित डी टी आर का ऊर्जीकृत न होना

- ट्रॉन्सफार्मरों के लिए मानक तीन प्रतिशत हानि के सापेक्ष यह पाया गया की रुद्रपुर नगर में हानि दर 7.24 से 24 प्रतिशत तक थी। आगे, योजना के अन्तर्गत ₹ 58.45 लाख³⁰ मूल्य के विभिन्न क्षमताओं के 25 ट्रॉन्सफार्मर विभिन्न स्थानों³¹ पर स्थापित किये गये थे। तथापि, इन ट्रॉन्सफार्मरों की स्थापना के बाद तीन महीने से ज्यादा व्यतीत होने के पश्चात् भी जून 2015 तक इन ट्रॉन्सफार्मरों को ऊर्जीकृत या उपयोग में नहीं लाया गया था। यदि उन्हें उपयोग में लाया जाता तो स्थापित ट्रॉन्सफार्मरों की हानि दर को न्यूनतम किया जा सकता था।
- रामनगर नगर में 157 डी टी स्थापित होने थे, यह पाया गया कि सितम्बर 2015 तक मात्र 66 डी टी ही स्थापित हो सके। 66 डी टी में से मात्र 10 डी टी ही ऊर्जीकृत थे तथा शेष 56 डी टी अप्रयुक्त पड़े रहे (सितम्बर 2015)।

iii. पु त्व ऊ वि सु का कार्यों का आंतरिक संसाधनों द्वारा क्रियान्वयन

लेखापरीक्षा में पाया गया कि योजना के अन्तर्गत 33/11 के वी उपकेन्द्र रामनगर के दो पावर ट्रॉन्सफार्मर (पी टी) की क्षमता क्रमशः पाँच एम वी ए से आठ एम वी ए तथा आठ एम वी ए से 10 एम वी ए ठेकेदार द्वारा बढ़ायी जानी थी। दो में से, एक पांच एम वी ए का पी टी, यू पी सी एल के आंतरिक स्रोतों से 10 एम वी ए से परिवर्तित करा दिया गया जिससे यू पी सी एल पर ₹ 56.92 लाख का वित्तीय भार पड़ा, यदि पी टी का बदलाव/ स्थापना पु त्व ऊ वि सु का के अन्तर्गत होता तो इससे बचा जा सकता था।

iv. ठेकेदार को मौलिक बुनियादी ढाँचा प्रदान न किया जाना

- लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि रुड़की में दिनांक 12.02.2013 को मै. जीनस पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ एक अनुबंध गठित किया गया था। भाग-ब, पु त्व ऊ वि सु का के अन्तर्गत एक 33/11 के वी उपकेन्द्र रुड़की नगर में बनना प्रस्तावित था। तथापि, दो वर्ष

³⁰ 100 के वी ए के 20 डी टी आर x ₹ 2.51 लाख = ₹ 50.20 लाख एवं 25 के वी ए के 05 डी टी आर x ₹ 1.65 लाख प्रत्येक = ₹ 8.25 लाख।

³¹ ठाकुरनगर (कृष्णा कॉलोनी) - तीन ट्रॉन्सफार्मर, कन्चनतारा होटल (मुख्य बाजार) - दो ट्रॉन्सफार्मर, संजयनगर - तीन ट्रॉन्सफार्मर, दरिया नगर/ आवास विकास - 12 ट्रॉन्सफार्मर एवं शक्ति विहार - पाँच ट्रॉन्सफार्मर।

बीत जाने के पश्चात् भी अभी तक उपरोक्त उपकेन्द्र के लिये भूमि को अंतिम रूप/ अधिग्रहण नहीं किया गया। जिसके फलस्वरूप, भाग ब के कार्यों के निष्पादन में देरी हुई।

- अल्मोड़ा नगर में भी दो ट्रॉन्सफार्मरों, एक एस बी आई खत्याली और दूसरा चम्पानौला कालोनी में पु त्व ऊ वि सु का, भाग ब के अन्तर्गत लगाये गये। इन ट्रॉन्सफार्मरों को अभी तक ऊर्जीकृत नहीं किया जा सका, क्योंकि जिस भूमि पर ट्रॉन्सफार्मरों को लगाया गया वो विवादित थी। ट्रॉन्सफार्मरों को दूसरी जगह पर लगाने का कार्य प्रगति पर है।

प्रबन्धन ने उत्तर दिया कि पु त्व ऊ वि सु का, भाग ब के कार्य के क्रियान्वयन में विलम्ब के मुख्य कारण राईट ऑफ वे, जनता का विरोध, ठेकेदार द्वारा अपर्याप्त श्रम शक्ति लगाना, विभिन्न चरणों के अनुमोदन में अधिक समयावधि जैसे ड्राईंग अनुमोदन इत्यादि थे। उत्तर सन्तोषजनक नहीं है, क्योंकि इन मुद्दों पर अनुबन्ध का अन्तिमीकरण करने से पहले विचार किया जाना चाहिये था और तदनुसार अनुसूचित समापन समय को निर्धारित करना चाहिये था।

3.3.4 परिचालन मानदण्ड

सफल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (स त वा) हानि, इनपुट ऊर्जा और उपभोक्ताओं से एकत्रित धनराशि का अंतर है। यदि यू पी सी एल स त वा हानि में डेढ़ प्रतिशत की कमी लाता है तो राजस्व ₹ 41.01 करोड़³² बढ़ जायेगा। लेखापरीक्षा ने यह पाया कि 20 नगर परियोजना के स त वा हानियाँ³³ जो कि भाग अ की डी पी आर (2008-09) में दर्शायी गई थी और जो स त वा हानियाँ (2011-12) बेस लाइन हानियाँ के रूप में दर्ज की गई थी, में अंतर था जो निम्नवत है:

तालिका 3.3.1 20 परियोजनाओं/ नगर के ए टी एण्ड सी हानियों के बीच अन्तर

| क्र.सं. | नगर का नाम ³⁴ | भाग-अ डी पी आर के अनुसार स त वा हानियाँ (2008-09) (प्रतिशत में) | विभिन्न माह के दौरान लिए गये तीन माह की बिलिंग चक्र में नगर की बेस लाइन हानियाँ (प्रतिशत में) | आर ए पी डी आर पी भाग-ब की डी पी आर के अनुसार स त वा हानियाँ (प्रतिशत में) | 2014-15 के अंतिम त्रैमास में टाउन की स त वा हानियाँ (प्रतिशत में) |
|---------|--------------------------|---|---|---|---|
| 1. | अल्मोड़ा | 14.15 | 38.58 | 38.11 | 35.78 |
| 2. | खटीमा | 50.78 | 68.02 | 45.40 | 52.22 |
| 3. | ऋषिकेश | 49.90 | 33.84 | 49.37 | 29.14 |
| 4. | विकासनगर | 15.58 | 55.31 | 44.58 | 41.93 |
| 5. | टिहरी | 38.74 | 46.94 | 41.52 | 29.80 |
| 6. | टनकपुर | 50.36 | 57.02 | 55.49 | 16.96 |
| 7. | पिथौरागढ़ | 55.76 | 48.85 | 57.63 | 40.27 |
| 8. | गदरपुर | 49.66 | 80.97 | 37.64 | 78.25 |
| 9. | गोपेश्वर | 38.42 | 44.45 | 35.46 | 39.71 |
| 10. | हल्द्वानी | 39.14 | 56.56 | 51.43 | 29.26 |
| 11. | हरिद्वार | 36.69 | 49.31 | 34.16 | 27.07 |
| 12. | जसपुर | 55.13 | 79.45 | 74.10 | 73.94 |
| 13. | जोशीमठ | 44.19 | 59.28 | 54.17 | 42.30 |
| 14. | काशीपुर | 42.50 | 54.96 | 63.00 | 49.50 |
| 15. | किच्छा | 34.43 | 48.63 | 45.61 | 58.01 |

³² वर्ष 2014-15 में विक्रय की गई कुल ऊर्जा = 11,888.23 एम यू x 1.5/100 = 178.32 एम यू । राजस्व की बचत: 178.32 x 10⁶ x 2.30 = ₹ 41.01 करोड़।

³³ स त वा हानियाँ प्राप्त ऊर्जा एवं वसूली गयी धनराशियों के बीच अन्तर को प्रदर्शित करती हैं।

³⁴ 31 नगरों में से 20 नगरों का विवरण ही लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया गया।

| | | | | | |
|-----|----------|-------|-------|-------|-------|
| 16. | कोटद्वार | 11.20 | 41.14 | 30.50 | 29.45 |
| 17. | मसूरी | 18.99 | 26.28 | 36.80 | 29.81 |
| 18. | नैनीताल | 19.03 | 45.97 | 26.50 | 27.35 |
| 19. | पौड़ी | 18.58 | 46.42 | 57.15 | 31.06 |
| 20. | रामनगर | 35.17 | 42.21 | 55.24 | 27.24 |

स्रोत: यू पी सी एल के अभिलेखों से संकलित सूचना/ऑकड़े

लेखापरीक्षा में यह भी पाया कि पांच नगरों में कार्यक्रम के भाग ब के कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् भी परियोजना क्षेत्र की स त वा हानियाँ 0.85 प्रतिशत से 40.61 प्रतिशत तक बढ़ गई थीं, जो यह दर्शाता है कि इन नगरों में किये गये ₹ 6.40 करोड़³⁵ के व्यय से अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। प्रबंधन का उत्तर प्रतीक्षित है।

3.3.5 विविध बिन्दु

3.3.5.1 योजना का स्वच्छ विकास तंत्र में पंजीकरण न कराया जाना

स्वच्छ विकास तंत्र (स्व वि त) विकासशील देशों की उत्सर्जन कम करने वाली परियोजनाओं को सर्टीफाइड इमीशन रिडकशन क्रेडिट (सी ई आर) जो कि एक टन कार्बनडाई ऑक्साइड (का ऑ) के समान है, को अर्जित करने की अनुमति देता है। पु त्व ऊ वि सु का के दिशानिर्देशों के उपनियम 13 (स) में यह प्रावधान है कि कुल स त वा हानियों के भाग के तौर पर पारेषण तथा वितरण हानियों में कमी, युटिलिटी को ऊर्जा उत्पादन बचाने के लिए का ऑ उत्सर्जन कम करने के लिए स्व वि त के अन्तर्गत आवश्यक अनुमोदन के पश्चात् कार्बन क्रेडिट का दावा करने के लिए सक्षम करेगा। परियोजना की लागत घटाने के लिए एवं उसे आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए राज्य की युटिलिटी को स्व वि त का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। एक प्रतिशत लाइन हानि कम होने से 118.88 एम यू की बचत होगी जो कि 1,17,334.56 टन कार्बन उत्सर्जन के समान है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि स्व वि त भत्तों का लाभ लेने के लिए परियोजना के पंजीकरण के लिए आवश्यक कदम यू पी सी एल ने नहीं उठाये।

प्रबंधन ने बताया (अप्रैल 2015) कि परिणाम निर्धारित करने योग्य हानियों में कमी करके ही स्व वि त का लाभ लिया जा सकता है जो कि पु त्व ऊ वि सु का भाग अ के सफल कार्यान्वयन के पश्चात् ही उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त, स्व वि त का लाभ लेने के लिए नोडल एजेन्सी से पत्राचार किया जा रहा है। उत्तर सन्तोषजनक नहीं है क्योंकि सभी परियोजनाओं के लिए अनिवार्य स्व वि त फार्म जमा करने हेतु छः माह का समय पहले ही बीत चुका था।

3.3.5.2 विश्वसनीय सूचकांको का निर्धारण नहीं किया जाना

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (प्रदर्शन के मानक) विनियमन, 2007 की अनुसूची-II में उल्लिखित निष्पादन के मानक हेतु यह आवश्यक है कि अनुज्ञप्तिधारक (यू पी सी एल)

³⁵ गदरपुर ₹ 1.01 करोड़, खटीमा ₹ 1.01 करोड़, गोपेश्वर ₹ 1.02 करोड़, किच्छा ₹ 1.14 करोड़ एवं नैनीताल ₹ 2.22 करोड़।

विश्वसनीयता/ व्यवधान सूचकांक यथा सैफी, मैफी तथा सैदी³⁶ की गणना करेगा तथा उसे आयोग को प्रतिवर्ष प्रतिवेदित करेगा। पुनश्चः, अनुज्ञप्तिधारक द्वारा आयोग को वार्षिक राजस्व आवश्यकता प्रस्तुत करते समय इन सूचकांको के वार्षिक रूप से लक्ष्य स्तर प्रस्तावित किये जाने की आवश्यकता थी, जो इस क्रम में इन्हें प्रमाणित करने के लिए उत्तरदायी था ताकि वितरण प्रणाली की विश्वसनीयता के सम्बन्ध में निष्पादन के सम्पूर्ण मानक निर्धारित हो सके।

यू पी सी एल के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया है कि यू पी सी एल उपरोक्त विश्वसनीयता/ व्यवधान सूचकांको को आयोग को प्रतिवेदित करने सम्बन्धी अपने कर्तव्य में असफल रहा। यह अन्ततः व्यवधान को कम करके वितरण प्रणाली की विश्वसनीयता को बेहतर करने में किसी भी प्रकार की बाध्यता से यू पी सी एल को मुक्त करते हुए आयोग के द्वारा दिए गए इन सूचकांको के अधिकतम लक्ष्य स्तर को निर्धारित न किये जाने के रूप में परिणामित हुआ।

शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया तथा अवगत कराया (दिसम्बर 2015) की वे प्रणाली कि विश्वसनीयता को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं।

3.3.5.3 अपर्याप्त सतर्कता जाँच

बिजली की चोरी और मीटरों से छेड़छाड़ को जाँचने के लिये सतर्कता दल का गठन हुआ था। तथापि, सतर्कता दल ने छापा मारने/ जाँचने के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया। लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि सतर्कता दल ने वर्ष 2010-11 से वर्ष 2014-15 के दौरान (सितम्बर 2015) कुल 10,033 संयोजनो की जाँच की जिनमें से केवल 944 संयोजनों को सही पाया गया। 2,838 प्रकरणों में एफ आई आर दर्ज की गई और 2,614 उपभोक्ताओं से ₹ 6.25 करोड़ मौके पर ही वसूल किये गये और 2,087 उपभोक्ताओं कि विद्युत आपूर्ति अस्थाई रूप से विच्छेदित कर दी गई। यह भी पाया गया कि जाँचे गये संयोजनों में से 90 प्रतिशत से अधिक प्रकरण विद्युत आपूर्ति³⁷ के अनाधिकृत इस्तेमाल से संबंधित थे। यह पाया गया कि जाँचने का प्रतिशत नगण्य था; क्योंकि मार्च 2015 में कुल संयोजन 18.91 लाख थे जिसमें से केवल 10,033 संयोजनों की ही पाँच वर्षों के दौरान जाँच की गई थी।

3.3.5.4 अनुश्रवण

परियोजना की प्रगति के अनुश्रवण के लिये यह सुनिश्चित करना था की पु त्व ऊ वि सु का के सभी आवश्यक साधनों को मानने के लिये और योजना के लक्ष्य को विधिवत प्राप्त करने के लिये राज्य स्तर पर वितरण सुधार समिति (वि सु का) का गठन किया जाना था। उपरोक्त समिति का गठन

³⁶ सैफी (प्रणाली औसत व्यवधान आवृत्ति सूचकांक) - सैफी सूचकांक, एक पोषक में पांच मिनट से ज्यादा समय के लिए विद्युत आपूर्ति बन्द रहने की औसत संख्या की ओर संकेत करता है, सैदी (प्रणाली औसत व्यवधान अवधि सूचकांक) सैदी सूचकांक संकेत करता है कि एक व्यवधान आने के बाद पोषक कितनी देर तक बाधित रहा तथा मैफी (सामयिक औसत व्यवधान आवृत्ति सूचकांक) मैफी व्यवधान आवृत्ति सूचकांक है, यह किसी एक पोषक में, किसी व्यवधान के घटित होने की सम्भावनाओं की आवृत्ति को प्रकट करता है।

³⁷ यू पी सी एल की सतर्कता शाखा से प्राप्त सूचना/आँकड़ों के अनुसार 10,033 संयोजन उनके द्वारा जाँचे गये, जिनमें से 9,089 संयोजन दोषपूर्ण पाये गए (2,614 संयोजनों से मौके पर ही दण्ड वसूल किया गया, 2,087 संयोजनों को अस्थाई रूप से विच्छेदित किया गया, 2,838 संयोजनों के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज की गई, 371 संयोजन अत्यधिक भार के पाये गए, 429 संयोजन गलत वर्गों में पाए गए तथा शेष 750 संयोजनों में अन्य दोष पाए गए)।

उत्तराखण्ड में 29 जुलाई, 2009 को किया गया। लेखापरीक्षा में पाया कि जुलाई 2009 से मार्च 2015 तक समिति की कुल चार बैठक परियोजना की डी पी आर के अनुमोदन के लिये हुई। समिति ने सम्पूर्ण समयावधि के दौरान योजना की प्रगति का मूल्यांकन नहीं किया।

निष्कर्ष और अनुशंसाएं

भाग अ के अनुखण्डों के अपूर्ण क्रियान्वयन और भाग ब के अन्तर्गत कार्यों की बहुत धीमी प्रगति के कारण योजना अपेक्षित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकी। भाग ब के कार्यान्वयन के बावजूद ए टी एण्ड सी हानियां बढ़ी। यू पी सी एल विद्युत आपूर्ति के सूचकांक की विश्वसनीयता को निर्धारित करने में और उच्चतम स्तर पर योजना का उचित अनुश्रवण करने में असफल रहा। भाग ब के कार्यों की प्रगति अत्यधिक धीमी होने के कारण यह प्रबल सम्भावना है कि भारत सरकार का ऋण अनुदान में परिवर्तित नहीं हो सकेगा।

योजना की डी पी आर में लक्ष्यों को अच्छी तरह से परिभाषित किया जाना चाहिये। यू पी सी एल को सुनिश्चित करना चाहिये डी पी आर का सक्षम अधिकारियों से अनुमोदन के उपरान्त अनुबन्धों को समय पर गठित किया जाये। योजना की प्रगति के अनुश्रवण के लिये डी आर सी की नियमित बैठकें की जानी चाहिये। यू पी सी एल को चोरी एवं विद्युत आपूर्ति से छेड़छाड़ की जाँच हेतु लक्ष्य निर्धारित करने चाहिये।

3.4 अतिरिक्त स्कन्ध का निपटान न होना

निपटान न होने के कारण ₹ 1.20 करोड़ के स्कन्ध का अप्रयुक्त रहना।

स्कन्ध एक मूर्त सम्पत्ति है तथा कार्यशील पूँजी का एक महत्वपूर्ण अवयव है, जिसका प्रभावी प्रबंधन किया जाना आवश्यक है।

स्कन्ध प्रबंधन में किफायती मात्रा दर निर्धारण, उचित भंडारण सुविधा उपलब्ध कराना, तथा कुशल उपयोग सुनिश्चित करना, तथा स्कन्ध का नियंत्रण सम्मिलित है।

अधिशासी अभियंता, 400 के वी उपकेन्द्र काशीपुर के अभिलेखों की जांच (अप्रैल 2014) में पाया कि उपकेन्द्र के निर्माण के दौरान ₹ 1.20 करोड़ के स्कन्ध का आवश्यकता से अधिक क्रय होने के कारण उपकेन्द्र में उपयोग नहीं हो सका। अप्रयुक्त स्कन्ध नवम्बर 2006 से खुले स्थान पर अनुपयोगी पड़ा रहा, जैसा कि साथ के चित्र में दिख रहा है। चूंकि, स्कन्ध की अब आवश्यकता नहीं थी, इसका अन्यत्र उपयोग कर निगम के मूल्यवान आर्थिक साधनों को बचाया जा सकता था। तथापि, लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि, किसी खण्ड द्वारा रखने के लिए अनुकूलतम बफर स्कन्ध का निर्धारण करने हेतु प्रबंधन के पास आज तक कोई लिखित नीति नहीं है।



यह भी देखा गया कि स्कन्ध को छः साल तक रखने के पश्चात् अधिशासी अभियन्ता ने अपने उच्च अधिकारियों को इसके अन्य खण्डों में उपयोग हेतु सूचित किया। तथापि, यह पूर्ण नहीं किया जा सका, तथा स्कन्ध उपकेन्द्र में खुले स्थान पर यथावत पड़ा रहा। इस प्रकार, इन सामानों की गुणवत्ता में कमी आ जाने की सम्भावना से मना नहीं किया जा सकता।

प्रकरण इंगित किये जाने पर (अप्रैल 2014) प्रबंधन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2015) कि स्कन्ध में रखी गयी सामग्री खण्ड के क्षेत्राधिकार के उपकेन्द्रों तथा लाइनों में लगे सामान के 4.67 प्रतिशत तक है। यह भी बताया गया कि सामग्री अति विशिष्ट है तथा खरीदे गए दाम में उपलब्ध नहीं हो सकती तथा इसको निरन्तर देख भाल की जा रही है।

उत्तर सन्तोषजनक नहीं है क्योंकि निगम नवम्बर 2006 से सितम्बर 2015 के मध्य उक्त स्कन्ध की किसी भी सामग्री का उपयोग करने में असफल रहा तथा उपरोक्त स्कन्ध को केन्द्रीय भण्डार में भी नहीं भेजा गया जहाँ से निगम के अन्य खण्डों द्वारा उपयोग की सम्भावना थी। प्रकरण को पूर्व में वर्ष 2010-11 से वर्ष 2014-15 के मध्य भी तीन अवसरों पर प्रकाश में लाया गया तथा प्रत्येक अवसर पर प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा को यह आश्वस्त किया कि यह स्कन्ध उपयोग कर लिया जाएगा, किन्तु यह उपयोग करने में असफल रहा। यदि अतिरिक्त स्कन्ध का निपटारा कर लिया गया होता तो निगम अपने मूल्यवान आर्थिक साधनों को बचा सकता था।

प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया था (मार्च 2015); उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2015)।

उत्तराखण्ड राज्य अवसंरचना एवं विकास निगम लिमिटेड

3.5 निरर्थक व्यय

केन्द्र प्रायोजित परियोजनाओं को सफलता पूर्वक लागू करने में सिडकुल की शिथिलता के परिणामस्वरूप राज्य सरकार के कोष से ₹ 25.81 लाख व्यय हुए।

भारत सरकार ने (सितम्बर 2002) देहरादून में शहरी हाट के निर्माण के लिए ₹ 1.81 करोड़ की लागत से एक परियोजना को मंजूरी दी, जिसको हथकरघा विकास आयुक्त (वि आ), हस्तशिल्प वि आ (दोनों भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के आधीन) और राज्य सरकार के द्वारा क्रमशः 35:35:30 के अनुपात में वहन किया जाना था। हाट का, कारीगरों और दस्तकारों द्वारा हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों के विपणन के लिए उपयोग किया जाना था। शहरी हाट योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, स्वीकृति के 18 महीने के अन्दर हाट को पूरा किया जाना था। स्वीकृति के शर्तों के अनुसार, यदि अनुदानग्राही अनुदान के उद्देश्य, जिसके लिए अनुदान स्वीकृत था, को पूर्ण करने में विफल रहता है, अनुदानग्राही को अनुदान एवं उसके ऊपर छः प्रतिशत वार्षिक दर से, जो कि बाद में वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2013 में 10 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया, ब्याज वापस करेगा। स्टेट इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (सिडकुल) को परियोजना के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया था और 3.46 एकड़ भूमि भी रेशम फार्म, नत्थनपुर, देहरादून में परियोजना के लिए चयनित की गई।

प्रबन्ध निदेशक (प्र.नि.) सिडकुल के अभिलेखों की जाँच (मई 2014) में पाया गया कि सिडकुल ने इस प्रयोजन के लिए प्रथम किस्त के रूप में क्रमशः ₹ 56.00 लाख (दिसम्बर 2002), ₹ 31.68 लाख (फरवरी 2003) और ₹ 31.68 लाख (दिसम्बर 2003) क्रमशः राज्य सरकार, वि आ हथकरघा और वि आ हस्तशिल्प से प्राप्त किए। चयनित भूमि भी मार्च 2003 में सिडकुल को स्थानांतरित कर दी गई थी। विभिन्न औपचारिकताओं³⁸ को पूर्ण करने में सिडकुल को चार साल लग गए, जबकि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एम डी डी ए) से मानचित्र फरवरी 2007 में अनुमोदित किया गया था। औपचारिकताओं में विलम्ब के कारण, परियोजना संशोधन हेतु सिडकुल के पास विचाराधीन थी, जबकि संशोधन की प्रक्रिया के दौरान ही राज्य सरकार ने चयनित भूमि कानून और न्याय विभाग को सौंप दी थी (सितम्बर 2008)। भूमि के इस टुकड़े के स्थान पर, राज्य सरकार ने सिडकुल को हाट निर्माण के लिए कोई भी वैकल्पिक स्थान नहीं दिया। वर्तमान तक सिडकुल पहले से ही परियोजनाओं की विभिन्न गतिविधियों जैसे एम डी डी ए के द्वारा नक्शा अनुमोदन, परामर्शदाता को भुगतान, विज्ञापन, उद्घाटन आदि के भुगतान पर ₹ 25.81 लाख³⁹ राशि व्यय कर चुका था।

परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण, भारत सरकार ने परियोजना को रद्द कर दिया और अवमुक्त राशि को 10 प्रतिशत वार्षिक दर के दंडात्मक ब्याज के साथ ₹ 72.06 लाख⁴⁰ वसूल किया। इसके अतिरिक्त, राज्य के कारीगर और दस्तकार भी परियोजना के संभावित लाभ से वंचित थे।

प्रकरण इंगित किए जाने पर (मई 2014), सिडकुल प्रबंधन ने तथ्यों की पुष्टि की और अवगत कराया (दिसम्बर 2014 और जुलाई 2015) कि फरवरी 2015 में दंडात्मक ब्याज के साथ भारत सरकार को राशि वापस कर दी गई थी।

प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया था (मार्च 2015); उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2015)।

3.6 निष्फल व्यय

सिडकुल के द्वारा अनुचित अनुबंध प्रबंधन अपनाए जाने के कारण परियोजना विकास तथा संवर्धन भागेदारी (पीडी और पीपी) पर ₹ 95 लाख का निष्फल व्यय।

स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (सिडकुल) और इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड (आई एल एण्ड एफ एस) के मध्य परियोजना विकास और संवर्धन भागीदारी (पी डी और पी पी) की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन

³⁸ (i) कृषि भूमि का वाणिज्यिक भूमि के रूप में परिवर्तन (ii) उत्तरी रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र और (iii) मसूरी देहरादून डेवलपमेन्ट अथॉरिटी (एम डी डी ए) से हाट के आलेखन का अनुमोदन।

³⁹ अनुमोदन शुल्क हेतु एम डी डी ए को ₹ 16.65 लाख का भुगतान, सलाहकार शुल्क के रूप में ₹ 4.60 लाख का भुगतान और ₹ 4.56 लाख का विविध व्यय।

⁴⁰ दण्डात्मक ब्याज = ₹ 72.06 (वि आ हथकरघा से ₹ 34.556 लाख + वि आ हस्तशिल्प से ₹ 37.50 लाख), प्रत्येक से प्राप्त ₹ 31.675 लाख की धनराशि पर 10 प्रतिशत की दर से।

(स जा) हस्ताक्षरित किया गया जिसके अंतर्गत दोनो पक्ष एक साथ कार्य करेंगे और बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास के प्रोत्साहन के लिए विविध क्षेत्र की गतिविधियों⁴¹ का दायित्व लेंगे।

स जा के उप वाक्य 2.2 और 4.6 के अनुसार, सिडकुल और आई एल एण्ड एफ एस द्वारा सह-वित्तीय व्यवस्था अर्थात् परियोजना विकास निधि (प वि नि) को सिडकुल और आई एल एण्ड एफ एस द्वारा प्रत्येक को ₹ एक करोड़ प्रारंभिक योगदान से स्थापित करना था। अध्ययन प्रलेखन, पेशेवर और परामर्श शुल्क के भुगतान के खर्च को पूरा करने के लिए एक अलग बैंक खाते द्वारा इस निधि का रखरखाव और प्रबंधन आई एल एण्ड एफ एस द्वारा किया जाना था। इसके अतिरिक्त, राज्य में विभिन्न बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के विकास और संवर्धन के उद्देश्य के लिए स जा पर हस्ताक्षर होने के (सितम्बर 2006) छः माह के भीतर एक संयुक्त उपक्रम कम्पनी (स उ क) के रूप में एक औपचारिक संस्थागत ढांचे की स्थापना करना था।

अभिलेखों की जांच (जून 2014) में पाया गया कि ₹ दो करोड़ की प वि नि दोनो पक्षों द्वारा ₹ एक करोड़ के बराबर योगदान से पक्षों द्वारा चिन्हित की गई परस्पर परियोजनाओं पर परियोजना के विकास व्यय (प वि व्यय) को पूरा करने के लिए बनायी गयी थी। निधि में से ₹ 1.90 करोड़ का व्यय प वि व्यय के रूप में व्यय किया गया था। व्यय परियोजना विकास निधि, व्यावसायिक शुल्क, व्यवहार्यता अध्ययन, सलाहकार शुल्क इत्यादि पर किया गया था और जो परियोजनाओं की सफल बोली लगाने वालों से वसूल लिया गया था। लेकिन, न तो अप्रैल 2009 तक परिकल्पित स उ क का गठन किया गया और न ही किसी परियोजना को विकसित किया गया था। परिणामस्वरूप, सिडकुल ने एक संशोधित स जा हस्ताक्षर के लिए आई एल एण्ड एफ एस के पास भेजा (मई 2009), लेकिन यह हस्ताक्षरित नहीं किया गया था और इसके बाद इस सम्बन्ध में सिडकुल द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अगस्त 2012 में, आई एल एण्ड एफ एस ने सिडकुल को सूचित किया कि पी पी पी मोड में प्रस्तावित परियोजनाओं के सफलतापूर्वक समाप्ति की दिशा में कोई संभावना नहीं थी और प वि व्यय से वसूली की सम्भावना नगण्य थी। इस प्रकार, इतनी बड़ी राशि अर्थात् ₹ 1.90 करोड़ जिसमें सिडकुल की हिस्सेदारी ₹ 95.00 लाख की धनराशि थी जो प वि व्यय के कुल राशि का 50 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व था, खर्च करने के बाद भी पी पी पी मोड के तहत उत्तराखण्ड में बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने का उद्देश्य असफल रहा और व्यय भी निष्फल रहा।

प्रकरण इंगित किए जाने पर, सिडकुल ने तथ्यों को स्वीकार किया और अवगत कराया (दिसम्बर 2014) कि लेखापरीक्षा आपत्तियों को भविष्य में अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है और आई एल एण्ड एफ एस को सिडकुल द्वारा जमा की गई हिस्सेदारी को ब्याज के साथ वापस करने के लिए कहा गया था।

⁴¹ पी पी पी में परियोजना विकास और परियोजना कार्यान्वयन, निधियों के उपयोग हेतु प्रस्ताव तैयार करना एवं प्रक्रिया प्रबंधन, औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए सहायता, सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजना के लिए कार्यालय और परियोजना प्रबंधन तथा सलाहकार/ पेशेवर गतिविधियों को शामिल करना।

तथापि, स जा के उप वाक्य 2.2 के अनुसार, प वि नि से किया गया व्यय पी पी पी मोड के तहत राज्य में आए परियोजनाओं के लिए सफल बोली लगाने वालों से वसूल किया जाना था। आज तक कोई भी सफल बोली लगाने वाला नहीं आया, व्ययों की वसूली की सम्भावना कठिन है। इस प्रकार, सिडकुल के स जा के कार्यान्वयन और परिकल्पित स उ क का निर्माण में दूरदृष्टि के अभाव में एवं अनुपयुक्त अनुबंध प्रबन्धन अपनाने के कारण कोई भी परियोजना विकसित न हो सकी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 95.00 लाख का निर्थक व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, इस व्यय की वसूली भी संदिग्ध है।

प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया था (मार्च 2015); उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2015)।

3.7 राजस्व का परित्याग

आवंटन के नियम और शर्तों के अनुरूप, भूखण्डों का आवंटन रद्द करने में निगम की विफलता के कारण निगम ने ₹ 4.30 करोड़ की हानि वहन की।

स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (सिडकुल) का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास को बढ़ाना और रोजगार के अतिरिक्त अवसरों को उत्पन्न कर राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि करना था और अंततोगत्वा राज्य के आधार संसाधनों में भी वृद्धि करना था। इस उद्देश्य हेतु, निगम औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना हेतु भू-खण्ड आवंटित करता है। तथापि, आवंटी को आवंटन/लीज डीड की तारीख के दो वर्षों के अन्दर ही निर्माण कार्य को पूर्ण कर मशीनरी स्थापित कर वाणिज्यिक उत्पादन को शुरू करना था, जिसमें विफल होने पर भूखण्ड का आवंटन रद्द करना और जमा राशि का हरण कर लेना है।

अभिलेखों की जाँच (जून 2014) से पाया गया कि निगम द्वारा (जनवरी और अप्रैल 2006) ₹ 13.94 लाख⁴² और ₹ 44.26 लाख⁴³ की कीमत पर क्रमशः 1,992 वर्ग मी. और 8,047.71 वर्ग मी. क्षेत्र के दो भूखण्डों का आवंटन एकीकृत औद्योगिक सम्पदा (आई आई ई) पंतनगर में दो निजी कम्पनियों को क्रमशः 'हेलमेट' और 'जैव उर्वरकों तथा जैव कीटनाशकों' के उत्पादन के लिए आवंटित किए गए थे। तथापि, आवंटियों ने लेखापरीक्षा तिथि तक भूखण्ड पर न तो निर्माण कार्य पूर्ण किया न ही व्यवसायिक उत्पादन शुरू किया। निगम को आवंटन के नियम और शर्तों के अनुरूप 2008 में ही भूखण्ड का आवंटन रद्द कर जाना चाहिए था। इस प्रकार, भूखण्ड आवंटियों के पास ही बने रहे जो कि मानदण्डों का उल्लंघन है और जो निगम के उद्देश्यों की प्राप्ति में रुकावट बनी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निगम ₹ 4.30 करोड़⁴⁴ की राशि को प्राप्त कर सकता था यदि उपरोक्त आवंटन निर्माण गतिविधियों के शुरू न करने के कारण रद्द होते और नए उद्योगों को वर्तमान दरों पर पूर्णस्थापित किया जाता। यह संभावित राजस्व था जो कि निगम द्वारा वसूल किया जा सकता था। इसके अलावा, पुनः आवंटन भी निगम के उद्देश्यों के अनुकूल होना।

⁴² 1,992 वर्ग मी. @ ₹ 700 प्रतिवर्ग मी. = ₹ 13.94 लाख।

⁴³ 8,047.71 वर्ग मी. @ ₹ 550 प्रतिवर्ग मी. = ₹ 44.26 लाख।

⁴⁴ 1,992 वर्ग मी. @ ₹ (4,501.25-700) प्रतिवर्ग मी. + 8,047.71 वर्ग मी. @ ₹ (4,951.37 - 550) प्रति वर्ग मी.।

निगम ने बताया (जून 2015) कि आवंटन को रद्द करने की प्रक्रिया विचाराधीन है और निगम को पट्टा किराया और रखरखाव प्रभार वसूल किए जाने के कारण कोई हानि नहीं हुई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उन उद्योगों जिन्होंने नौ वर्षों की अवधि में भी व्यापार को शुरू नहीं किया, को आवंटित भूखण्डों को रद्द न करना, न केवल दूरदर्शी वित्तीय ज्ञान के विरुद्ध था, बल्कि औद्योगिकरण के उद्देश्यों के भी विपरीत था। पट्टे के किराये का भुगतान और रख रखाव प्रभार की वसूलियों को, भूखण्डों के आवंटन को रद्द करने के विरुद्ध, बचाव के रूप में नहीं माना जा सकता।

इस प्रकार, आवंटन के नियम और शर्तों के अनुरूप, भूखण्डों के आवंटन को रद्द करने में निगम की विफलता के कारण निगम ने ₹ 4.30 करोड़ की हानि वहन की।

प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया था (मई 2015); उत्तर प्रतीक्षित (दिसम्बर 2015) था।

देहरादून

दिनांक : 31 मार्च 2016



(सौरभ नारायण)

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक : 4 अप्रैल 2016



(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1.1

(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.1.9.1; पृष्ठ 5)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रस्तरों पर कृत कार्यवाही टिप्पणियाँ (कृ का टि) की प्राप्ति से संबंधित स्थिति

| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन | वर्ष | विभाग | 30 सितम्बर 2015 को लंबित कृत कार्यवाही टिप्पणियाँ | राज्य विधान सभा में प्रस्तुत करने की तिथि | कृत कार्यवाही टिप्पणियाँ प्राप्ति की अंतिम तिथि |
|---|----------------------|--------------------------------------|---|---|---|
| सिविल/सामाजिक, समान्य और आर्थिक क्षेत्र (गैर सा छे उ) | 2000-01 | चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 01 | 23.06.2003 | 22.09.2003 |
| | | कृषि | 01 | | |
| | | सिंचाई | 01 | | |
| | | पर्यावरण | 01 | | |
| | | वित्त | 01 | | |
| | 2002-03 | परिवहन | 01 | 12.01.2005 | 11.04.2005 |
| | | सिंचाई | 01 | | |
| | | वित्तीय एवं समाज कल्याण | 01 | | |
| | 2003-04 | सिंचाई | 01 | 05.10.2005 | 04.01.2006 |
| | | पंचायती राज | 01 | | |
| | | परिवहन | 02 | | |
| | 2004-05 | चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 01 | 19.04.2006 | 18.07.2006 |
| | | परिवहन | 01 | | |
| | | लो नि वि | 01 | | |
| | 2005-06 | चिकित्सा | 01 | 27.06.2007 | 26.09.2007 |
| | | खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति | 01 | | |
| | | खेल एवं युवा कल्याण | 01 | | |
| | | ग्राम्य विकास | 01 | | |
| | 2006-07 | पेय जल | 01 | 07.03.2008 | 06.06.2008 |
| | | परिवहन | 01 | | |
| | | सूचना | 02 | | |
| | | नागरिक उड्डयन | 01 | | |
| | 2007-08 | ग्राम्य विकास | 01 | 13.07.2009 | 12.10.2009 |
| | | चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 01 | | |
| | | शहरी विकास | 01 | | |
| | | तकनीकी शिक्षा | 02 | | |
| | | सूचना एवं लोक संपर्क | 01 | | |
| | 2008-09 | निबंधन एवं पंजीकरण | 01 | 22.09.2010 | 21.12.2010 |
| वाणिज्य कर | | 01 | | | |
| ग्राम्य विकास | | 02 | | | |
| उत्तराखंड पेयजल निगम | | 02 | | | |
| परिवहन | | 01 | | | |
| राजस्व | | 01 | | | |
| ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवाएँ | | 01 | | | |
| तकनीकी शिक्षा | | 01 | | | |
| लो नि नि | | 01 | | | |
| निजी जन सहभागिता | | 01 | | | |
| 2009-10 | वाणिज्य कर | 01 | 29.03.2011 | 28.06.2011 | |
| | पर्यटन | 01 | | | |
| | ग्राम्य विकास | 02 | | | |
| | चुनाव | 01 | | | |
| | उत्तराखंड पेयजल निगम | 02 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|----------------|------------|------------|------------|
| | 2010-11 | वाणिज्य कर | 02 | 11.12.2012 | 10.03.2013 | | | | |
| | | लो नि वि | 06 | | | | | | |
| | | उत्तराखंड पेयजल निगम | 01 | | | | | | |
| | | पुलिस | 01 | | | | | | |
| | | पशुपालन | 01 | | | | | | |
| | | आयुष | 01 | | | | | | |
| | | आवास | 01 | | | | | | |
| | 2011-12 | ग्राम्य विकास | 01 | 18.09.2013 | 17.12.2013 | | | | |
| | | चुनाव | 01 | | | | | | |
| | | श्रम विभाग | 01 | | | | | | |
| | | महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास | 01 | | | | | | |
| | | समाज कल्याण | 02 | | | | | | |
| | | खेलकूद | 01 | | | | | | |
| | | उच्च शिक्षा | 01 | | | | | | |
| | | लो नि वि | 02 | | | | | | |
| | | उद्यान | 01 | | | | | | |
| | | वाणिज्य कर | 01 | | | | | | |
| | 2012-13 | चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 02 | 27.11.2014 | 26.02.2015 | | | | |
| | | ग्राम्य विकास | 02 | | | | | | |
| | | सिंचाई | 01 | | | | | | |
| | | गृह | 01 | | | | | | |
| | | चिकित्सा शिक्षा | 02 | | | | | | |
| | | पेय जल | 01 | | | | | | |
| | | वाणिज्य कर | 02 | | | | | | |
| | | लो नि वि | 01 | | | | | | |
| | | तकनीकी शिक्षा | 01 | | | | | | |
| | | खेल एवं युवा कल्याण | 01 | | | | | | |
| | | निबंधन एवं पंजीकरण | 01 | | | | | | |
| | | राज्य वित्त | 2000-01 | | | वित्त और विविध | सभी अध्याय | 23.06.2003 | 22.09.2003 |
| | | | 2001-02 | | | वित्त और विविध | सभी अध्याय | 19.07.2004 | 18.10.2004 |
| 2002-03 | वित्त और विविध | | सभी अध्याय | 12.01.2005 | 11.04.2005 | | | | |
| 2003-04 | वित्त और विविध | | सभी अध्याय | 05.10.2005 | 04.01.2006 | | | | |
| 2004-05 | वित्त और विविध | | सभी अध्याय | 19.04.2006 | 18.07.2006 | | | | |
| 2005-06 | वित्त और विविध | | सभी अध्याय | 27.06.2007 | 26.09.2007 | | | | |
| 2006-07 | वित्त और विविध | | सभी अध्याय | 07.03.2008 | 06.06.2008 | | | | |
| 2007-08 | वित्त और विविध | | सभी अध्याय | 13.07.2009 | 12.10.2009 | | | | |
| 2008-09 | वित्त और विविध | | सभी अध्याय | 22.09.2010 | 21.12.2010 | | | | |
| 2009-10 | वित्त और विविध | | सभी अध्याय | 29.03.2011 | 28.06.2011 | | | | |
| 2010-11 | वित्त और विविध | | सभी अध्याय | 11.12.2012 | 10.03.2013 | | | | |
| 2011-12 | वित्त और विविध | | सभी अध्याय | 18.09.2013 | 17.12.2013 | | | | |
| जिला नैनीताल | 2011-12 | विविध | सभी अध्याय | 18.09.2013 | 17.12.2013 | | | | |
| | 2012-13 | विविध | सभी अध्याय | 27.11.2014 | 26.02.2015 | | | | |

परिशिष्ट 1.2.1

(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.2.8.4; पृष्ठ 16)

माध्यमिक विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं

| क्र सं | जिले | कुल माध्यमिक विद्यालय | विद्यालय की संख्या बिना | | | | | | | | |
|------------|-------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| | | | कक्षा कक्षा (%) | शौचालय (%) | जल (%) | बिजली (%) | खेल का मैदान (%) | लाइब्रेरी (%) | कम्प्यूटर कक्षा (%) | विज्ञान प्रयोगशाला | आर्ट एवं क्राफ्ट कक्षा (%) |
| 1 | अल्मोड़ा | 256 | 56 | 0 | 29 | 31 | 159 | 198 | 120 | 115 | 199 |
| 2 | बागेश्वर | 88 | 22 | 0 | 3 | 12 | 70 | 66 | 56 | 54 | 74 |
| 3 | चमोली | 187 | 3 | 1 | 2 | 35 | 61 | 146 | 84 | 71 | 160 |
| 4 | चम्पावत | 102 | 27 | 1 | 7 | 14 | 50 | 91 | 69 | 56 | 93 |
| 5 | देहरादून | 165 | 11 | 0 | 4 | 28 | 102 | 115 | 88 | 76 | 136 |
| 6 | पौड़ी | 302 | 14 | 0 | 23 | 26 | 176 | 248 | 160 | 158 | 274 |
| 7 | हरिद्वार | 86 | 8 | 4 | 5 | 20 | 42 | 52 | 45 | 43 | 66 |
| 8 | नैनीताल | 187 | 23 | 1 | 2 | 8 | 79 | 134 | 82 | 93 | 141 |
| 9 | पिथौरागढ़ | 206 | 58 | 1 | 16 | 42 | 121 | 158 | 103 | 113 | 186 |
| 10 | रूद्रप्रयाग | 109 | 7 | 0 | 6 | 5 | 57 | 93 | 66 | 55 | 96 |
| 11 | टिहरी | 279 | 41 | 24 | 51 | 57 | 169 | 199 | 114 | 118 | 217 |
| 12 | उधमसिंह नगर | 122 | 16 | 1 | 1 | 2 | 54 | 89 | 61 | 54 | 92 |
| 13 | उत्तरकाशी | 122 | 27 | 9 | 22 | 37 | 75 | 99 | 66 | 62 | 112 |
| योग | | 2211 | 313 (14) | 42 (02) | 171 (08) | 317 (14) | 1215 (55) | 1688 (76) | 1114 (50) | 1068 (48) | 1846 (83) |

स्रोत: एस पी डी से प्राप्त सूचना

परिशिष्ट 1.12.1

(सन्दर्भ : प्रस्तर 1.12; पृष्ठ 74)

परित्यक्त ब्याज का विवरण

| जिला पिथौरागढ़ (चरण-2) के अन्तर्गत सड़को का सुधारीकरण/सुदृढीकरण | वसूली की तिथि | वसूल की गयी धनराशि (₹ में) | शेष धनराशि (₹ में) | दिनों की संख्या | ब्याज की गणना (@10%) |
|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|
| मैसर्स गंगोत्री इन्टरप्राइजेज | | | | | |
| 1- थल-ओगला मोटर मार्ग (33.18 किमी.) | 30-03-2009 | 0 | 4,11,00,000 | 260 | 29,27,671.23 |
| 2- पिथौरागढ़-झूलाघाट मोटर मार्ग (25.90 किमी.) | 15-12-2009 | 42,22,211 | 3,68,77,789 | 73 | 7,37,555.78 |
| 11 पी.डी /पी.एम.यू./ए.डी.बी/पी.डब्ल्यू.डी./2009 | 26-02-2010 | 55,33,823 | 3,13,43,966 | 33 | 2,83,383.80 |
| दिनांक 02-03-2009 | 31-03-2010 | 39,17,670 | 2,74,26,296 | 52 | 3,90,730.79 |
| धनराशि- ₹ 41,31,26,77,810.00 | 22-05-2010 | 18,58,925 | 2,55,67,371 | 9 | 63,042.83 |
| कार्य आरम्भ तिथि-23-03-2009 | 31-05-2010 | 18,04,755 | 2,37,62,616 | 115 | 7,48,685.16 |
| कार्य समापन तिथि- 22/09/2010 | 23-09-2010 | 33,45,265 | 2,04,17,351 | 90 | 5,03,441.53 |
| कार्य समापन की वास्तविक तिथि-अन्तिम देयक समायोजित नहीं किया गया। | 22-12-2010 | 18,86,500 | 1,85,30,851 | 14 | 71,077.24 |
| समय वृद्धि 31-03-2013 | 05-01-2011 | 22,49,000 | 1,62,81,851 | 26 | 1,15,980.31 |
| | 31-01-2011 | 36,93,500 | 1,25,88,351 | 28 | 96,568.17 |
| | 28-02-2011 | 37,87,800 | 88,00,551 | 31 | 74,744.41 |
| | 31-03-2011 | 16,76,660 | 71,23,891 | 89 | 1,73,705.84 |
| | 28-06-2011 | 70,70,891 | 53,000 | 32 | 464.66 |
| | 30-07-2011 | 53,000 | 0 | 0 | 0.00 |
| | योग | 4,11,00,000 | | | 61,87,051.75 |
| जिला चम्पावत के अन्तर्गत सड़को का (2-चरण) सुधारीकरण/सुदृढीकरण/ | वसूली की तिथि | वसूल की गयी धनराशि (₹ में) | शेष धनराशि (₹ में) | दिनों की संख्या | ब्याज की गणना (@10%) |
| मैसर्स नीमि इन्टरप्राइजेज | | | | | |
| 1- पी.सी.एस. मंडालक मोटर मार्ग (11.55 किमी.) | 30-03-2010 | 0 | 1,79,91,000 | 77 | 3,79,536.16 |
| 2- लोहाघाट-वालिक मोटर मार्ग (45.71किमी.) | 15-06-2010 | 0 | 3,59,82,000 | 133 | 13,11,124.93 |
| 21पी.डी /पी.एम.यू./ए.डी.बी/पी.डब्ल्यू.डी./2010 | 26-10-2010 | 12,31,000 | 3,47,51,000 | 34 | 3,23,707.95 |
| दिनांक 29-03-2010 | 29-11-2010 | 8,22,500 | 3,39,28,500 | 37 | 3,43,932.74 |
| ₹ 35.98 करोड़ | 05-01-2011 | 8,14,161 | 3,31,14,339 | 49 | 4,44,548.66 |
| | 23-02-2011 | 17,20,000 | 3,13,94,339 | 36 | 3,09,642.80 |
| कार्य आरम्भ तिथि 09-05-2010 | 31-03-2011 | 16,10,000 | 2,97,84,339 | 91 | 7,42,568.45 |
| कार्य समापन तिथि- 08/11/2011 | 30-06-2011 | 13,27,300 | 2,84,57,039 | 0 | 0.00 |
| कार्य समापन की वास्तविक तिथि-अनुबंध का निरस्तीकरण दिनांक 01/07/2011 | योग | 75,24,961 | 0 | 0 | 38,55,061.69 |
| समय वृद्धि | - | - | - | - | - |
| जिला चम्पावत के अन्तर्गत सड़को का (2-चरण) सुदृढीकरण/सुधारीकरण | वसूली की तिथि | वसूल की गयी धनराशि (₹ में) | शेष धनराशि (₹ में) | दिनों की संख्या | ब्याज की गणना (@10%) |
| मैसर्स हिलवेज कन्सट्रक्शन ऋषिकेश | | | | | |
| (i) पी.सी.एस. मंडालक मोटर मार्ग (11.550 किमी.) | 28-02-2013 | 0 | 3,56,82,000 | 92 | 8,99,381.92 |
| (ii) लोहाघाट-वालिक मोटर मार्ग (45.710 किमी.) | 31-05-2013 | 61,37,540 | 2,95,44,460 | 29 | 2,34,736.81 |
| | 29-06-2013 | 41,60,405 | 2,53,84,055 | 32 | 2,22,545.14 |
| | 31-07-2013 | 13,85,360 | 2,39,98,695 | 92 | 6,04,898.61 |
| | 31-10-2013 | 71,66,172 | 1,68,32,523 | 26 | 1,19,902.90 |
| | 26-11-2013 | 16,56,972 | 1,51,75,551 | 32 | 1,33,045.93 |

| जिला पिथौरागढ़ (चरण-2) के अन्तर्गत सड़को का सुधारीकरण/सुदृढीकरण | वसूली की तिथि | वसूल की गयी धनराशि (₹ में) | शेष धनराशि (₹ में) | दिनों की संख्या | ब्याज की गणना (@10%) |
|--|---------------|----------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| 05/पी.डी./पी.एम.यू./ए.डी.बी./पी.डब्ल्यू.डी./2012 दिनांक 08.02.2013 | 28-12-2013 | 44,53,698 | 1,07,21,853 | 34 | 99,874.80 |
| धनराशि ₹ 35.68 करोड़ | 31-01-2014 | 20,64,572 | 86,57,281 | 59 | 1,39,939.61 |
| कार्य प्रारम्भ की तिथि- 01-03-2013 | 31-03-2014 | 15,00,000 | 71,57,281 | 61 | 1,19,614.83 |
| कार्य समाप्ति तिथि 24-05-2014 | 31-05-2014 | 71,57,281 | 0 | 0 | 0.00 |
| कार्य समापन की वास्तविक तिथि- 31-10-2014 | योग | 3,56,82,000 | 0 | 0 | 25,73,940.55 |
| समय वृद्धि - 31-10-2014 | - | - | - | - | - |
| जिला अल्मोड़ा (चरण-2) के अन्तर्गत सड़को का सुधारीकरण/सुदृढीकरण | वसूली की तिथि | वसूल की गयी धनराशि (₹ में) | शेष धनराशि (₹ में) | दिनों की संख्या | ब्याज की गणना (@10%) |
| मैसर्स सिंगला इन्टरप्राइजेज | | | | | |
| (i) जालीखान-नौबाड़ा मोटर मार्ग (11.330 किमी.) | 05-03-2010 | 0 | 2,10,00,000 | 21 | 1,20,821.92 |
| (ii) कलना बैंड से पन्तबेराली मोटर मार्ग (6.810 किमी.) | 26-03-2010 | 0 | 4,20,00,000 | 189 | 21,74,794.52 |
| (iii) बैजनाथ-ग्वालदम मोटर मार्ग (3.190 किमी.) | 01-10-2010 | 35,76,700 | 3,84,23,300 | 58 | 6,10,562.03 |
| (iv) उडियारी बैंड- सेसा घाट मोटर मार्ग (43.890 किमी.) | 28-11-2010 | 26,58,000 | 3,57,65,300 | 33 | 3,23,357.51 |
| | 31-12-2010 | 33,04,414 | 3,24,60,886 | 31 | 2,75,695.20 |
| | 31-01-2011 | 23,63,300 | 3,00,97,586 | 28 | 2,30,885.59 |
| | 28-02-2011 | 39,63,520 | 2,61,34,066 | 30 | 2,14,800.54 |
| 18पी.डी./पी.एम.यू./ए.डी.बी./2009 दिनांक 22.01.2010 ₹ 42.00 करोड़ | 30-03-2011 | 75,24,200 | 1,86,09,866 | 73 | 3,72,197.32 |
| कार्य प्रारम्भ की तिथि 12-02-2010 | 11-06-2011 | 60,98,335 | 1,25,11,531 | 19 | 65,128.52 |
| कार्य समाप्ति की तिथि 21/08/2011 | 30-06-2011 | 21,58,300 | 1,03,53,231 | 71 | 2,01,391.62 |
| कार्य समापन की वास्तविक तिथि- 25-12-2012 | 09-09-2011 | 20,10,800 | 83,42,431 | 21 | 47,997.55 |
| समय वृद्धि - 25-12-2012 | 30-09-2011 | 74,63,300 | 8,79,131 | 4 | 963.43 |
| | 04-10-2011 | 8,79,131 | 0 | 0 | 0.00 |
| | योग | 4,20,00,000 | | | 46,38,595.74 |
| | महा योग | | | | 1,72,54,649.72 |

परिशिष्ट 1.13.1
(सन्दर्भ प्रस्तर 1.13 ; पृष्ठ 75)

ठेकेदार से वसूल की जाने वाली परिनिर्धारित हानि की गणना

| अनुबंध की धनराशि | | ₹ 33024034 कार्य पूर्ण करने हेतु अनुबंधित समय: 18 माह (तीन लक्ष्य हेतु) | | | | | |
|--|----------------------------------|---|---|--|---|---|--------------------------|
| निर्धारित लक्ष्य | लक्ष्य हेतु निर्धारित समय (अवधि) | लक्ष्य के सापेक्ष निर्धारित वित्तीय प्रगति | लक्ष्य के सापेक्ष वास्तविक वित्तीय प्रगति की तिथि | देयक क्रमांक एवं ठेकेदार को भुगतान की गयी राशि | लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निर्धारित वित्तीय प्रगति में विलम्ब (दिनों में) | काटी जाने वाली परिनिर्धारित हानि की धनराशि | काटी गयी धनराशि |
| 1 st | 6 माह (15/4/10 से 14/10/10 तक) | 25% (₹ 8,25,60,088) | 31/3/11 | 9वाँ; ₹ 8,25,93,388 | 168 | 92,46,729/- (33,02,40,354x(1/6,000)x168) | ₹ 82,50,000 |
| 2 nd | 6 माह (15/10/10 से 14/4/11 तक) | 50% (₹ 16,51,20,177) | 30/12/11 | 14वाँ; ₹ 16,20,01,671 | 260 | 1,43,10,415/- (33,02,40,354x(1/6,000)x260) | कोई धनराशि नहीं काटी गयी |
| 3 rd | 6 माह (15/4/11 से 15/10/11 तक) | 100% (₹ 33,02,40,354) | 20/6/14 | अन्तिम देयक ₹ 33,02,40,354 | 978 | 5,38,29,177/- (33,02,40,354x(1/6,000)x978) | कोई धनराशि नहीं काटी गयी |
| | | | | | | कुल ₹ 7,73,86,321 (₹ 3,30,24,035 तक सीमित) अर्थात् ₹ 3.30 करोड़ | |
| सम्पूर्ण कार्य हेतु प्रारम्भिक अनुबंध राशि का 1/2,000वाँ प्रतिदिन की दर से = 33,02,40,354x(1/2,000)x975 = 16,09,92,217 प्रारम्भिक अनुबंध राशि का 10% तक सीमित = ₹ 3.30 करोड़ | | | | | | | |

परिशिष्ट 1.14.1

(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.14.3; पृष्ठ 78)

कार्यों का विवरण जिसमें खण्ड द्वारा जमा धनराशि से अधिक व्यय किया गया

(₹ लाख में)

| खण्ड का नाम (कार्यों की संख्या) | कार्य के प्रारम्भिक लागत (आगणित) | ग्राहक विभाग द्वारा जारी किए गए निक्षेप राशि | अद्यतन व्यय | निक्षेप राशि से आधिक्य (4-3) |
|---------------------------------|----------------------------------|--|-----------------|------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| नि ख देहरादून (14) | 444.56 | 341.84 | 391.20 | 49.36 |
| नि ख देहरादून (18) | 568.21 | 568.21 | 698.86 | 130.65 |
| कुल (32 कार्य) | 1,012.77 | 910.05 | 1,090.06 | 180.01 |

परिशिष्ट 1.14.2

(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.14.4; पृष्ठ 79)

कार्यों का विवरण जिसमें शेष निक्षेप राशि ग्राहक विभाग को समर्पित नहीं की गयी

(₹ लाख में)

| खण्ड का नाम (कार्यों की संख्या) | शेष निक्षेप राशि | टिप्पणी |
|---------------------------------|------------------|---|
| नि ख रुड़की (01) | 0.42 | जून 2012 से बिना व्यय हुये शेष धनराशि पड़ा हुआ है |
| प्रा ख रुद्रपुर (13) | 13.66 | कार्य अप्रैल से नवंबर 2014 के मध्य पूर्ण हुये . |
| प्रा ख भटवाड़ी (26) | 32.26 | जुलाई 1997 से दिसंबर 2010 से बिना व्यय हुये शेष धनराशि पड़ा हुआ है. |
| कुल (40 कार्य) | 46.34 | |

परिशिष्ट 1.14.3

(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.14.5; पृष्ठ 80)

समय एवं मूल्यवृद्धि से संबन्धित प्रकरणों का विवरण

(₹ लाख में)

| खण्ड का नाम (कार्यों की संख्या) | कार्य का नाम | कार्य के प्रारम्भिक लागत (आगणित) | स्वीकृति का दिनांक | प्राप्त निक्षेप राशि | कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि (अनुबंध के अनुसार) | अद्यतन व्यय | कार्य की पुनरीक्षित लागत (पुनरीक्षित आगणन/मांग) | कार्य की वर्तमान स्थिति (मई/जून 2015) | मूल्यवृद्धि (8-3) | समयवृद्धि (9-6) |
|------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|----------------------|---|---------------|---|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| नि ख देहरादून (01) | केदारपुरम, देहरादून में राजस्व विभाग के 120 आवासीय क्वार्टर का निर्माण | 452.00 | 03/2006, | 452.00 | 12/2007 | 452 | 585.20 [#] | प्रगति में | 133.20 | (7 वर्ष) |
| नि ख हल्द्वानी (02) | सिविल कोर्ट, हल्द्वानी में टाईप-II के 20 आवास का निर्माण | 96.07 | 03/2008, 01/2009 | 96.07 | 11/2009 | 97.01 | 183.92 [#] | प्रगति में | 87.85 | (5½ वर्ष) |
| | नैनीताल में हल्द्वानी, काठगोदाम और चोरगलिया थाना में टाईप-II के 48 आवास का निर्माण | 212.61 | 03/2009, 11/2009 | 212.61 | 10/2010 | 176.28 | 53.04 [*] | प्रगति में | 53.04 [*] | (4½ वर्ष) |
| कुल (03 कार्य) | | 760.68 | | 760.68 | | 725.29 | 769.12+ 53.04[*] | | 221.05 | +53.04[*] |

* काम के दायरे में कमी

संशोधित अनुमान की स्वीकृति का इंतजार है

परिशिष्ट 1.14.4

(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.14.6; पृष्ठ 81)

भूमि की अनुपलब्धता के कारण निक्षेप राशि अवरुद्ध रहने का विवरण

(₹ लाख में)

| खण्ड का नाम (कार्यों की संख्या) | निक्षेप राशि जारी करने का तिथि | ग्राहक विभाग द्वारा जारी किए गए निक्षेप राशि | कार्य शुरू न करने का कारण |
|---------------------------------|--------------------------------|--|---|
| नि ख देहरादून (1 कार्य) | 2/2004 | 15.00 | गेस्ट हाउस (प्रेस क्लब) |
| नि ख हल्द्वानी (1 कार्य) | 09/2009 | 19.18 | भूमि उपलब्ध नहीं कराया गया, लो नि वि ने उत्तर दिया कि यदि निकट भविष्य में भूमि उपलब्ध नहीं करायी गयी तो जमा राशि समर्पित कर दी जाएगी। |
| कुल (02 कार्य) | | 34.18 | |

परिशिष्ट 2.8.1

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.8.2; पृष्ठ 116)

राजस्व विभाग के लम्बित प्रकरण

| वित्तीय वर्ष | 1 अप्रैल को लम्बित वाद | वर्ष के दौरान दाखिल वाद | वर्ष के दौरान निस्तारित वाद | 31 मार्च को लम्बित वाद |
|--------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 2003-04 | 16,108 | 63,515 | 64,155 | 15,468 |
| 2004-05 | 15,468 | 67,082 | 67,349 | 15,201 |
| 2005-06 | 15,201 | 79,479 | 77,012 | 17,668 |
| 2006-07 | 17,668 | 99,345 | 94,057 | 22,956 |
| 2007-08 | 22,956 | 1,09,084 | 1,10,736 | 21,304 |
| 2008-09 | 21,304 | 82,602 | 80,552 | 23,354 |
| 2009-10 | 23,354 | 98,071 | 92,614 | 28,811 |
| 2010-11 | 28,811 | 1,20,469 | 1,18,586 | 30,694 |
| 2011-12 | 30,694 | 1,32,294 | 1,22,522 | 40,466 |
| 2012-13 | 40,466 | 1,62,204 | 1,66,574 | 36,096 |
| 2013-14 | 36,096 | 1,37,813 | 1,37,466 | 36,443 |
| 2014-15 | 36,443 | 1,48,437 | 1,49,193 | 35,687 |

परिशिष्ट 3.1.1

(सन्दर्भ: प्रस्तर 3.1.9.2; पृष्ठ 127)

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के अद्यतन संक्षिप्त वित्तीय परिणाम, जिनके लेखे बकाया थे

(स्तम्भ 4 एवं 6 से 8 के आँकड़े ₹ करोड़ में)

| क्र. स | सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के नाम | वर्ष जिसमें लेखे पूर्ण किए गए | प्रदत्त पूँजी | लेखाओं को अन्तिम रूप देने की बकाया अवधि | जिनके लेखे बकाया थे उन पर राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान किया गया निवेश | | |
|-----------|--|-------------------------------|---------------|---|---|---------------|--------------|
| | | | | | इक्विटी | ऋण | अनुदान |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| क. | कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ | | | | | | |
| 1. | उत्तराखण्ड सीड एंव तराई डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड | 2013-14 | 4.08 | 2014-15 | - | - | - |
| 2. | गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक) | 1993-94 | 0.50 | 1994-95 | - | - | - |
| 3. | कुमाँऊ अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (कुमाँऊ मण्डल विकास निगम की सहायक) | 1986-87 | 0.50 | 1987-88 | - | - | - |
| 4. | उत्तराखण्ड बहुदेशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड | 2004-05 | 5.94 | 2005-06 | 10.40 | 1.35 | 23.07 |
| 5. | स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड | 2010-11 | 28.50 | 2011-12 | - | - | - |
| 6. | उत्तराखण्ड स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड | 2012-13 | 4.00 | 2013-14 | 1.00 | - | - |
| 7. | ट्रांस केबल्स लिमिटेड (कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक) | 1999-2000 | 1.63 | 2000-01 | - | - | - |
| 8. | उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लि0 (कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक) | 1996-97 | 0.35 | 1997-98 | - | - | - |
| 9. | उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लि0 | 1997-98 | 8.95 | 1998-99 | - | - | - |
| 10. | किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड | 2013-14 | 17.99 | 2014-15 | - | 11.56 | - |
| 11. | डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड | 2013-14 | 6.00 | 2014-15 | - | 15.88 | - |
| 12. | उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड | 2011-12 | 0.05 | 2012-13 | - | - | - |
| 13. | उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड | 2013-14 | 968.91 | 2014-15 | 68.00 | 221.88 | - |
| 14. | पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड | 2013-14 | 292.64 | 2014-15 | 95.15 | - | - |
| 15. | कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड | 2004-05 | 13.42 | 2005-06 | - | - | - |
| 16. | गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड | 2004-05 | 5.76 | 2005-06 | - | - | - |
| 17. | उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लिमिटेड | 2010-11 | 0.05 | 2011-12 | - | - | - |
| | योग क (कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ) | | | | 174.55 | 250.67 | 23.07 |
| ख. | कार्यरत सांविधिक निगम | | | | | | |
| 1. | उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम | 2013-14 | 2083.78 | 2014-15 | - | - | - |
| 2. | उत्तराखण्ड परिवहन निगम | 2012-13 | 79.74 | 2013-14 | - | - | - |
| 3. | उत्तराखण्ड वन विकास निगम | 2010-11 | - | 2011-12 | - | - | - |
| | योग 'ख' (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सांविधिक निगम) | | | | | | |
| | कुल योग (क + ख) | | | | | | |

परिशिष्ट-3.1.2

(सन्दर्भ: प्रस्तर 3.1.1 एवं 3.1.12.1; पृष्ठ 121 एवं 128)

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के अद्यतन संक्षिप्त वित्तीय परिणाम, जिनके लेखे पूर्ण कर लिए गए थे

(स्तम्भ 5 से 12 के आँकड़े ₹ करोड़ में)

| क्र. स. | कम्पनी का नाम एवं क्षेत्र | लेखे की अवधि | वर्ष जिसमें लेखे पूर्ण किए गए | प्रदत्त पूँजी | वर्ष के अन्त में बकाया ऋण | संचित लाभ (+) / हानि (-) | कुल कारोबार | शुद्ध लाभ (+) / हानि (-) | लेखा टिप्पणियों का प्रभाव | नियोजित पूँजी | नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल | नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल का प्रतिशत | जनशक्ति (कर्मचारियों की संख्या) |
|------------------------------------|--|--------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------|---------------|------------------------------|---|---------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| क. कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ | | | | | | | | | | | | | |
| कृषि एवं समवर्गी | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | उत्तराखण्ड सीड्स एंव तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड | 2013-14 | 2014-15 | 4.08 | 4.03 | 10.87 | 93.50 | 1.02 | गैर समीक्षा | 38.94 | 2.66 | 6.83% | 454 |
| क्षेत्रवार योग | | | | 4.08 | 4.03 | 10.87 | 93.50 | 1.02 | गैर समीक्षा | 38.94 | 2.66 | 6.83% | 454 |
| वित्त | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक) | 1993-94 | 2012-13 | 0.50 | 0.71 | (-) 0.63 | 0.54 | 0.07 | (-)0.39 | 1.09 | 0.10 | 9.17% | 01 |
| 3. | कुमाँऊ अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (कुमाँऊ मण्डल विकास निगम की सहायक) | 1986-87 | 2002-03 | 0.50 | - | (-) 0.04 | 0.10 | (-) 0.02 | - | 0.46 | (-) 0.02 | - | - |
| 4. | उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड | 2004-05 | 2013-14 | 5.94 | 7.78 | (-) 0.11 | - | (-) 0.17 | (-)0.02 | 42.44 | 0.08 | 0.19% | 82 |
| क्षेत्रवार योग | | | | 6.94 | 8.49 | (-) 0.78 | 0.64 | (-) 0.12 | (-)0.41 | 43.99 | 0.16 | 0.36 | 83 |

| क्र. स. | कम्पनी का नाम एवं क्षेत्र | लेखे की अवधि | वर्ष जिसमें लेखे पूर्ण किए गए | प्रदत्त पूँजी | वर्ष के अन्त में बकाया ऋण | संचित लाभ (+) / हानि(-) | कुल कारोबार | शुद्ध लाभ (+) /हानि (-) | लेखा टिप्पणियों का प्रभाव | नियोजित पूँजी | नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल | नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल का प्रतिशत | जनशक्ति (कर्मचारियों की संख्या) |
|-----------------------|--|--------------|-------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------|---|---------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| अवसंरचना | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड | 2010-11 | 2013-14 | 28.50 | 6.00 | 235.17 | 2.87 | 30.01 | (-)7.04 | 272.55 | 30.49 | 11.19% | 11 |
| 6. | उत्तराखण्ड स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड | 2012-13 | 2014-15 | 4.00 | 4.00 | (-) 4.12 | 9.96 | 0.05 | (-)0.31 | 3.88 | 0.05 | 1.29% | 96 |
| क्षेत्रवार योग | | | | 32.50 | 10.00 | 231.05 | 12.83 | 30.06 | (-)7.35 | 276.43 | 30.54 | 11.05% | 107 |
| विनिर्माण | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | ट्रांस केबल्स लिमिटेड (कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक) | 1999-2000 | 2002-03 | 1.63 | 2.75 | (-) 5.80 | 2.80 | (-) 0.84 | - | 2.90 | (-) 0.84 | - | - |
| 8. | उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लि0 (कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक) | 1996-97 | 1997-98 | 0.35 | 7.28 | (-) 6.95 | 0.29 | (-) 1.19 | - | 0.35 | (-) 1.19 | - | - |
| 9. | उत्तर प्रदेश हिल इलैक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लि0 (यू.पी.हि.इ.लि) | 1997-98 | 2011-12 | 8.95 | - | (-) 1.17 | 1.61 | (-) 0.31 | - | 8.96 | (-)0.31 | - | 26 |
| 10. | किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड | 2013-14 | 2015-16 | 17.99 | 96.76 | (-) 136.95 | 90.01 | (-) 34.95 | (-)0.65 | (-)73.11 | (-)13.94 | - | 676 |
| 11. | डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड | 2013-14 | 2014-15 | 6.00 | | (-) 199.11 | 100.62 | (-) 38.21 | (-)0.11 | (-)151.28 | (-)16.97 | - | 536 |
| 12. | उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड | 2011-12 | 2014-15 | 0.05 | - | 0.01 | 0.07 | 0.01 | - | 0.05 | 0.01 | - | - |
| क्षेत्रवार योग | | | | 34.97 | 106.79 | (-) 349.99 | 195.40 | (-)75.49 | (-)0.76 | (-) 212.14 | (-) 33.24 | - | 1238 |
| ऊर्जा | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड | 2013-14 | 2015-16 | 968.91 | 786.43 | (-)1695.38 | 3773.77 | 323.40 | (-)13.74 | 481.81 | 480.45 | 99.72% | 3508 |
| 14. | उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड | 2014-15 | 2015-16 | 1075.79 | 1118.57 | 259.48 | 446.16 | 4.43 | (-)3.38 | 2586.26 | 112.45 | 4.35% | 2567 |
| 15. | पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड | 2013-14 | 2014-15 | 292.64 | 571.00 | (-) 123.05 | 201.67 | 3.34 | (-)4.88 | 999.10 | 55.48 | 5.55% | 789 |
| क्षेत्रवार योग | | | | 2337.34 | 2476 | (-) 1558.95 | 4421.60 | 331.17 | (-)22.00 | 4067.17 | 648.38 | 15.94% | 6864 |

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के (सामाजिक, सामान्य, राजस्व एवं आर्थिक क्षेत्र) के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

| क्र. स. | कम्पनी का नाम एवं क्षेत्र | लेखे की अवधि | वर्ष जिसमें लेखे पूर्ण किए गए | प्रदत्त पूँजी | वर्ष के अन्त में बकाया ऋण | संचित लाभ (+) / हानि(-) | कुल कारोबार | शुद्ध लाभ (+) /हानि (-) | लेखा टिप्पणियों का प्रभाव | नियोजित पूँजी | नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल | नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल का प्रतिशत | जनशक्ति (कर्मचारियों की संख्या) |
|--|---|--------------|-------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|----------------|------------------------------|---|---------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| सेवाएं | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड | 2004-05 | 2014-15 | 13.42 | 23.23 | 0.83 | 114.79 | 0.50 | (-)0.09 | 38.51 | 1.54 | 5.49% | 631 |
| 17. | गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड | 2004-05 | 2014-15 | 5.76 | 33.53 | 6.34 | 138.54 | 2.23 | (-)2.90 | 46.47 | 3.77 | 8.11% | 877 |
| क्षेत्रवार योग | | | | 19.18 | 56.76 | 7.17 | 253.33 | 2.73 | (-)2.99 | 84.98 | 5.31 | 7.12% | 1508 |
| विविध | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लिमिटेड | 2010-11 | 2013-14 | 0.05 | - | 23.92 | 88.26 | 6.08 | - | 24.92 | 6.08 | 24.40% | - |
| क्षेत्रवार योग | | | | 0.05 | - | 23.92 | 88.26 | 6.08 | - | 24.92 | 6.08 | 24.40% | - |
| योग क (सभी क्षेत्रवार-कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ) | | | | 2435.06 | 2662.07 | (-)1636.71 | 5065.56 | 295.45 | (-)33.51 | 4324.29 | 659.89 | 15.26% | 10254 |
| ख. कार्यरत सांविधिक निगम | | | | | | | | | | | | | |
| अवसंरचना | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम | 2013-14 | 2013-14 | 2050.06 | 77.10 | (-) 145.97 | 67.91 | (-) 23.87 | (-)36.91 | 2132.92 | (-)15.31 | - | 2379 |
| क्षेत्रवार योग | | | | 2050.06 | 77.10 | (-) 145.97 | 67.91 | (-) 23.87 | (-)36.91 | 2132.92 | (-)15.31 | - | 2379 |
| सेवा | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | उत्तराखण्ड परिवहन निगम | 2012-13 | 2014-15 | 79.74 | 150.52 | (-) 327.95 | 297.61 | (-)25.35 | (-)7.57 | 344.46 | 25.35 | 73.56% | 4260 |
| क्षेत्रवार योग | | | | 79.74 | 150.52 | (-) 327.95 | 297.61 | (-)25.35 | (-)7.57 | 344.46 | 25.35 | 73.56 | 4260 |
| विविध | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | उत्तराखण्ड वन विकास निगम | 2010-11 | 2014-15 | - | - | 227.80 | 310.34 | 36.86 | (-)20.64 | 227.80 | 36.86 | 16.18% | 3003 |
| क्षेत्रवार योग | | | | - | - | 227.80 | 310.34 | 36.86 | (-)20.64 | 227.80 | 36.86 | 16.18% | 3003 |
| योग ब (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सांविधिक निगम) | | | | 2129.80 | 227.62 | (-)246.12 | 675.86 | (-)12.36 | (-)65.12 | 2395.18 | 46.90 | 1.96% | 9642 |
| कुल योग (क + ख) | | | | 4564.86 | 2889.69 | (-)1883.83 | 5741.42 | 283.09 | (-)98.63 | 6719.47 | 706.79 | 10.52% | |

| क्र. स. | कम्पनी का नाम एवं क्षेत्र | लेखे की अवधि | वर्ष जिसमें लेखे पूर्ण किए गए | प्रदत्त पूँजी | वर्ष के अन्त में बकाया ऋण | संचित लाभ (+) / हानि(-) | कुल कारोबार | शुद्ध लाभ (+) / हानि (-) | लेखा टिप्पणियों का प्रभाव | नियोजित पूँजी | नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल | नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल का प्रतिशत | जनशक्ति (कर्मचारियों की संख्या) |
|---|---|--------------|-------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------|----------------|------------------------------|---|---------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| ग. अकार्यरत सरकारी कम्पनियाँ | | | | | | | | | | | | | |
| कृषि एवं समवर्गी | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | यू.पी.ए.आई. लिमिटेड ¹ | | | 0.17 | - | (-) 0.05 | - | - | - | 0.10 | (-)0.01 | - | |
| क्षेत्रवार योग | | | | 0.17 | - | (-) 0.05 | - | - | - | 0.10 | (-)0.01 | - | |
| विनिर्माण | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | कुम्ट्रॉन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलैक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की सहायक) | 1989-90 | 1990-91 | 0.18 | | (-) 0.02 | | (-) 0.02 | | 0.12 | (-)0.02 | | |
| 3. | उत्तर प्रदेश हिल फोन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल्स इलैक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लि0 की सहायक) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | उत्तर प्रदेश हिल क्वार्टर लि0 (उत्तर प्रदेश हिल्स इलैक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लि0 की सहायक) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| क्षेत्रवार योग | | | | 0.18 | | (-) 0.02 | | (-) 0.02 | | 0.12 | (-)0.02 | | |
| योग 'ग' (सभी क्षेत्रवार अकार्यरत सरकारी कम्पनियाँ) | | | | 0.35 | - | (-)0.07 | | (-)0.02 | | 0.22 | (-)0.03 | | |
| कुल योग (क +ख +ग) | | | | 4565.21 | 2889.69 | (-)1883.90 | 5741.42 | 283.07 | (-)98.63 | 6719.69 | 706.76 | 10.52 % | 19896 |

@ नियोजित पूँजी की गणना में अंशधारियों का कोष एवं लम्बी अवधि ऋण शामिल है।

¹ दिनांक 31.03.1991 से कम्पनी परिसमापन के अंतर्गत।